खण्ड-375, अंक-6
गुरूवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(27 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री श्री हुकुम सिंह तथा परिवहन मन्त्री डा० संजय सिंह के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. 63–64

कार्य-स्थगन-की-प्रस्तावों की सूचनाएं 64–79

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 49––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 50––राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 84––सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) .. 79–124

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल-बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित) .. 124–132

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 132

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 132–136

बंगाल आदि प्रान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 136–144

स्वास्थ्य मन्त्री श्री लोकपति त्रिपाठी की प्रार्थना पर स्थगित दिनांक 20-2-86 के प्रश्नोत्तर 144–174

तालिका 175–177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	राकेशवर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
किशन सिंह लड़ागी, श्री	नैनीताल	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही,	गोरखपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
नंगा राम, श्री	खीरी	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बलबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती		

नोट—श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मन्त्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मन्त्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मन्त्री।

ARCHIVE http://Archivebeta.Sakhrit.com

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हाउस जाब के लिए गाइनिक के पद

**1—श्री रघुबर दयाल वर्मा तथा डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में हाउस जाब के लिए सरजरी में 5, मेडिसिन, आर्थोपेडिक तथा पेडिट्रियाट्रिक में क्रमशः 3 स्थान रखे गये हैं परन्तु गाइनिक में एक भी स्थान नहीं रखा गया है जबकि आर्थोपेडिक सर्जरी तथा पेडिट्रियाट्रिक मेडिसिन के अन्तर्गत आते हैं और गाइनिक एक पृथक तथा विस्तृत विषय है ? क्या मंत्री जी गाइनिक में कम से कम 5 स्थान स्वीकार करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

बलरामपुर अस्पताल में हाउस जाब के लिए सर्जरी में 5 तथा मेडिसिन आर्थोपेडिक्स एवं पीडियाट्रिक्स में क्रमशः 3—3 स्थान रखे गये हैं।।

बलरामपुर अस्पताल में गाइनिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। अतः बलरामपुर अस्पताल में गाइनिक्स में हाउस जाब का कोई स्थान नहीं रखा गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डफरिन अस्पताल बलरामपुर अस्पताल का एक मुख्य अंग है, वहां हाउस जाब के लिए गाइनिक के पद है या नहीं ? यदि नहीं है तो गाइनिक की महत्ता को देखते हुए वहां पदों को बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डफरिन अस्पताल बलरामपुर अस्पताल का अंग नहीं है, क्वीन मेरी अस्पताल में गाइनिक के पद हैं, अगर आवश्यकता होगी, तो वहां भी पद बनाये जायेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, डफरिन में स्त्री रोगों का परीक्षण होता है वहां हाउस जाब के लिए गाइनिक के पदों की बहुत आवश्यकता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह डफरिन में गाइनिक के पांच पद बनाने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश में 11 डफरिन अस्पताल हैं, आप कौन से डफरिन अस्पताल की बात कह रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

लखनऊ के डफरिन अस्पताल की।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लखनऊ में क्वीन मेरी अस्पताल में गाइनिक के पद हैं अगर आवश्यकता होगी तो वहां भी गाइनिक के पद किए जायेंगे।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बलरामपुर अस्पताल में इतने मरीज आते हैं, लेकिन गाइनिक डिपार्टमेंट वहां नहीं है मंत्री जी क्या बलरामपुर में गाइनिक के पद खोलने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बलरामपुर अस्पताल पुरुषों का अस्पताल है और अभी तक किसी पुरुष को गाइनिक की आवश्यकता नहीं पड़ी ?

(हंसी)

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने वाले पुरुषों/महिलाओं हेतु सामूहिक बीमा करने की कथित योजना

**2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने वाले पुरुषों/महिलाओं का उक्त आपरेशन संबंधित जोखिम को कवर करने हेतु रुपये 5000/- तक का सामूहिक बीमा करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी योजना अविलम्ब लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है । इसकी सफलता के लिए यह कृत संकल्प है, लेकिन मान्यवर, इसकी सफलता में बाधा यह भी आती है कि लोग आपरेशन खराब होने की वजह से विशेष रूप से गरीब लोग आपरेशन कराने से डरते हैं कि अगर वह बीमार होंगे तो क्या होगा, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपरेशन संबंधित जोखिम को कवर करने के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इसको मैं भारत सरकार को संदर्भित कर दूंगा, क्योंकि इसका निर्धारण भारत सरकार से होता है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि मंत्री जी इसको भारत सरकार को सन्दर्भित कर देंगे । मैं इतना और जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले को भारत सरकार को संदर्भित करते समय यह आंकड़े भी उपलब्ध करायेंगे कि इसमें जोखिम कम है और बीमा दर भी कम होगी, इसलिये इसमें आंशिक व्यय अंतर्ग्रस्त है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

परिवार कल्याण कार्यक्रम को जो अपनाये उसका सामूहिक जीवन बीमा किया जाय यह प्रस्ताव है ...

श्री जयदीप सिंह बरार–

आपरेशन से संबंधित जो जोखिम है उसके लिये?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है मैं इसको भारत सरकार को संदर्भित कर दूंगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या कोई ऐसा शासनादेश भेजा गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी के लिये नसबंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य की पूर्ति न करने पर कर्मचारी को दंडित करने का शासनादेश है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न इस सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री किरनपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को इस प्रकार की शिकायत मिली है कि नसबंदी के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई है?

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल से संबंधित प्रश्न करें। इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री किरनपाल सिंह–

यह सवाल से संबंधित है। भारत सरकार को संदर्भित करने जा रहे हैं। इसलिये मैंने पूछा है। मुझे जानकारी है, हमारे यहां बुलंदशहर में नसबंदी के दौरान टेबुल पर दो महिलाओं की मृत्यु हो गई जिनकी मृत्यु इस प्रकार हो जाय क्या उनके लिये कोई मुआवजा मंत्री जी तय करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। यदि मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, यह शासन की नीति है कि अगर कोई महिला परिवार कल्याण का स्टरलाइजेशन को कार्यक्रम अपनाने से 10 दिन के अंदर मर जाती है तो उस महिला के परिवार को 5 हजार रुपये दिये जाते है। यह नीति बहुत पुरानी है, नयी नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसके संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मृत्यु के संबंध में तो शासन की नीति 5 हजार रुपया देने की है, लेकिन अगर मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कभी-कभी ऐसा केस आपके सामने आया होगा, मेरे सामने भी आया कि मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन और परेशानियां पैदा हो गयीं, तो ऐसी स्थिति में रिस्क को कवर करने के लिये प्रदेश सरकार के पास कोई योजना है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने नसबंदी कराई और अपनी उमर से 20 साल कम का दिखता हूं, अतः कोई रोग नहीं होता।

(हंसी)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो डाक्टर आपरेशन करेगा और मरीज की मृत्यु हो जायगी, तो क्या उस डाक्टर की जिम्मेदारी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, डाक्टर की इसमें क्या जिम्मेदारी होगी ?

श्री गोपाल दास यादव–

अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? डाक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी तो डाक्टर लापरवाही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जांच का विषय है, इसमें मंत्री जी क्या बतायेंगे। सवाल बीमे से संबंधित है, उसके बारे में कुछ पूछिये।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मा0 बरार साहब के प्रश्न के बारे में मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसमें थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि बरार साहब के प्रश्न का जो मतलब है, वह आपरेशन से जो जोखिम है, उसका बीमा कराने के लिये है। इसमें मंत्री जी ने भारत सरकार को संदर्भित करने की जो बात कही है उसमें जीवन बीमा कहा, लेकिन यह साधारण जीवन बीमा का प्रश्न नहीं है, आपरेशन से संबंधित जो जोखिम है, उसके बीमे का कोई नियम है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मैंने सम्मानित सदस्यों को पहले ही बताया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार का है, उसी की नीति के अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री शेर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में कुछ एसे केस दिखाई पड़े जहां नसबंदी कराने के बाद भी बच्चे पैदा हुए हैं और उन परिवारों में विघटन की स्थिति पैदा हो गयी है। उसके निराकरण हेतु मा0 मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल नहीं पैदा होता ।

(हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जैसा कि बरार साहब ने कहा कि सामूहिक बीमा करने की योजना शासन के विचाराधीन है तो मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस अंग का जीवन बीमा करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता [प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विकास खण्ड फखरपुर, जनपद बहराइच में जबरिया नसबंदी करवाये जाने की शिकायत

*1–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड फखरपुर, जनपद बहराइच के एक दर्जन लोगों की जबरिया नसबंदी करवाई गयी जिसमें अविवाहित व 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति भी शामिल हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 मुख्य मंत्री को इस संबंध में माह जनवरी, 1986 में कोई शिकायत प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मामले की जांच कराई जा रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह भी पहले प्रश्न से ही संबंधित है। फखरपुर में 12 लोग एसे हैं जो कि अविवाहित हैं, नाबालिग हैं और विधवा हैं लेकिन उनकी जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई है। उन लोगों का नाम पता मैं बता सकता हूं। इस संबंध में शिकायत हमने शासन को लिखकर भेज दिया है और अभी तक जांच कराई जा रही है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जांच चल रही है क्या उसके कोई परिणाम अब तक मिले ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, इसमें तीन प्रश्न हैं। एक तो यह कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड फखरपुर, जनपद बहराइच के एक दर्जन लोगों की जबरिया नसबंदी करवाई गई जिसमें अविवाहित व 60 वर्ष से ऊपर व्यक्ति भी शामिल हैं? दूसरा, यदि हां, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री को इस संबंध में माह जनवरी, 1986 में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? तीसरा, यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? मान्यवर, इसका उत्तर है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में एसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिसकी मैंने जांच करा ली। जहां तक 12 व्यक्तियों का सवाल है उसमें नाम नहीं दिये गये हैं मगर संबंधित कैम्पों से हम जानकारी करवा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि सदन की समाप्ति के पूर्व मैं इसका उत्तर माननीय अध्यक्ष जी के पास भेज दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप आश्वासन देंगे कि अगर नाम और पता दे दिया जाय और उनकी पुष्टि हो जाये तो उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

खैरागढ़ में गंगाराम नाम का व्यक्ति जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी नसबंदी कर दी गई है, क्या आप इसकी जांच करायेंगे श्री वर्मा जी के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के नाम दे दिये जायेंगे तो उसकी जांच करवायेंगे तो मैं उसी क्रम में पूछ रहा हूं । क्या आप उसकी जांच करवा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

क्या यह बहराइच का है? यह सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री बाबू राम यादव–

मा0 मंत्री जी क्या सदन को आप आश्वासन देंगे कि जो अविवाहित लोग हैं और जिनकी नसबंदी कर दी गई है क्या उनकी नस पुनः सरकारी खर्चे पर जुड़वाने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

यह सवाल से संबंधित नहीं है । इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न में कोई विशिष्ट नाम व पता नहीं दिया गया है। यदि माननीय मंत्री जी को विशिष्ट नाम और पते दे दिये जायं, तो क्या माननीय मंत्री जी उस पर जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप नाम अलग से दे दें । उस पर मंत्री जी जांच करा लेंगे।

श्री मनहरन नाथ कौल–

मान्यवर, मैं बहराइच का रहने वाला हूं । मुझे वहां के बारे में ज्यादा जानकारी है। वहां पर नसबंदी के इस किस्म के कोई केस नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नसबंदी कराई है, उन लोगों को कोई विशेष सुविधा दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री के कार्यालय में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । माननीय मंत्री जी ने गलत सूचना सदन को दी है। इसकी लिखित स्वीकृति हमारे पास है । इस गलत सूचना के लिए मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दूंगा। मैं तीन व्यक्तियों के नाम आपको फोटो सहित व पते सहित भिजवा रहा हूं क्या उन पर जांच करेंगे। इनके नाम हैं राम गोपाल, सांवली प्रसाद और तिवारी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इन्हें भेज दें । मंत्री जी उस पर जांच करवा लेंगे।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने तीनों फोटो माननीय उपाध्यक्ष के पास भिजवा दी।)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने मूल प्रश्न में कहा है कि इस नसबन्दी में 60 वर्ष से भी ऊपर के लोग शामिल हैं ।

माननीय मंत्री जी 60 वर्ष की सीमा को न रखते हुए, जो लोग संतान उत्पन्न करने के काबिल भी नहीं हैं, उनकी यदि नसबंदी की जाती है तो जिन लोगों ने नसबंदी की है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी तो पूरे प्रकरण की जांच कर ही रहे हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो अविवाहित हैं, लेकिन उनकी नसबन्दी हो गयी है, क्या उनके पुनः उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कोई सुविधा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, नसबन्दी स्वैच्छिक है। मान्यवर, जो नसबन्दी कराता है, उससे एक फार्म भरवाया जाता है चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो। अगर कोई अशिक्षित होता है तो उसके मां-बाप, भाई में जो शिक्षित होता है, वह फार्म भरता है, जो प्रेरक होता है, वह फार्म नहीं भरता है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि जबरदस्ती नसबन्दी कराई जाय। माननीय सदस्य तो स्वयं भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं तो यह जानकारी चाहता हूं कि जिसकी नसबन्दी गलत हो गयी है क्या उनका पुनः उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कोई सुविधा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक मौलिक प्रश्न उठाया है। हो सकता है किसी परिवार में दो बच्चे हैं। अगर पुरुष ने नसबन्दी करा ली है और दुर्भाग्यवश दोनों बच्चे मर जाते हैं तो उसकी नस को फिर से जोड़ा जा सकता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में जबरदस्ती नसबन्दी अभियान चलाया गया है। कर्मचारियों के कोटे निर्धारित कर दिये गये हैं। जो कर्मचारी कोटा पूरा नहीं कर पा रहा है, उसे निलम्बित कर दिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा जी0 ओ0 निर्गत करने की कृपा करेंगे कि यदि कोई प्रेरक किसी अविवाहित की जबरदस्ती नसबन्दी करवाता है, तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का सम्भवतः इशारा जबरदस्ती नसबन्दी कराये जाने की ओर है। ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य ने तीन व्यक्तियों की सूची माननीय उपाध्यक्ष के पास दी है उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि जबरदस्ती अविवाहित लोगों की नसबन्दी भी हुई है कि नहीं?

आलू उत्पादक कृषकों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने हेतु समर्थित मूल्य का निर्णय

*2–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आलू उत्पादक कृषकों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु कोई समर्थित मूल्य का निर्णय लिया है? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

अभी समर्थन मूल्य नहीं बल्कि बाजार हस्तक्षेप मूल्य के अनुसार सफेद किस्म के आलू का 50 रुपए प्रति कुन्तल तथा लाल किस्म के आलू के लिए 40 रुपए प्रति कुन्तल की दर से खरीद की व्यवस्था की गई है। यह खरीद प्रदेश के 36 जनपदों में स्थापित 133 क्रय केन्द्रों के माध्यम से की जाएगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

[गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बाजार में बिक्री हेतु पशु आहार में मिलावट को रोकने हेतु उपाय

***1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाजार में बिक्री हेतु पशु आहार में हो रही भारी मिलावट की रोकथाम के लिए सकार द्वारा क्या प्रयास किया जाता है? क्या इसके लिए विधि में दण्ड की भी कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो वह क्या है?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

पशुपालन विभाग द्वारा जो पशु आहार निर्मित किया जाता है उसमें जो फार्मूला प्रयोग होता है वह आई0 एस0 आई0 मानकों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है ताकि निर्मित संतुलित आहार की क्वालिटी और पौष्टिकता उत्तम श्रेणी की बनी रहे तथा पशुपालकों को अच्छा आहार प्राप्त हो सके।

बाजार में बिक्री हेतु पशु आहार में मिलावट को रोकने के विषय में कोई सीधा कानून नहीं है परन्तु एग्रीकल्चरल प्रांडयूस (ग्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग) एक्ट 1937 में यह प्राविधान है कि केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के ग्रेड डिजिगनेशनस् निश्चित कर सकती है जिससे कि उस वस्तु की क्वालिटी का बोध होता हो। एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह ऐसी वस्तुओं को जो निर्धारित मानक पूरा नहीं करती उन्हें जब्त कर लें और उनका निस्तारण कर दे। केन्द्रीय सकार ने आयल केक्स ग्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग रूल्स, 1962 भी बनाए हैं। इसके अतिरिक्त दे इण्डियन स्टैन्डर्डस इन्स्टीट्यूशन (सर्टीफिकेशन मार्क्स) एक्ट, 1952 के अंतर्गत पशु आहार के किसी निर्माता ने स्टैन्डर्ड मार्क का लाइसेन्स किसी पशुआहार के बारे में ले लिया हो और उसके द्वारा बनाया तथा बेचा जाने वाला माल उस स्टैन्डर्ड मार्क के अनुसार न हो तब उक्त अधिनियम के अंतर्गत यह एक दण्डनीय अपराध होगा जिसमें जुर्माना अधिकतम 10,000 रु0 तक का हो। नगर महापालिका अधिनियम में यह प्रविधान है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पशुओं को जो डेरी के प्रयोजनार्थ रखे जा रहे हों अथवा भोजन के प्रयोजनार्थ रखे जा रहे हो उन्हें गन्दी या हानि कारक तथा जहरीले पदार्थ न तो खिलाएगा और न खिलाने देगा। इसका उल्लधंन करने पर वह 20 रु0 दण्ड का भागी होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने उत्तर में यह जानकारी दी है कि केन्द्रीय सरकार ने इस तरह के कुछ नियम बनायें हैं जिससे कि कार्यवाही की जा सकती है, दूसरा यह बताया कि जो खली उत्पादक हैं, वे मिलावट न कर सकें इसके लिये कानून है, तीसरा जो लोग डेयरी चलाते हैं, वे पशुओं को जो खाद्य पदार्थ देते हैं, उसमें मिलावट को दण्डनीय किया

है ? बाजार में भी जो पशुओं का आहार मिलता है, उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है क्या ऐसी व्यवस्था है कि इस पर नियंत्रण रखा जा सके ? यदि नहीं, तो क्या कोई व्यवस्था विचाराधीन है ? यदि है, तो उस संबंध में जानकारी दे दें ?

श्री हुकुम सिंह–

जो वर्तमान व्यवस्था है, उसका उल्लेख उत्तर में किया, जो माननीय गुप्त जी ने कहा कि जो पशु आहार बाजार में मिल रहा है, उसमें जो मिलावट की बात है, इस सम्बन्ध में जो नियमावली है प्राविधान है, वह आवश्यकतानुसार पैमाने पर पूरा नहीं उतरता । मैं इस बात की आवश्यकता महसूस करता हूं कि कोई ऐसा अधिनियम या प्रस्ताव सरकार की तरफ से बनाया जाना चाहिये । सरकार के समक्ष यह प्रकरण विचाराधीन है, आशा करता हूं कि जल्द ही कार्यवाही की जाएगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रकरण विचाराधीन है और जल्द ही कार्यवाही की जायगी, तो क्या इस स्तर पर जानकारी में है कि जो चीज बनाई जाने वाली है, उसकी रूपरेखा क्या होगी ? क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है?

श्री हुकुम सिंह–

सारे बिन्दु विचाराधीन हैं । अभी हमारा फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, वह खाद्य पदार्थ में मिलावट पर रोक लगाता है, उसके अंतर्गत जुर्माना भी है, सजा भी है, लेकिन कारगर कोई अधिनियम नहीं है इन्हीं लाइनों पर सोचा जा रहा है, उसकी रूपरेखा बताना सम्भव नहीं हो पायगा, लेकिन अधिनियम या नियमावली जो भी बनाया जाएगा, उसका निर्माण शेष किया जाएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कब तक अधिनियम लागू कर देंगे? एग्रो वाले भी ये 'फीड' बनाते हैं, क्या जांच करायेंगे कि आई0 एस0 आई0 के अनुसार ही बना रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक आई0 एस0 आई0 का प्रश्न है, इसकी जांच सदैव सम्भव है और वह करते भी रहते हैं । इसका उल्लंघन करने पर 10,000 रु0 जुर्माने का भी प्राविधान है और उसको निरस्त भी किया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय रेवती रमण सिंह ने भी जानना चाहा था, मैं भी फिर दोहरा रहा हूं कि जो आश्वासन दिया है कि ऐसी नियमावली बन रही है क्या यह भी जानकारी देंगे कि यह कब तक प्रभावी हो जायगी?

श्री हुकुम सिंह–

यह शीघ्र बन जायगी ।'

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायतें

*2–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ–
(अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय तिथरी, मनकावाला, नगीना, बिजनौर द्वारा सम्बद्ध कर्मचारियों व छात्रों को गैर कानूनी व मनमाना संरक्षण देने तथा सीधे-साधे परिश्रमी, निष्ठावान, समर्पित कर्मचारियों को गैर कानूनी व मनमाने ढंग से पीड़ित किए जाने से कालेज में पठन-पाठन

का वातावरण लगभग समाप्त हो गया है व कर्मचारियों तथा छात्रों में घोर असन्तोष व रोष व्याप्त है? क्या यह भी सच है कि उक्त प्राचार्य के विरुद्ध अनेक गम्भीर शिकायतें हैं, जिन पर कार्यवाही नहीं की जाती है ? क्या शासन ऐसे प्राचार्य को अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित कर शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा एवं आसपास के जनपदों में मलेरिया रोग के प्रकोप को रोकने हेतु उपाय

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि वर्षा ऋतु में मथुरा एवं आस पास के जनपदों में जल प्लावन के कारण मलेरिया की बीमारी भयंकर रूप से फैलती है? यदि हां, तो इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिये शासन कौन-कौन से उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । शासन प्रश्नगत जनपदों में जल भराव के फलस्वरूप मलेरिया रोग के प्रकोप को रोकने के लिए सदैव सतर्क है। इस हेतु सर्वेक्षण कार्यक्रम को सक्रिय बनाया गया है तथा मलेरिया के धनात्मक केसेज को मूल उपचार दिया जाता है । ज्वर पीड़ितों की रक्त पट्टिकायें एकत्र कर उनकी जांच की जाती है तथा दवाओं आदि की समुचित व्यवस्था कर वितरण कराया जाता है । साथ ही इन क्षेत्रों में बी0एच0सी0 का प्रति वर्ष नियमित छिड़काव किया जाता है । मलेरिया रोग के रोकथाम हेतु स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा स्वास्थ्य प्रदर्शकों को भी मलेरिया कार्यक्रम में सम्मिलित कर उनके द्वारा भी ज्वर पीड़ितों का पता लगाकर रोगियों को क्लोरोक्वीन की गोलियां निःशुल्क वितरित कराई जाती है और उपचार किया जाता है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा जनपद में जलप्लावन से प्रति वर्ष सैकड़ों मौतें होती हैं और हर बार ये यही उत्तर दे देते हैं। मेरा निवेदन है यह सुनिश्चित करते हुए कि मथुरा में प्रति वर्ष जलप्लावन से जो सैकड़ों मौतें हो जाती हैं तो क्या इसके लिये शासन विशेष रूप से कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगा जिससे कि आगे इससे मौतें न हो सकें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश में जल भराव के कुछ क्षेत्र हैं जो कि मलेरिया से प्रभावित हो जाते हैं । भारत सरकार ने इसके लिये कोई कार्यक्रम चलाया है और जिसके लिये कुछ जनपद छोटे हैं। उत्तर प्रदेश के भी चार जनपद इसके लिये, लिये गये हैं। इन चार जनपदों को लेकर काम शुरू किया गया है, द्वितीय चरण में मथुरा जनपद को भी लिया जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मंत्री जी को मालूम है कि डी0डी0टी0 का छिड़काव मलेरिया उन्मूलन में कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है, मच्छर भी डी0डी0टी0 के प्रभाव को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं । मथुरा और आगरा के आस-पास के जिलों में डी0 डी0 टी0 के स्थान पर क्या कोई अन्य छिड़काव की दवा आपके विभाग द्वारा खोजी गयी है ? यदि हां, तो वहां पर उसका छिड़काव कब तक करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं निकली है । भारत सरकार ने नई पद्धति के एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें बिल-कुल छिड़काव की व्यवस्था नहीं है, कुछ प्राकृतिक वृक्ष ऐसे हैं कि उनकी हवा जहां तक जाती है, वहां मच्छर नहीं रहते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

वह कौन से वृक्ष हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहां लखनऊ में कुकरैल में उन वृक्षों को निकाला जा रहा है । जल भराव के गड्ढ़ों को पाट कर उन वृक्षों को लगाने का भारत सरकार का कार्यक्रम है, इसके अलावा और कोई दूसरी नीति नहीं है। बी0 एच0 सी0 अथवा डी0 डी0 टी0, जहां जितना घनत्व है, अभी इन्हीं दवाओं का छिड़काव किया जाता है लेकिन इसके बारे में विश्व संगठन का कथन है कि इसको रोकना चाहिये क्योंकि यह मानव के लिये हानिकारक है, इसका प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

बी0 एच0 सी0 और डी0 डी0 टी0 जन-जीवन के लिये यदि हानिकारक सिद्ध हो रही है तो इसके लिये आपने क्या किया है कि इसको रोका जाय ? और भारत सरकार क्या कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, इस तरह के कार्यक्रम एक दिन में नहीं निर्धारित होते हैं। प्रयोगात्मक दृष्टि से कुछ जनपदों को भारत सरकार ने लिया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

वे कौन-कौन से जनपद हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ये चार जनपद हैं ललितपुर, इलाहाबाद, शाहजहांपुर तथा सुल्तानपुर ।

(व्यवधान)

सुल्तानपुर से आप लोग क्यों इतना परे-शान हैं ? मैंने तो छपरौली में भी अस्पताल बनवाया है । आप यदि मुझे सुनना चाहें तो मैं आपको जानकारी दूं, नहीं तो मैं चुपचाप बैठ कर आप को ही सुनता रहूं, क्योंकि मुझे सुनने की भी आदत है। तो मैं कह रहा था कि कोई भी कार्य-क्रम अति शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है । किसी युग में बी0एच0सी0 और डी0 डी0 टी0 का प्रयोग हुआ आज तीस-चालिस वर्षों से लेकिन अब वैज्ञानिकों का कथन है कि ये जन जीवन के लिये हानिकारक हैं । इसलिये स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा शोध विभाग इस पर शोध कर रहा है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बी0 एच0 सी0 का जो छिड़काव, मथुरा और आगरा में किया जाता है, गर्मी में या बरसात के बाद करवाया जाता है । इसलिये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह सही ढंग से देखेंगे कि जो मलेरिया का समय है, उसी समय छिड़काव किया जाये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं सुन नहीं पाया, कृपया दुबारा दुहरा दें ।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने दवा के छिड़काव की बात की है । गर्मी में या बरसात के पहले या बरसात के बहुत बाद में छिड़काव करवाया जाता है । इसलिये मलेरिया में दवा असर नहीं करती है और ज्यादा मलेरिया फैल रहा है, तो क्या मंत्री जी उसी समय छिड़काव की व्यवस्था करेंगे जब वह फैल रहा हो ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मई से लेकर अक्तूबर तक 3 चक्र छिड़काव होता है। मई में इसलिये होता है कि वर्षा के पूर्व छिड़काव कर दिया जाये ताकि वर्षा होने पर मच्छर कम हों । दूसरा छिड़काव जून और जुलाई के बीच में किया जाता है, जब प्रारम्भिक वर्षा हो जाती है, थोड़ा बहुत जल भराव हो तो उसको समाप्त किया जाये, तीसरा छिड़काव सितम्बर और अक्तूबर में किया जाता है । यह हमारी कोई योजना नहीं है, जो वैज्ञानिक है जिनका संबंध मलेरिया उन्मूलन से है, यह सारे देश के लिये नीति निर्धारित है और उसी के अनुसार इसका छिड़काव होता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मथुरा में मलेरिया भयंकर रूप से फैलता है । मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार ने कोई योजना बनायी है, पेड़ लगाये जायेंगे। तो पेड़ लगाने में 5-6 साल लग जायेंगे तो यह बीमारी इतने दिनों में भयंकर रूप से फैल जायेगी। तो क्या इस बीच कोई दूसरा कार्यक्रम मथुरा के लिये विचाराधीन है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मथुरा तथा और क्षेत्रों में जहां पर जल भराव होता है, बी0एच0सी0 का छिड़काव किया जाता है, क्लोरोक्वीन की टिकिया दी जाती है और रक्त पट्टिकाओं की जांच हो जाती है ।

आलू क्रय किये जाने का निर्धारित लक्ष्य

*4–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 1985-86 में आलू के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए सरकार मंडी में आने वाले सारे आलू को खरीदने के लिए आवश्यक धन इत्यादि का प्रबन्ध कर चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ने पैदावार का कितना प्रतिशत खरीदने की योजना बनायी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू क्रय हेतु आवयक धन आदि का प्रबन्ध कर लिया है ।

60 हजार टन आलू क्रय किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । यदि आवश्यकता हुई तो इससे अधिक मात्रा में क्रय किया जा सकता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, इस वर्ष माननीय मंत्री जी को दैवी आपदा ने बचा दिया है, आलू की फसल बीमारी से मर गयी, तो समर्थन मूल्य के लिये प्रयास नहीं करना पड़ा । मान्यवर, यह नीतिगत विषय है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में आलू के समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 1/2 प्रतिशत कुल उत्पादन का खरीदा नहीं गया, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि आलू के दाम भविष्य में गिरने से वे बचा सकते हैं, यदि संतुष्ट नहीं है तो क्या वह बतायेंगे कि कम से कम कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत यहां 15 प्रतिशत सरकार खरीद के लिये घोषणा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यह सही है कि पिछले वर्ष किसानों को आलू की सही कीमत नहीं मिल पायी और कठिनाई रही, लेकिन हमारी ओर से पूरा प्रयास हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आलू खरीदा जाये। भविष्य में भी इस तरह का प्रयास होगा कि लाभप्रद मूल्य मिल सके। बरार साहेब कह रहे हैं कि बाजार में आलू की कीमत अच्छी है, लेकिन मैंने खरीदने की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन कोई माल नहीं आ रहा है। यह सही है कि आलू किसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा मदद की जानी चाहिये और सरकार इस ओर प्रयत्नशील है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, सरकार प्रयास तो हमेशा ही करती है कि किसानों के आलू का भाव उसके समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने दिया जाय । मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि क्या मंत्री जी कोई ऐसी घोषणा करेंगे कि आगामी वर्ष में आलू के कुल उत्पादन का कम से कम 15 प्रतिशत 20 प्रतिशत जो भी उचित समझते हों कि समर्थन मूल्य उसके नीचे न आये, कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आलू का हमने निश्चय किया है कि 60 हजार टन आलू क्रय किया जाय और अगर आवश्यकता हुई तो इससे अधिक मात्रा में क्रय किया जा सकता है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष बीमारी के कारण आलू के उत्पादन में बहुत कमी हुई है तो श्रीमन्, इस साल मूल्य बहुत आगे बढ़ेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शासन की तरफ से कोई योजना विचाराधीन है, जिससे कि जो मूल्य आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे वह न बढ़ सके?

श्री उपाध्यक्ष–

किसानों को मूल्य तो ज्यादा मिलना ही चाहिए इसमें क्या दिक्कत है?

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन्, किसानों के पास अपना उत्पादन तो रहेगा नहीं, उसके बाद मूल्य बढ़ जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने किसानों के कम मूल्य पर चिन्ता व्यक्त की इस बात को देखते हुए किसानों को आलू उत्पादक का लाभदायक मूल्य मिल सके, इसके लिए माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार की सहमति से क्या आलू निर्यात की योजना बनायेंगे ताकि आलू का लाभदायक मूल्य किसानों को मिल सके ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हम इस ओर प्रयत्नशील हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, पिछले वर्ष आलू बरबाद हो गया था और 20 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को अपना आलू बेचना पड़ा और इस साल आलू पैदा ही नहीं हुआ, किसानों ने बहुत ही मेहनत की लेकिन जब रोग लगा तो कृषि विभाग ने कोई

दी और उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ और उस रोग से आलू बरबाद हो गया। मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि नकली दवा दी गयी किसानों को, जिससे उन्हें हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अगर सम्मानित सदस्य किसी विशेष जगह की जानकारी करा देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मेरठ जनपद में आलू की पैदावार बहुत ज्यादा है, जिस तरह से वहां पर पहले कीट ने ईख की फसल को खराब किया उसी तरह से मेरठ जनपद में आलू को हानि पहुंची है, इसमें किसी प्रकार की वहां पर रोकथाम नहीं हुई और दवा का इंतजाम नहीं किया गया। इस बात को देखते हुए क्या मेरठ जनपद में आलू की खरीद का कोई केन्द्र कायम करेंगे? और कब से? तथा कितना वहां का लक्ष्य होगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरठ जिले में आलू की खरीद की पूरी व्यवस्था है लेकिन बाजार भाव बहुत अच्छे हैं, किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है और कहीं पर अगर क्रय केन्द्र खोलने की जरूरत हो तो मुझे बतायें, हम वहां पर क्रय केन्द्र खुलवा देंगे । जैसा कि माननीय वर्मा जी ने कहा हमने फिरोजाबाद में क्रय केन्द्र खोला था ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 60 हजार टन आलू क्रय किये जाने की बात यहां निर्धारित की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि किस दर पर आलू क्रय किया जाना तय किया गया है और उसका क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार यह है कि आलू की कीमत बाजार में ज्यादा गिरने न पाये। यह बाजार हस्तक्षेप योजना (मार्केट इन्टरवेन्शन प्राइस) है। सपोर्ट प्राइस यह नहीं है। इससे कीमत ज्यादा गिरने न पाये और जो केन्द्रीय सरकार ने व्यवस्था की है वह है 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में गढ़वाल और कुमांऊ मंडलों में आलू का प्रोडक्शन अत्यन्त बढ़ गया है और पिछले दिनों जोशीमठ में आलू 5 रुपये क्विंटल भी नहीं उठा तो लोगों ने एजीटेशन का रूप ले लिया था। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल में जो आलू पैदा हो रहा है उसके दाम बढ़ाने के लिये वहा जो आलू उत्पादक हैं उनके लिये भी मूल्य बढ़ाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय नौटियाल साहब ने जो प्रश्न किया है वह पिछले वर्ष से संबंधित है। इस वर्ष कहीं पर भी आलू की कीमत कम नहीं है और बाजार में किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आलू की समस्या हमारे प्रदेश के लिए एक चिन्ता का विषय है और वह इस साल की बात नहीं है, हर साल यह समस्या है। सरकार इस

आलू से आटा या दूसरा सामान शराब आदि बनाने के काम पर विचार करती रहेगी या उस पर क्रियान्वयन भी करेगी? यदि हां, तो कब तक करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसके पूर्व भी इसी संबंध में एक प्रश्न आया था और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ तरीकों से आलू के उपभोग को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे आटा बनाने की भी योजना है। पिकप की तरफ गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस बारे में लिखा गया है कि हमको लाइसेन्स दें। इस ओर प्रयास हो रहा है। आलू का बाहर भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है जिससे किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके।

(व्यवधान)

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आलू का बीज सरकार पैदा करती है उसका किसानों में वितरण न करके वह उसे ठेकेदारों को दे देती है और पैसा कमाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी सरकारी बीज के वितरण की व्यवस्था करेंगे और उसका क्या मूल्य तय किया है?

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें बिचौलियों का सवाल नहीं है।

श्री कनक सिंह–

सरकार बिचौलियों को दे देती है।

(व्यवधान)

श्री अमर चन्द–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि गत वर्ष और इस वर्ष आलू की फसल को भारी क्षति हुई है और आलू के जो किसान हैं वे निरुत्साहित हुये हैं। क्या मंत्री जी उनका उत्साह बढ़ाने के लिये किसी प्रकार की नीति बनाने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अनुदान तो इनपुट्स में होता है। अगर इस तरीके की बात आयेगी तो विचार किया जायेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं आलू से इण्डस्ट्रियल एलकोहल बन सकता है जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी बताना चाहते हैं तो बता दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में भी बताया था और उससे पहले भी बताया था कि इस संबंध में क्या-क्या प्रयास हम कर रहे हैं और क्या-क्या किये हैं। आटा बनाने की बात मैंने बताई कि छोटे स्तर पर हमने शुरू किया है कायमगंज में पायलैट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो कौशिक जी का सुझाव है इण्डस्ट्रियल एलकोहल के संबंध में अभी एक्जामिन नहीं कराया है उनका सुझाव अच्छा है इसको भी एक्जामिन करा लेंगे और भी तमाम सुझावों का परीक्षण हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिये, इसका ठीक जवाब वह नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आधे घंटे से इस पर चर्चा हो रही है (व्यवधान) आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि हम समर्थन मूल्य के बजाय बाजार हस्तक्षेप मूल्य के अनुसार खरीद करते हैं तो जो इसके अन्तर्गत मूल्य निर्धारण करते हैं इसमें किसानों का नुकसान न हो आज आलू के उत्पादन में कास्ट आफ प्रोडक्शन दुगुनी हो गयी है क्योंकि इस साल आधी से ज्यादा फसल बीमारी से मर गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य को जितनी फसल क्षति-ग्रस्त हुई है उसके अनुपात में आलू के मूल्य बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह मूल्य केन्द्र सरकार तय करती है। हमारा प्रयास है कि मूल्य कुछ बढ़ जाय इसके लिए हमने केन्द्र को लिखा हुआ है।

उ0 प्र0 खनिज विकास निगम के एक फास्फेट परियोजना, ललितपुर में वर्क आर्डर पर कराया गया कार्य

*5–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खनिज विकास निगम के राक फास्फेट परियोजना, ललितपुर में अनुबन्धित कार्य के अतिरिक्त वर्क आर्डर पर कार्य कराया गया ? यदि हां, तो वर्क आर्डर पर स्थानीय व्यक्तियों को कार्य न देकर वाराणसी के श्री ओंकार नाथ तिवारी को किन परिस्थितियों में खनन कार्य दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री रामआसरे दीक्षित)–

जी हां।

केवल स्थानीय व्यक्तियों से ही कार्य कराने का प्रतिबन्ध नियमों में नहीं है। कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने हेतु आकस्मिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं कार्य के हित में खनन अभियन्ता द्वारा श्री तिवारी को यह कार्य दिया गया।

चूंकि किसी का दोष नहीं है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि खनिज विकास निगम के राक फासफेट परियोजना ललितपुर में अनुबंधित कार्य के अतिरिक्त वर्क आर्डर पर भी कार्य कराया गया। तो मैं जानना चाहता हूं वर्क आर्डर में कार्य कराने का क्या औचित्य था। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि स्थानीय व्यक्तियों से ही कार्य कराया जाय इस पर प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसा प्रतिबंध न होने से ललितपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनारस से या दूसरी जगहों से लोगों को लाकर वर्क आर्डर में काम कराते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगा कर स्थानीय लोगों से ही काम कराने का प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री राम आसरे दीक्षित–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं और वह स्वयं भी जानते हैं कि ठेकेदारों का जहां तक मामला है उसमें टेंडर होते हैं और उन्हें

इस खदान के बारे में मालूम है कि वहां के ठेकेदार आन्ध्र प्रदेश से आकर काम कर रहे हैं चूंकि वहां से सस्ता लेबर ला रहे हैं, इसलिये काम कर रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक वर्क आर्डर के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है तो यह खनन अभियन्ता के ऊपर निर्भर करता है कि उसको यह अधिकार है कि जिसे चाहे वर्क आर्डर पर काम दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी बड़ा हास्यास्पद उत्तर दे रहे हैं कि अभियन्ता के ऊपर है। ललितपुर में काम हो रहा है और वाराणसी से काम के लिये लोग ला रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा क्योंकि जहां खनन कार्य हो रहा है पहले लोकल व्यक्तियों से कार्य करवाना चाहिए और जब वहां मजदूर न मिलें तो बाहर से लायें। इसलिये जब वहां मजदूर उपलब्ध हैं तो बाहर से क्यों बुलाया गया, इसका जवाब दें।

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, यदि आवश्यकता पड़ती है, जल्दी में खनन कार्य के लिये और लोकल व्यक्ति एप्रोच न करें और बाहरी व्यक्ति एप्रोच करें तो निश्चय ही उसको लिया जायेगा। चूंकि कार्य तो करवाना ही है। यदि लोकल आदमी एप्रोच करें तो निश्चय ही उसको प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नियमों में प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था न होते हुए भी क्या यह सही है कि शासन की घोषित नीति रही है कि वर्क आर्डर के काम में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्क आर्डर के समय स्थानीय लोगों ने एप्रोच किया था, उनके नाम मेरे पास हैं, तो फिर वाराणसी के व्यक्ति को काम क्यों दिया गया, क्या इसके बारे में जांच मंत्री जी करवायेंगे और यदि मेरी सूचना सही है कि स्थानीय लोगों ने एप्रोच किया था, तो ऐसा करने वाले अभियन्ता के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, इसको देख लिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से शासन के स्पष्ट नियम हैं कि कोई भी ठेका अनुबंधित करके दिया जाये और कहीं यदि समय न हो तो वर्क आर्डर पर काम विशेष आपातिक स्थिति में कराया जाये, लेकिन इस मामले में वर्क आर्डर पर काम अभियंता ने कराया और अधिक पैसा खर्च किया और पक्षपातपूर्ण काम किया, क्या उसके खिलाफ जांच करायेंगे कि उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए वर्क आर्डर दिया?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ माननीय सदस्य को बता दूं कि इस वर्क आर्डर में ठेके पर जो काम दिया गया उसमें एक पैसा भी कहीं ज्यादा नहीं दिया गया है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, उत्तर में मंत्री जी ने एप्रोच की बात कही है, तो क्या अभियन्ता द्वारा लेन-देन से सौदा पटने की बात है।

श्री राम औतार दीक्षित–

एसी मेरी कोई धारणा नहीं है।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो यह अभियन्ता हैं, यह वाराणसी के ओंकारनाथ तिवारी के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको काम दिया गया है और हमारे यहां के स्थानीय आदमियों को काम नहीं दिया गया है, जबकि स्थानीय व्यक्तियों ने काम मांगा भी था? इन्होंने अपने रिश्तेदार को बुलाकर काम दिलाया है?

श्री राम औतार दीक्षित–

इस रिश्तेदारी वगैरह की जानकारी तो मुझे नहीं है.....

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

किन्तु मेरी जानकारी को सही मानकर . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनको लिखकर भेज दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस प्रश्न में माननीय सदस्यों के प्रश्न से इतना तो स्पष्ट है कि उस अभियन्ता की इसमें कोई विशेष रुचि रही होगी, कोई निहित स्वार्थ रहा होगा, इतना तो मंत्री जी को समझना चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है और इस पर उन्हें स्पष्ट आश्वासन भी देना चाहिए। वह उसको प्रोत्साहन देंगे तो सभी अभियन्ता अपने रिश्तेदारों और चाटुकारों को ही काम देंगे, तो क्या वह इसमें जानकारी कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री राम औतार दीक्षित–

यदि माननीय सदस्य वर्मा जी मुझे इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी करा देंगे तो मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जानकारी सरकार करेगी, सरकार करे, उसके पास तो सारे स्रोत हैं, मैं क्या जानकारी करने जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जानकारी कराकर उसके खिलाफ कार्यवाही करें?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

*6–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[7वें बुधवार में तारां0 प्र0 सं0 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*8–श्री किरन पाल सिंह–

[31वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

यू0 पी0 एग्रो के ई0पी0एफ0 अनुभाग में आडिट रिपोर्ट के आधार पर जांच

*9–श्री सिकन्दर अली खां (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 एग्रो के ई0 पी0 एफ0 अनुभाग में इन्टरनल स्पेशल आडिट रिपोर्ट के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों को समय से न छुड़ाने के कारण ई0 पी0 एफ0 ट्रस्ट को लगभग 5 लाख रुपये की हानि हुई? यदि हां, तो इस हानि के लिये कौन-कौन से अधिशासी अधिकारी दोषी हैं और उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो

क्यों ? क्या सरकार उक्त कार्यवाही को अब तक न किये जाने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

निगम के कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास ई0 पी0 एफ0 के मद में जो कटौती की जाती है उसमें उसे निगम के अंशदान के साथ ई0 पी0 एफ0, ट्रस्ट में जमा कर दिया जाता है। इस जमा की गयी धनराशि को निगम के ई0 पी0 एफ0 ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है । इस विनियोजित धनराशि पर एग्रो के ई0 पी0 एफ0 ट्रस्ट को छमाही, वार्षिक ब्याज मिलता रहता है।

2–सितम्बर, 79 से फरवरी, 83 की अवधि में यू0 पी0 एग्रो के ई0 पी0 एफ0 ट्रस्ट द्वारा ब्याज आहरित नहीं किया गया। एग्रो के आन्तरिक सम्प्रेक्षण विभाग ने अपने सम्प्रेक्षण में यह स्पष्ट किया कि इस अवधि में ब्याज के आहरित न किये जाने के कारण और उसे समय से पुनः विनियोजित न किये जाने से ई0 पी0 एफ0 ट्रस्ट को लगभग 5 लाख रुपये की हानि हुई।

3–इस प्रकरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में "धुड़का" रोग के बचाव हेतु उपाय

*10–**श्री बृह्म दत्त द्विवेदी–**

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में भयंकर रोग "धुड़का" व्याप्त है जिससे सैकड़ों पशु मर चुके हैं? यदि हां, तो सरकार इस रोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

इस रोग से पशुओं के मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है।

इससे बचाव हेतु प्रतिरोधात्मक टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था, उसके दो अंश हैं। एक मैंने पूछा था कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में भयंकर रोग 'धुड़का' व्याप्त है, जिससे सैकड़ों पशु मर चुके हैं, उस पर मंत्री जी ने कहा 'जी नहीं' और मेरे प्रश्न का दूसरा अंश है कि सरकार इस रोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, जिसके उत्तर में इन्होंने कहा है कि इससे बचाव हेतु प्रतिरोधात्मक टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो टीकाकरण उपलब्ध है, वह किन किन गांवों में यह कार्य कराया गया है ? दूसरे उन्होंने जो इन्कार किया है, तो मैंने पूरी सूची मृत पशुओं की विभाग को दी थी, वह क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि सूची नहीं है तो मैं पुनः सूची देने को तैयार हूं और क्या वह उस सन्दर्भ में पुनः जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मैंने उपनिदेशक स्तर के एक अधिकारी से इसकी जांच कराई है। उन्होंने वहां के ब्लाक प्रमुख और वहां के किसानों से इस संबंध में सम्पर्क किया था और सम्पर्क करने के बाद जो रिपोर्ट दी उससे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि कोई संक्रामक रोग वहां पर फैला हुआ है। यह कहना कि फिर टीका क्यों लगाया गया, तो टीका तो रोग फैलने के पहले लगवाये जाते हैं, उसमें 27089 टीके लगवाये गये और इसीलिए लगवाये गये कि रोग न फैल सके।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने पूछा है कि टीका लगवाने की कार्यवाही किन-किन गावों में की गयी? मैं अब भी वह सूची देने के लिये तैयार हूं । आप किसी अधिकारी से जांच करायें?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, राजेपुर के ब्लाक प्रमुख श्री मुनेश्वर सिंह, जिनको माननीय सदस्य जानते होंगे, उन्होंने खुद लिख कर दिया है कि संक्रामक रोग से किसी पशु की मृत्यु नहीं हुयी है। वह एक जिम्मेदार आदमी हैं उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ऐसी नहीं है तो मैं समझता हूं कि अब इसमें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उप निदेशक जांच करने गये थे तो क्या उन्होंने शिकायतकर्ता मा0 विधायक से सम्पर्क किया था? यदि नहीं किया तो यह जांच अधूरी है?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य प्रोफेसर किरनपाल सिंह जी ने जो प्रश्न किया, तो मूल प्रश्न है कि क्या पशुधन विकास मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर में भयंकर रोग 'घुड़का' व्याप्त है। तो मान्यवर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि जब माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं तो हम जांच कराते हैं। जांच अधिकारी वहां गये वहां के कृषकों, ब्लाक प्रमुख से जानकारी की। ब्लाक प्रमुख ने लिखकर दिया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, उनको शिकायतकर्ता से मिलना चाहिये था। ब्लाक प्रमुख कांग्रेस (आई) के हैं।

श्री हुकुम सिंह–

अगर माननीय सदस्य का यह आशय हो कि प्रश्न किया करें तो उन सब प्रश्न कर्ताओं से जानकारी की जाया करे तो बात दूसरी है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं चुनौती देता हूं कि वहां जाकर किसी स्तर से जांच करा दीजिये। राजेपुर में कोई अधिकारी जांच करने के लिये नहीं गया। जिला मुख्यालय पर बैठकर कार्यवाही लिखकर भेज दी गयी है। इस भयंकर रोग धुड़का से सैकड़ों पशु मरे हैं । मैंने सूची दी है आप पता नहीं क्यों जांच नहीं कराना चाहते हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो जो वहां के ब्लाक प्रमुख हैं उनका पत्र मैं पढ़कर सुना दूं। उन्होंने लिखा है कि:–

कृपया अपने पत्र दिनांक 24/12/85 का अवलोकन करें । जिसके अन्तर्गत

विकास खंड राजपुर में वर्ष 1985-86 के माह अगस्त में धुड़का रोग फैलने तथा सैकड़ों पशुओं के मरने के संबंध में विधायक के शिकायत के संबंध में जानकारी चाही गयी है।

इस संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है, के अनुसार मैं उक्त संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि क्षेत्र में घुड़का रोग की बीमारी नहीं फैली थी वरन् कहीं कहीं अन्य रोग से कुछ पशुओं की मृत्यु अवश्य हुयी थी वैसे आपके विभाग द्वारा गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान टीकाकरण का कार्य काफी कराया गया है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, वहां सैकड़ों पशु इस बीमारी से मरे हैं। विकास खण्ड का जो क्षेत्र समिति है उसने अपनी बैठक में इस बीमारी पर चिंतन किया था और प्रस्ताव पास किया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं सूची देने के लिए तैयार हूं तो क्या आप फिर से इसकी जांच करायेंगे?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न द्वारा यह सूचना दी है कि इस इलाके में पशुओं की बीमारी है, और वह मर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने उप निदेशक को जांच हेतु भेजा और इन्होंने जांच की और जब यह बीमारी वहां नहीं पायी तो क्या यह उचित नहीं था कि जिस माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, उनसे सम्पर्क किया जाता, ने क्या अब फिर से मामले की जांच करायी जायेगी?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जांच केवल ब्लाक प्रमुख से मिलकर ही नहीं की गयी बल्कि वहां के प्रधान से भी पूछा गया और पशु पालने वालों से भी जानकारी की गयी। वैसे मेरा कोई ऐसा आशय नहीं है कि इस मामले की फिर से जांच न की जाए। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी बात न हो तो उसकी जानकारी हम को दे दें और उसकी सूची भी दे दें, तो मैं फिर दुबारा इसकी जांच करवा लूंगा, वरना अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर जांच होगी और उसका फिर यही उत्तर आएगा।

गाजीपुर, बलिया तथा जनपद आजमगढ़ के बेकार बुनकरों को काम देने के लिए उठाये गये प्रभावी कदम

*11–श्री इकबाल अहमद–

क्या सरकार को जानकारी है कि गाजीपुर, बलिया तथा जनपद आजमगढ़ के 60 प्रतिशत बुनकर बेकार हो गये हैं तथा उनके करघा बन्द हो चुके हैं, विशेष रूप से मऊ-कोपागंज सर्किल के ? यदि हां, तो सरकार हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों को काम देने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक?

लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

जी नहीं। कोपागंज में हथकरघा निगम के उत्पादन केन्द्र कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से निगम द्वारा कोपागंज क्षेत्र के बुनकरों से वस्त्रों का क्रय किया जाता है।

हथकरघा निगम द्वारा संचालित सघन हथकरघा विकास परियोजना के माध्यम से, जिसमें आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जनपद सम्मिलित हैं। वर्ष 1985-86 में दिसम्बर, 1985 तक रुपये 285.37 लाख के नियंत्रित वस्त्र एवं 94 लाख रुपये के अनियंत्रित वस्त्रों का क्रय किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 के मुकाबले में मेरी निश्चित जानकारी है कि यू0 पी0 फोर की खरीदारी 50 परसेंट से ज्यादा की हो गयी है और इनके पेमेंट में भी देरी होती है तो मैं मा0 मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन बेकार बुनकरों को आप काम देने और जो माल अब तक खरीदा गया है, उसके पेमेंट की व्यवस्था 15 दिन के अन्दर करने की कृपा करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, पेमेंट तो हमारी सूचना के अनुसार..... (कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(शोर के मध्य) माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए, वह दे रहे हैं।

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, दिसम्बर, 1985 तक जितना माल खरीदा गया था, सभी का भुगतान किया जा चुका है और जो शेष है, उसका भुगतान भी जल्द ही हो जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर ,मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरी सूचना को सत्य मानकर कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और बस्ती आदि के बुनकरों ने जो निगम से सूत खरीदा है, वह खुले बाजार से 15 परसेंट ज्यादा होने की वजह से, उनके तैयार माल की कीमत अधिक है, जिस कपड़े को लेने के लिए निगम स्वयं तैयार नहीं है, इससे उनके समस्त कारोबार पर काफी असर पड़ा है।

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि उनको सूत बाजार के रेट से महंगा दिया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उस सम्बन्ध में मैं अवश्य जांच करा लूंगा और उसमें कार्यवाही होगी।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस हथकरघा उद्योग के प्रभावित होने से जिन हथकरघा उद्यमियों के जीविका के सहारा बन्द हो गये हैं। क्या उनके लिए अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए माननीय मंत्री जी वित्तीय संसाधन जुटाने की कृपा करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, हमारे बुनकर भाई अगर कोई दूसरा उद्योग करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है और सरकार हर प्रकार की उनकी सहायता देगी।

नोट :––तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*12–श्री शारदा प्रताप–

[दि0 20-2-86 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित]

सरकारी चिकित्सालयों में रोगियों को आवश्यक औषधियां दिए जाने के निर्देश

*13–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अस्पतालों को ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि अस्पताल में उपलब्ध सामान्य दवाओं से ही मरीजों का उपचार किया जाय? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो क्या आम-गरीब लोगों की भी पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था एवं प्रबन्ध किया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

औषधि का बजट बहुत ही सीमित है तथा इस प्रदेश की आवश्यकताओं का कुछ अंश ही पूर्ण कर पा रहे हैं। अतः केवल वाह्य रोगी विभाग से आवश्यक तथा अच्छे स्तर की औषधियां ही दिए जाने के तथा विशेष व्यवसायिक नामों (ट्रेड नाम) की महंगी औषधियां न दिए जाने के आदेश सरकारी अस्पतालों को दिए गए हैं। चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को सभी आवश्यक औषधियां दिए जाने के ही आदेश हैं एवं इस संबन्ध में कोई नए आदेश नहीं दिये गये हैं ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही

*14–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रुप 3 की कितनी जगहें, कई वर्ष से रिक्त चल रही हैं और वर्तमान में कितने स्थान रिक्त हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 में पूर्व में 230 रिक्तियां थी जो नवम्बर, 1985 में नये पद सृजित होने के कारण 1030 हो गईं। जिनमें से 835 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

जी हां।

रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

उन्नाव के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय व मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रथम द्वारा दवाइयों की अनियमित खरीद

*15–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में उन्नाव के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय व उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रथम द्वारा विटाफोर्ट टानिक, सब स्टैण्डर्ड रोल बैण्डेज, क्लोरोमाइस्टिन आई अप्लीकेन्ट की अनियमित खरीदारी की जांच किसी अधिकारी द्वारा की गई है? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों को दंडित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ऐसी कोई अनियमित खरीदारी की जांच के, शासन द्वारा आदेश नहीं दिये गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

डिग्री/डिप्लोमा धारकों को होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति सम्बन्धी निर्देश

*16–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विज्ञापन व शासन की तत्कालीन व्यवस्था के विपरीत उ0 प्र0 के बाहर के डिग्री/

डिप्लोमा धारकों को होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति न किये जाने हेतु गोपनीय निर्देश "चयन समिति" को दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन ऐसे निर्देश को वापस लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद की एतमादपुर तहसील का खंदौली क्षेत्र तथा जनपद फर्रुखाबाद में आलू के बाजार भाव में गिरावट

*17–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आगरा जनपद की एतमादपुर तहसील खंदौली क्षेत्र तथा जनपद फर्रुखाबाद, आलू उत्पादन के प्रदेश के प्रमुख केन्द्र हैं और पिछले दो सालों से आलू की कीमत में आई गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है? क्या आलू निर्यात करने, आलू की सरकारी खरीद करने तथा किसानों को बिजली, खाद, बीज उचित मूल्य पर दिलाने आदि का मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

(क) एतमादपुर तहसील का खंदौली क्षेत्र जनपद आगरा का तथा जनपद फर्रुखाबाद प्रदेश का अधिक आलू पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। वर्ष 1984 में मार्च के अंतिम सप्ताह में आलू के बाजार भाव में गिरावट आई थी और वर्ष 1985 में आलू की खुदाई के समय भाव कम थे। शासन ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1985 में 18,500 टन आलू का क्रय सहाय मूल्य पर कराया था।

(ख) प्रदेश के 36 जनपदों में आलू क्रय हेतु वर्तमान वर्ष में 133 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां से आलू क्रय करके अन्य स्थानों को भेजने की व्यवस्था की जाती है। जहां तक बिजली तथा खाद उचित मूल्य पर दिलाये जाने का प्रश्न है निर्धारित मूल्य पर ही कृषकों को दी जाती है। गत मौसम में बीज किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया था। हर वर्ष उत्तर प्रदेश से अन्य प्रदेशों को लगभग 14 लाख टन आलू का निर्यात किया जाता है।

भूमि सुधार निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण

*18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूमि सुधार नि0लि0 लखनऊ की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण क्या हैं तथा इसका दायित्व किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जाता है? क्या शासन द्वारा खराब स्थिति को ठीक करने एवं दोषियों को दण्डित करने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण यह है कि वर्तमान समय में निगम द्वारा मुख्यतः भूमि सुधार का कार्य सम्पादित किया जाता है जिसमें निगम को कोई लाभ नहीं होता है।

निगम की स्थिति को ठीक करने का मामला शासन के विचाराधीन है। विभिन्न पहलुओं के परीक्षण उपरान्त अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जनपद मुरादाबाद के कस्बा नौगांवा सादात निवासिनी श्रीमती मुहम्मदी द्वारा अस्पताल स्थापित करने हेतु दी गई भूमि तथा नकद धनराशि

*19–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के कस्बा नौगांवा सादात निवासिनी श्रीमती मुहम्मदी बेगम स्व0 श्री बाकर हुसैन ने वर्ष 1968 में एक अस्पताल स्थापित करने हेतु 1.12 एकड़ भूमि तथा 25 हजार रुपये की नकद धनराशि सरकार को दी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

दान स्वीकार किया जा चुका है। महिला अस्पताल स्थापित है। भूमि के दान विलेख को अनुमोदित किया जा चुका है।

बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत मुड़ाडीह पर महिला या पुरुष प्राथमिक चिकित्सक की नियुक्ति

*20–श्रीमती विजय लक्ष्मी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत प्राथमिक महिला स्वास्थ्य केन्द्र मुड़ाडीह पर महिला चिकित्सक बहुत दिनों से नहीं है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार कब तक महिला चिकित्सक की नियुक्ति कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अंतर्गत मुड़ाडीह में, कोई महिला या पुरुष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। अतः वहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच में स्थित दहोरा ताल के दोनों मुहानों पर जाली व बन्धा बनाने पर विचार

1–श्री मयंकर सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बहराइच जनपद के फखरपुर ब्लाक में स्थित दहोरा ताल से प्रतिवर्ष जलाशय में 4260 रु0 के 71 हजार मछली के बच्चे बाढ़ में बह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ताल के दोनों मुहानों पर जाली व बन्धा बनाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

दहोरा ताल से बाढ़ से प्रति वर्ष लगभग 50 प्रतिशत रु0 1750 अनुमानित मूल्य के मछली के बच्चे बह जाते हैं।

विगत वर्षों की भीषण बाढ़ से क्षति को देखते हुए दोनों मुहानों का नियंत्रण करने से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती। बसौना छोर पर बांध व जाली की व्यवस्था की योजना विचाराधीन है।

टेडवा बसन्तापुर, जिला बहराइच में ए0 एन0 एम0 की कथित नियुक्ति

2–श्री मयंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उपकेन्द्र टेडवा बसन्तापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तजवापुर, जिला बहराइच में किसी ए0एन0एम0 की नियुक्ति की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तजवापुर जिला बहराइच के अन्तर्गत टेढ़वा बसन्तापुर में अभी कोई उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः ए0एन0एम0 की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

पैरामेडिकल असिसटेन्ट्स तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के वेतनमानों का निर्धारण

3–श्री बदन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश भर में, जिला स्तर पर बच्चों के प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सम्पादित कराने वाले पैरामेडिकल असिसटेन्ट्स को, ब्लाक स्तर के प्रतिरक्षण कार्य करने वाले स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों से कम वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार यह विसंगति दूर करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। पैरामेडिकल असिसटेन्ट्स तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के वेतनमानों का निर्धारण द्वितीय वेतन आयोग, उत्तर प्रदेश की संस्तुति 1979 के अनुसार क्रमशः रु0 430–685 एवं 470–735 किया गया है।

पैरामेडिकल असिसटेन्ट्स एसोशियेशन ने उक्त वेतन निर्धारण के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर कर रखी है, जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

4–श्री अफजाल अंसारी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण के लिये भर्ती में शहीद/अपंग सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों का प्रतिशत

5–कर्नल केशरी सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों के प्रशिक्षण के लिये भर्ती में जो सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के लिये एक प्रतिशत का आरक्षण है, उसमें गत दो वर्षों से कितने सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने को प्रशिक्षण के लिये भर्ती किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के एम0बी0बी0एस0 कोर्स में प्रवेश के लिए युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए एक प्रतिशत कुल 8 सीटें आरक्षित की गयी हैं।

सी0पी0एम0टी0 1984 में उक्त श्रेणी के 7 अभ्यर्थियों तथा सी0पी0एम0टी0 1985 में 15 अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र भरा। इनमें से सी0पी0एम0टी0 1984 में एक तथा सी0पी0एम0टी0 1985 में एक अभ्यर्थी को सी0पी0एम0टी0 में अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर एम0बी0 बी0एस0 कोर्स में प्रवेश दिया गया। सी0पी0एम0टी0 के आधार पर ही 1985 में बी0ए0एम0एस0 कोर्स के 1 अभ्यर्थी का चयन किया गया। शेष अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त न कर पाने के कारण नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया जा सका।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावली के अन्तर्गत ग्राम सुजानपुर में अमरपाल सिंह, मिढ़ावली खुर्द में श्री भिखारी लाल तथा नगला धरमपाल में श्री मोहरपाल की सामुदायिक स्वास्थ्य दर्शक के पद पर नियुक्ति

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृप्पया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावली के अन्तर्गत ग्राम सुजानपुर में अमरपाल सिंह; मिढ़ावली खुर्द में श्री भिखारी लाल तथा नगला धरमपाल में श्री मोहरपाल को सामुदायिक स्वास्थ्य दर्शक के पद पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो इन्होंने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया तथा इनकी नियुक्ति कब की गयी? यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया तो नियुक्ति का आधार क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

कथित तीनों व्यक्तियों ने दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 को अवधि में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया तत्पश्चात् कार्य करना आरम्भ कर दिया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

होम्योपैथिक, चिकित्साधिकारियों के चयन में डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को वरीयता

7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सम्बोधित पत्र मार्च 85 में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के चयन में डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को दी जाने वाली वरीयता/वेटेज समाप्त करने के सम्बन्ध में अनेक विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या कारवाई की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में सभी बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त शासन ने निर्णय लिया था कि डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को वरीयता देना उचित होगा।

प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का सम्बन्ध आगरा विश्वविद्यालय से किये जाने का विचार

8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का सम्बन्ध आगरा वि0 वि0, आगरा, द्वारा इस शर्त के साथ किया गया था कि आगामी 3 वर्षों में केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सालय भवन प्रयोगशाला एवं छात्रावास की व्यवस्था कर दी जायेगी? यदि हां, तो प्रान्तीयकरण के बाद कितने नियमित शिक्षकों, कर्मचारियों आदि की नियुक्ति की गयी तथा शिक्षा व्यवस्था हेतु क्या कारवाई की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जनपद में शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण देने की योजना

9–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरली जनपद में वर्ष 1985-86 में कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण देने की योजना है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने बेरोजगारों ने 16-11-85 तक आवेदन किये हैं,

उनमें से कितने नाम बैंकों को भेजे गए एवं बैंकों से कितनों को ऋण प्राप्त हुआ? कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 20 हजार से ऊपर ऋण पाने वालों की संख्या कितनी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बरेली जनपद में वर्ष 1985-86 में 625 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 16 नवम्बर, 1985 तक योजना के अन्तर्गत 2520 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 537 आवेदकों के ऋण आवेदन-पत्र बैंकों को भेजे गये। बैंकों द्वारा अभी तक इनमें से किसी को भी ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं किया गया है। 1985-86 में 34 व्यक्तियों को रु0 20,000 या अधिक ऋण देने की संस्तुति विभिन्न बैंकों को टास्क फोर्स द्वारा भेजी गयी है।

10–श्री मुहम्मद आजम खां–

[दिनांक 18-2-86 को अल्पसूचित तारांकित प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

11–श्री राज किशोर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र, राम-नगर के बनारसी लूम विभाग को पुनः चालू कर रोजगार देने पर विचार

12–श्री राज किशोर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम द्वारा संचालित यूनिसेफ हथकरघा उत्पादन केन्द्र, राम नगर में बनारसी लूम विभाग 4 मई, 84 से बन्द करके उसमें कार्यरत बुनकरों एवं महिला श्रमिकों की छटनी कर दी गयी है? यदि हां, तो उसमें कार्यरत बुनकरों एवं महिला श्रमिकों को बनारसी लूम विभाग को पुनः चालू कर पुनः रोजगार देने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

योजना के अनुसार केन्द्र में प्रशिक्षण देकर बुनकरों को उत्पादन हेतु स्वावलम्बी बनाया जाना था, जब केन्द्र आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन जाता तो उसे सहकारी समिति गठित करके सौंप देने का निश्चय किया गया था, तद्नुसार ही हथकरघा निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, बाद में केन्द्र से सम्बद्ध बुनकरों ने गैर कानूनी मांग, जैसे निगम के नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधायें इत्यादि मांगनी शुरू की, जो कि योजनानुसार सम्भव नहीं थी। बनारसी लूम विभाग में बुनकरों द्वारा अवैधानिक हड़ताल किये जाने के कारण विवशतः केन्द्र को बन्द करना पड़ा । वर्तमान में यह मामला उ0 प्र0 श्रमायुक्त, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में कम्पाउन्डरों के पद हेतु साक्षात्कार

13–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में कम्पाउन्डरों के पद के लिए साक्षात्कार परीक्षा 6 जून,

82, 29 अगस्त, 83 एवं 17 जनवरी, 85 को आयोजित की गई थी? यदि हां, तो उनमें से कितने अधिक अंक पाने वाले छात्रों को मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया गया है और उनको नौकरी में रख लिया गया है? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशालय में दिनांक 6 जून, 1982 एवं 29 अगस्त, 1983 को कम्पाउण्डरों के पदों के लिए कोई साक्षात्कार परीक्षा नहीं हुई थी अपितु 7, 8 एवं 9 मई, 1982 तथा 24, 25, 26, 27 एवं 30 अगस्त, 1983 को तथा 17 जनवरी, 1985 को उक्त परीक्षा आयोजित की गई थी।

पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर)

सरकारी गंजरिया फार्म में क्षति के सम्बन्ध में पत्र

14–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री को ज्ञात है कि सरकारी गंजरिया फार्म में नुकसान के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1660 दि0 7-8-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

इस पर निदेशक की आख्या शासन में दिनांक 17-2-86 को प्राप्त हो गयी है, जो कि परीक्षणाधीन है।

हथकरघा निदेशालय की स्थापना एवं उसके मुख्य उद्देश्य

15–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा निदेशालय कब से पृथक रूप से कार्य कर रहा है और किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निदेशालय को व्यवहारिक रूप दे दिया गया है? क्या यह भी सही है कि हथकरघा निदेशालय में अधिकारियों के पद पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या शासन ऐसी नियुक्तियों पर कोई रोक लगाने पर विचार कर रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राम सहाय आयोग की संस्तुतियों के आधार पर उद्योग निदेशालय से पृथक करके प्रश्नगत निदेशालय की स्थापना वर्ष 1972 में की गई। इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एवं रेशम उद्योग का त्वरित गति से विकास तथा बुनकरों की तत्सम्बन्धी समस्याओं का प्रभावी रूप से निवारण किया जाना था, और इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में प्रश्नगत निदेशालय निरन्तर प्रयत्नशील है।

जी हां।

जी नहीं। पृथकीकरण के पश्चात् हथकरघा निदेशालय में सम्प्रति उद्योग निदेशालय एवं हथकरघा निदेशालय (उद्योग विभाग) के अपने सम्मिलित अधिकारी कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 श्री रेवाधर, गिल्दयाल, बफर गोदाम इन्सपेक्टर, देहरादून की पत्नी को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि का भुगतान

16–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री रेवाधर गिल्डियाल, ए0 डी0 ओ0 कृषि बफर गोदाम इंसपेक्टर, देहरादून का सेवाकाल में किस तिथि को निधन हुआ है? कब उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्यूटी तथा भविष्य निधि का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है और निश्चित रूप से कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री रेवाधर गिल्दयाल, बफर गोदाम इन्सपेक्टर देहरादून का निधन दिनांक 12-5-84 को हुआ । उनकी पत्नी को 200 रु0 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, ग्रेच्युटी एवं सामान्य भाविष्य निर्वाह निधि के भुगतान के लिए महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु क्रमशः दिनांक 8-11-85 तथा दिनांक 26-8-85 को लिखा जा चुका है। मामले में स्व0 श्री गिल्दयाल के कार्यकाल के क्षतिपत्रों के निस्तारण के कारण विलम्ब हुआ । महालेखाकार द्वारा ग्रेच्यूटी तथा सामान्य निर्वाह निधि के अन्तिम भुगतान हेतु अधिकार-पत्र निर्गत होने पर ग्रेच्यूटी तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

17–18–श्री काशी सिंह ऐरी–

[दिनांक 24-2-86 को अता0 प्र0 सं0 160-161 द्वारा उत्तरित]

आम विकास बोर्ड/निगम में प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में आम उत्पादकों का प्रतिनिधित्व

19–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित आम विकास बोर्ड/निगम में पर्वतांचल विशेषकर सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली के आम उत्पादकों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिये जाने की योजना है? उपरोक्त क्षेत्रों में आम की विशेष किस्मों के फैलाव तथा पौध व फलों के रख-रखाव के लिये क्रमशः क्या-क्या कदम उठाने सुनिश्चित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रस्तावित आम विकास बोर्ड/निगम में प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के आम उत्पादकों को उचित प्रतिनिधत्व दिया जायेगा। विभाग द्वारा वर्तमान में आम सहित सभी फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण, निर्धारित दरों पर पौध सामग्री की आपूर्ति, पौध-सुरक्षा कार्यों पर 50 प्रतिशत तथा फलों को निकटतम रेल हेड तक ढुलान हेतु 100 प्रतिशत राज सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त तकनीकी परामर्श एवं प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

ग्राम सभा तेजम, जनपद पिथौरागढ़ में ऊनी उद्योग लगाने की मांग

20–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 1-7-85 का कोई पत्र प्राप्त हुआ था

जिसमें ग्राम सभा तेजम (जनपद पिथौरागढ़) में वहां ऊनी उद्योग लगाने की मांग की गयी थी? यदि हां, तो सीमान्त क्षेत्र की जनता को उद्योगों में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

ग्राम तेजम, तहसील धारचूला से लगे ग्राम-दर, तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ में पूर्व से ही उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक ऊन कताई केन्द्र चलाया जा रहा है। ऊनी हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु 'उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व कुमायूं मण्डलों में ऊनी हथकरघों के लिये पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना' भारत सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित की गयी है जिसके लागू होने से ऊनी उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त खादी बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों हेतु वर्ष 85-86 में रु0 12.72 लाख की धनराशि जनपद पिथौरागढ़ को आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में टंगस्टन (शिलाइट) तथा सोना धातु आदि के अन्वेषण कार्यों पर योजनाबद्ध कार्य

21–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में टंगस्टन (शिलाइट) तथा सोना धातु आदि अन्वेषण कार्यों पर योजना बद्ध कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है? इस मद में क्रमशः कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है? इन अन्वेषणों से अब तक क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुयीं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पर्वतीय क्षेत्रों में टंगस्टन (शिलाइट) तथा सोना धातु आदि के अन्वेषण कार्यों पर योजनाबद्ध कार्य वर्ष 1983–84 से शुरू किया गया है।

इन सभी अन्वेषण कार्यों पर निम्न धनराशि व्यय की जा चुकी है:–

वर्ष 1983–84 रु0 1.54 लाख
वर्ष 1984–85 रु0 9.91 लाख
वर्ष 1985–86 में रुपया 10.75 लाख

धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है जिसमें से रु0 9.56 लाख अभी तक व्यय की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त शासन ने वर्ष 1984-85 में पाइलट स्केल खनन तथा उच्चीकरण परीक्षण करवाने हेतु रु0 21.20 लाख की धनराशि की भी स्वीकृति दी है। इन अन्वेषणों से अभी तक निम्न उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी हैं:–

पेटसाल क्षेत्र के जखेटा ब्लाक में खनिजीकरण स्थापित किये जाने के फलस्वरूप औसतन 0.2 प्रतिशत टंगस्टन की मात्रा अनुमानित पायी गयी। अलई ब्लाक में औसतन 0.2 प्रतिशत टंगस्टन की मात्रा अनुमानित पाया गया। इसके अतिरिक्त पेटसाल तथा कनालीछिना के बीच मनयांली रीठा आदि क्षेत्रों में भी खनिजीकरण देखा गया है जिस पर भविष्य में आवश्यकतानुसार विस्तृत जांच की जायेगी। जौरासी क्षेत्र के कौरोली ब्लाक में 12 बोर होल किये गये जिससे इस क्षेत्र में टंगस्टन की मात्रा 0.15 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। इसके अतिरिक्त जालली धमेरा, जौरासी आदि क्षेत्रों में टंगस्टन मिलने की सम्भावना है। जालली क्षेत्र में टिन धातु का भी खनिजीकरण पाया गया है। हिमालय में यमुना तथा कोसी नदियों के बीच स्थित शिवालिक पर्वत माला से निकलने वाला नदियों की तलहटी में सोना खनिजी-

करण की उपस्थिति का पता चला है। इनमें से कोटद्वार के निकट खोत्ररी एवं खोह नदी की तलहटी में पाये जाने वाली सतह की बालू में अन्वेषणोपरान्त सोना मिलने की सम्भावना है। इनके परीक्षण के लिये भारत सरकार के उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लि0 कोलार गोल्ड फील्ड के सहयोग से पाइलट प्लान्ट बनवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोटद्वार के ही निकट बेगा सोत तथा हरिद्वार के निकट चिल्लाखारा सोत में भी सोना खनिजीकरण के कुछ क्षेत्रों का पता चला है। विस्तृत सर्वेक्षण जारी है।

22—श्री काशी सिंह ऐरी—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

23—श्री काशी सिंह ऐरी—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

24—श्री काशी सिंह ऐरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

25—श्री सुखपाल पाण्डे—

[दिनांक 26-2-86 को अता0 प्र0 सं0 36 द्वारा उत्तरित]

अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) बस्ती द्वारा मलेरिया विभाग के स्टोर का निरीक्षण

26—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग बस्ती में, दिनांक 28-5-85 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) बस्ती ने मलेरिया दफ्तर पर छापा **मार कर क्या-क्या सामान बरामद किया और क्या यह सही है कि जिलाधिकारी,** बस्ती ने शासन को जिला मलेरिया अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो मुख्य चिकित्साधिकारी मलेरिया अधिकारी या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ऐसा कोई छापा 28-5-85 को नहीं मारा गया। अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) बस्ती ने 29-5-85 को मलेरिया विभाग के स्टोर का निरीक्षण किया था परन्तु कोई अनियमित स्थिति उनके द्वारा नहीं पाई गई। अतः कोई सामान वहां से बरामद किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। जिलाधिकारी बस्ती ने मई, 1985 में शासन को पत्र लिखकर एक जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा कराये जाने की संस्तुति की थी।

जांच की प्रक्रियायें संयुक्त निदेशक (मलेरिया) उत्तर प्रदेश तथा उप निदेशक (फाइलेरिया) उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है।

ग्राम नेमदाद, मूंगमांस और सारंगपुर/सिकरी कोल, जिला आजमगढ़ में स्टाक मैन सेन्टर खोलने का निर्णय

27—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राजकुमार राय, तत्कालीन सदस्य विधान सभा के संस्तुति पत्र दिनांक 22-7-1984 ग्राम नेमदाद (ब्लाक फतेहपुर मडाव) मूंगमांस (ब्लाक घोसी) और सारंगपुर/सिकरी कोल (ब्लाक दोहरीघाट) जिला आजमगढ़ में स्टाकमैन सेंटर खोलने के सम्बन्ध में मिला था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां। ग्राम मूंगमांस विकास खण्ड घोसी में एक पशुसेवा केन्द्र की स्थापना 22-7-1984 जो ग्राम मगमास ब्लाक

फतेहपुर मडाव) तथा सारंगपुर/सिकरी कोल (ब्लाक दोहरीघाट) जनपद आजमगढ़ में स्टाकमैन सेन्टर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि प्रस्तावित ग्रामों से लगभग 4–4 किलोमीटर दूरी पर पशु सेवा केन्द्र मौजूद हैं।

ग्राम मगमास, ब्लाक घोसी जिला आजमगढ़ में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में पत्र

28–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें तत्कालीन विधान सभा सदस्य श्री राजकुमार राय का संस्तुति पत्र दिनांक 22-7-1984 जो ग्राम मागमास ब्लाक घोसी जिला आजमगढ़ में ह्यूमन अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में मिला था? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। ग्राम मगमास में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जा चुका है, जहां चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ कार्यरत है।

श्री राजवंशी सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) परदहा (आजमगढ़) का पुनः सेवा में लिये जाने सम्बन्धी पत्र

29–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें राजवंशी सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) परदहा, जिला आजमगढ़ का पत्र श्री राजकुमार राय, सदस्य विधान सभा के संस्तुति पत्र दिनांक 12-9-84 के साथ मिला था? यदि हां, तो रोग मुक्त होने पर भी उन्हें सेवा में न लेने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं, 12-9-84 का पत्र नहीं मिला परन्तु 24-9-84 का श्री राजकुमार राय का पत्र प्राप्त हुआ था। श्री राजवंशी सिंह नवम्बर, 1965 से कार्य से निरन्त अनुपस्थित थे, इसलिये नियमानुसार उनकी सेवा समाप्त हो गई। सेवा में पुनः लेने के श्री सिंह के अनुरोध पर लिर्णय लेने के संबंध में उप-कृषि-निदेशक गोरखपुर से आख्या मांगी गई है।

30–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

[दिनांक 20-2-86 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

उपनिदेशक, कृषि वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

31–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपनिदेशक कृषि वाराणसी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 25-8-85 जिसकी प्राप्ति उनके निजी सचिव श्री वी0के0 वर्मा ने अपने पत्र दिनांक 26-8-85 द्वारा की है, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

कृषि निदेशक से जांच कराई जा रही है।

जनपद उन्नाव में नये उद्योग लगाने हेतु अनुमन्य कैपिटल सब्सिडी

32–श्री मनोहर लाल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद पिछड़ा जिला होते हुए भी यहां नये उद्योग लगाने वाले को सिर्फ 10 प्रतिशत ही कैपिटल सब्सिडी दी जाती है? यदि हां, तो कानपुर देहात में 25 प्र0 श0 का औचित्य क्या है? क्या उन्नाव जनपद को भी 25 प्र0 सब्सिडी दिलाने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, उन्नाव जनपद भारत सरकार द्वारा घोषित पिछड़े जिलों की सूची में "सी" श्रेणी में आता है जिसमें 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी ही अनुमन्य है।

कानपुर देहात जनपद भारत सरकार की उपरोक्त घोषित सूची के "ए" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जो कि "उद्योग शून्य जिलों" में आता है, जहां पर 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी अनुमन्य है। भारत सरकार की अधिसूचना के प्रतिकूल किसी भी जनपद में उपादान की सहायता उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना में समायोजित होने वाले कर्मचारियों की योजना में सहमति

33–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि 28 अप्रैल, 1984 को सरकार ने इस आशय की एक राजाज्ञा जारी की थी कि विभाग की बहुधन्धी स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना में समायोजित होने वाले सभी कर्मचारियों से लिखित रूप से पूछा जाय कि उनमें से कौन-कौन योजना में सम्मिलित होने के पक्ष में हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग के सभी सम्बन्धित कर्मचारियों से लिखित रूप में आवश्यक जानकारी की गयी? यदि हां, तो उनमें से कितनों ने योजना के पक्ष में और कितनों ने योजना के विपक्ष में अपनी सहमति दी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। कर्मचारियों की लिखित सहमति प्राप्त नहीं हुई है परन्तु चूंकि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना में सम्मिलित किये गये कर्मचारियों ने निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा इस योजना के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों ने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वेतनमान स्वीकार करने का विकल्प दिया है, अतः वह इस योजना में सम्मिलित माने जाते हैं।

प्रदेश के ग्राम्यांचलों में स्वच्छता निरीक्षक के रिक्त पद एवं उनकी पूर्ति

34–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि 5 अक्तूबर, 1979 को सरकार की ओर से प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की एक राजाज्ञा जारी की गयी थी कि प्रदेश के ग्राम्यांचलों में कई वर्षों से स्वच्छता निरीक्षकों के काफी पद रिक्त पड़े हैं और ऐसे रिक्त पदों पर सेनेटरी इंस्पेक्टरों का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त विभाग के ही हेल्थ इंस्पेक्टरों को वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त कर लिया जाय? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त राजाज्ञा जारी होते समय विभाग में ऐसे रिक्त पड़े पदों की वास्तविक संख्या क्या थी और उनमें से कितने रिक्त पदों की पूर्ति कब की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। प्रश्नगत शासनादेश जारी होने के समय अर्थात वर्ष 1980 तक 34 पद स्वच्छता निरीक्षकों के रिक्त थे। इन रिक्त पदों में वर्ष 1980 में 25 पदों तथा वर्ष 1981 में 12 पदों पर स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से उपयुक्तता के आधार पर नियुक्तियां स्वच्छता निरीक्षक के पद पर की गईं। इस प्रकार से स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग से सेनेटरी इंस्पेक्टर संवर्ग में

कुल 37 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।

स्वास्थ्य विभाग की विभागीय कार्यशालाओं में वाहनों की मरम्मत एवं व्यय

35—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की मरम्मत के लिए बनी कार्यशालाओं में वर्ष 1980-81, 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 में कितने वाहनों की मरम्मत की गई तथा उपरोक्त वाहन किस-किस विभाग के थे तथा उन पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया? क्या यह भी सही है कि विभागीय वाहनों के मरम्मत के लिए कार्यशाला होते हुए भी विभागीय वाहनों की मरम्मत बाहर से करायी जाती है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वास्थ्य विभाग की विभागीय कार्यशालाओं में वाहनों की, की गई मरम्मत का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	वाहनों की संख्या	व्यय की गई धनराशि
1. 80-81	1077	रु0 6,32,407/-
2. 81-82	1451	रु0 13,87,000/-
3. 82-83	1202	रु0 6,01,150/-
4. 83-84	1255	रु0 8,43,000/-
5. 84-85	1301	रु0 10,19,000/-

जी हां।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध मजिस्टीरियल एवं विभागीय जांच

36—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध एल0 आई0 यू0 मजिस्टीरियल एवं विभागीय जांच 15-3-85 से जुलाई 85 के मध्य की गई? मूल शिकायतें क्या थीं? जांच आख्याओं के आधार पर कितने कर्मचारी दोषी पाये गये? क्या कर्मचारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी कर्मचारियों को दण्ड दिए गए ? यदि हां, तो वह दण्ड किस प्रकार के थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दिनांक 15-3-85 से जुलाई 85 के मध्य उन्नाव जनपद के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महासंघ के 5 सूत्रीय मांगों के क्रमिक अनशन के संदर्भ में एल0 आई0 यू0 जांच, प्रभारी चिकित्साधिकारी गंजमुरादाबाद के अशोभनीय एवं अभद्र व्यवहार तथा जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा उनका स्थानान्तरण करने के आश्वासन को पूर्ण न करने के संदर्भ में मजिस्टरियल जांच व प्रभारी चिकित्साधिकारी गंजमुरादाबाद द्वारा वहां के प्रसार शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में विभागीय जांच की गयी थी।

एल0 आई0 यू0 जांच में आठ, मजिस्टिरियल जांच में तेरह तथा विभागीय जांच में दो कर्मचारी दोषी पाये गये ।

एल0 आई0 यू0 जांच गुप्त जांच होती है । मजिस्टिरियल तथा विभागीय जांच में कर्मचारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था । दोषी पाये गये 11 कर्मचारियों को उन्नाव जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरित कर दिया गया।

कृषि विभाग के लखनऊ मुख्यालय पर श्रेणी 2 में कार्यरत अधिकारियों का कार्यकाल

37–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के लखनऊ मुख्यालय पर श्रेणी-2 के कितने अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले 15 वर्षों के दौरान 10 वर्षों से अधिक समय से मुख्यालय पर ही कार्यरत हैं ? वह अधिकारी कौन-कौन हैं और किन पदों पर कार्यरत हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

केवल तीन अधिकारी कृषि निदेशालय के लखनऊ मुख्यालय पर विभिन्न पदों पर पिछले 15 वर्षों में 10 वर्ष से अधिक समय से श्रेणी-2 के पदों पर कार्यरत हैं।

नाम अधिकारी	वर्तमान पदनाम
1–श्री महेन्द्र सिंह वर्मा	प्राविधिक अधिकारी (वन)
2–श्री राम बिहारी लाल श्रीवास्तव	जूट विकास अधिकारी
3–श्री शरद कुमार श्रीवास्तव	कृषि सूचना अधिकारी

38–डा0 दिनेश जौहरी–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 119 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ में तालानगर की स्थापना हेतु परियोजना की रूप रेखा

39–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के प्रस्तावित तालानगर की क्या रूपरेखा है और इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अलीगढ़ में तालानगर की स्थापना हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एक परियोजना की प्रारम्भिक रूपरेखा बनाई गयी है जिसके अनुसार 576 आवासीय इकाईयां तथा कार्यशालायें निर्मित की जायेंगी । ऐसे आवास एवं वर्क शेडों का आवंटन ताला उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं में लगे हुए दस्तकारों को किया जायेगा । आवास एवं कार्यस्थल के साथ ही साथ योजना के लाभार्थियों को जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से रु0 25,000.00 तक की पूंजी ऋण के रूप में संयंत्रों के क्रय हेतु तथा कार्यशील पूंजी के रूप में दी जायेगी परियोजना क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापना सुविधायें भी उपलब्ध कराई जायेंगी। तथा वहां विपणन सुविधाओं की भी व्यवस्था की जायेगी। प्रथम चरण के विकास एवं निर्माण–कार्यों पर लगभग रु0 6.33 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है। प्रस्तावित रूपरेखा का आधार अपनाते हुए सम्भाव्यता–अध्ययन कराया जायेगा जिसके उपरान्त यथावश्यकता विस्तृत परियोजना–प्रतिवेदन तैयार किया जा सकेगा।

जनपद अलीगढ़ में एलोपैथिक चिकित्सकों के रिक्त स्थान व नियुक्तियां

40—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद मे कितने एलोपैथिक चिकित्सों के स्थान रिक्त हैं ? इन स्थानों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ? क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्थान रिक्त होने के बाद भी प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिकन्द्राराऊ का स्थानान्तरण मध्य सत्र में क्यों कर दिया गया जब कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अलीगढ़ जनपद में कुल 23 पुरुष व महिला एलोपैथिक चिकित्सक के स्थान रिक्त हैं । लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर ही नियुक्तियां संभव होंगी।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिकन्द्राराऊ का स्थानान्तरण उनके अनुरोध पर किया गया।

राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत समयमान वेतनमान

41—श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या वे0 आ0—2—1360/दस—85—सं0—/बी0 (सा)/82 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का लाभ कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा के वर्ग एक, दो एवं तीन के कर्मचारियों को मिला था? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

शासनादेश संख्या वे0 आ0-2-1360/दस-85-सं/व्य0(सा)-82 दिनांक 17-10-1985 द्वारा सामान्य कोटि के पद जो सामान्यतया अधिकांश विभागों में विद्यमान हैं, के राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति का लाभ दिया गया है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-एक, दो एवं तीन के कर्मचारी उक्त शासनादेश के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः उन्हें उक्त शासनादेश के अन्तर्गत लाभ नहीं दिया जा सका।

42—श्री हरेन्द्र सिंह—

[दिनांक 20-2-86 को अता0प्र0 सं0 150 द्वारा उत्तरित]

स्वर्गीय श्री राम स्वरूप सिंह वर्मा, सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी के अवशेष देयकों का भुगतान

43—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 6ठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 डा0 राम स्वरूप सिंह वर्मा के अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में निदेशक द्वारा दिए गए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के आदेशों के परिपालन अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं? श्री सिंह के देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्व0 श्री राम स्वरूप सिंह वर्मा सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी के अवशेष देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। देयकों के पूर्ण विवरण प्राप्त करने तथा औपचारिकताओं को पूरा कराने की कार्य-

वाही तत्परतापूर्वक की जा रही है जिसके उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को देय वेतन

44—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को दिनांक 21-1-78 से वेतन क्रम 550—1200 दिये जाने के संबंध में कोई शासनादेश जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो किस तिथि को तथा किस अधिकारी द्वारा ? क्या मंत्री जी उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी वेतन आयोग अनुभाग की सहमति नहीं प्राप्त हुई है ।

डा0 विजय बहादुर सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर, बलिया के विरुद्ध शिकायतों की जांच

45—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बार-बार तबादला होने के बाद भी प्रा0स्वा0 केन्द्र सीयर के प्रभारी चिकित्सक डा0 विजय बहादुर सिंह का तबादला वाराणसी के अतिरिक्त निदेशक द्वारा रोक दिया गया है जब कि उन पर काफी गम्भीर शिकायतों की जांच शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कड़ा कदम उठाने जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 विजय बहादुर सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया का स्थानान्तरण पी0 एम0 एस0 एसोसियेशन के जिला स्तरीय पदाधिकारी होने व उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 31-5-1986 तक के लिए स्थगित किया गया है । इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

माताटीला बांध में सिल्टिंग रोकने हेतु केन्द्र सरकार से स्वीकृत धनराशि

46—श्री राम सजीवन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि माताटीला बांध में सिल्टिंग (मिट्टी जमा होने से) रोकने के लिए केन्द्र सरकार से अब तक कुल कितनी धनराशि मिली है और राज्य के कृषि विभाग द्वारा यह रकम किस प्रकार के कार्यों पर खर्च की गई? क्या शासन को जानकारी है कि सिल्टिंग रोकने में कितने प्रतिशत सफलता मिली है ? सिल्टिंग रोकने के लिए कृषि विभाग के रिकार्ड में जो कार्य दर्शाये गये हैं, क्या मौके पर उनकी जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माताटीला बांध में सिल्टिंग (मिट्टी जमा होने से) रोकने के लिये केन्द्र सरकार से वर्ष 1978-79 से दिसम्बर 1985 तक कुल रु0 157.59 लाख की धनराशि मिली है तथा राज्य के कृषि विभाग द्वारा यह व्यय, स्थापना के अतिरिक्त कन्टूर बन्डिंग, जल भराव बंधी, सिल्ट टैप बंधी के निर्माण कार्य एवं पक्की संरचना व वनी-करण के कार्यों में किया गया । इन कार्यों के सम्पादन में सिल्ट के नहाव में 35 प्रतिशत तक कमी आ गयी है । सिल्टिंग रोकने के लिये विभाग द्वारा जो कार्य दर्शाये गये हैं, मौके पर उनका सत्यापन कराया जा चुका है ।

नरेन्द्र एक्सप्लोसिव की स्थापना तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण

47—श्री राम सजीवन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर में नरेन्द्र एक्सप्लोसिव की स्थापना के लिए कितने रुपयों का कर्ज दिया गया था और उसमें से कितने रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये थे ? उसका निर्माण कार्य सन् 1975 से शुरू होकर अब किस स्थिति में है ? कितने मजदूर काम करते हैं और कितना उत्पादन हो रहा है ? क्या उक्त कारखाने के निर्माण के लिए किसानों की एक हजार एकड़ जमीन ले ली गई है और उसका मुआवजा भी किसानों को अभी तक नहीं दिया गया? क्या मालिक द्वारा उक्त कारखाने को बेचने की तैयारी की जा रही है ? कम्पनी के मुख्य-मुख्य मालिक कौन-कौन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री नरेन्द्र एक्सप्लोसिव, ललितपुर को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा रु0 2,97,21,305 का ऋण दिया गया है । इसके अतिरिक्त इकाई को केन्द्रीय अनुदान के रूप में रु0 15 लाख स्वीकृत किया गया । जिसमें से रु0 9,92,150.00 का भुगतान किया जा चुका है ।

इकाई का निर्माण कार्य अभी अपूर्ण है तथा वर्तमान में यह कार्य बन्द है । इकाई में वर्तमान में लगभग 25 व्यक्ति कार्यरत हैं । अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

इकाई हेतु कृषकों की 424.86 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी । उक्त भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु धनराशि जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है जिनके द्वारा कृषकों को भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। इकाई एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसके निदेशक निम्नवत हैं :

सर्वश्री
गुड्डो बियाजी
क्लाड मोडोक्स
वाई0 के0 धान्द
दिनेश जैन
बी0 के0 जैन
जे0 डब्लू0 क्वाथेकर
एन0 पी0 चक्रवती
बी0 बी0 जैन
एन0 के0 जैन हैं ।

पपरावन, जनपद जौनपुर में चिकित्सालय खोलने की मांग

48—श्री पारस नाथ यादव तथा श्री मूल चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्र न्याय पंचायत कोंटी, पपरावन में जो प्रा0 स्वा0 केन्द्र से पन्द्रह कि0 मी0 की दूरी के अन्तर्गत है, कोई अस्पताल खुलवाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालयों की स्थापना का विषय जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत है। इस पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति विचार करती है। पपरावन में चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

बरसठी क्षेत्र, जिला जौनपुर में कालीन उद्योग खोलने की मांग

49—श्री पारस नाथ यादव तथा श्री मूलचन्द्र—

क्या सरकार उद्योग शून्य जिला जौनपुर के दक्षिणांचल में पिछड़े हुए क्षेत्र बरसठी में जो कालीन उद्योग भदोही से लगा हुआ है, के क्षेत्र की गरीबी को देखते हुए कोई कालीन उद्योग खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरसठी क्षेत्र, जिला जौनपुर में कालीन उद्योग खोलने की कोई सरकारी योजना नहीं है। निजी क्षेत्र में कोई उद्यमी यदि यह उद्योग प्रारम्भ करना चाहेगा तो राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सहायता/सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रदेश में एम्बुलेन्स गाड़ियां व उनका उपयोग

50—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी एम्बुलेन्स गाड़ियां हैं? उनमें से कितने रोगियों को ले जाने के लिए और कितनों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता है? यदि हां, तो मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश भर की गाड़ियों का उपयोग मरीजों को ले जाने के लिए ही किया जाये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रदेश में 105 एम्बुलेंस गाड़ियां हैं जिनकी जनपदवार सूची मेरे कार्यालय में माननीय सदस्य द्वारा देखी जा सकती है। सभी एम्बुलेंसेज का प्रयोग मुख्यतः रोगियों को ले जाने के लिए होता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नोनापुर में सेवारत स्व0 जयराम की पत्नी को पेंशन न दिये जाने का कारण तथा पुत्र श्री राम प्रकाश सविता को पुनः सेवा में लिये जाने की मांग

51—श्री राधेश्याम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नोनापुर में सेवारत रहे, स्व0 जयराम की आश्रित पत्नी श्रीमती राजाबेटी उर्फ राम बेटी निवासी ग्राम बड़ांगांव भिक्खी को स्व0 जयराम की सेवाओं के आधार पर पेंशन मिलती थी? यदि हां, तो पेंशन कब तक मिलती रही तथा अब पेंशन किन कारणों से रोक दी गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

श्रीमती राजा बेटी उर्फ राम बेटी को पारिवारिक पेंशन नवम्बर, 83 तक मिलती रही तथा इसके पश्चात् महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा रोक दी गयी। महालेखाकार को पुनः पेंशन जारी करने के लिए दिनांक 30-7-84 को अनुरोध किया गया था और कई बार स्मरण कराये जाने के बावजूद पेंशन अभी पुनः नहीं जारी की गयी है। जी हां।

52—श्री राधेश्याम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंग कि श्री राम प्रकाश सविता आत्मज स्व0 जयराम भृत्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय नोनापुर जनपद कानपुर देहात की नियुक्ति श्री जयराम की मृत्यु के बाद उनके वारिस के रूप में की गयी थी? यदि हां, तो फिर राम प्रकाश की सेवायें कब और क्यों समाप्त की गयीं? क्या श्री राम प्रकाश सविता ने इस संबंध में कोई आरोप-पत्र श्री जंगबहादुर दलेला के विरुद्ध निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकि-

त्सा सेवा को दिया था जिसमें श्री दलेला के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी और अपनी सेवाओं को पुन: बहाली की अपील की थी? यदि हां, तो जांच में श्री दलेला के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? तथा राम प्रकाश को पुन: सेवा में लेने के संबंध में क्या निर्णय हुआ है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

कार्य स्थल से लगातार 3 माह तक अनुपस्थित रहने के कारण श्री राम प्रकाश की सेवायें दिनांक 27-9-82 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गयी।

जी हां।

शिकायतों की जांच की गयी और जांच में श्री दलेला के विरुद्ध शिकायत सिद्ध नहीं पायी गयी। अब उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। श्री राम प्रकाश को भी सेवा में पुन: लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा, विधान सभा क्षेत्र जलेसर में चिकित्सालय के निर्माण की मांग

53–श्री प्रेमपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा, विधान सभा क्षेत्र जलेसर में 30 बेड का हास्पिटल जिला प्लान से स्वीकृत है? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र जलेसर, जनपद एटा हेतु जिला प्लान में 30 शैय्या का चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

54–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री राम सिंह, भूतपूर्व वाहन चालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा की पेंशन व ग्रेच्युटी की शेष धनराशि का भुगतान

55–श्री बदन सिंह–

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत श्री राम सिंह भू0पू0 वाहन चालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र आगरा का प्रार्थना-पत्र जो उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी की शेष धनराशि के भुगतान के संबंध में था दिनांक 15 नवम्बर, 1984 को लिखा हुआ उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 11-9-85 द्वारा श्री राम सिंह भूतपूर्व वाहन चालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा के शेष पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु आगरा ट्रेजरी को प्राधिकृत कर दिया है। इस पत्र की प्रति आगरा ट्रेजरी से भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त वाहन चालक को भी भेजी गई है।

आयुर्वेदिक कालेज, बरेली की अफजलगढ़ में स्थित जमीन को नीलाम करने के संबंध में प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत

56–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक कालेज बरेली की अफजलगढ़ (बिजनौर) में स्थित लाखों रुपये की जमीन को कौड़ियों के दाम नीलाम करने का दो भू0पू0 प्रधानाचार्यों पर आरोप है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत संदर्भ में एक भूतपूर्व प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर जांच करायी गयी और उसके आधार पर संबंधित अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर निलंबित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

जिला चिकित्सालय, बरेली में ग्लूकोज की बोतलों के संबंध में कथित शिकायत

57–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला अस्पताल बरेली में पिछले वर्ष ग्लूकोज की बोतलों में मिलावट की शिकायत प्राप्त हुई थी एवं बोतलों के सैम्पल भी लिये गये थे जिसकी रिपोर्ट में बोतलों का प्रयोग खतरनाक बताया गया है और जांच के दौरान उनमें फफूंदी तथा अन्य भारी कण पाये गये थे? यदि हां, तो इस ग्लूकोज की बोतलें बनाने वाली कम्पनी एवं क्रय से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पिछले वर्ष 1985 में जिला चिकित्सालय बरेली में ग्लूकोज की बोतलों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और न ही कोई सैम्पल इस औषधि का लिया गया था। अतः कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) में कार्यरत श्रेणी एक व श्रेणी दो के अधिकारी व अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति

58–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, उ0 प्र0 (पर्वतीय संभाग) में कितने अधिकारी श्रेणी एक एवं श्रेणी दो में कार्यरत हैं तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ? उनका प्रतिशत क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) में श्रेणी–1 में सात अधिकारी तथा श्रेणी-2 में 48 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से श्रेणी–2 में चार अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं, जिनका प्रतिशत 8.33 है।

59–श्री वीरेन्द्र सोन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग (पर्वतीय संभाग) उ0प्र0 में श्रेणी एक एवं श्रेणी दो में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति से कितनी नियुक्तियां की गई हैं? क्या श्रेणी एक और श्रेणी दो की संवाओं में आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों तथा आरक्षण कोटा कब तक पूरा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग (पर्वतीय क्षेत्र) उ0 प्र0 में श्रेणी–1 के पदों पर नियुक्तियां पदोन्नति के माध्यम से करने का प्राविधान है । चूंकि श्रेणी-2 में अनुसूचित जाति के कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, अतः श्रेणी-1 में किसी अनुसूचित जाति के अधिकारी की पदोन्नति से नियुक्ति नहीं की गयी। जहां तक श्रेणी-2 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने का प्रश्न है अनुसूचित जाति के दो अधिकारियों की पदोन्नति की गई है।

जी नहीं ।

वर्तमान नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे जो पदोन्नति के लिए पात्र हों अतः

आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, किन्तु भविष्य में होने वाली रिक्तियों में इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

60—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस विभाग में अनुसूचित जाति के सुयोग्य अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध होते हुए श्रेणी एक व क्षेणी दो में अब तक आरक्षित कोटा में पदोन्नति नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग (पर्वतीय क्षेत्र) में अनुसूचित जाति के अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे जो वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए पात्र हों ।

श्री धर्मराज सिंह, स्वास्थ्य सहायक विकास खंड सांथा का स्थानान्तरण

61—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री धर्मराज सिंह, स्वास्थ्य सहायक विकास खंड सांथा का स्थानान्तरण अगस्त, 84 में लखीमपुर खीरी निदेशालय द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्वास्थ्य सहायक ने बस्ती से कार्यभार मुक्त होकर अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार संभाल लिया है? यदि नहीं, तो इनके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

श्री धर्मराज सिंह, स्वास्थ्य सहायक को प्रभारी चिकित्साधिकारी सांथा द्वारा दिनांक 22-10-1984 को कार्यमुक्त कर दिया गया था परन्तु श्री सिंह ने अपने नियुक्ति के स्थान लखीमपुरखीरी में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मंडल के आदेशानुसार श्री सिंह को जनपद बस्ती की सांथा ब्लाक पर पुनः समायोजित कर दिया गया है। उनके अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने के लिये उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

हमीरपुर जनपद में श्री बृजभूषण गुप्ता तथा श्री टीका राम गुप्ता को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धन की स्वीकृति

62—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तह0 राठ जनपद हमीरपुर में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बजट के द्वारा वर्ष 78-79, 79-80, 80-81 एवं 81-82 में एक ही व्यक्ति को स्वयं, परिवार, रिश्तेदारों, निकटसंबंधी एवं साथियों आदि को अधिकतम धन विभिन्न-विभिन्न पते पर विभिन्न मदों हेतु धन दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यक्ति श्री बृजभूषण गुप्ता पुत्र श्री भवानी दीन गुप्ता तत्कालीन सहायक अध्यापक बेसिक प्राइमरी पाठशाला धमन राठ (हमीरपुर) वर्तमान सिकन्दरपुर राठ (हमीरपुर) में एक सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी भी था ? क्या यह अनियमित था ? यदि हां, तो अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

वर्ष 78-79 में श्री बृज भूषण गुप्ता एवं उनके भाई श्री टीका राम गुप्ता को गुड़ इकाई हेतु 1740 रु0 प्रति इकाई की दर से धन दिया गया है। वर्ष 80-81 में श्री टीकाराम गुप्ता को काष्ठ एवं

लोह कला हेतु 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। वर्ष 80-81 में ही एक संस्था जनता फर्नीचर उद्योग सिकन्दरपुरा, राठ जिसके मंत्री श्री बृजभूषण गुप्ता थे, को बेकरी उद्योग हेतु रु0 9.500 एवं इसी संस्था को वर्ष 81-82 में हड्डी चूरा इकाई हेतु रुपये 6000-00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उक्त व्यक्तियों/संस्था की मांग के आधार पर ही धन स्वीकृत किया गया ।

जी नहीं ।

श्री बृजभूषण गुप्ता बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में मंडलीय चिकित्सालय की स्थापना

63–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले बजट सत्र में जिन मंडलों में मेडिकल कालेज नहीं हैं उनमें 300 बिस्तरों का आधुनिकतम अस्पताल खोलने की घोषणा थी? यदि हां, तो उसके अंतर्गत बरेली में अस्पताल का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पिछले बजट सत्र में यह घोषणा की गई थी कि जिन मंडलीय मुख्यालयों में मेडिकल कालेज नहीं हैं वहां मंडलीय चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे । बरेली में अस्पताल के निर्माण हेतु परिव्यय एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं और उसके प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना संभव हो सकेगा।

पशुपालन विभाग में ड्रेसर्स की कम्पाउन्डर के पद पर प्रोन्नति

64–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दि0 11-9-84, 21-8-85 व 7-11-85 को कोई पत्र इस आशय के, पशुपालन मंत्री को लिखे हैं कि हाई स्कूल पास ड्रेसर्स पशुधन विभाग की प्रोन्नति कम्पाउन्डर के पदों पर की जावें जो ड्रेसर्स सन् 80 या इसके पहले से संवारत हैं? इस विषय में शासन अब तक क्या विचार कर सका है और कब तक उक्त संदर्भ में निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रकरण विचाराधीन है तथा शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना तथा छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता

65–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की जाती है व प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में छात्रों की प्रवेश क्षमता क्या है? क्या यह सच है कि छात्रों की प्रवेश क्षमता की तुलना में चिकित्सालयों की स्थापना बहुत कम है? यदि हां, तो क्या छात्रों की प्रवेश क्षमता के बराबर प्रतिवर्ष चिकित्सालयों की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रत्येक वर्ष राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु संख्या जिला नियोजन समितियों के प्रस्तावों के आधार पर तथा उनके लिये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर यथा समय निश्चित की जाती है। प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में छात्रों की

वार्षिक प्रवेश क्षमता 295 है। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की संख्या छात्रों की प्रवेश क्षमता पर आधारित नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

66–श्री यदुनाथ सिंह–

[दि0 5-9-85 को अता0 प्र0 सं0 25 द्वारा उत्तरित]

उप निदेशक पशुपालन (प्रक्षेत्र) के अधीनस्थ फार्मों में वर्षवार हानि

67–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निदेशक, पशुपालन (प्रक्षेत्र) के अधीनस्थ फार्मों पर 81-82, 82-83 व 83-84 के वित्तीय परिणाम क्या थे ? क्या हानि हुई है? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे तथा शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुम सिंह–

उप निदेशक पशुपालन (प्रक्षेत्र) के अधीनस्थ प्रक्षेत्रों के वाणिज्यिक अनुभाग में वर्षवार निम्नवत् हानि हुई:–

वर्ष	हानि (लाख रु0 में)
1981–82	27,16,717
1982–83	30,16,792
1983–84	36,65,242

प्रक्षेत्रों पर हानि के मुख्य कारण प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध भूमि का खराब होना, सिंचाई की समुचित सुविधा का अभाव, अवाणिज्यिक फसलों की बुआई आदि है।

प्रक्षेत्रों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है।

पशुधन निदेशक द्वारा भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अग्रिम का आहरण न किये जाने संबंधी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

68–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या प्रशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में भवन निर्माण हेतु पशुधन निदेशक द्वारा अग्रिम स्वीकृत कर दिये जाने के बाद भी अग्रिम का आहरण नहीं किया गया और बजट लैप्स हो गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन आहरण वितरण अधिकारी दोषी थे ? क्या उनके विरुद्ध 31-10-85 तक कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 1984-85 में स्वीकृत किये गये भवन निमार्ण अग्रिम में केवल तीन मामले एसे हैं जिनमें अग्रिम का आहरण नहीं किया जा सका। इसके लिए दोषी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को लिखित चेतावनी दे दी गयी है।

वाराणसी मंडल के जनपदों में स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति, वेतन का भुगतान

69–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा

श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 3107/छब्बीस-2-82 दिनांक 8 जून, 1982 के अंतर्गत सृजित पदों में दिनांक 31-12-83 तक वाराणसी मंडल के जनपदों में कितने-कितने स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की गयी और क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान अक्टूबर, 1985 तक कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि आय-व्ययक के किस मद से आहरित की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वाराणसी मंडल के पांच जनपदों में से तीन जनपद वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में क्रमश: 6, 16 तथा 6 अर्थात् कुल 28 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति

संबंधित शासनादेश के अंतर्गत दिनांक 31-12-83 तक की गई ।

शेष दो जनपद बलिया तथा जौनपुर में परियोजना स्वीकृत नहीं की गई ।

उक्त 28 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसका आहरण आय व्ययक के लेखा शीर्षक "288 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण ग- समाज कल्याण-आयोजनागत" तथा "281-परिवार कल्याण-आयोजनागत" से किया जा रहा है।

फैजाबाद मंडल के जनपदों में स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति एवं वेतन का भुगतान

70—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा
श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 3107/छब्बीस-2-82 दिनांक 8 जून, 1982 के अंतर्गत सृजित पदों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक फैजाबाद मंडल के जनपदों में कितने-कितने स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की गयी और क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान अक्टूबर, 1985 तक कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि आय व्ययक के किस मद से आहरित की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

फैजाबाद मंडल के छः जनपदों में से चार जनपदों यथा गोंडा, सुल्तानपुर, बहराइच तथा बाराबंकी में क्रमशः चार, छः, दो तथा चार अर्थात् कुल 16 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति संदर्भित शासनादेश के अंतर्गत दिनांक 31-12-83 तक की गई थी। शेष दो जनपद यथा फैजाबाद तथा प्रतापगढ़ में उक्त शासनादेश के अंतर्गत कोई नियुक्ति नहीं की गई।

उक्त कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान अक्टूबर, 1985 तक कर दिया गया है ।

आय व्ययक के लेखा शीर्षक "288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-ग-समाज कल्याण-आयोजनागत" तथा "281—परिवार कल्याण—आयोजनागत" से वेतन आहरित किया जा रहा है।

गोरखपुर मण्डल के जनपदों में स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति तथा वेतन का भुगतान

71—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 3107/छब्बीस-2-82 दिनांक 8-6-82 के अन्तर्गत सृजित पदों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक गोरखपुर मण्डल के जनपदों में कितने-कितने स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की गयी और क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान अक्टूबर, 1985 तक कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि आय-व्ययक के किस मद से आहरित की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

गोरखपुर मण्डल के चार जनपदों आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में क्रमशः 6, 6, 6 तथा 4 अर्थात् कुल 22 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति संदर्भित शासनादेश द्वारा 31-12-83 तक की गई थी तथा उक्त 22 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का माह

अक्टूबर, 85 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है। यह लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-ग-समाज कल्याण-आयोजनागत" तथा "281-परिवार कल्याण-आयोजनागत" से आहरित किया गया।

लखनऊ मण्डल के जनपदों में स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति तथा वेतन का भुगतान

72—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कॉ जानकारी है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 3107/छब्बीस-2-82 दिनांक 8 जून, 1982 के अन्तर्गत सृजित पदों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक लखनऊ मण्डल के जनपदों में कितने-कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी और क्या उक्त कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान अक्टूबर, 1985 तक कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि आय-व्ययक के किस मद से आहरित की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लखनऊ मण्डल के छः जनपदों में से तीन जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव में क्रमशः 16, 8 तथा 4 अर्थात् कुल 28 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की नियुक्ति संदर्भित शासनादेश के अन्तर्गत 31-12-83 तक की गई थी। शेष जनपद हरदोई, खीरी तथा सीतापुर में उक्त संदर्भित शासनादेश के द्वारा कोई पद अथवा परियोजना स्वीकृत नहीं हुई।

इन 28 कर्मचारियों का वेतन अक्टूबर, 1985 तक एवं उसके बाद नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

आय व्ययक के लेखा शीर्षक "288-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-ग-समाज कल्याण-आयोजनागत" तथा "281-परिवार कल्याण-आयोजनागत-ख" के अन्तर्गत वेतन आहरण किया जा रहा है।

ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम-देव सिंह खेड़ा में पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु छोड़ी गयी भूमि के विरुद्ध विवाद

73—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम-देवसिंह खेड़ा (मोहरी कला) में पशु चिकित्सालय निर्माण हेतु वर्ष 1982-83 के चकबन्दी के दौरान चकबन्दी विभाग द्वारा चक नं0 190 में सी 2 बिस्वा, चक नं0 191/1 में से 15 बिस्वा 15 बिस्वांसी और चक नं0 185 में से 5 विस्वांसी तथा चक नं0 186 में से एक विस्वा छोड़ी गयी जमीन पर पशु चिकित्सालय के बजाय किसी व्यक्तिगत पार्टी का कब्जा बना हुआ है? यदि हां, तो कब्जे को अब तक हटाकर वांछित चिकित्सालय का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? उक्त कब्जे को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

देवसिंह खेड़ा, (मोहारी कला) हेतु चकबन्दी के दौरान छोड़ी गई भूमि पर श्री चन्द्र पाल पुत्र श्री यदुनाथ यादव का कब्जा है। कब्जा हटाने हेतु तहसील मोहनलाल गंज में मुकदमा चल रहा है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर महिला अस्पताल में कार्यरत आया श्रीमती एस0 डब्लू0 प्रसाद को बीमा, ग्रेच्युटी तथा फण्ड आदि का भुगतान

74–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर महिला अस्पताल में कार्यरत आया श्रीमती एस0 डब्लू0 प्रसाद जिनका सेवारत रहते वर्ष 12 सितम्बर, 83 को देहान्त हो गया है उनके बीमा, ग्रेच्युटी तथा फंड आदि का पैसा अभी तक उनके आश्रित को न मिलने का क्या कारण है ? कब तक मिल जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

स्वर्गीय (श्रीमती) एस0 डब्लू0 प्रसाद के छः वारिस हैं । उनके जी0 पी0 फंड की धनराशि आहरित कर ली गयी है और दो वारिसों को उनके हिस्से का भुगतान भी किया जा चुका है । शेष 4 वारिसों को सूचित कर दिया गया है कि वह अपने हिस्से का भुगतान प्राप्त कर लें ।

ग्रेच्युटी के आवेदन पत्रों को कई स्मरण पत्रों के उपरांत भी वारिसों द्वारा पूर्ण नहीं दिया गया है । इसी बीच श्रीमती प्रसाद के एक उत्तराधिकारी श्रीमती मेविस प्रसाद के देहावसान हो जाने के कारण नये उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को भी अभी तक वर्तमान उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

सामूहिक बीमा भुगतान के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा चुकी है । भुगतान प्राप्त होते ही उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया जायेगा ।

कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में अवर अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति

75–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में अवर अभियन्ता (अधिदर्शक) के कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु क्या योग्यता रखी गयी है तथा भर्ती किस आधार पर की जायगी? क्या इन पदों पर कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

भूमि संरक्षण अनुभाग में अवर अभियन्ता (अधिदर्शक) के 17 पद रिक्त हैं । इन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु सिविल अभियन्त्रण डिप्लोमा अथवा कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता रखी गई है । इन पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कर की जायेगी । इन पदों पर नियुक्ति करने में कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारकों को वरीयता देने का अलग से कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री आर0 एन0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद के विरुद्ध अधिक धन का आहरण किये जाने की शिकायत की जांच

76–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एन0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद द्वारा 1978-79 में चार्ज देने के उपरान्त 75 हजार रुपये से भी अधिक धन का आहरण करना तथा आडिट रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 लाख रुपये हेराफेरी

करने के मामले प्रकाश में आये हैं और तत्कालीन निदेशक, फल उद्यान, उ0 प्र0 डा0 शिवराज सिंह तेवरिया ने कोई पत्र अपने अ0 शा0 पत्र सं0 7818/के-ए048 दिनांक 4 जनवरी, 1980 को श्री ए0 वी0 लाल तत्कालीन उप निदेशक, उद्यान, फैजाबाद, श्री सी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान फैजाबाद तथा श्री आर0एन0 सिंह तत्कालीन अधीक्षक उद्यान, फैजाबाद को लिखा था ? यदि हां, तो अब तक ऐसे गम्भीर मामले में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और इस प्रकरण में किससे जांच करायी गयी और कितने रुपये का गबन प्रकाश में आया ? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

(1) श्री आर0 एन0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान ने 21-7-79 को अपना कार्यभार श्री बी0 के0 सिंह को हस्तान्तरित किया था तथा चार्ज सर्टिफिकेट की प्रति बैंक एवं उप-निदेशक को भेजी गई, परन्तु कोषागार की प्रति दिनांक 21-7-79 से 23-7-79 तक रोक कर कैश बुक के अनुसार कैश का चार्ज दिनांक 26-7-79 को श्री आर0 एन0 सिंह द्वारा दिया गया। दिनांक 23-7-79 को श्री आर0 एन0 सिंह द्वारा 85,745.10 रु0 का आहरण किया गया ।

(2) सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977-1978 एवं 4/78 से 7/79 के अनुसार 5,13,149.51 रु0 की वित्तीय अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये, जिनके सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 9-1-80 को लिखा गया था । उक्त पत्र के द्वारा प्रश्नगत वित्तीय अनियमितताओं की जांच करके 15 दिन के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने हेतु श्री ए0 बी0 लाल, तत्कालीन उप निदेशक, उद्यान, फैजाबाद को निर्देशित किया गया था तथा श्री वी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान फैजाबाद को चार्ज देने के पश्चात् आहरण होने के विषय में स्थिति स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था । श्री लाल ने अपने पत्र दिनांक 13-5-80 द्वारा सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तर संख्या-1, जो रुपये 85,745.10 के आहरण के सम्बन्ध में थी, ही जांच आख्या प्रस्तुत की थी । सम्प्रेक्षण में पाये गये अन्य वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई आख्या नहीं प्रस्तुत की गई थी

(3) 85,745.10 रुपये आहरण के सम्बन्ध में श्री लाल ने आख्या दी है कि श्री आर0 एन0 सिंह द्वारा आहरित की गई उक्त धनराशि में से 71,193.75 रुपये माल सम्पूर्ति की वस्तुओं, लेबर चिट्ठा, गोबर की खाद के भुगतान हेतु आहरित किया गया तथा इस धनराशि में से 27,634.80 रु0 के क्रय किये गये स्टाक के प्रयोग एवं क्रय असंगत बहुत अधिक एवं अनौचित्यपूर्ण है । शेष धनराशि रुपये 14,551.35 में बकाया वेतन, यात्रा भत्ता एवं जी0 पी0 एफ0 का भुगतान किया गया है । आडिट प्रतिवेदनों के अन्य प्रस्तरों पर कोई आख्या न देने से श्री लाल की जांच आख्या को पूर्ण नहीं समझा गया ।

(4) श्री आर0 एन0 सिंह के विरुद्ध प्राप्त श्री राम आसरे एडवोकेट, श्री राजीव कुमार तथा श्री रघुनाथ प्रसाद की शिकायतों के संबंध में डा0 नन्दन सिंह विष्ट, संयुक्त निदेशक ने प्रार-

म्भिक जांच की । उक्त शिकायतों में उपरोक्त धनराशि 85,745.10 रु0 को चार्ज देने के पश्चात् आहरण किये जाने की भी शिकायत थी । डा0 नन्दन सिंह विष्ट द्वारा दिनांक 15-10-85 को दी गई जांच आख्या में इस बिन्दु के विषय में यह कहा गया है कि श्री बी0 के0 सिंह को चार्ज सौंपने के बाद जो आहरण किया गया उस विषय में विभाग से तीन बार जांच की गई है । अपेक्षाकृत बिलों का भुगतान किसी एक अधीक्षक, उद्यान को करना था चाहे वह श्री आर0 एन0 सिंह करते या श्री बी0 के0 सिंह । उन्होंने पूरे बिलों, बाउचरों तथा रसीदों का निरीक्षण किया और उसमें कोई गबन नहीं दिखाई पड़ा ।

(5) उपरोक्त सम्प्रेक्षण के अन्य बिन्दुओं एवं श्री आर0 एन0 सिंह के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की प्रारम्भिक जांच हेतु संयुक्त निदेशक, डा0 नन्दन सिंह विष्ट को दिनांक 18-12-85 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । डा0 विष्ट से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में छटनी शुदा दाईयों की संख्या

77—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में जुलाई, 85 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में छटनी शुदा दाईयों की संख्या कितनी है ?क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि दाईयों के समायोजन के संबंध में कोई शासनादेश हुआ है ? यदि हां, तो उसके अनुपालन में जनपद गोरखपुर में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद गोरखपुर में जुलाई 1985 तक 29 दाईयों की सेवायें समाप्त की गई थीं ?

दाईयों के समायोजन के संबंध में शासनादेश नहीं हुये हैं, परन्तु निदेशालय के एक निर्देश के अनुपालन में दिनांक 30-6-85 तक कुल 6 छटनीशुदा दाईयों को वरिष्ठता के आधार पर पुनः सेवा में ले लिया गया है ।

जनपद गोरखपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दाईयों एवं वार्ड आयाओं की नियुक्ति

78—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में 1 जनवरी, 84 से 30 जून, 85 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कितनी दाईयों एवं वार्ड आयाओं की नियुक्ति की गई ? इसमें छटनी शुदा कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत अवधि में जनपद गोरखपुर में 9 दाईयों तथा वार्ड आयाओं को नियुक्त किया गया ।

इसमें दो छटनी शुदा दाईयां थीं ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान तथा शैक्षिक और प्रशिक्षणिक अर्हताएं

79—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं0 2267/1/16-1/120/60 दि0 12-2-68 के अनुसार वर्ष 1968 में क्या स्वास्थ्य निरीक्षकों के 653 पद वेतनक्रम 150—260 में स्वीकृत किए गए थे, जिनकी शैक्षिक और प्रशिक्षणिक अर्हताएं वहीं निर्धारित की

गयी थीं जो सेनेटरी इन्सपेक्टरों के लिए निर्धारित थीं? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पद और चिकित्सा अनुभाग-7 से जारी स्वास्थ्य निरीक्षकों के 713 अस्थाई पदों के स्थाईकरण विषयक शासनादेश सं0 3183/5-7-1751/1975 दिनांक 2 जनवरी, 1976 द्वारा स्थाई किये गये पद एक ही कर्मचारी संवर्ग के हैं? यदि नहीं, तो दोनों प्रकार के स्वास्थ्य निरीक्षक पदों में क्या अन्तर है और उन्हें एक संवर्ग में क्यों नहीं रखा गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। चिकित्सा अनुभाग-7 से जारी स्थाईकरण विषयक शासनादेश संख्या 3183/5-7-1751/1975 दिनांक 2 जनवरी, 1976 में जो पद स्थायी किये गये थे वे तत्कालीन स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग के थे जो एक पृथक संवर्ग रहा है। दोनों प्रकार के निरीक्षकों में एक संवर्ग स्वच्छता निरीक्षक का तथा दूसरा स्वास्थ्य निरीक्षक का है और इन पदों में मूल अन्तर खाद्य निरीक्षक प्रशिक्षण का है। स्वच्छता निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है जिससे वह खाद्य पदार्थों का नमूना आदि लेने के कार्यों को दक्षता पूर्वक कर सके जबकि स्वास्थ्य निरीक्षकों के साथ ऐसा नही है। खाद्य निरीक्षकों के एक नए संवर्ग का गठन खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्य को और भी प्रभावकारी रूप में किये जाने हेतु जनहित में किया गया है जिसमें भूतपूर्व सेनेटरी इन्सपेक्टर संवर्ग को विलीन कर दिया गया किन्तु स्वास्थ्य निरीक्षक (अर्थात हेल्थ इन्सपेक्टर) संवर्ग तथा कतिपय अन्य संवर्गों को भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अधिकाधिक सफल निष्पादन हेतु जनहित में बहुउद्देशीय योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है।

80–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेनेटरी इंस्पेक्टरों के लिए निर्धारित अर्हतायें तथा वेतनक्रम में स्वास्थ्य निरीक्षकों के वर्ष 1968 में एक साथ 653 पद सृजित किये गये थे जिसकी पूर्ति के सम्बन्ध में क्या तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डा0 माथुर ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं0 17 एफ-1360/2300 दि0 20-2-68 में यह सुझाव दिये थे कि इन पदों की पूर्ति इन्टर (विज्ञान) की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से कर ली जाय किन्तु उनसे वातावरण स्वच्छता संक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का क्रियान्वयन तथा (खाद्य अप मिश्रण) की रोकथाम का कार्य तब तक न लिया जाय जब तक वे सेनेटरी इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग न प्राप्त कर लें? यदि हां, तो क्या यह बतायेंगे कि क्या उन्हीं के सुझावों को स्वीकार करते हुए उन पदों की पूर्ति मात्र इंटर विज्ञान की योग्यता वाले व्यक्तियों से कर लेने के लिए दि0 26-6-68 का सरकार ने पुनः शासनादेश जारी किया? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रेनिंग प्राप्त कराने के बाद क्या उनसे उपरोक्त कार्य लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। मलेरिया के अनुरक्षण प्रावास्था में प्रवेश के उपरान्त स्वास्थ्य निरीक्षकों के 653 अस्थाई पद शासनादेश दिनांक 12-2-68 द्वारा सृजित किये गये। जिनकी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हतायें वही रखी थीं जो एक पृथक संवर्ग के सेनेटरी इन्स्पेक्टरों की थी। दिनांक 26-6-68 को जारी किए गए शासनादेश में इस पृष्ठ भूमि में कि उस समय प्रशिक्षित सेनेटरी इंस्पेक्टरों की कमी है, विज्ञान में इण्टरमीडिएट परीक्षा में

उत्तीर्ण लोगों की स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर रु0 120-220 के वेतनक्रम में नियुक्त कर ली जाय तथा ऐसे व्यक्तियों को जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों तथा प्रशिक्षित सेनेटरी इंस्पेक्टर हैं, रु0 250-260 का वेतम क्रम दिया जाय। ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने के बाद स्वास्थ्य निरीक्षक यथावत् ही अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन करते रहे। बाद में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के लागू होने और स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग का विलयन "स्वास्थ्य पर्यवेक्षक" संवर्ग में जनहित में कर दिये जाने के फलस्वरूप वे अब स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के कार्यों को कर रहे हैं, जिनमें खाद्य अप मिश्रण निवारण संबंधी कार्य सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि इसके लिए जनहित में ही "खाद्य निरीक्षकों" का एक पृथक संवर्ग गठित कर दिया गया है।

विधान सभा सदस्य, श्री हरिशंकर तिवारी को लिखा गया गुमनाम पत्र तथा उनकी सुरक्षा की मांग

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप कृपा करके नियम 32(2) देखने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष–

आज बजट पेश होना है, बहुत से नये माननीय सदस्य भी हैं, जो बोलना चाहते हैं और आप सब पुराने माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं, आप इसे लिखकर भेज दें, उस पर विचार हो जायगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, सदन के माननीय सदस्यों की सुरक्षा होनी चाहिए। माननीय सदस्य हरि शंकर तिवारी के जीवन को खतरा है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। उनके अंग रक्षक को प्रशासन उनके साथ चलने नहीं दे रहा है उनका आरोप है मुख्य मंत्री पर, इसलिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था मुख्य मंत्री को स्वयं करनी चाहिए। मान्यवर, 100 माननीय विधायकों के लिखने के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं की जा रही है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करे।

श्री राम सरन–

मान्यवर, जो माननीय मैनेजर सिंह ने प्रश्न उठाया है, उसीके संबंध में माननीय तिवारी जी को एक गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें 18-2-86 की तारीख पड़ी हुई है। मान्यवर, यह चार लाइन का पत्र है, मैं उसे पढ़ देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको जो कहना हो, वह कह लीजिए, परन्तु उसको पढ़िए मत। आप उसके फैक्ट्स बता दीजिए।

श्री राम सरन–

यह दिनांक 18-2-86 को गोरखपुर का लिखा हुआ पत्र है। आदरणीय तिवारी जी, सादर प्रणाम। तिवारी जी को मालूम हो कि कल जितेन्द्र सिंह, एम0 पी0 तथा सर्वदेव कुंवर, सी0 ओ0 महाराजगंज आपस में बात कर रहे थे कि अबकी बार तो किसी प्रकार बच गये, लेकिन अब बाहरी बदमाशों को लगाकर तिवारी का काम तमाम कर देना है। मुख्य मंत्री जी के खिलाफ तरह-तरह का बयान देकर उनकी स्थिति बिगाड़ रहा है। आप सावधान रहें, नहीं तो खतरा हो जायेगा। आपका हितैषी हूं। नाम बताना ठीक नहीं है। आपका शुभ चिन्तक।

(सावधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें तो किसी का नाम नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, इसकी मूल प्रति है तिवारी जी के पास।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मूल प्रति पढ़कर सुना रहा हूं। एक आदमी ने गुमनाम पत्र लिखा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कागज आपको दफ्तर को पहले भेजना चाहिए था। तिवारी जी आप बैठें।

श्री शारदा प्रताप–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जाएगा, मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा। आप बैठें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर. . .व्यवधान)

आप ढंग से बात करिए आप नियमावली को जानते हैं, नियमों के अनुसार चलिए । आप विद्वान आदमी हैं । मुझसे भी ज्यादा नियमों को जानते हैं।

(व्यवधान)

आप सब बैठें। आप नियम से बात कहेंगे तो सुनी जाएगी, चार-चार आदमी एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो न मेरी समझ में आएगा न और किसी की समझ में आएगा।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्यों सुन लूं? कोई नोटिस था जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सुन लूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर विधिवत नोटिस नहीं है, तो चाहे सदन में चर्चा का विषय न बनने दें, लेकिन विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखकर, गृहमंत्री को अपने कक्ष में बुलाकर जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह ठीक है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक तथा अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में आपत्ति उठाये जाने का प्रयास

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक –

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत कल एक वक्तव्य लगा हुआ था मुझे उस पर सप्लीमेन्टरी करना था। मुझे रात को पकड़कर एक बजे उन्नाव जेल भेज दिया गया. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दें।

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिए, ऐसे क्या व्यवस्था दे दूं।

श्री इफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, हम 11 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और दारुल शफा से गिरफ्तार आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के

फ्तार किया यह कहां तक सही है? हम लोगों को चोरों और डकैतों की तरह रात को एक बजे जगाया गया.....

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

विधान सभा के अंतर्गत जितने रेजीडेन्स हैं उन सबका शुमार हाउस परिसर में किया जाए.....

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए। मैंने कह दिया।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क के बोलते रहने पर)

आप लिखकर भेजिए, नियम आपके पास है । अब जो कुछ आप बोल रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा ।

श्री फजलुल बारी–

हम लोग हाउस के बजट सत्र में रात में तैयारी करते हैं और दिन में कार्यक्रम में भाग लेते हैं । रात 11 बजे...

श्री उपाध्यक्ष–

वही बात है आप लिखकर भेज दें । नियम आपके पास है ।

गाजीपुर में जमनिया पम्प कनाल के रजबहों पर फाटक न लगने से हजारों एकड़ भूमि में जलभराव से क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम नियम 301 की सूचना ले रहे हैं । 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें 1–श्री अफजाल अन्सारी, 2–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट, 3–श्री सत्य प्रकाश बिकल, 4–श्री बाबू राम यादव, 5–श्री अशोक बाजपेयी, 6–श्री जगवीर सिंह, 7–श्री शारदा प्रताप की स्वीकार की गई हैं और शेष सूचनाएं अस्वीकार की गई।

*श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, जनपद गाजीपुर न्याय पंचायत गॉंहदा व न्याय पंचायत सोनहरिया के ग्राम गोहदा विशुनपुरा, नूरपुर, असांव, सोनहरिया, फुल्ली फुलहरिया आदि गांवों की दो हजार एकड़ भूमि सन् 1977 से डूबी हुई है। जमनिया पम्प कैनाल की मुख्य नहर से रजबहा क्रमशः जफरगंज, नरियांव लहुआर, नूरपुर, गोहदा में सिंचाई हेतु निकाले गए हैं । और इस रजबहों के दहानों पर फाटक न लगे होने के कारण सारा पानी उक्त दो हजार एकड़ भूमि में लगा हुआ है । जिसके कारण उक्त गांवों के किसान भुखमरी की स्थिति में आ चुके हैं इस सम्बन्ध में अनेकों बार शासन को वहां के किसानों ने सूचित किया किन्तु अभी तक कोई राहत कार्य नहीं किया गया है। उन किसानों से जबरदस्ती प्रतिवर्ष उक्त पानी में डूबी हुई भूमि की लगान भी वसूल की जाती रही है। यानी निकासी के नाम प्रतिवर्ष लाखों रुपए जिले स्तर के विभागीय अधिकारी हजम कर जाते हैं।

मान्यवर, इस समस्या के निराकरण हेतु जनपद से योजना बना कर शासन को भेज दी गई है ।

अतएव इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त भूमि (दो हजार एकड़) से जलभराव को समाप्त करने के लिए शासन तत्काल कोई कदम उठाए ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नगरपालिका छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में भवन कर व जलकर निर्धारण में व्याप्त धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ में नगरपालिका की सीमा के अन्दर व बाहर निर्मित भवन, भूखण्ड एवं खण्डहर पर भवन कर व जलकर निर्धारण हेतु किसी निश्चित प्रक्रिया को न अपना कर अत्यन्त स्वेच्छापूर्ण ढंग से बिना किसी नियम कानून का पालन किए हुए भवन मूल्यांकन की तकनीकी शिक्षा न रखने वाले लोगों द्वारा फरवरी, 1986 से सर्वे प्रारम्भ करा दिया गया है । जिससे जनता बेहद परेशान है और अब जनता की इस उत्पीड़न को सहन करने की सीमा समाप्त होकर परिस्थिति विस्फोटक हो रही है। जिससे किसी समय शान्ति व्यवस्था के समक्ष गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन जांच करवा कर शीघ्र ही निश्चित प्रक्रिया की घोषणा करने की व पालन कराने की कृपा करें और निकायों के चुनाव तक कर-निर्धारण की प्रक्रिया को स्थगित करने की कार्यवाही करें।

आगरा नगर महापालिका के अन्तर्गत यमुना पार के कतिपय बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश मालवीय–

आगरा नगर महापालिका की सीमा के अन्तर्गत यमुनापार के कछपुरा, नगलादेवजीत, गढ़ीचांदनी, हुसैनपुरा, कृष्णपुरी आदि पिछड़े तथा अनुसूचित वर्ग के निवासियों की इन बस्तियों में अभी तक विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है तथा वहां के निवासियों की लगातार मांग करने के बाद भी उक्त क्षेत्रों का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है जबकि इन क्षेत्रों की निकटस्थ सभी बस्तियों यथा नुनिहाई, ट्रांसयमुना कालोनी, रामबाग, सीतानगर, कटरा वजीर खां, यमुना ब्रिज तथा मोतीमहल आदि में विद्युत की पूर्ण व्यवस्था है । इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार तथा उपेक्षा किए जाने से उक्त क्षेत्र के निवासियों में भारी असन्तोष है तथा विद्युत के अभाव में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इस संबंध में आदेश निर्गत करते हुए उक्त क्षेत्रों के विद्युतीकरण की व्यवस्था कराने की कृपा करें ।

मैनपुरी जनपद के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने तथा करहल में बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था प्राय: समाप्त होती जा रही है । बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में परिषद् के अध्यापक शिक्षण कार्य करने नहीं जाते और अपने स्थान पर 60 रुपये से 100 रुपये तक प्रति माह वेतन पर शिक्षित नवयुवकों को अध्यापन के लिए भेजते हैं और कहीं-कहीं तो अध्यापक बारी-बारी से जाते हैं । यदि किसी विद्यालय में चार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अध्यापक हैं तो चारों अध्यापक एक-एक दिन स्कूल जायेंगे और नियमित रूप से तीन अध्यापक अनुपस्थित रहेंगे । इसके लिए निरीक्षक वर्ग को प्रति अध्यापक 50 रुपया महीना देना पड़ता है । इस प्रकार मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं निरीक्षक वर्ग मिलकर 2 लाख रुपये की रिश्वत प्रति माह ले रहे हैं । इसके अतिरिक्त विद्यालय में जो क्रीड़ा कोष का धन जमा था, उसे भी अधिकारियों ने निकाल कर विभिन्न असत्य कारण दिखाकर हड़प लिया है । विद्यालय का सरकारी सामान जैसे मेज, कुर्सी, बक्सा, टाट पट्टी आदि सभी सामान को अधिकारियों और अध्यापकों ने अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए रख लिया है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह पंगु है । सारे जिले में असन्तोष व्याप्त हो गया है । इसके अतिरिक्त करहल में कन्याओं की शिक्षा की पूर्व माध्यमिक स्तर से ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है । अतः मैं मांग करता हूं कि शीघ्र ही पूरी जांच कराकर बेसिक शिक्षा व्यवस्था को चालू कराया जाय ताकि ग्रामीण अंचल के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकें तथा करहल में बालिका इण्टर कालेज शीघ्र खोलने की व्यवस्था की जाय ।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मण्डी परिषद् में गम्भीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं का किया जाना एक सामान्य बात हो गई है। अभी 149 कर्मचारियों को सचिवों के पद पर मनमाने ढंग से संविलीन कर दिया गया। इनमें अधिकांश के विरुद्ध घपलों के गम्भीर मामले थे तथा चरित्र पंजिकाएं भी प्रतिकूल प्रविष्टियों से भरी थीं । इस विलीनीकरण में प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया गया । विधि अधिकारी के पद पर विज्ञापन एवं परिषद् के सेवा नियमावली की धारा–2 की अवहेलना करते हुए निदेशक ने अपने रिश्तेदार को नियुक्त कर लिया । निर्माण कार्य निरन्तर घटिया होता जा रहा है । निर्माण अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से 40 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जा रहा है । मुरादाबाद मण्डल के उप निदेशक निर्माण के विरुद्ध 3 लाख रुपये के गबन के आरोप पुष्ट हो चुके हैं। लखनऊ क्षेत्र के निर्माण उप निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें हैं । इसी प्रकार निर्माण उप निदेशक आगरा, व मेरठ भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं । मनमाने ढंग से शासन की नीतियों की अवहेलना करके प्रति नियुक्तियां की जा रही हैं । अतिरिक्त निदेशक का तानाशाही पूर्ण रवैया एवं भ्रष्ट आचरण मण्डी परिषद् को वित्तीय व्यय भार बढ़ाने का कार्य कर रहा है । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री एवं कृषि मंत्री से लिखित रूप में शिकायतें की गई ।। इससे प्रदेश की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

अलीगढ़ जनपद के खेर क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान अपने विधान सभाई क्षेत्र खेर जनपद अलीगढ़ में व्याप्त पीने के पानी की समस्या की तरफ कुछ ऐसे विशेष स्थानों की तरफ दिलाना चाहता हूं जैसे आदमपुर, पिसाला, टप्पल व चण्डौस जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जन मानस आज भी भारत के स्वतंत्र होने के 38 वर्ष बाद बिलकुल पीने के पानी को तरस रहा है और जीवित रहने के लिए एरो पानी को पी रहा है जिसमें भारी मात्रा में क्षार तथा तेलयुक्त पदार्थ है। जिससे दिन प्रतिदिन जन-मानस का स्वास्थ्य गिर रहा है और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। यहां पर विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इन ऊपर लिखे स्थानों पर लगभग 70 प्रतिशत हरिजन जाति एवं निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं और चण्डौस पिसावा व टप्पल में तो लगभग 10,000 (दस हजार) प्रति कस्बा से भी अधिक आबादी है।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

मथुरा में वृन्दावन धाम एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में किशन सिंह के नाम से कुख्यात गिरोह के लूट-मार से जनता में भय एवं आतंक व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका ध्यान जनपद मथुरा की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि मथुरा जनपद में किशन सिंह के नाम से कुख्यात गिरोह है जो श्री वृन्दावन धाम एवं उनके ग्रामीण अंचलों में आतंक फैलाये हुए है एवं सैकड़ों नवयुवकों को आतंकवादी बनाने हेतु प्रशिक्षण दे रहा है। उक्त गिरोह, कत्ल, राहजनी, अपहरण एवं मूर्ति चोरी, जबरन चौथ पुजाने एवं महिलाओं की अस्मत लूटने तथा मकान व जमीनों को हड़पने का कार्य कर रहा है तथा उक्त गिरोह के मुख्य सरगना राजे पुत्र किशन सिंह हैं। इन वारदातों से शासन को तमाम बार अवगत कराया जा चुका है। राजे सिंह को दिनांक 18 जुलाई, 1985 को रासुका में बन्द भी किया गया था किन्तु ऊपरी दबाववश तत्कालीन गृह सचिव के आदेश दिनांक 25-7-1985 द्वारा उन्हें रासुका से मुक्त कर दिया गया था। कारागार से मुक्त होने के बाद उनकी लूटपाट एवं आतंकवादी गतिविधियां पुनः शुरू हो गईं जिससे जनता में काफी रोष एवं भारी निराशा फैली हुई है। इस संबंध में समता पार्टी के प्रदेशीय उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व विधायक ठाकुर लक्खी सिंह ने 10 मार्च, 1986 को विधान भवन पर अनशन करने की नोटिस भी शासन को दी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री औसान सिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लिखकर भेजिए। औसान सिंह जी, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, इसमें आप क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री औसान सिंह–

मैंने लिखकर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो कभी न कभी आयेगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता।

श्री औसान सिंह–

मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि ग्राह्यता का क्या मापदण्ड है?

श्री उपाध्यक्ष–

मापदण्ड सब ठीक है। सब सोच समझ कर किया जाता है।

श्री औसान सिंह–

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । एक शब्द नहीं लिखा जायेगा औसान सिंह जी का। आपको तो आदत पड़ गई है रोजाना एक आदत पड़ गई है । कोई बात आप किसी की नहीं सुनेंगे । आप बैठ जाइए। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं । आपकी बात नहीं लिखी जा रही है । विवेक से काम होता है, आप अविवेक की बात कर रहे हैं । आप गम्भीरतापूर्वक बैठकर सोचिए क्या आपका आचरण अच्छा है ?

श्री मैनेजर सिंह–

औसान सिंह जी को कल के लिए अवसर दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, नियम से आयेगा ।

उ0 प्र0 उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अध्यादेश, 1974 को अधिनियमित होने के बाद परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह द्वारा निरस्त किए जाने की सदन में घोषणा करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं नियम 300 के अन्तर्गत । मगर इसमें जहां तक 300 का सवाल है मैं समझता हूं . . . (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर) मैं समझता हूं हमारे मा0 तिवारी जी नियमों और कर्मों को सबको भलीभांति जानते हैं । मैं सुनने को किसी को तैयार नहीं हूं । इसमें समय लगेगा और आगे का समय खत्म होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आप संविधान के अनुच्छेद 213 (1) को देख लें, जिसमें राज्यपाल की विधायनी शक्ति के बारे में लिखा गया है। जो अध्यादेश यहां पर जारी किया गया है, उससे संविधान के अनुच्छेदों पर सीधा-सीधा प्रहार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

संविधान की कोई हत्या नहीं हुई है और न नियमावली का ही उल्लंघन हुआ है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

यदि आपने यह निश्चय ही कर लिया है कि मुझे नहीं सुनना है और यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है तो मैं अनावश्यक रूप से इस पर नहीं बोलूंगा । आपने कहा कि नियमावली का उल्लंघन नहीं हुआ है । मैं पहले नियमावली पढ़कर समय बरबाद करना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपका ध्यान नियमावली के नियम 300 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें लिखा है "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा।" मान्यवर, अधिनियम लाने के पहले संविधान के अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। अगर यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है तो मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, कि इस सदन में कोई भी औचित्य का प्रश्न आपके पीठ पर आसीन हुए नहीं बन पायेगा । संविधान के अनुच्छेद 213 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप इसके सब क्लाज को देखें। वैसे मैं कोई ऐसा सदस्य नहीं हूं कि आप मुझे इजाजत न दें और मैं बोलूं । मुझे इस प्रकार बोलने का शौक नहीं है । अब आप 213 (1) को देखें । "उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हों, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकेगा जो परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।''

इसके तहत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग अध्यादेश, 1974 को राज्यपाल महोदय ने 15 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित किया था उसे रिप्लेस करने के लिए 21 अगस्त, 1974 को विधेयक को पुरः स्थापित किया तत्कालीन मुख्य मंत्री ने। उसके बाद 25 फरवरी, 1975 को उस विधेयक पर विचार हुआ। उस समय उच्चतर शिक्षा के मंत्री श्री राम जी लाल सहाय थे। उस समय के उनके भाषण को आप पढ़ लें। कल जिस तरह से परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह ने एक शब्द में कह दिया कि हम रिपील करने के लिए विधेयक को लायेंगे। लगता था कि वह इस समय सदन में न बैठकर कहीं राजदरबार में बैठे हुए हैं और राजाज्ञा जारी कर रहे हैं सदन से कोई कानून बनता है और जो भी यहां पर स्वीकार हो जायेगा, चाहे कोई सरकार हो, उसे वह लागू करेगी। इस सदन ने एक कानून बनाया उसके उद्देश्यों और कारणों को बताकर उस समय की सरकार में विधेयक को पुरः स्थापित किया था उसके बाद उस पर विचार होकर उसे पारित किया गया, इसे आप मंगवाकर देख लें। उस समय भी वित्तीय संसाधनों की बात सरकार की दृष्टि में थी। जो यह कहा गया कि यू0जी0सी0 और इसमें बिल्कुल समानता है, बिलकुल गलत है। आप इन दोनों को मंगवाकर देख लें। उसके बाद यदि दोनों में अन्तर न हो तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे, वह मुझे शिरोधार्य है। यह इस सरकार का रबैया बन गया है।

मान्यवर, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश कैटिल परचेज टैक्स एक्ट, 1976 बना और वह भी पास हुआ, लेकिन आज 10 साल हो गये हैं, उसे भी लागू करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया आप भी इसे स्वयं जानते हैं। इस प्रदेश में विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए संकल्प आया, लेकिन उस पर भी आज तक शासन ने कोई विचार नहीं किया। यदि सरकार को इस तरह से छूट दी जायेगी तो यह सरकार पब्लिक एक्सचेकर को अधिनियम बनाने में ही खर्च कर देगी और राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश को जारी करके संविधान द्वारा प्रदत्त अध्यादेश जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग करेगी। या तो अध्यादेश के बारे में सरकार बिलकुल जागरूक नहीं है या फिर जब चाहे उसका मिसयूज कर सकती है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आप इस बारे में शासन को सीधा-सीधा निर्देश दें।)

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)– मान्यवर, औचित्य के रूप में माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यदि सरकार को इतना विवेक और इतना अधिकार भी नहीं होगा कि वह किसी एक्ट या विधेयक के ऊपर विचार कर सके कि यह चीज व्यवहारिक भी हो पायेगी कि नहीं, कोई भी सरकार नहीं चल पायेगी। एक्ट यहां पर पास हुआ। उसके बाद वह सरकार के सामने आया पुनर्विचार के लिए। विचार के बाद सरकार को यह विश्वास हुआ कि जो आयोग पहले गठित

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हुआ है यू0जी0सी0 का और उसके समानान्तर आयोग प्रदेश स्तर पर गठित किया जाय कि नहीं। यदि किया जाता है तो उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कार्यों में ओवर लैपिंग हो जाय। इसलिए सरकार ने यह तय किया कि दूसरा आयोग गठित करना व्यवहारिक नहीं होगा। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि डाक्टर संजय सिंह ने कह दिया कि हम विधेयक ले आयेगें। यदि सदन को उस विधेयक पर बिश्वास होगा तो उसे पास करेगी अन्यथा वह स्वत: गिर जायेगा। हम तो सदन के समक्ष स्वयं आना चाहते हैं। विधान परिषद् को समाप्त करने के बाद में यहां पर संकल्प आया था, यह कहा गया। सरकार ने उस पर विचार किया और उसके बाद केन्द्र सरकार को भेज दिया। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी कहां तक है, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन यह आवश्य कहना चाहूंगा कि एक संकल्प यहां पर आया लेकिन उसके बाद दूसरा संकल्प यहां पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी श्री चरण सिंह जी ने रखा तो फिर उसके बाद पहले वाले संकल्प का क्या महत्व रह जाता है ? सेन्ट्रल से इस पर पत्र-व्यवहार किया गया कि इस पर क्या किया जाय । यह प्रकरण बहुत पुराना हो गया है । कितनी विधान सभायें गठित हुई और कितनी बार विघटित हुई । कई बार लोक सभा बनी और विघटित हुई । इस लिए मान्यवर, यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, विधान परिषद् को भंग करने के लिए जो प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा गया था, उसके बाद सदन में कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आया था । माननीय मंत्री जी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, तो उस समय संकल्प आया था । जिस समय यह प्रस्ताव पारित हुआ था, उस समय चरण सिंह जी गृह राज्य मंत्री थे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह संकल्प 1979 में चौधरी चरण सिंह जी ने रखा था ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जिस बिल की यह बात कह रहे हैं? वह श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने रखा था । श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी अब कांग्रेस से अलग हो गये हैं, क्या इसीलिए आप को नफरत हो गयी है?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

मैंने दोनों ओर की बात सुनी । जब यह अध्यादेश जारी किया गया था तब भी संविधान के अनुच्छेदों के अनुकूल था, जब यह पास हुआ अधिनियम बना तब भी नियमावली के नियमों के अनुसार बना, लेकिन अब सरकार इसे निरस्त करती है या निरस्त करने का निर्णय लेती है या दूसरा अध्यादेश लाती है, यह तो सरकार के विवेक पर है, इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है । यह नियमानुसार है, इसलिये माननीय तिवारी जी के औचित्य के प्रश्न को, जो कि नियम 300 में है, अस्वीकार करता हूं ।

श्री आंसान सिंह द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह जी ने एक सुझाव दिया था कि माननीय आंसान सिंह जी को

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नियम 301 की सूचना कल ले लीजिये, इस पर आप क्रोधित हो गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि कल अगर उन्होंने सूचना दी और गुण-दोष के आधार पर वह मैरिट में ऊंची है, तब भी नहीं लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

यह गलत है कि मैं क्रोधित हो गया था, मैं क्रोधित नहीं हुआ था । यह तो पीठासीन अधिकारी का विवेक है कि किसको ऊंचा मानता है किसको नीचा मानता है । इस पर आप प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते । मैंने इसके लिए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, कल भी लिया जा सकता है, परसों भी लिया जा सकता है ।

कतिपय सदस्यों को उनके निवास से गिरफ्तार किये जाने तथा उनको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम सरन जी ने दिया है नियम 300 में माननीय कमलेश कुमार पाठक की गिरफ्तारी के बारे में । माननीय पाठक जी को कल गिरफ्तार किया गया, किन्तु यहां पर कोई सूचना नहीं है ।

श्री राम सरन–

इसका मतलब आप अन्धकार में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब मेरे पास सूचना आ गयी है ।

श्री राम सरन–

माननीय, कल श्री कमलेश कुमार पाठक को, जो इटावा से एम0 एल0 ए0 हैं, वे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये यहां आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां गिरफ्तार कर लिया । दो-तीन दिन पहले 11-12 विधायकों को गिरफ्तार किया गया था, उनको सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर बार-बार चर्चा हो चुकी है कि आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी, शासन बतायेगा कि किस जुर्म में पकड़े गये । हम लोग अपने घर जायं और वहां से वापस न आ पायें सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये, इसमें हमारा क्या दोष है ? मेरी मांग है कि इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह कमलेश कुमार पाठक का ही मामला नहीं है, वह हिस्सा लेने आ रहे थे सदन की कार्यवाही में तब उनको गिरफ्तार किया गया, 11 विधायक पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, दो विधायक-काजी कलीमुर्रहमान और हाजी मोहम्मद हयात को कल गिरफ्तार किया गया है । ये दारुलशफा से गिरफ्तार हुए हैं । जब सदन चल रहा है तो दारुलशफा आपके अधिकार क्षेत्र में आता है किन्तु आपकी अनुमति नहीं ली गयी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

स्पष्ट निर्देश दें कि जब सदन चल रहा हो तब दारुलशफा से कोई गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल यह है कि यह जो सवाल उठाया और 11 विधायकों का आप उठा रहे हैं, यह नियम 300 में नहीं आता, दूसरे नियम में आप ले आइए, कोई रुकावट नहीं है । नियमावली और संविधान का उल्लंघन होगा, तभी नियम

(व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

300 में आयेगा। मैं नियम 300 में इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह आपके अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नियमों से बंधा हूं आप भी नियमों से बंधे हैं और वे भी नियमों से बंधे हैं।

श्री राम सरन–

हमसे तो आप कह रहे हैं कि बैठिये, बैठिये लेकिन उनसे तो कुछ कहलवा नहीं रहे हैं जो रोज ही गलत काम कर रहे हैं?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस पर तो अनेकों बार आप-की तरफ से रूलिंग हो चुकी है कि कोई क्रिमिनल या प्रिविन्टिव आफेन्स में गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कल ही माननीय राम सरन जी सदन की पूरी कार्यवाही में नहीं आये तो ये गिरफ्तार नहीं हुए थे?

श्री उपाध्यक्ष–

श्री यदुनाथ सिंह की और श्री हरीश जी की सूचनाएं नियम 300 में नहीं आती हैं, इनको मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी की आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1985-86 का अनुपूरक) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 19 फरवरी, 1986 को वापस प्राप्त हुआ था। राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 फरवरी, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

सम्बन्धित अधिकारियों से निम्नलिखित सदस्यों की गिरफ्तारी/रिहाई की सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री कमलेश कुमार पाठक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के तहत 26-2-86 को दोपहर 12.45 बजे बन्दी बना लिया गया और उन्हें औरैया से लाकर 26-2-86 को सायंकाल लगभग 7.00 बजे जिला कारागार, इटावा में उच्च श्रेणी में रखा गया है।

(2) श्री हर्षवर्धन को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया और उसी दिन सायंकाल रिहा किया गया।

(3) श्री हाजी मोहम्मद हयात तथा श्री काजी कलीमुर्रहमान, जिन्हें 26-2-86 को 11.30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया था, को उसी दिन सायंकाल मुक्त कर दिया गया है।

(4) सर्वश्री फजलुल बारी, फसी-उर्रहमान, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद मसूद खां, अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री अमीर आलम खां एवं मोहम्मद रिजवानुल हक को, दिनांक 27-2-86 के पत्र के अनुसार, अब जिला कारागार, उन्नाव से मुक्त कर दिया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसमें जिन माननीय सदस्यों की रिहाई के नाम आपने अभी लिये हैं उसमें सर्वश्री शफीकुर्रहमान बर्क, बुनियाद हुसैन अन्सारी, मुहम्मद आजम खां की सूचना नही है?

श्री उपाध्यक्ष–

इनकी सूचना नहीं आयी है, जो सूचना आयी थी वो मैंने सुना दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह सूचना सही है कि इन मा0 सदस्यों को रिहा कर दिया गया है यह मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, अब आपने इसे सदन के संज्ञान में ला दिया है, बैठिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जमुना प्रसाद बांसे को बांदा में गिरफ्तार किया गया था जिसकी सूचना हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी लेकिन आपने इसकी सूचना नहीं दी है?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कल इसकी सूचना यहां सदन में दी थी, कल शायद आप यहां पर थे नहीं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कई सदस्य साक्षी हैं जिनकी श्री बुनियाद हुसैन अंसारी से मुलाकात हुई है, वह उन्नाव जेल में बन्द थे और अभी तक उनकी सूचना नहीं आयी है। गिरफ्तारी की सूचना देना जिलाधिकारी का कर्तव्य है और आप तक पहुंचाना जिलाधिकारी का कर्तव्य है, रिहाई की सूचना आप तक पहुंचायी जानी चाहिये, परन्तु वह अभी तक आपके पास नहीं आयी है, मान्यवर, यह साफतौर से सदन की अवमानना है।

श्री उपाध्यक्ष–

उनकी गिरफ्तारी की सूचना मैं कल दे चुका हूं। रिहाई की सूचना अभी नहीं आयी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी पार्क रोड सी0-7 में रहते हैं। 25/26 की रात्रि में उनको पकड़ा गया और वह छूट कर आ गये हैं। उनकी रिहाई की सूचना सदन को न देना सदन की साफतौर पर अवमानना है। यह प्रशासनिक असफलता है कि कुछ सदस्यों की रिहाई की सूचना आ जाये और कुछ कि न आये। इससे ज्यादा और क्या गम्भीर चीज हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष–

वह सूचना आ गयी है। आने में देरी हुई है। मैं उसको पढ़े दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको सूचना देनी है कि दिनांक 24/25-2-86 को रात्रि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116/116(3) के अन्तर्गत विधान सभा के सदस्यगण श्री फजलुल बारी, श्री फसीउर्रहमान, श्री मोहम्मद आकिल, श्री मोहम्मद मसूद खां, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री अमीर आलम खान एवं मोहम्मद रिजवानुल हक जिन्हें हिरासत में लेकर जिला कारागार, उन्नाव में बन्दी किया गया था उन्हें धारा 151/107/116/116 (3) द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उपरान्त तथा अब शान्ति भंग की सम्भावना न होने के कारण जिला कारागार, उन्नाव से मुक्त कर दिया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 7 सदस्य पकड़े गये और 7 रिहा किये गये तो यह सूचना अलग-अलग क्यों भेजी गयी? क्या दो गृह मंत्री हैं? क्या दो सरकारें चल रही हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे दफ्तर में भी गड़बड़ी हो सकती है।

जनपद मेरठ के ग्राम रटौल को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मेरठ के ग्राम रटौल को टाउन एरिया बनाये जाने विषयक श्री जावेद फारुखी तथा श्री सरपंच बून्दा खां निवासीगण, रटौल, जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह तथा परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनके नाम मैं पढ़े दे रहा हूं। आपकी इजाजत हो तो इस पर बहस न हो, नहीं तो समय आगे के लिये नहीं रहेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

थोड़ी बहस भी करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, विशेषाधिकार का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप और माननीय मंत्री जी मेरे कक्ष में आ जायें।

श्री रामसरन–

क्या आप माननीय मंत्री जी से बन्द कमरे में बैठ कर बात करेंगे? सदन की बात सदन में होनी चाहिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपकी व्यवस्था स्वीकार है। लेकिन आप सदन में सूचना तो दे दें, क्या विषय है? उसको तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री के विरुद्ध आपने दिया है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, किसन दिया ?

श्री उपाध्यक्ष–

श्री शतरुद्र प्रकाश ने।

श्री राम सरन–

मान्यवर, क्या ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पूरी जानकारी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह जी के खिलाफ और परिवहन मंत्री डा0 संजय सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और राम सरन जी का प्रेम का रिश्ता है,

छापी नहीं गयी।

इन्होंने विशेषाधिकार दिया है, तो मैं इनके खिलाफ देता हूं।

(हंसी)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली श्री सुखपाल पाण्डे, श्री दिवाकर विक्रम सिंह की, गोविन्द राम सेक्सरिया शुगर मिल, गोण्डा के बारे में है। दूसरी श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री राजेन्द्र सिंह और श्री जगवीर सिंह की अलीगढ़, सिकन्दराराऊ क्षेत्र में कत्ल व डकैतियों के बारे में है। तीसरी श्री अनुग्रह नारायण सिंह की मिर्जापुर में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर गोली वर्षा के कारण दो हरिजनों के मरने के सम्बन्ध में है। चौथी श्री राम गोविन्द चौधरी की इसी बारे में है और पांचवीं श्री अवधेश प्रसाद और श्री मूल चन्द्र की इसी बारे में है। छठी श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री किरन पाल सिंह और श्री विजय सिंह राणा की किसानों की कृषि भूमि का अवैध अधिग्रहण के बारे में है। सातवीं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की लखीमपुर नगर में पुलिस की पिटाई से पत्रकार घायल के बारे में है। आठवीं डा0 दिनेश जौहरी की इसी बारे में है। नवीं श्री मैनेजर सिंह की बलिया में एक नवयुवती के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार के बारे में है। दसवीं श्री राज किशोर सिंह की टिहरी में सर्वदलीय आन्दोलन में गिरफ्तारियां के बारे में। ग्यारहवीं श्री दीप चन्द्र सोनकर की देवरिया में हरिजन दुकानदार को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं श्री फरीद महफूज किदवई की बुढ़वल चीनी मिल, बाराबंकी पर मजदूरों के बकाये के बारे में। तेरहवीं श्री शारदा प्रताप की लखनऊ महोत्सव में रंगकर्मियों को हिरासत में लिये जाने के बारे में। चौदहवीं श्री भगौती सिंह की लखनऊ महोत्सव में छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में और पन्द्रहवीं श्री हरीशचन्द्र हरीश जी, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री औसान सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह और श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की भारत बन्द के दौरान गिरफ्तारियां के बारे में। सोलहवीं श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री राम सरन की इसी बारे में है। सत्रहवीं श्री देव कुमार यादव की इसी बारे में है और अठारहवीं श्री यदुनाथ सिंह की इसी बारे में है। उन्नीसवीं श्री राम नरेश की सुल्तानपुर में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में। बीसवीं श्री सत्यपाल सिंह की लखीमपुर में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में और इक्कीसवीं श्री गौरी शंकर भइया, श्री निहाला सिंह, श्री श्रीप्रकाश और श्री राजबहादुर की कृषि उपनिदेशक द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

इस तरह से 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इनमें जिस पर मुझे निर्णय लेना है, मैं लिये लेता हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में सूचना दी है, मुझे सुन लें। जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो सूचना देनी पड़ती है। मैंने जो सवाल दिया है आज पहली बार दिया है।

श्री उपाध्यक्ष–

या तो आज यह होगा कि सबको सुनना पड़ेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, 7 पुलिस वालों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस तरह के जघन्य अपराध पुलिस वाले करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी एक बात सुन लें। इसको हम यह कर सकते हैं कि इसको ब्रीफ करके प्रेस को भिजवा दें जिससे सबका नाम भी आ जाय . . . (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मुख्य मंत्री के पास भिजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जिनको मैं निर्देशित करूंगा या वक्तव्य के लिये कहूंगा उसी को तो भेजूंगा ? (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

आपने कहा कि प्रेस को भेज देंगे . . . (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा आशय यह था . . . (व्यवधान) आप सुन लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

हरिजनों को जलाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने यह कहा कि जिनको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करूंगा या जिनके बारे में ध्यान आकृष्ट करूंगा, उनकी बात अलग है। जिनको मैं नहीं भेजूंगा उनके बारे में मैंने अखबार में देने की बात कही है।

श्री गौरी शंकर भइया–

हम लोग स्वयं प्रेस को दे सकते हैं। पत्रकार सम्मेलन करना जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

आपने हमारा ऐसा कहकर अपमान किया है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

काहे को अपमान किया है? आप तो मिनिस्टर रह चुके हैं। यह अपमान का सवाल नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आज आपके पास नियम 56 में बहुत संख्या में सूचनाएं आ गई हैं और रोज आती हैं। तो उनमें 5 को आप ग्राह्यता पर सुन लें और बाकी में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये या वक्तव्य के लिये या आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित कर दें। किन्हीं पांच को आप तय कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके कथनानुसार मैं सब को सरकार के पास भेज दूं?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

सबको नहीं कह रहा हूं। जिनको आप समझते हैं कि उन पर कार्यवाही होनी है। (व्यवधान)। सरकार को कार्यवाही करने में और आपको निर्देशित करने में कोई परेशानी की बात नहीं है। उसमें वक्तव्य भी नहीं आयेगा, स्पष्टीकरण भी नहीं होगा। यह तो आप कर ही सकते हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर –

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आपने जो व्यवस्था दी है कि बाकी में प्रेस को भेज दूंगा . . . . .

श्री उपाध्यक्ष –

यह मेरा सुझाव था, व्यवस्था नहीं थी।

श्री कौशिक रमा शंकर –

आपकी पीठ से दिया गया सुझाव व्यवस्था ही है ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैंने समय बचाने के लिए कहा था। वह मेरा सुझाव था, व्यवस्था नहीं दी थी।

श्री कौशिक रमा शंकर –

मान्यवर, आपने जो सुझाव दिया था, परम्पराओं के अनुसार और नियमों को देखते हुए आपने जो सुझाव दिया था उसको आप कृपा करके वापस ले लें कि आप उन्हें प्रेस में दे देंगे । यह मेरा अनुरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैंने कहा कि मैंने सुझाव दिया था । और सुझाव कोई वाइन्डिंग नहीं होता । . .

. . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं । सुझाव यह है कि जो नई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उसको स्थगित रखकर नेताओं की बैठक में परामर्श करके इस बात को तय करेंगे, तो उचित होगा। यह मेरी प्रार्थना है ।

(1 बज कर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष –

वह बात खत्म हो गयी । अब दो-दो मिनट में अपनी बात कह लीजिए ग्राह्यता के संबंध में ।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, एक बुनियादी प्रश्न है उस पर भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष –

मैं कह रहा हूं कि बुलवाता हूं ।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय –

मान्यवर, क्या सबको बुलवायेंगे या केवल 5 लोगों को सुनेंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर दो बजे बजट प्रस्तुत होना है इसलिए दो बजे तक कार्य स्थगन संबंधी मामलों का निस्तारण कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष –

40 मिनट में खतम करना है (व्यवधान) चाहे कैसे ही कर लीजिए मैं कह रहा हूं दो-दो मिनट बोल लीजिए ।

श्री सुखपाल पाण्डे –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बभनान में गोविन्द राम सेक्सरिया शुगर मिल जो बस्ती और गोंडा की सीमा पर स्थित है की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष –

मेरा निवेदन सुन लें । आप सूक्ष्म में अपनी बात कहें और उसी में सरकार का ध्यान आकर्षित करें ।

श्री सुख पाल पाण्डे–

उससे ज्यादा समय आप ले रहे हैं । मान्यवर, सन् 79 में इस मिल का भारत सरकार ने अधिग्रहण किया क्योंकि इस पर मजदूरों और किसानों का पैसा बकाया था इसलिए सरकार ने अधिग्रहण किया और अभी तक उनके द्वारा चल रही है । अभी भारत सरकार ने एक नोटीफिशन किया है कि 12 फरवरी से इस मिल को नहीं चलायेंगे और चिट्ठी आई है कि इस मिल को बन्द कर दिया जाय पहले हफ्ते से बन्द हो जाने से हिसाब किताब हो सके। इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से 24 तारीख को मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि भारत सरकार से बात करेंगे । लेकिन अभी सूचना आई है कि हमारे यहां के गन्ने को दूसरी जगह स्थानान्तरण करने के आदेश हो गये हैं । इसमें अभी तक साढ़े पांच लाख क्विंटल गन्ना ही पेरा गया है और 6 लाख क्विंटल

से ज्यादा गन्ना किसानों का खड़ा है जिससे वहां विषम स्थिति पैदा हो गयी है न भारत सरकार ले रही है और न हमारे मुख्य मंत्री जी सरकार की तरफ से कोई इंतजाम कर रहे हैं और न मिल मालिक गन्ने को लेने को तैयार हैं डेढ़ करोड़ रुपया किसानों का बकाया है । इससे 60 हजार किसान प्रभावित हो रहे हैं उनके सामने समस्या पैदा हो गयी है । दूसरी ओर 2 हजार मजदूर परिवार प्रभावित हो रहे हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, हमारी बात भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष –

अवधेश जी, आप बैठिये । मैं आपको अभी नहीं बुला रहा हूं । मुख्य मंत्री जी खड़े हुए हैं ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) –

माननीय पाण्डेय जी ने जो अभी बभनान शुगर मिल की बात कही वह मुझसे मिले थे मैंने कहा था कि पूरे गन्ने की पेराई की व्यवस्था की जायेगी किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं होने दी जायेगी । जहां तक मिल ट्रान्सफर करने की बात है मैंने कहा था मैं भारत सरकार से बात करूंगा। कोई हल कैसे निकले, प्रयास करूंगा ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह –

मान्यवर, एक तरफ गन्ना किसान परेशान है और दूसरी तरफ मिल मजदूरों की रोजी का प्रश्न है । दो चीनी मिलें पहले ही बंद हो गई हैं तीसरी गोंडा में है । आप गन्ना बाहर भेजेंगे लेकिन जो मजदूर उसमें काम करते हैं उनकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ? (व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय –

मान्यवर, माननीय सुखपाल पाण्डेय जी ने ग्राह्यता पर एक बात कही उस पर माननीय नेता सदन ने उत्तर दे दिया इसके बाद भी क्या चर्चा करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

मुख्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दे दिया है। आप लोग बैठ जायं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा –

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष –

मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। अब नहीं। आप बैठ जायं।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय –

मजदूरों के बारे में मुख्य मंत्री जी कुछ घोषणा कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

पाण्डेय जी आप बैठ जायं उन्होंने आश्वासन दे दिया है ।

*श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी –

मान्यवर, अलीगढ़ में गत मास से कानून व्यवस्था में बड़ी गिरावट आयी है और कई घातक अपराधिक घटनायें घटित हो गयी हैं जिनकी पृष्ठभूमि में फर्जी इंकाउन्टर हुए हैं। फर्जी इंकाउन्टर कराने में स्थानीय अपराधियों ने पुलिस को सहयोग दिया है जिससे उनके पुलिस से घनिष्ठ संबंध हो गये हैं और पुलिस का संरक्षण पाकर वह सिकन्दराराऊ थाना क्षेत्र में खुलकर अपराध कर रहे हैं । इन घटनाओं से कानून व्यवस्था में गिरावट आयी है । मान्यवर, 17 तारीख की रात को महसिन नगला गांव में डकैती पड़ी जिसमें पी0ए0 सी0 के लोग प्रतिरोध करना चाहते थे लेकिन उन्हें डकैतों से मुकाबला करने से स्थानीय पुलिस ने रोक दिया । इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से अलीगढ़ के विधायक मिले थे तो उन्होंने जांच के आदेश दिया किन्तु जांच से पहले ही वहां 6 घटनायें और घटित हो गयी हैं । इसलिए मेरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरोध है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। अतः सारी कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करायें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष –

आप लोग शांत रहें ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मान्यवर, 24 फरवरी को मिर्जापुर के घोरावल थाने के पास उदान गांव में आयोजित रविदास जयन्ती में शामिल होने के लिए जा रहे हरिजनों को रास्ते में रोककर कुछ सवर्णों ने अन्धाधुन्ध गोलियां बरसायीं । उसमें कूटी तथा बन्टू नामक हरिजन मारे गये और अन्य कई लोग घायल हो गये, जिससे हरिजनों में बहुत रोष और भय व्याप्त है। मिर्जापुर जनपद में हरिजनों की स्थिति बहुत ही चिन्तनीय और दयनीय हो गयी है। अभी 15 जनवरी को वहां के हरिजनों ने जो ओवरा के हैं, उन हरिजन अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रोन्नति में संवैधानिक सुरक्षा न प्राप्त होने और तरह-तरह से अपमानित किये जाने की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से शिकायत की है। इसके विरोध में वहां के तमाम हरिजन आगामी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेदकर की जयन्ती के दिन अपना-अपना धर्म परिवर्तन करने की तैयारी कर रहे हैं। वह धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं यह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को लिखकर भी दिया है। इस तरह उनमें बहुत भय और असंतोष व्याप्त है। जहां प्रदेश में आज धार्मिक सौहार्द की भावना बिगड़ रही है हम सभी महसूस कर रहे हैं उसी समय में समाज के प्रमुख अंग हरिजनों के दिलों पर भी बहुत ठेस पहुंची थी । धार्मिक सौहार्द और बिगड़ सकता है। यह आग में घी का काम करेगा। इस पर सदन का ध्यान आकर्षित करके मैं चाहता हूं कि उन घायल आदमियों की रक्षा की जाए और रविदास जयन्ती के दिन जिनकी हत्या हुई, उसके दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाय और मृतक परिवारों को मुआवजा दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आपको केवल ग्राह्यता पर बोलना था ।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त ही लोकमहत्व की और अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह केवल मिर्जापुर का मामला नहीं है प्रदेश के सभी हिस्सों में हरिजनों के साथ इसी प्रकार के अन्याय हो रहे हैं । जनपद मिर्जापुर में कोरावल के पास एक गांव से जब एक जुलूस शान्तिपूर्ण तरीके से जा रहा था, रविदास जयन्ती समारोह में शामिल होने तो उस जुलूस के बीच में जबरिया 3 तरफ से ट्रैक्टरों को घुसेड़ दिया गया, जिससे 8 लोग ट्रैक्टर से ही घायल हो गये और जब कहा गया कि क्यों इस तरह से अनावश्यक रूप से ट्रैक्टरों के बीच में घुसेड़ा गया तो उस पर गुस्से में उसने अपने दरिन्दों के द्वारा, जो सामन्त का पुत्र था, बम विस्फोट किया एवं कराया । उनसे कम से कम 10 लोग घायल हो गये। उसके बाद भी प्रतिवाद करने पर उनके दरिन्दों ने 3/4 चक्र गोलियां और चलाईं, जिससे दो लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इतना ही नहीं इस बारे में प्रशासन को मालूम था कि यह आक्रमण होने वाला है तब भी उनकी रक्षा करने की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई। जिनकी हालत चिन्ताजनक है, उसमें भी कितने लोग दम तोड़ने के नज-

दीक पहुंच गये हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में यों ही साम्प्रदायिक तनाव चल रहा है, इसको देखते हुए लाजमी था कि रविदास जयन्ती के अवसर पर पूरे प्रदेश में प्रशासन मुस्तैदी और चुस्ती से काम करता परन्तु वैसा किया नहीं। इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए आप तुरन्त सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें। यह अत्यन्त लोकमहत्व का और निश्चित विषय का प्रश्न है ।

श्री हुकुम सिंह–

जिस घटना का उल्लेख किया गया है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आप बैठिये ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

जैसा कि आप जानते हैं आज मौजूदा सरकार में किसी की भी जान की हिफाजत नहीं है। मिर्जापुर के बारे में चर्चा चल रही थी, यह बहुत ही असाधारण घटना है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि 24 तारीख को सन्त रविदास जयन्ती न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिन्दुस्तान भर में मनाई गई और जब यह जयन्ती मनाई जा रही थी, मिर्जापुर के हरिजन जिस समय बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं सहित जुलूस के रूप में उदारपुर गांव को जा रहे थे, कुछ साम्प्रदायिक और असामाजिक तत्वों ने मिलकर रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी और गोलियां चला दीं; जिससे दो लोग घटना स्थल पर मारे गये और कम से कम 25 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है । यही नहीं मारने वाले लोग मृतकों की लाश भी लेकर गायब हो गये। शासन और प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी होते हुए भी इसकी कोई रोकथाम नहीं हुई। इतना ही नहीं सुल्तानपुर, लखीमपुर-खीरी, बलिया आदि जगहों पर भी हरिजनों की इस अवसर पर सामूहिक हत्याएं की गईं। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या बेकार की बात करते हो? क्या यह वक्तव्य हो रहा है? ग्राह्यता पर बुलवा रहा हूं और आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द–

मैं बड़े अदब के साथ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रविदास जयंती के उत्सव के संदर्भ में यह घटना घटी है। यह धार्मिक मामला है । हिन्दुस्तान में पंजाब में, उ0 प्र0 में और अनेक जगहों पर लोग इस उत्सव को मनाते हैं। मगर दुख की बात है कि धार्मिक प्रवृत्ति से देश में तहलका मचा है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मूल चन्द जी, भाषण नहीं हो रहा है आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं।

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

स्टेटमेंट आप इस पर दे दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तक जो कार्यवाही हुई है उसको मैं बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मूल चन्द जी बैठिये।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, यह गम्भीर घटना है। आप सुन नहीं रहे हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं भाषण करूंगा, मैं अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कहूंगा। यह पत्र वहां के लोगों ने भेजा है। आप इसको देख लें।

(एक पत्र सदन में दिखाते हुए)

इस पत्र के माध्यम से लोगों ने मुझे अवगत कराया है। आप इसको ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इस पत्र को दे दीजिये। वर्मा जी इनको समझाइये।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, हरिजनों की हत्या की गयी है। आप यह पत्र ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आप भिजवा दीजिये। मैं वहां लेने आऊंगा पत्र को ?

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिस घटना का उल्लेख किया, उस घटना का उल्लेख करते-करते तमाम प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कहने लगे। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि 50 व्यक्तियों का जुलूस रविदास जयंती के उपलक्ष्य में गांव में जा रहा था। जिस वक्त जा रहा था तो एक व्यक्ति प्रद्युम्न कुमार सिंह अपना ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। जब ट्रैक्टर जुलूस के पास से गुजरा तो कहा सुनी हो गयी और प्रद्युम्न कुमार ने अपनी राइफल से फायर कर दिया और 2 व्यक्ति मर गये। वह ट्रैक्टर छोड़-कर भाग गया। अभी तक जिन व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तो 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को एक-एक हजार रुपये जिलाधिकारी की तरफ से दिया जा चुका है। इसकी जानकारी मिलते ही शासन ने पूरी सत-र्कता के साथ कार्यवाही की। जितनी कार्यवाही हुई है मुझे आशा थी कि माननीय सदस्य कम से कम दो शब्द इस शासन की प्रशंसा के बारे में कहेंगे। यह घटना ऐसी थी जो कभी भी हो सकती है। इसके बारे में दुख होना चाहिये। लेकिन इस घटना को कानून व्यवस्था के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। मेरा आग्रह है कि जो कार्यवाही हुई है और जो की जा रही है उसको देखते हुए नियम 56 की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

किसी व्यक्ति की जान की कीमत एक हजार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। जान मार कर रुपया देने का काम सरकार कर रही है। आप काम रोक कर इस पर चर्चा कराइये।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांतिपूर्वक बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह हरिजनों के उत्पीड़न का मामला है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सब लोग बैठिये।

श्री मूल चन्द–

मेरी बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मूलचन्द सदन त्याग कर चले गये)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आगरा महा नगर योजना के अन्तर्गत आसपास के करीब पचासों गांव बड़े-बड़े लोगों को आवासीय सुवि-धाएं प्रदान करने के लिए, बड़े-बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्लाट आवंटित किये जाने हेतु छोटे काश्तकारों की जिन्दगी को बरबाद किया जा रहा है, उनकी भूमि को अर्जित करके। जबकि मान्यवर, वहीं पर और बड़े-बड़े कालोनाइजर हैं, जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं, प्लाट हैं, उनकी भूमि इस अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अर्जित नहीं की जा रही है और मान्यवर, जहां उन ग्रामों में पहले से ही अधिकतम जोत सीमा निर्धारित है, वहीं पर अरबन सीलिंग एक्ट लगाकर आगरा प्राधिकरण ने उन छोटे-छोटे किसानों की कृषि भूमि ले ली है। और मान्यवर, यही नहीं प्रदेश भर में इस एक्ट के द्वारा किसानों से एग्रीकल्चरल भूमि लेकर उस पर आवासी योजनाएं बनाकर बड़े-बड़े लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इस तरह पूरे प्रदेश के छोटे किसानों को बरबाद और बेकार किया जा रहा है और बहुत ही कम कीमत उनकी भूमि के मुआवजे में दी जा रही है और इस कम कीमत पर ली हुई जमीन को 2-2 लाख, 4-4 लाख और 8-8 लाख रुपयों में बेचने का काम किया जा रहा है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस भूमि पर लाखों किसानों की जिन्दगी निर्भर करती है, वह उनसे लेकर उनको बेसहारा किया जा रहा है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन का कार्य रोक कर चर्चा करायें। ताकि भविष्य में अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत किसानों को परेशान करने का काम न हो।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आगरा में सन् 1971 में यह महायोजना स्वीकृत हुई थी। आगरा में मान्यवर, 8-8 और 10-10 कि0मी0 की सीमा के अंतर्गत नगर पालिका की योजना बनी थीं और उसका नक्शा भी बनाया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर इस समय मौजूद हैं। यह मेरे सौभाग्य की बात है। मान्यवर, तीस गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों की एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी गयी है और 1 रु0 से 5 रु0 तक अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत उनकी भूमि गलत तरीके से ली जा रही है। अरबन सीलिंग एक्ट जो है, यह तो सेन्ट्रल एक्ट है, इसलिए इसके खिलाफ तो कुछ कहना नहीं है, परन्तु यह एक्ट जहां लागू नहीं होना चाहिए था वहां पर मान्यवर, लागू किया गया है। 15 कि0मी0 से ज्यादा पर यह योजना लागू होगी। दूसरे जहां पर पहले से अधिकतम जोत सीमा लागू है, वहां पर इस एक्ट को लागू नहीं करना चाहिए। हुआ मान्यवर, यही है कि वहां पर पहले से अधिकतम जोत सीमा लागू थी, वहीं पर इन्होंने इस सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जमीनें ले ली हैं और मान्यवर, तीसरी बात यह कि जहां पर खेतियां हों, वहां पर भी इस एक्ट को लागू नहीं किया जाता है, लेकिन वहां इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरे मान्यवर, नगर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् के यह दोनों अधिकारी हैं, जहां पर यह दोनों मिलकर जाते हैं, आप स्वयं मालूम कर लीजिए कि वहां पर इनके जो भी अधिकारी गये हैं, वह अरबपति होकर वापस आये हैं। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जो इस सम्बन्ध में जमीन लेने में गड़बड़ी की गयी है, तहसील वालों और लेखपालों से मिलकर। इसी तरह से मान्यवर, सिकन्दरा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की योजना के अन्तर्गत जो भूमि ली गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बिराजें, समय आपका..

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपको इस लाल बत्ती से काम नहीं चलेगा, जब तक मैं अपनी पूरी बात नहीं कह लूंगा, पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप और अभी कितना समय आखिर लेंगे?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात कृपया सुन लें। मान्यवर, शहर की बढ़ती हुई सीमायें अब देहात में घुसने लगी है। आवासीय भवनों, उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों आदि के लिए किसानों की खेतिहर जमीन को अधिग्रहीत कर लिया गया है या अधिग्रहण कार्यवाही चल रही है। शहर में नजूल की या सरकारी व गैर सरकारी सैकड़ों एकड़ जमीन को थैलीशाह, डंडे-मार या अन्य लोग घेर रहे हैं। जमीन का अधिग्रहण विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद् के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें खुले आम बेईमानी, अन्याय तथा किसान जनता का हर प्रकार से शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। धारा 4 से पहले किसानों से सम्पर्क किया जाता था, परन्तु अब उन्हें संबंधित जानकारी नहीं दी जाती है और धारा 6 के बाद समाचार पत्रों में विज्ञप्ति नहीं होती है। धारा 17 में सीधे अधिग्रहण कर कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। मान्यवर, जमीन का सही विवरण नहीं दिया जाता है। लेखपाल से मिल कर परिषद् और प्राधिकरण के अधिकारी प्राय: जमीन को असिंचित और खाली दर्ज दिखाते हैं।

मान्यवर, सर्किल रेट और बाजार मूल्य की दरों में भारी अंतर है। अरबन सीलिंग अधिनियम व भूमि अर्जन अधिनियम में मुआवजे की दरों में 15 से 20 गुना अंतर है। मूल्य का भुगतान नहीं होता, जबकि शासनादेश सं0 479/4-6 (30)/75 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 30-7-75 के द्वारा अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत धारा 4 से पहले और 80 प्रतिशत धारा 6 के बाद भुगतान हो जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता है। बोदला योजना की धारा 6 की विज्ञप्ति दिनांक 3 अगस्त, 1984 को हो गयी थी, परन्तु आवास-विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण ने 3 करोड़, 6 लाख रु0 का भुगतान अभी तक नहीं किया। इसी प्रकार ट्रान्सपोर्ट नगर, सिकन्दरा, शमसाबाद, ताज नगरी का भी भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर, यह क्षमता से अधिक जमीन अधिग्रहण करके डाल दी गयी है और इनकी योजना 20 वर्षों में अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 56 के बारे में कई बार चर्चा हुई, मैंने स्वयं कई बार आपत्ति किया कि नियम 56 के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मान्यवर, यहां पर यह आम राय हो गयी कि पांच सूचनाओं से अधिक न लिये जायं, पहले एक सूचना ली जाती थी। आपने आज सूचना दी थी कि नियम 56 में 23 सूचनाएं आई हैं और आपने कहा था कि 2 बजे इसको समाप्त कर देंगे। इस पर आप एक-एक माननीय सदस्य को सुन लें या आप इसे 4 बजे तक सुनेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं। एक बात है, राणा जी जब बोलने खड़े हो जाते हैं, तो वह सोचते नहीं कि मैंने उनको दो मिनट के लिए कहा है और वह बोलना भी नहीं बंद करते है और आप हमीं से इस पर व्यवस्था चाहते है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने है। मान्यवर, इस अरबन सीलिंग एक्ट के तहत जब केन्द्रीय सरकार ने इसे बनाया था, तो इसमें एक प्राविधान था कि जिस जमीन पर खेती होती है। और उस जमीन पर रेवन्यू रिकार्ड में खेती दर्ज है या मौके पर उस जमीन पर खेती होती है, तो उस जमीन को नहीं लिया जायगा। लेकिन मान्यवर, तमाम जमीन जिस पर खेती हो रही है, उपजाऊ भूमि है, उस भूमि को इस एक्ट के तहत अर्जित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो जमीन शहरी-दायरे में आती हो और सीमा से फालतू हो, उसके लिए प्राविधान था कि जो लैण्डलैस हों, उनमें बांट दी जायगी, भूमिहीन जो होंगे, उनमें बांट दी जायगी, लेकिन यह भी नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा दुःख की जो बात है, वह यह है कि जो गरीब किसान या लघु किसान हैं, उनको भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। सारे शहरों में जहां-जहां पर यह एक्ट लागू किया गया है, वहां उत्पादकता वाले नियोजन को अनुत्पादकता में बदला जा रहा है। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मुझे इसी विषय पर कहना था।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैंने उनको बुला लिया है, मुझे नहीं मालूम था आप इस पर खड़े हुए हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं राम नरेश जी ने जो दिया था उस पर नहीं बोलना चाहता, जो विषय चल रहा था उस पर बोलना चाहता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जरूरी बात है सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कभी जरूरी बात कहते हैं, कभी व्यवस्था उठाते हैं। सब व्यवस्था आपके ही हाथ में रहेगी।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, सरकार रोज-रोज हरिजन और निर्बल वर्ग का नाम लेती है। मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर के लमुआ थाने में कोहनी गांव है वहां हरिजन भी रहते हैं। वहां जबरजस्ती लोग मजदूरी उनसे लेना चाहते हैं, लेकिन वहां के हरिजन मजदूरी करने को तैयार नहीं हैं। मान्यवर, सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा, कि वहां के जो जमींदार लोग रह चुके हैं वह तीन पाव अन्न उन मजदूरों को मजदूरी में देते हैं। उन्होंने मांग की, कि इस मंहगाई के समय में कैसे जीविका चलायेंगे और उन्होंने काम करना बन्द कर दिया। मान्यवर, ऐसे में कुछ लोग वहां गये उन्होंने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी, सारे गांव के लोगों को मारा-पीटा और आतंकित किया। मान्यवर, एक आतंक का वातावरण वहां व्याप्त है। आज तक पुलिस ने वहां किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यह प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है, उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय यादव जी ने लमुआ थाने के बारे में कहा। इन्होंने कहा प्रधान मंत्री के क्षेत्र में अत्याचार हुआ, तो पहले मैं यह बता दूं कि यह क्षेत्र प्रधानमंत्री के क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए एक तो यह बात सही नहीं है। दूसरी बात यह सरकार निश्चय कर चुकी है कि कोई व्यक्ति हरिजनों पर अत्याचार नहीं करेगा, जो व्यक्ति अत्याचार करेगा उसके साथ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी चाहे वह छोटा आदमी हो चाहे वह बड़ा आदमी हो ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम नरेश–

माननीय नेता सदन ने यह नहीं बताया कि कार्यवाही हुई या नहीं हुई? कौन दोषी है?

श्री उपाध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैंने लिखकर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

किदवई साहब आप नियम-56 को पढ़कर देखें, इसमें यह नहीं आता है।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, मैंने साफ लिखकर दिया है अगर इसमें सरकार का उत्तर नहीं आता है, तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

आप जो चाहे करें, आपको कोई नहीं रोकता ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

जो प्राविडेन्ट फण्ड काटा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

बन्द कर दीजिये लिखना। आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

(श्री फरीद महफूज किदवई सदन त्याग कर चले गये)

*श्री सत्यपाल सिंह–

मैं ग्राह्यता पर कहना चाहता हूं। चार घटनाएं ऐसी हैं, पहली दीपचन्द्र सोनकर की दूसरी अनुग्रह नारायण सिंह की तीसरी राम नरेश यादव की और चौथी मेरी जो हरिजन अत्याचार की हैं । मान्यवर, लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी ग्राम ढूलोरपुर में हरिजन परिवारों पर सवर्णों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया जिसमें 13 लोग घायल हो गये। घायलों में बच्चे और महिलायें हैं। उनके ऊपर हमला इसलिये किया गया क्योंकि वह लोग सवर्णों की बेगार नहीं करते हैं। हरिजनों ने बेगार करना बंद कर दिया इससे उद्वेलित होकर सवर्णों ने धावा बोल दिया, 13 लोग घायल हुये और सब अस्पताल में हैं। खीरी में ही नहीं पूरे प्रदेश में वर्तमान शासन के अंदर हरिजनों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं। मेरा कहना है इन चारों घटनाओं पर 2 घंटे चर्चा कराई जाय।

(श्री भगौती सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

भगौती सिंह जी आप बैठिये । यह सवाल हाउस में उठ चुका है, दुबारा नहीं उठ सकता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह तात्कालिक घटना है । 25 तारीख को खीरी लखीमपुर में 'नव-सम्पतम' के संवाददाता श्री अखलाख अहमद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के संकेत पर 4 पुलिस कर्मी ने इतना मारा की वह मरणासन्न हो गये, जिला चिकि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

त्सालय ने जवाब दे दिया इस समय वह बलरामपुर अस्पताल में है। उनका गुनाह यह था कि लखीमपुर में जो तनाव की स्थिति हुई उसके बारे में लिखा की पुलिस के वहशीपन के कारण तनाव पैदा हुआ। पुलिस उन पर दबाव डाल रही थी कि आप यह समाचार दीजिये की हिन्दू मुस्लिम दंगे के कारण तनाव हुआ। उन्होंने सही समाचार दिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मार डालने की उनको धमकी दी थी। उनके संवाददाता ने गृह सचिव से बातचीत किया और कहा कि उनके जान-माल की सुरक्षा की जाय। परसों उनको इतनी बुरी तरह मारा गया कि उत्तर प्रदेश के सभी समाचार पत्रों के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। क्या पुलिस के दबाव से निष्पक्ष कलम पर अंकुश लगाया जायेगा?

दूसरी जो एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक पत्रकार ने निष्पक्ष भाव से सही समाचार प्रकाशित करने की कोशिश की तो वहां की पुलिस ने उस पर दबाव डाला कि ऐसा समाचार छापें कि जिससे हिन्दू-मुस्लिम दंगे की बात सामने आवे। मैं इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए चाहता हूं कि इस पर चर्चा करावें ताकि भविष्य में पुलिस द्वारा निष्पक्ष पत्रकारों पर बलात् हमले की घटनाओं को रोका जा सके। मेरी जानकारी में है कि प्रदेश के पत्रकारों ने एक मेगों भी आज गृह सचिव को दिया है और मा0 मुख्य मंत्री से मिलकर चेतावनी दी है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को नहीं रोका जायेगा तो आन्दोलन होगा। इसलिये मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार डा0 अखलाख अहमद खां की पिटाई की गयी, इससे पहले जनता की, वकीलों की, डाक्टरों की पिटाई की गयी और अब पत्रकारों की पिटाई की गयी। विधायक तो रोज ही पीटे जाते हैं और थोड़े दिनों में मंत्रियों की बारी आने वाली है। इस पत्रकार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि यदि उसकी मर्जी का समाचार नहीं छपा तो उसे जान से मार दिया जायगा। चार पुलिस वालों ने उसे मारा और उसके 250/- रुपये और घड़ी भी छीन ली है। जब इस बारे में पत्रकारों ने जो वहां पर थे, कहा कि यह बहुत अत्याचार हो रहा है तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी मारने से नहीं मरा तो इन्काउन्टर में मार देंगे। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना पर सदन में कार्यवाही रोक कर दो घंटे की चर्चा करायें।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि नियम 56 का प्रश्न बड़ा गंभीरता का होता है और यह पूरे इस साल और सत्र में मेरा पहला नियम 56 का प्रश्न है। दिनांक 17-18 की रात को बलिया के बैरिया पुलिस चौकी के रजाक दीवान और राजेन्द्र दुबे, सिपाही एक टाकीज से एक लड़की को बहला-फुसलाकर लाए और थाने पर 7 पुलिस कर्मियों ने और एक खाना बनाने वाले ने, कुल आठ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की लहू लुहान हो गयी। तब वहां के थानेदार एक बूढ़े सिपाही के कहने पर और उस लड़की को दो हजार रुपये देकर घर भेज दिया। उससे माफी मांगी लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यह शिकायत पुलिस अधी-

क्षक के यहां की गयी तो उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, केवल उन सातों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। मान्यवर, हमारे यहां आए दिन पुलिस द्वारा यह घटनाएं होती हैं। इसलिये होती हैं क्योंकि पुलिस अधीक्षक स्वयं बलात्कारी है, भ्रष्ट है। पुलिस अधीक्षक का सम्बन्ध वहां की एक प्रमुख लेडी डाक्टर से है। रोज सुबह एक गुलाब का फूल लेकर जाता है, सारे लोग जानते हैं। माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि इसके महत्व को देखते हुए इस पर दो घंटे की चर्चा कराएं या फिर मा0 राजस्व मंत्री और ग्राम्य विकास मंत्री श्याम सूरत उपाध्याय जी वहां पर जाएं और मेरी इस बात को गलत साबित करें कि यह घटना नहीं हुई, तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं सी0आई0डी0 की जांच नहीं चाहता। आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कीजिये और इस पर दो घंटे की चर्चा कराइये, या फिर इन दो मंत्रियों को जांच के लिये भेज दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो घटनाओं के बारे में अभी ध्यान आकृष्ट किया गया। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पत्रकार की पिटाई के बारे में, इस बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि शासन की ओर से पहले ही निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि उस पत्रकार की समुचित सुरक्षा की जाय और जो घटना हुई है उसमें जितने आदमी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। दूसरी घटना मैनेजर सिंह जी की है। इसमें उन्होंने जिस घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया है, इसके बारे में जांच कराने के बाद जो दोषी पुलिस कर्मी हैं, या जो भी व्यक्ति दोषी हैं, उनके बारे में हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट मंगाने के बाद समुचित व्यवस्था की जायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इसमें आपने कानून बदल दिया कि यह काम मुलजिम का हो गया कि वह साबित करे कि वह निर्दोष है उसकी सत्यता को कबूल करते हुए एस0एस0पी0 ने केवल लाइन हाजिर किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने जांच के लिए कह तो दिया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

नहीं, उन्होंने सदन को आश्वस्त नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है । मैं चाहता हूं कि जो कार्यवाही की जाय उससे सदन को अवगत कराया जाय क्योंकि मुझे आज ही सबेरे सूचना मिली है कि दो पत्रकार जो घायल हैं भर्ती किये गये थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री दीपचन्द्र सोनकर–

मान्यवर, गुलाब चन्द्र हरिजन द्वारा बिना मूल्य की चीनी न देने के कारण थाने में ले जाकर पीटा गया थानाध्यक्ष द्वारा लाठी चार्ज किया गया। मान्यवर, यह घटना 12-1-86 की है । जितेन्द्र राय, पुलिस से वहां के लोग बहुत भयभीत हो चुके हैं। वहां के लोगों को जबरदस्ती मुकदमों में फंसाया जा रहा है । वहां पर 323, 322 और 336 का मुकदमा 5-7 हरिजनों के ऊपर कायम किया गया। हरिजनों को छोड़ने की बात कहें

जाने पर वहां पर लोकदल के नेता मोहन सिंह ने भी थानाध्यक्ष से मांग की कि लोगों को जो गलत ढंग से फंसाया गया है उन्हें मुकदमें में न फंसाया जाय । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में माननीय मंत्री जी से वक्तव्य दिलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार इस पर ध्यान दे जो घटना घटित हुई है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा अन्य कई सदस्यों द्वारा 'भारत बंद' की बात कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

'भारत बंद' पर बहुत बात हो चुकी है। श्री किरनपाल सिंह और श्री विजय सिंह राणा ने जो विषय दिया है उस पर मैं एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं। कार्य स्थगन के रूप में सबको अस्वीकार करता हूं।

(मद संख्या 11 पुकारे जाने पर तथा राजस्व मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य के खड़े होने पर)

(श्री शारदा प्रताप के खड़े होने पर तथा कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गौरी शंकर भइया तथा अन्य कई विपक्ष के सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गौरी शंकर भइया जी मैंने राजस्व मंत्री जी को बुला लिया है, इस लिए आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचनाएं माननीय सदस्यों ने दी थीं, उन पर आपने क्या-क्या व्यवस्था दी है इसे हम सुन नहीं पाये और आपने पहले ही मंत्री जी को बुला लिया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था तो दे दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कई माननीय सदस्यों ने कार्य-स्थगन के रूप में 'भारत–बन्द' की सूचना आपको दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। चूंकि आप इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आपके संतुष्ट होने से पूरा सदन सन्तुष्ट है । यह नहीं माना जा सकता। मैं जब सूचना दे रहा हूं और आप नहीं सुन रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्यों को आपने सुन लिया।

(श्री गौरी शंकर भइया, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री विष्णु देव और श्री श्रीप्रकाश सदन के फ्लोर पर आकर जोर जोर से बोलने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)।

[x x x x]

नोट : [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, चूंकि गौरी शंकर भइया सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए इन्हें सदन से निकालने के लिए इंगित किया जाय। जो शब्द उन्होंने आपके लिए कहे हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

[x x x x]

(श्री औसान सिंह जी ने एक अखबार दिखाया और सदन से बाहर चले गये।)

(श्री रघुवर दयाल वर्मा जी के प्रयास से श्री गौरी शंकर भइया व अन्य सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही आपसे अनुरोध किया था कि आप नियम–56 के अन्तर्गत 5 सदस्यों को सुन लें। लेकिन आपने कहा कि मैं सबको सुनूंगा। चूंकि आपने सबको सुन लिया है, इसलिए श्री गौरी शंकर भइया को भी 2 मिनट सुन लें। 6 रोज से वह यह प्रश्न उठाना चाहते हैं। उन्हें इस समय ऐसा लगा कि उनके साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। मैं आपकी भावना पर शक नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। चूंकि बहुत सूचनाएं थीं और समय भी ज्यादा हो गया था। इसलिए मैंने तो आपके फायदे के लिए ही यह किया। आप और अध्यक्ष जी बैठेंगे। हम मीटिंग बुला लेते हैं। वहां पर आप सन्तुष्ट हो लीजिए। यदि आप वहां पर सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो फिर कल उस पर आपको बोलने की इजाजत दे दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो मीटिंग होगी और उसमें जो व्यवस्था हो जायेगी, वह सही होगी लेकिन जब नियम–56 में आपने बताया कि 23 सूचनायें मिली हैं तो मैंने आग्रह किया था कि सबको सुन नहीं पायेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि इनको नहीं सुना गया। मैंने कहा था कि 5 आदमियों को सुनें, आपने कहा कि नहीं सबको सुनेंगे, बीच में आपने मा0 राजस्व मन्त्री को बुला लिया। जब आपने 10–12 को सुन लिया था तो श्री गौरी शंकर भइया को भी सुन लेते।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा आग्रह मान लें, कल इस पर हो जायेगा।

(श्री गौरी शंकर भइया द्वारा अपनी सीट से उठकर पुनः सदन में जोर-जोर से बोलने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक और आग्रह है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा बलिया के एस0 पी0 के खिलाफ जो मामला उठाया गया था, उसमें किससे जांच करायी जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष–

वह किसी से भी जांच करा लेंगे; आप तो बैठें।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

आपने मौका देने की बात कही थी लेकिन पता नहीं क्या कारण है आप मौका ही नहीं दे रहे हैं?

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोटः –[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने के लिये कोई क्राइटेरिया बनाइएगा या ऐसे ही चलेगा । मैं सदन का त्याग करता हूं। (श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

[x x x x]

(घोर व्यवधान के मध्य राजस्व मंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ भी लिखा नहीं जायगा, मैंने माननीय राजस्व मन्त्री को बुला लिया है ।

(श्री गौरी शंकर भइया कुछ देर तक लगातार बोलते रहे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 84–सहायता और पुनर्वासन विभाग

(2 बजकर 23 मिनट)

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,26,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,91,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 93,06,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 73,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 2 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए।)

माननवर, राजस्व विभाग एक बहुत पुराना विभाग है और इसने इतिहास के कई दिन देखे हैं। इसने वह दिन भी देखा है कि जब किसान भूमि का मालिक नहीं था, उसे दूसरों के लिए

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भूमि को जोतना और बोना पड़ता था। आज का किसान भूमि का मालिक बन गया है, भूमि से जितना भी अनाज वह उत्पन्न करता है उसका वह स्वयं उपभोग करता है, इसलिये यह एक ऐतिहासिक विभाग है। मैं इसकी मुख्य-मुख्य बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा, सदन का अधिक समय नहीं लूंगा।

हमारे प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ है और इस बारह करोड़ में से दस करोड़ लोग भूमि पर आश्रित हैं। दो करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे कार्य करते हैं लेकिन गांव में उनके भी फार्म हैं और वे भी खेती पर आश्रित हैं। इस प्रदेश की जनसंख्या भूमि पर आश्रित है। यह विभाग जो कार्य कर रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जो कि भूमि पर आधारित है। माननीय सदस्यगण कह सकते हैं कि इसमें भी कुछ कमियां हैं। यदि इतने बड़े विभाग में कुछ कमियां हैं तो यह होना भी स्वाभाविक है।

मैं केवल खास-खास बिन्दुओं को ही सदन के समक्ष रखूंगा। भूमि के संबंध में जमीन्दारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत एक धारा है 154 (क), उसमें यह व्यवस्था थी कि इस प्रदेश का कोई भी नागरिक राज्य सरकार की अनुज्ञा से भूमि अर्जन कर सकता है, नागरिक और कम्पनी भूमि अर्जित कर सकती है। जब यह मामला उच्च न्यायालय के सामने पहुंचा तो उसने कहा कि नागरिक जीवित हो सकता है लेकिन कम्पनी जीवित नहीं हो सकती है। इसलिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा धारा–154–क में संशोधन कर यह व्यवस्था की गयी कि "राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई विदेशी राष्ट्रक (नेशनल) विक्रय या दान द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं कर सकेगा। विदेशी राष्ट्रकों को छोड़ कर किसी व्यक्ति अथवा देशी कम्पनी द्वारा भूमि के अर्जन पर निषेध नहीं रह जायेगा।" इससे यहां के लोग भूमि खरीदने में आसानी महसूस करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक संशोधन लाना पड़ा है।

दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खेतिहर मजदूर द्वारा 30 जून, 1985 के पूर्व से गांव सभा पर कब्जा कर लिया गया है और कुल कब्जे की भूमि 3.25 एकड़ से अधिक नहीं है, तो उसे बेदखल न कर उसे अनाधिकृत कब्जे वाली भूमि का अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर मान लिया जायेगा। यह उसमें व्यवस्था कर दी गयी है। इससे बहुत सारे हरिजनों को राहत मिलेगी, लेकिन उसमें अधिकारियों की सद्भावना शामिल होनी चाहिए, तो समाज का जो आखिरी अंग है, उसको सुविधा मिल सकती है। सरकार विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े हुये लोगों को यह सुविधा देना चाहती है।

मान्यवर, प्रदेश में चकबंदी का कार्य चल रहा है। पहले किसान इधर उधर बैठे हुए थे, उन खेतों को 2 जगह, 3 जगह इकट्ठा कर के किसानों को सुविधा दी जा रही है कि उन खेतों में अधिक से अधिक पैदावार लें और उत्पादन की जो स्थिति थी उस स्थिति को आगे बढ़ायें और उत्पादन अधिक करें। भूमि एक जगह पर एकत्र हो तो सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, खाद की व्यवस्था कर ले तो उत्पादन होने लगेगा। मान्यवर, बातें बहुत ज्यादा हैं कहने के लिए,

लेकिन मैं उनको संक्षेप में कहना चाहता हूं। जो चकबन्दी हो रही थी, अभी तक सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि नहीं छोड़ी जाती थी, हरिजनों के बसाने के लिए भूमि नहीं छोड़ी जाती थी, परन्तु इस बीच इस विभाग ने हरिजनों की आबादी के लिए 47000 हेक्टेयर भूमि छोड़ी है और इसी तरह खलिहान आदि के लिए 23 हजार हेक्टेयर भूमि छोड़ी है। सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 2 लाख 36 हजार हेक्टेयर भूमि छोड़ी है। पहले कठिनाई महसूस हुई थी कि सार्वजनिक कामों के लिए जैसे पंचायत घर और स्कूलों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अब इस चकबन्दी से जो भूमि निकाली गयी है उससे सार्वजनिक कामों को और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को बसाने की सुविधा मिल गयी है।

मान्यवर, भौतिक लक्ष्य की उपलब्धि में एक लाख 49 हजार हेक्टेयर भूमि चकबन्दी में वर्ष 1985-86 में प्राप्त की जायेगी। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रिकार्ड, कागजात की दुरुस्ती का कार्य 2 लाख 59 हजार हेक्टेयर पर किया जा चुका है। यह कागजात दुरुस्त हो गये हैं और उनमें अब किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में भी चकबन्दी शुरू होने वाली है। खटीमा और किच्छा, दो तहसीलों में चकबन्दी की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। देहरादून जनपद के 36 ग्रामों की चकबन्दी की कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी अच्छी बात स्वेच्छिक चकबन्दी की है। स्वेच्छिक चकबन्दी हमारे प्रदेश में कुछ ग्रामों ने की है और अपने आप चक बनाकर सरकारी अधिकारियों से उसके रिकार्ड ठीक करवाकर नक्शा आदि तैयार करवा लिये गये हैं। अगर इसका प्रचार किया जाये और लोगों को इसके लिए तैयार किया जाय तो जो झगड़े तैयार होते हैं वह नहीं होंगे लेकिन खासतौर से वे लोग जो निहित स्वार्थ वाले हैं वह आड़े आते हैं और भले लोग दब जाते हैं और अगर यह कार्य शुरू कर दिया जाये, तो सरकारी अधिकारियों को भी अड़चन नहीं रहेगी और आपको तथा हमको भी सुविधा रहेगी। तो यह काम हुआ है। अगले वर्ष 1986-87 के लिए 217 ग्रामों को इसके लिए चुना गया है और इन ग्रामों में स्वेच्छिक चकबन्दी की जायेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि शिकायतें हमारे पास आती रहती हैं कि इस विभाग में यह खराबी है, वह खराबी है। हमने, जो शिकायत आई है उन पर तुरन्त कार्यवाही की है और मैं कहना चाहता हूं कि 167 अधिकारियों और कर्मचारियों को मैंने दंडित किया है और उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की है, मैंने छोड़ा किसी को नहीं है। वर्ष 1986-87 में 325 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो यह चकबन्दी का कार्य है, मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के अधिकांश सदस्य या सभी सदस्य इस बात सहमत होंगे कि चकबन्दी का कार्य बहुत अच्छा है। कमियां तो अपनी जगह पर हो जाती हैं, उन कमियों को मैं भी पसन्द नहीं करता हूं। लेकिन सब को साथ लेकर चलना पड़ता है, सभी से सहयोग और काम लेना पड़ता है इसलिए कुछ कठिनाई उसमें हो जाती है।

मान्यवर, अब मैं सीलिंग पर आना चाहता हूं। सीलिंग एक्ट 1960 में इसलिए बना था कि जो भूमि बचेगी

उस भूमि को हम भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जाति, निर्बल वर्ग के लोगों को और पिछड़े हुए लोगों को आवंटित करेंगे। उसमें हमको कुछ सफलता भी मिली है। काफी जमीन हमको मिली है और हमने वितरण भी किया है। जिसकी जमीन निकलती है बड़े आदमी की, वह चुप नहीं बैठता है वह जाकर नीचे से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक पहुंचता है, मामला पड़ा रहता है। हमारे यहां व्यवस्था यह थी कानून में कि जो भी प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील कर सकता था, अपील करता था लेकिन जिला जज के यहां आप जानते हैं कि अनेक प्रतिवादित मामले होते हैं और यह मामला पिछड़ जाता है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती और जब देर से कार्यवाही होती है तो जो लाभ इस भूमि से हम गरीबों को पहुंचाना चाहते हैं, वह लाभ उनको नहीं पहुंचा सकते हैं। सरकार ने इस पर विचार किया और यह तय किया कि इस कानून में यह प्रविधान किया जाय कि जो अपीलें जिलाधीश के यहां होती थी अब मंडलीय आयुक्त के यहां होंगी ताकि वहां जल्दी उनका निस्तारण हो जाय क्योंकि रेवेन्यू आफिसर रेवेन्यू के बारे में जानता भी है। ऐसा नहीं है कि जिलाधीश नहीं जानता है या उनके न्याय में कोई संदेह है। लेकिन यह बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि गरीबों को जल्द से जल्द यह जो जमीन उससे निकल रही है सीलिंग से उस जमीन का आवंटन कर दें ताकि वह लोग समझें कि हमको भी कुछ मिला है। तो यह कार्यक्रम जिसमें हमने यह प्राविधान किया है, संशोधन किया है, मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का इसमें समर्थन मिलेगा।

मान्यवर, अब, मैं निर्बल वर्ग के लोग जो ऋण लेते हैं, ऋण में राहत देने का काम भी हमारे जिम्मे है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त कृषक, ग्रामीण शिल्पियों तथा शहरी मजदूरों की साहूकारी ऋण से मुक्ति, इस संबंध में मान्यवर, जिनकी वार्षिक आय 2400 रुपये से कम है उनका साहूकारी कर्ज पूर्ण समाप्त होगा और उससे वह नहीं लिया जा सकता है। और जिसकी वार्षिक आय 2400 से अधिक है और उसने 2400 से दुगना पैसा वहां दे दिया है फिर भी साहूकार उसको छोड़ते हैं तो उसको समाप्त करके जो उसकी जमीन चल व अचल सम्पत्ति गिरवीं रखी हुई उसको वापिस करने का आदेश दे दिया है।

जो पंजीकृत साहूकार है अगर वे किसी तरह से लोगों का उत्पीड़न करते हैं तो उनके लिये भी सजा का प्राविधान है। इस तरह से 3 माह की सजा और पांच सौ रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। अगर जो साहूकार बिना पंजीकृत कराये हुये कारोबार करता है तो उसके ऊपर 5 हजार रुपया जुर्माना और 6 माह की सजा का प्राविधान कर दिया गया है। इस समय पंजीकृत साहूकारों की कुल संख्या–68,855 है, माह के दौरान निरस्त, निलम्बित किये गये लाइसेंसों की संख्या 7238 है, निर्धारित ब्याज से अधिक ब्याज वसूलने वाले पकड़े गये साहूकारों की कुल संख्या 7 है तथा बिना लाइसेंस साहूकारी करने वाले जो व्यक्ति पकड़े गये उनकी संख्या 99 है जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। यह साहूकारों की स्थिति है। मुक्त ऋणियों को लौटाई गई चल, अचल सम्पत्ति के 850 मामले ऐसे हैं

जिनका अनुमानित मूल्य 6,70,925 रुपया है। इस तरह से इस कानून से लोगों को खास तौर से गरीब लोगों को बड़ी राहत पहुंची है। हमारा विभाग इसको देख रहा है कि कहीं कोई किसी गरीब के साथ ज्यादती न कर रहा हो।

मान्यवर, अब मैं आपके सामने ग्राम सभा की कृषिक भूमि के आवंटन के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में दिसम्बर 1985 तक आवंटन जो हुआ है वह 21,84,341 व्यक्तियों को किया गया है। इनको 7,47,548 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है जिसमें अनुसूचित जाति के 13,36,403 व्यक्तियों को 4,59,879 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 21,59,014 आवंटियों को 7,38,376 हेक्टेयर भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया। 25,327 आवंटियों को 9172 हेक्टेयर भूमि पर अभी कब्जा दिलाया जाना शेष है इसी तरह ग्राम सभा पर अनधिकृत कब्जा हटाने के प्रथम व द्वितीय अपराध के 47,822 मामलों में से 41,294 मामलों में कब्जा दिलाया गया। अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

इसी तरह से गांव सभा की कृषिक भूमि, आवास एवं अतिरिक्त भूमि के आवंटियों को स्थलीय कब्जा दिलाने हेतु जुलाई, 1985 और नवम्बर, 1985 तथा 15-7-85 से 30-9-85 तक अभियान चलाये गये 15-1-1986 से पुनः अभियान चलाया गया है जो 31-3-86 तक चलेगा ताकि अनधिकृत कब्जों को हटाया जा सके और जो उसके हकदार हैं उनको वह कब्जा दिलाया जाय।

मान्यवर, अब मैं आवास स्थलों के आवंटन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में सबसे अधिक लोगों को आवास स्थल आवंटित किया गया है। मैं एक बार एक कान्फ्रेन्स में गया था। उसमें मुझे दूसरे प्रदेशों के लोग भी मिले थे। उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश ने इसमें बड़ा काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जुलाई, 1972 से 15 फरवरी, 1986 तक 18,58,654 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गये। इनमें 14,38,939 अनुसूचित जाति के लोग हैं। 18,55,285 आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है। अभी जितने लोगों को आवंटित किया गया था उन सबको कब्जा नहीं मिल पाया है।

मान्यवर, 1985 का हमारा लक्ष्य 50 हजार परिवारों को आवास स्थल आवंटित करने का था उसमें हमने अनुसूचित जाति के 40 हजार परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये और अन्य लोगों को 10 हजार आवास स्थल आवंटित किये। इस प्रकार हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है।

1-4-85 से 15-2-86 तक 80,784 परिवारों में से अनुसूचित जाति के 51,449 परिवारों को आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 23,581.364 हेक्टेयर भूमि है। यदि आवास स्थल के पात्र किसी व्यक्ति ने गांव सभा अथवा किसी खातेदार की भूमि पर 30 जून, 1985 तक मकान बना लिया है तो मकान तथा उससे सम्बद्ध भूमि उस व्यक्ति के नाम बंदोबस्त की गयी समझी जायेगी।

कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों के 6 पर्वतीय जिलों में जो खातेदार थे उनको भूमिधरी के राईट नहीं थे उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। वहां पर 60830 सीरतानों को उनके अध्यासन के अधीन 23,352 एकड़ भूमि पर भूमिधर के तुल्यअधिकार देने के लिए वर्ष

1985 में विशेष अभियान आयोजित किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार 52,807 खातेदारों के अधिकारों का विनियमितीकरण किया जा चुका है । वहां पर बहुत दिनों से इसकी चर्चा थी। वर्ग 4 की भूमि उनको मिल गयी है अब वह लोग संतोष से हैं ।

राजस्व अभिलेखों के शुद्धीकरण के लिए वर्ष 1984 व 1985 में प्रदेश व्यापी अभियान चलाये गये जिसके कारण 12,23,050 मामले प्रकाश में आये जिनके निस्तारण की कार्यवाही की गयी। अब केवल 47,124 मामले न्यायालयों में लम्बित हैं। शेष का निस्तारण हो चुका है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा होगा अधिकारियों ने मौके पर जाकर जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ था, उसको पूरा किया ।

राजकीय देयों की वसूली के संबंध में भी माननीय सदस्यों की बड़ी चिन्ता रहती है । तो विभाग द्वारा राजस्व वर्ष 1984-85 में 1-10-84 से 30-9-85 तक मुख्य देयों के अन्तर्गत कुल मांग रुपये 165.32 करोड़ के विपरीत 87.19 करोड़ रुपयों की वसूली की गयी । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 1985-86 में विविध देयों के अन्तर्गत अप्रैल 1985 से 30 सितम्बर 1985 तक वसूली होने योग्य मांग 94 करोड़ 25 लाख रुपये की थी जिसके विरुद्ध 43 करोड़ रुपये की वसूली हुई । वित्तीय वर्ष 1984-85 में कुल वसूली 161.23 करोड रुपये की हुई । संग्रह अधिष्ठान पर 23.06 करोड़ रुपये व्यय हुआ था, जो वसूली का 14 प्रतिशत है। हम सिर्फ 10 प्रतिशत लेते हैं और 14 प्रतिशत उस पर व्यय हुआ है ।

माननीय, अब राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में नये निर्णय लिये हैं। माननीय, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासन को चुस्त एवं प्रभावी बनाने के लिये प्रदेश के 12 जनपदों में अहमदनगर कलेक्ट्रेट की कार्य प्रणाली लागू किया है। वे जिले हैं—गाजियाबाद, देहरादून, बदायूं, फतेहगढ़, रामपुर, मिर्जापुर, झांसी, नैनीताल, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोरखपुर व एटा । कार्य सम्पादन हेतु इन जनपदों में 129.96 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृत की गयी है, इस काम के लिए ।

माननीय, मंडलायुक्तों को प्रभावी बनाने के लिए नियत प्राधिकारी द्वारा निर्णीत सीलिंग वादों के विरुद्ध योजित अपीलों की सुनवाई व निस्तारण के अधिकार मंडलायुक्तों को प्रदान किए गये हैं जबकि पहले यह अधिकार जिला जज को प्राप्त थे। इससे उम्मीद की जाती है कि मामले जल्दी निस्तारित हो जायेंगे।

माननीय, द्वितीय श्रेणी के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण मंडल के भीतर किए जाने के अधिकार मंडलायुक्तों को प्रदान किए गए हैं। माननीय, प्रत्येक मंडलायुक्त को दस-दस लाख रुपये की धनराशि विकास कार्यों के सम्पादन एवं राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत की गयी है

माननीय, प्रदेश के 15 जनपदों में चीफ रेवेन्यू आफिसर, मुख्य राजस्व अधिकारी के एक-एक पद तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या की प्रदेश की 99 तहसीलों में अपर तहसीलदारों के एक-एक पद एवं 7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या की प्रदेश में 35 तहसीलों में अपर परगनाधिकारियों के एक-एक पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया

गया है। उक्त पद राजस्व वादों को शीघ्रता से निस्तारित करने व शिकायतों का समाधान स्थल पर कराये जाने के उद्देश्य से सृजित किए गए हैं।

मान्यवर, 15 जनपदों में जहां अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं वहां की जनसंख्या अधिक है और जमीन कम है, झगड़े अधिक हैं और जो वर्तमान अधिकारी हैं वह राजस्व के इन कामों को पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। इसलिये समझा गया कि वहां अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाये ताकि वे राजस्व के कामों को ठीक से देख सकें और उनका निस्तारण करें।

मान्यवर, न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद् को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दर्जा प्रदान किये जाने पर सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा इन पदों पर आई0 ए0 एस0 के सुपर टाइम स्केल अथवा पी0 सी0 एस0 संवर्ग के 2300-2700 रुपये अथवा 2700-3000 रुपये वेतनमान के अधिकारियों की तैनाती का निर्णय लिया जा रहा है। मान्यवर, यह कदम क्रान्तिकारी कदम है और इन कदमों से निश्चय ही प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी और जो कमियां आज दिखाई दे रही हैं, वह कमियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बिल्कुल नई है वह है माइक्रो-फिल्मिंग की। राजस्व परिषद् मुख्यालय पर माइक्रो-फिल्मिंग इकाई की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए सभी साधनों युक्त एक कक्ष रहेगा, जिससे हमारे नक्शे ठीक रहें और रिकार्ड्स सुरक्षित रहें। हमारे विभाग में नक्शों और रिकार्ड्स का बहुत अधिक महत्व है, हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह जागरूक हैं। इसलिए यह निश्चय हुआ है और इसके लिए बजट में धन का भी प्राविधान कर दिया गया है। इससे आपके भू-रिकार्ड सुरक्षित रहेंगे और नक्शे ठीक हालत में रहेंगे। उन नक्शों की बड़ी आवश्यकता है। आज कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि रिकार्ड्स ठीक नहीं हैं, यह शिकायतें इससे दूर हो जायेंगी। इसके साथ ही कई जिलों में टाईप राइटर्स दिये जा रहे हैं, टाइपिस्ट की भी व्यवस्था है, जिससे कभी-कभी हाथ से लिखने में जो गलती कर बैठते हैं, वह न होने पावे।

जहां तक दैवी आपदाओं का सवाल है, उसकी समस्या कितनी बड़ी है, कितना धन इसमें खर्च हुआ और इसमें हमने क्या-क्या किया ? उसके बारे में मैं यहां पर बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, सूखे और दैवी आपदाओं का प्रकोप रहा, उसमें कितने व्यक्ति और गांव प्रभावित हुए यह हैं, लेकिन हमने इस आपदा में 3492 देशी नावें, 101 मोटर बोट्स, मोटर लांच्स समय-समय पर दिए हैं। 1098 बाढ़ चौकियां और 800 राहत केन्द्र खोले गये हैं। 22 करोड़ 25 लाख रुपया बाढ़पीड़ितों को राहत कार्य के लिए दिया गया है। आपदा तकाबी हेतु व्यवस्था, 1करोड़ 35 लाख की की गई है। एक बात और बताना चाहता हूं, वह यह है कि पहले तकाबी तीन सौ गुना मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर मैदान में 500 गुना और पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 गुना कर दिया गया है। तो हमने बहुत सी चीजें आपके समक्ष रख दीं, समय की कमी है, अब इस आदरणीय सदन के माननीय

सदस्य इस बजट पर अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करें, अपने सुझाव दें, ताकि सुझावों से हमें बल मिले और हम उन पर चलने का प्रयास करें।

*श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधिक मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से वस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने राजस्व मंत्री जी का भाषण बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और जैसा उन्होंने अपने भाषण के शुभारम्भ में कहा कि यह ऐतिहासिक विभाग है, मैं उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं। यह ऐतिहासिक विभाग है। यह विभाग मुगलकाल से लेकर, ईस्ट इंडिया कम्पनी से पूरे ब्रिटिश पीरियड को कवर करता हुआ आजादी के बाद आज तक यह विभाग एक प्रकार से चल रहा है। मंत्री जी ने जब कहना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुगल काल के लिए विकासों की ओर ही आपका ध्यान है जैसा कि आपने अपने सारे भाषण में कहा कि हमने बड़े क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी क्रान्तिकारिता के माने क्या हैं? आप जो 3-4 कदम चले हैं क्या इसी को क्रांतिकारिता कहते हैं? यह वह विभाग है जिस पर उत्तर प्रदेश की 50 प्रतिशत जनता की आमदनी निर्भर है। जिस तरह से साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिये हमारे देश में युद्ध करना पड़ा था उसी तरीके से इस आराजी के साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिये एक लम्बा संघर्ष चल रहा है। बहुत बड़ी जनता का भाग्य आराजी पर निर्भर है। 80 फीसदी जनता खेती करती है जिसका प्रत्यक्ष रूप से संपर्क राजस्व विभाग से है। 80 प्रतिशत जनता की सहूलियत के लिये मैं भरोसा करता था कि आप कुछ नयी घोषणायें करेंगे लेकिन आपने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। आपको सुनने के बाद मैं नहीं समझ पाया कि मैं कौन सी बात का उल्लेख करूं कि आपने यह नया कदम उठाया है।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पिछले वर्ष भी आपने राजस्व मंत्री के रूप में आय-व्ययक रखा था और मैंने दुर्भाग्यवश कटौती का प्रस्ताव रखा था। मैं उम्मीद करता था कि पिछले एक साल के अन्दर आपने कुछ कार्य किया होगा। लेकिन आपने कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय आपके प्रदेश के अन्दर जो आराजी हैं तो 20 प्रतिशत व्यक्ति 80 प्रतिशत आराजी के मालिक हैं और 80 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 प्रतिशत आराजी के मालिक हैं। तो यह जो व्यवस्था है इसको बदलने के लिये आपने कौन सा कदम उठाया है यह आप बता दें? मैं कहता हूं तो हमारे सत्ता पक्ष के भाइयों को कष्ट होता है। जब जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट बनाया गया था तो क्रांतिकारी कदम उठाया गया था और उसके मातहत सामन्तवादी प्रथा को समाप्त किया गया था। यह ऐक्ट चौधरी चरण सिंह द्वारा बनाया गया था। यह ऐक्ट प्रदेश की जनता के लिये उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जो आज कांग्रेस में नहीं है परन्तु कांग्रेस जीवित है। उन्होंने इस ऐक्ट को बनाकर सारे प्रदेश की जनता को साम्राज्यवादी लूट से बचाया था आपने क्या कदम उठाया है? कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट भी उन्होंने बनाया। जनता शासन के पहले और जनता शासन के बाद में आपकी सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया, बता दें? 11 दिसम्बर, 1952 को जब चौधरी चरण सिंह ने कंसालीडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट की रिपोर्ट रखी थी तो उन्होंने कहा था कि इसको पंजाब के पैटर्न पर बनायेंगे और सारे प्रदेश में 6 वर्ष के अन्दर चकबंदी करा देंगे। आज मंत्री जी ने घोषणा किया है कि 1 लाख 49 हजार हेक्टेयर की चकबन्दी 1985 में करायी गयी और आपके प्रदेश के अंदर 245 लाख हेक्टेयर जमीन है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और कितने व्यतीत हो जायेंगे। जब आप कंसालीडेशन आफ लैंड होल्डिंग्स एक्ट के मातहत सारे प्रदेश में चकबंदी करा पायेंगे। आपने इसमें शीघ्रता लाने के लिये कोई कदम उठाया हो तो बता दें। आपने चकबंदी के बारे में बड़े जोर से कहा कि दो शिकायतें मिलीं और उन दोनों का मैंने निराकरण कर दिया और जो लोग सजा पाने के मुस्तहक थे उनको सजा दे दी।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जयमंगल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध लगभग 100 शिकायती पत्र जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये। प्राथमिक जांच के बाद चकबन्दी आयुक्त ने दो बार शासन को लिखा कि इनका स्थानान्तरण हुए बिना जांच निष्पक्ष सम्भव नहीं है। इनका स्थानान्तरण हुआ, परन्तु मा0 राजस्व मंत्री के निजी सचिव ने पता नहीं किस तरह से मिलकर इन बंदोबस्त अधिकारी का स्थानान्तरण रोक दिया। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि चकबंदी विभाग के अन्तर्गत करीब 800 से ज्यादा चकबंदी अधिकारी हैं और उनमें से अधिक संख्या में अधिकारी कन्फर्म नहीं हुए हैं, उसी प्रकार से और भी छोटे-बड़े अधिकारी व कर्मचारी हैं, जिनका ज्यादातर कन्फर्मेशन नहीं हुआ है जैसे बंदोबस्त अधिकारी 42 हैं, उनमें से केवल 21 का कन्फर्मेशन हुआ है, 200 सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं, जिसमें से केवल 68 का कन्फर्मेशन हुआ है। तो इस प्रकार से इनमें ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका

न तो कन्फर्मेशन ही हुआ है और न ही कोई उनकी प्रोन्नति हुई है और न ही कोई आपकी आगे की स्पष्ट नीति नजर आ रही है इसी कारण उनमें एक कुण्ठा व्याप्त है और लूट में बुरी तरह से लिप्त हैं।

श्री गौरी शंकर–

आप अपनी बात कह लीजिये, बाद में बताया जायेगा कि हमने क्या किया है?

श्री सत्यपाल सिंह–

हां, बताइयेगा बाद में, लेकिन यह सुनिश्चित करके कि कितना कुछ जनता शासन में किया गया है और कितना आपने अब तक किया है? मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप इन चकबंदी अधिकारी के विषय में कोई भी न्यायपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं और जिस भ्रष्ट अधिकारी के बारे में चकबंदी आयुक्त ने भी लिखा कि इसके रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है, इसलिए इसका स्थानान्तरण कर दिया जाए, मान्यवर, स्थानान्तरण हुआ भी, लेकिन फिर आपके निजी सचिव से मिलकर रोक दिया गया। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपके विभाग में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है।

दूसरे मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं भूमि सृजन के विषय में। इस सम्बन्ध में अनेकों संस्तुतियां की गयीं और अनेकों कानून बनाये गये। विशारद कमेटी की रिपोर्ट में हमारे हरिजन और भूमिहीन भाइयों के लिए आवास का प्रबन्ध था और सानवाल कमेटी रिपोर्ट के तहत आप देखें मान्यवर, उसमें आपका तराई क्षेत्र, पीलीभीत, खीरी व अन्य जनपदों का किसान आज कहां जा रहा है, आज वहां का किसान खेती करने वाला नहीं है। बड़े-बड़े मिलेट्री के ओहदों पर व अन्य बड़े-बड़े धंधों में स्थान पा चुका है। मान्यवर, कहा यही गया है कि किसान वही है जो अपने हाथों से काम करे न कि वह वहां पर अपना सिर्फ कानून चलाये। इन्हीं सब बातों के लिए सानवाल कमेटी की रिपोर्ट में संस्तुति थी लेकिन आपने उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने पिछले वर्ष यह कहा था कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत जो "राजस्व संहिता विधेयक" है, उसे अवश्य लायेंगे।

मैं आज आपके भाषण के दौरान यह उम्मीद कर रहा था कि आप इस विधेयक के बारे में जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन आपने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं नहीं कहा और इस सिलसिले में 13 जुलाई, 1985 को एक माननीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने तारांकित प्रश्न किया था, उसके जवाब में भी आपकी ओर से यही कहा गया था कि एक हफ्ते के अन्दर हम इसे अवश्य प्रस्तुत कर देंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप इस विधेयक को उस समय पास करा लेते तो आज जो राजस्व विभाग में अनेकों समस्यायें और अव्यवस्थाएं व्याप्त हो गयी हैं, जिनके ऊपर आपका अब नियंत्रण नहीं रहा है, वह न होता लेकिन इस पर मा0 मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया और यही नहीं, हर बार जब-जब मंत्री रहे, या दूसरे राज्य मंत्री रहे, सबने यही कहा कि जल्दी ही यह विधेयक पास कर दिया जायेगा, लेकिन उसे अब तक पास नहीं किया गया। अगर अब भी आप इसको ले आयें और पास कर दें तो जो आपका

विभाग आज एक सफेद हाथी बना हुआ है, वह न होता और उसका विकेन्द्रीकरण हो गया होता और दूसरी-दूसरी कई शाखाएं, मुकदमा दायर करने के लिए व अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए, बन जाती। आपने वह नहीं किया, ऐसा ही नहीं, आज इस विधेयक के अन्तर्गत बहुत मूल्यवान सुझाव दिये गये थे, जिनकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मुकदमों के विषय में उसमें कहा गया था कि जितने मुकदमें होंगे समरी ट्रायल द्वारा तहसीलदार के द्वारा निपटाये जायेंगे और उसकी निगरानी एस0 डी0 एम0 करेगा और जो रेगुलर सूट होंगे, उन सूट के लिए अपील का अधिकार आयुक्त को होगा, जो आपका राजस्व आयुक्त होगा। अगर आप प्रत्येक मंडल में राजस्व आयुक्त नियुक्त कर दिये होते, जैसी कि इसमें संस्तुति की गयी है, तो किसान जनता को अपने मुकदमें के लिए भागना नहीं पड़ता। आपने अपने भाषण में राजस्व संहिता की बात बिलकुल नहीं कही। अगर आपने राजस्व संहिता की बात कही होती, तो मैं कहता कि आपने एक क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से कई एक मसले थे जिनका आपने उल्लेख नहीं किया। जैसे उत्तराधिकार का कोई मसला होगा। तो उसको कानूनगो अपने आप तय कर देगा और उसे लखनऊ भागने की जरूरत नहीं होगी। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा को हिस्सा मिलेगा।

मान्यवर, बहुत अच्छे उसमें सुझाव दिये गये हैं। मान्यवर, उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि जो हरिजन भाई जमीन पर काबिज हैं, वह किसी हालत में अपनी जमीन को बेच नहीं पायेंगे। लेकिन इस तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका अन्जाम यह हुआ कि अपना कानून जो मुगल काल का कानून है, वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। आपने अरबन सीलिंग एक्ट लाया। अरबन सीलिंग एक्ट के विषय में आप देखें कि एक तरफ तो आपने जमींदारी खत्म कर दी, लेकिन शहर की जो प्रापरटी है, न तो उसकी सीलिंग है और जो अरबन एरियाज की जमीन है, न तो उसकी सीलिंग है। मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह के माध्यम से सारे देश ने सहारा लिया। कांग्रेस भाई एक तरफ तो कहते हैं कि वे कांग्रेसी थे और जब हम कहते हैं, तो आप चौंकने लगते हैं। अरबन सीलिंग एक्ट लाने के बाद आप उसे लागू नहीं कर पाये, क्योंकि आप अभी तक तय नहीं कर पाये कि कौन सी एग्रिकल्चरल लैंड है और कौन सी नान-एग्रिकल्चरल लैंड है। अगर आपने यह कर लिया होता, तो जो शहरों के अन्दर जमीन एकत्रित हो रही है, वह भूमिहीन किसानों के लिए वितरित हो गयी होती। मान्यवर, ऐसे कानून बनने से जनता का भला नहीं हो सकता।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि इस अरबन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत हम एक अध्यादेश ला रहे हैं, जिसमें यह प्राविधान होगा कि एस0 डी0 एम0 के फैसले की अपील आयुक्त के यहां पर होगी और आपने इसको इसलिए कर दिया कि जज के पास बहुत काम होता है और वे इन अपीलों को शीघ्र नहीं निपटा पाते हैं और इन अपीलों के फैसले में देर लगती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके

आयुक्त खाली बैठे रहते हैं। उनके पास इसके अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। क्या जजेज के पास ही ज्यादा काम हैं, इसलिए आपने एस0 डी0 एम0 के फैसले की अपील का प्राविधान आयुक्त के पास करने के लिए कर दिया है, आयुक्त के पास भी तमाम काम हैं। एक बात आपने कहा कि बहुत से प्रभावशाली लोग हैं, जो जमीन को बचाये पड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह कौन प्रभावशाली लोग हैं? वह आपके रिटायर्ड आई0 ए0 एस0 आफीसर्स हैं, रिटायर्ड मिलिट्री के आफीसर्स हैं, एम0 एल0 एज0 और एम0 पीज0 हैं।

मैं कहना चाहता हूं जज पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आपने आयुक्त के हाथ में इसको देकर भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल दिए हैं। जज के हाथ में होता तो मैं समझता कि इंसाफ मिल जाता, लेकिन आपने इसको आयुक्त के हाथ में दे दिया है। सीलिंग एक्ट लाये उसमें भरोसा किया था कि 14 लाख हेक्टेयर जमीन आपको मिलेगा लेकिन उसको लागू करने जा रहे थे 15 अगस्त, 1960 के लिए, 1960 में हुकुम सिंह जी मिनिस्टर थे, तब सीलिंग एक्ट बना था। 15 अगस्त, 1960 को यह एक्ट लागू होना था, लेकिन इन्होंने इसमें पांच दिन की अवधि और बढ़ा दी, जिसकी वजह से यह एक्ट 15 अगस्त, 1960 को लागू नहीं हो सका और इन पांच दिनों के अन्दर जितने बड़े-बड़े लोग थे उन्होंने खूब फायदा उठाया, जिसकी वजह से यह एक्ट बिफल हो गया और आपको 14 लाख हेक्टेयर जमीन में से पांच लाख हेक्टेयर जमीन ही मिल पाई और जो जमीन मिली है उन पर मुकदमें चल रहे हैं। अब भी आप विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि वह जमीन आप गरीबों में बांट चुके हैं। दूसरी बात मैं दैवी आपदाओं के बारे में कहना चाहूंगा। दैवी आपदाओं के अन्तर्गत आप 200 और ढाई सौ रुपये की सहायता देते हैं। 400 रुपये जिसकी पूर्ण हानि होती है। उसको देते हैं। 200 रुपये जिसकी आंशिक हानि होती है उसको देते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

20 मिनट हो चुके हैं, अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इसमें बढ़ोत्तरी करें। बाढ़ के बारे में कहना चाहूंगा। बाढ़ से इस वर्ष करीब सात करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद अहेतुक सहायता के नाम पर जिलाधिकारियों ने पैसा बांटा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 रु0 भंवर में मकान गिरने पर भी लोगों को नहीं दिया गया। अधिकारी लोग समझते हैं कि पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं। मान्यवर, मैंने खुद देखा है जो लोग परिवार नियोजन के लिए तैयार हो गये उनको तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपया देने को तैयार हो गये। बाकी जो नहीं तैयार हुए उनको 200 रुपया भी नहीं दिया गया। मान्यवर, यह बाढ़ आने पर सहायता देते हैं, ओलावृष्टि पर सहायता देते हैं, आदमी के मरने पर सहायता देते हैं मैं कहना चाहता हूं जानवर, जो बाढ़ में बह जाते हैं उसमें भी पैसा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। फसल में मान्यवर, कभी कभी आग लग जाती है पूरी फसल तहस-

नहस हो जाती है, तो उसमें भी पैसा देने का प्राविधान करें ।

मान्यवर, 20 हजार या 25 हजार प्रतिवर्ष के हिसाब से क्षेत्रफल आप बाढ़ से प्रभावित बता रहे हैं जबकि 245 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ है, तो मैं समझता हूं कि जो बरबादी बाढ़ के नाम पर होती है उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं जनता

(3 बजकर 20 मिनट)

के जमाने में सवा तीन एकड़ जमीन की मालगुजारी माफ की गई थी । अच्छा होता आज आप घोषणा करते कि सवा 6 एकड़ का लगान माफ कर रहे हैं। सवा तीन एकड़ की लगान माफी आपने नहीं किया इसको जनता पार्टी ने ही किया है । 1-1-77 का भूमि विकास कर जनता पार्टी ने समाप्त किया आपने नहीं किया । सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि क्रान्तिकारी कदम उठाया है लेकिन मैं समझता हूं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है । जनता के कार्यों को अगर मैं सुनाऊं, आप अनुमति दें तो सुना दूं अनेकों अच्छे काम जनता पार्टी ने किया है । मैं इस पर समय नहीं लेना चाहता हूं ।

स्थायी पुर्नवासन विभाग एवं शत्रु सम्पत्ति के ऊपर आप कुछ बोलेंगे, यह मैं सोच रहा था लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं कहा । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इसका काम बहुत ही ढीला चल रहा है । 1954 में 60 शरणार्थी महिलाएं पाकिस्तान से पहले चुनार आयी थीं और उसके बाद इलाहाबाद में आयीं । लेकिन उनके स्थायी पुर्नवासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई । 40 महिलाओं को तो छोटे छोटे मकान दे दिये गये लेकिन 20 के आज भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है । आपके विभाग के प्यारे मोहन अनुसचिव है, उन्होंने अपने पत्र संख्या आर0 ए0 जी0 887/31-370/48 दिनांक 30-4-85 के द्वारा यह सूचना दी है कि स्थायी पुर्नवासन कर दिया गया है । लेकिन स्थिति सन् 54 वाली ही बनी है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां देहातों के अन्दर बाजार है, मेले हैं, हाट हैं, उन पर बड़े लोगों के कब्जे हैं । उनका वहां पर साम्राज्य है और उनकी गुन्डागर्दी वहां चल रही है । आज आपको कहना चाहिये था कि इन मेले, बाजारों और हाटों को सरकार अपने हाथ में ले रही है । इससे गांव सभा की आमदनी बढ़ती । मैं तो इसको सुझाव के रूप में कह रहा हूं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि तहसीलदार की स्थिति यह है कि जितने तहसीलदार प्रान्तीय से आते हैं, नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनते हैं और फिर एस0 डी0 एम0 तक बन जाते हैं लेकिन वह अपने पद पर स्थायी नहीं हो पाते हैं । आज तहसीलदार की स्थिति क्या हो रही है । भ्रष्टाचार के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो लेकिन थाने और तहसील विशेष रूप से कहे जाते हैं । लेखपाल को कितना अधिकार है यह न पूछिये । लेखपाल के हाथों पी0 के0 शर्मा मंत्री जी मारे गये । अनूपशहर में उनके नाम लेखपाल ने जमीन एलाट कर दिया, शर्मा जी मंत्री थे आज वह मंत्री भी नहीं बन पाये । लेखपाल की कुछ कहिये मत । जनता पार्टी के जमाने में जितने अधिकारी आते थे वह नायब तहसीलदार, डी0एम0 या एस0 डी0 एम0 को नहीं ले जाते थे, तीन रुपया उनको खुराकी तय कर दी गई थी लेकिन आज आपके राज्य में

डी0 एम0 जब जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जवाब आ गया हो । कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, इस बात पर आप विचार नहीं कर पा रहे हैं ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं प्रवर समिति की रिपोर्ट जो राजस्व संहिता विधेयक पर थी उस पर मंत्रिपरिषद् की एक सब कमेटी विचार कर रही है । मेरा निवेदन है कि इस सदन के अन्त तक उस कमेटी की रिपोर्ट को अवश्य लागू करा दें ।

अब मैं मान्यवर, 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं । विचार कर सकें तो कर लीजियेगा । आपके प्रदेश के अन्दर 56 लाख हेक्टेयर ऊसर जमीन पड़ी हुई है । आपके प्रदेश के अन्दर 60 लाख हेक्टेयर सीपेज की जमीन पड़ी हुई है और 60 लाख हेक्टेयर नदियों के किनारे की ऊबड़ खाबड़ जमीन पड़ी हुई है । इसके विकास के लिये 1500/- रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च आता है ।

श्री जगदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह आंकड़े कहां से प्राप्त किए गए हैं, यह भी बता दें तो पुष्टि हो जायेगी । माननीय सदस्य ने 245 लाख हेक्टेयर कुल जमीन बताई है जिसमें से 180 लाख तो यही बता रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह जमीन है और इसके साथ-साथ ही राजकीय आस्थान, गवर्नमेंट स्टेट और नजूल की 43 हजार हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है । मेरा आपसे कहना है कि यह जितनी जमीन है, यह सारी बिलकुल बेकार पड़ी हुई है । तमाम आपकी जमीन का पट्टा समाप्त हो जाता है और लोग उसको फिर से ले लेते हैं । आप इनकी कीमत बढ़ाकर दे दें तो विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रदेश के अन्दर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । यदि इस ऊसर, सीपेज की जमीन नदियों के किनारे की ऊबड़ खाबड़ जमीन और गवर्नमेंट स्टेट की जमीन का सही बंटवारा करावें तो जितने भूमिहीन हैं, मजदूर हैं उनकी समस्या हल हो जायगी और इतना राजस्व प्राप्त होगा कि प्रदेश के किसी विभाग को टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव रखता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़े हुआ हूं। हमारे लोकदल के सदस्य ने एक बात कही कि चौधरी साहब ने यह एक्ट बनाया । सम्भवतः वह यह भूल गये कि इसी सदन में पंत जी जब मुख्य मंत्री थे तो इस एक्ट के बारे में विचार हुआ था और उन्होंने कहा था कि "दि डीलर आफ दि स्वायल इज दि ओनर आफ दि स्वायल" यही आगे चल कर जमींदारी उन्मूलन एक्ट का मूल आधार बन गया था । जो जमीन जोतता है, वही उस जमीन का मालिक है, इसी आधार पर यह एक्ट बना था । चौधरी साहब तो कांग्रेस के सिपाही थे, मंत्री थे । लेकिन यह तो मंत्रिमण्डल का निश्चय था, पार्टी का निश्चय था । किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था । सन् 52 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आया और 46 में इसी सदन में पंत जी ने इसके बारे में कहा था । चौधरी साहब उसके बाद दो बार मुख्य मंत्री हुए । सन् 67 में भी आप मुख्य मंत्री बने । जनता पार्टी के शासन में 77 में भी आये, लेकिन जमींदारी उन्मूलन एक्ट की दफा 9 के तहत जो जमीन जिस प्रकार की थी, जहां मकान थे, उसके आगे पीछे की जमीन सेटेल कर दी गयी । लेकिन उसके बाद 1975-76 तक के बीच में जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे उन्होंने कोई तब्दील नहीं किया, न उनकी पार्टी ने किया । आज जो व्यवस्था है वह 1971 में की गई थी । अगर गांव सभा की भूमि है, अगर किसी गरीब की भूमि है, जो पात्र व्यक्ति है, जमीन पाने का हकदार है, अगर उसकी जमीन है, मकान था तो उसको सेटिल कर दिया गया यह हमने व्यवस्था की । पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लाख गरीब हरिजन लोग, मजदूर उससे लाभान्वित हुए । यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है । हम समझते थे कि आप इस हुकूमत को, इन मंत्रीगण को आप धन्यवाद देंगे । जो चीज 1975 के लिए लागू थी, 1985 में अगर किसी भूमि पर, बंजर की भूमि पर, गांव सभा की भूमि है, अगर उस पर किसी गरीब का कब्जा है तो वह उसके साथ सेटिल कर दिया जायेगा । वह जमीन का मालिक हो जायेगा । आज हमने तरमीन करके इस बात को कहा है कि जो इस तरह की जमीन है, जिसकी जमीन है उसको उसके साथ सेटिल किया जायेगा । इस हुकूमत ने इस समय बहुत से क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं । निश्चित रूप से यह सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है और माननीय सदस्यों को कटौती के प्रस्ताव के समय इन चीजों पर धन्यवाद देना चाहिए था । आपने बहुत बहस किया, खजाना जो था उसको लूट लिया और अब उसके लिये वाहवाही चाहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है । कुछ चीजें हमारे सामने हैं जिन्हें हमारे माननीय सदस्य और सदन स्वीकारेंगे । बहुत से विदेशी लोग हिन्दुस्तान में चाहे दान के रूप में या किसी तरह से जमीन हड़पने की कोशिश करते थे उस पर हमारी हुकूमत ने प्रतिबन्ध लगाया है । यह निश्चित रूप से एक बहुत ऊंचा और सराहनीय कदम है और उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में तो कहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 वर्मा जी, आप अपने टाइम में बोलियेगा ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

इस तरह से जेड ए एक्ट में जो प्राविधान किया गया है, वह आप भी महसूस करेंगे । यह 1836 का है, फिर 1881 में बना, उसके बाद 1901, 1936 और 1939 में बना, इसमें कहीं न कहीं कमी बनी ही रही । इसी तरह जेड ए एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कमेन्ट नहीं दिया था । यह तो एक ऐसा एक्ट है जिसमें खामियां हैं । इसी तरह से जमींदारी प्रथा को समाप्त कर हमने जमीन जोतने वाले को मालिक बनाया । लाखों लोगों को जमीन का मालिक बनाया । यही नहीं हमने सीलिंग कानून को बनाया । यह 1959 में बना 60 में लागू हुआ और 1971 में आकर हमने उसकी

सीमा को कम किया । हम ही ने किया, इस कांग्रेस हुकूमत ने किया, आपने क्या कार्यवाही की वर्ष 1977 से 80 में ? इस संबंध में कुछ तरमीम किया, किसको लाभ पहुंचाया ? एसा नहीं किया, इसलिए यह काम भी जो जेड0 ए0 एक्ट के अन्तर्गत गरीबों को लाभ पहुंचाया है, प्रशंसनीय है। हमने जमीन को सीलिंग से निकालकर गरीबों को बांटा है । लाखों लोगों के पास बित्ता भर जमीन नहीं थी, उनको जमीन मुफ्त में दी है, उनको जोतने के लिये दी है और उस पर काश्त करने के लिये नगद रुपया भी दिया है कि केवल जमीन बंट जाने मात्र से वे खेती नहीं कर सकते हैं । उन हरिजनों को, गरीबों को, उन कमजोर वर्ग के लोगों को सुविधा दी है । इसलिये वह धन्यवाद के पात्र हैं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, दो मिनट का समय और दें दें ।

चकबन्दी कानून के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव था कि चकबन्दी में हर चीज की हिस्सेदारी पड़ती है चाहे पैमाइश लेकर रकबे का हो या मालियत का हो लेकिन चकबन्दी जब समाप्त करते हैं, नक्शा बनाते हैं उस समय काश्तकार हिस्सेदार नहीं होता है, इसलिये जहां-जहां भी चकबंदी हो गयी है, नक्शा रकबे से छोटा या बड़ा बना दिया गया है। इसी का कारण है कि दफा 28 में हजारों मुकदमें पैण्डिंग हैं। देवरिया में 6 हजार से ऊपर मुकदमें पैण्डिंग हैं। दफा 39 के तहत यह कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि रिकार्ड को ठीक रखे। हम अनुरोध करेंगे कि एक-एक गांव से सैकड़ों सैकड़ों मुकदमें नक्शा-दुरुस्ती के दाखिल हैं, सरकार को, जो कि रेवेन्यू रिकार्ड को ठीक रखने के लिये जिम्मेदार है, जहां गांव से सम्बन्धित विवाद हैं, दो-चार आदमियों को लगा दीजिये, खतौनी के मुताबिक रकबे के मुताबिक उन नक्शों को ठीक कर दें। हमारे साथी ने कहा कि भ्रष्टाचार है, मगर ऐसा है नहीं, काम ठीक हो रहा है। मेरे जनपद में 14 मुकदमें ऐसे आये, जिनका फैसला फर्जी कर दिया गया, फैसला ही बदल दिया गया, 30 गांवों की खतौनी को लेखपाल लेकर भाग गया. रिकार्ड गायब है। कम्पलेण्ट किया है, माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया है, एक आदमी जेल गया है, दो-तीन ससपेण्ड हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हफ्ते भर के अंदर ठीक हो जाना चाहिये, लेकिन अभी तक कागजात ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि कम्पलैंट के अनुसार संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें, जहां खतौनी और नक्शा गायब है, उसको ठीक कराने के लिये भी व्यवस्था आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने, जो गांधीवादी मंत्री जी हैं, ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिनका हिन्दुस्तान के जन-जीवन से रोजाना का संबंध है, आप जैसे व्यक्ति ने अधिकारियों की सुविधा और उनके भ्रष्टाचार पर परदा डालने और उनके द्वारा किये गये कुकर्मों को अपने मुंह से बखान कर जो प्रशंसा करने का काम किया है, उससे मुझे दुख हुआ है । आप और आपके राज्य मंत्री दोनों पीड़ित हैं कि राजस्व परिषद् पर कोई आपका आधिपत्य नहीं है। वहां के अधिकारी और चेयरमैन आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं । रोजाना आपके कार्य में दिक्कत होती है कि किस परगनाधिकारी का कार्य ठीक नहीं है, किस तहसीलदार का कार्य ठीक नहीं है। जब शिकायतें आपके सामने आती हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं और राजस्व परिषद् के

सामने घुटने टेक देते हैं। राजस्व परिषद् का कार्य केवल उच्च अधिकारियों का आरामगाह बनाने का कार्य, वहां रह गया है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व परिषद् का स्टेट्स, मंडलायुक्त का स्टेटस और अतिरिक्त मंडलायुक्तों के स्टेटस के समान है और उसी को आपको बनाये रखना है। मंडलायुक्तों से जब वहां पर कोई पत्रावली आती है रिवीजन के लिये, तो यहां पर उस पर कोई काम नहीं किया जाता है उस पर कोई काम न करके उस रिवीजन को सुनने के बाद उसे फिर रिफर कर देते हैं कि इसकी सुनवाई फिर से करके फिर हमको भेजें। इसलिये इनके ऊपर जो लाखों रुपया व्यय किया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। राजस्व परिषद् को समाप्त करने का काम आप करते तो फिर आप जैसे मंत्री को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते। राजस्व परिषद् सिर्फ उच्चपदीन अधिकारियों की आरामगाह है, इसे आपको समाप्त करना होगा, यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि राजस्व से संबंधित जितने कानून हैं इसमें भारी विसंगतियां हैं, इसलिये आप रेवन्यू कोड बनायें और कानूनों में जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने में भारी मदद इस प्रकार से आपको मिलेगी। आप जैसे गांधीवादी आदमी को चाहिये कि रेवन्यू आचार संहिता को लाकर जनता को राहत दिलाने का कार्य आप करें।

तीसरी बात यह है कि सामन्तवादी प्रकृति के जो लोग हैं वे गांव समाज की जमीन पर कब्जा लिये बैठे हैं, उनको आप बेदखल कर नहीं पाते हैं। इस संबंध में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंगलदेव विशारद एक समाजवादी नेता रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था और उन्होंने संस्तुति की थी कि उत्तर प्रदेश के कुछ आदमी मंत्रिपरिषद् के जो पुराने सदस्य हैं, उच्च कांग्रेस के लोग हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी में अपनी अच्छी जगह रखते हैं, वे प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस बात का आप जवाब देते नहीं हैं और कभी आप चकबंदी कानून और जोत के कानून की व्याख्या करने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मंगलदेव विशारद आयोग की रिपोर्ट आयी थी उसमें कौन-कौन लोगों के पास इतनी ज्यादा सम्पत्ति है? और अब तक क्या कार्यवाही उसमें हुई है बतायेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मंगलदेव विशारद समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें जिन लोगों के नाम लिये गये थे, उन्हें अधिकतम जोत सीमा से अलग करने के लिए आपने क्या कार्यवाही की ? लेकिन आप उनके प्रति कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं। जिन लोगों की पत्नी घर में रहती है, तो पत्नी के घर में रहते हुए उनके नाम जमीन कर रखी है। अपने घर के पालतू कुत्तों के नाम जमीन कर रखी है, कुछ हरिजनों के नाम पर जमीन कर रखी है। लेकिन असल में वह जमीन कोई भी भूस्वामी के पास नहीं है।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने आकस्मिक निधि का जबरदस्त रुपया पढ़कर सुना दिया, तो मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि जब कोई आपदा आती है तो उसके लिये इस रुपये का प्रयोग किया जाता है। आपदाओं में वितरण के लिये जो धन आप भेजते हैं तहसीलों में और जिलों में अधिकारी जो बैठने वाले लोग हैं, उसके वितरण के लिए आलमारी खरीदते

हैं, कुर्सी खरीदते हैं। और सारी चीजों उसी धन से खरीद ली जाती हैं। आकस्मिक निधि का सारा रुपया निकाल कर उन अधिकारियों की सुख सुविधा के जो सामान होते हैं, उनको खरीद लिया जाता है। क्या आपने इसके लिये अलग से व्यवस्था करके भेजी है, अगर नहीं भेजा है तो किस आदेश के तहत, किस जी0 ओ0 के तहत इस फन्ड से कुर्सी, मेज आदि के लिए खर्च किया जाता है। यह मेरा गम्भीर आरोप है और मैंने सभी जगहों पर देखा है। सभी जगहों पर आकस्मिक निधि से अलमारी खरीदी गयी हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी सरकारी अधिकारी ने आपके फण्ड का इस्तेमाल किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की छबि और संस्कृति उससे घटेगी और इसको बचाने के लिये आप इस प्रकार के अधिकारियों को दण्डित करें। आकस्मिक निधि के पैसे से अगर आप कुर्सी, मेज और अलमारी खरिदवाते हैं और दूसरे कमरे में बैठवाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं है और मैं कहूंगा कि आप का इन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहा है।

मान्यवर, जहां तक ग्राम सभावों की जमीन का संबंध है, हरिजनों की बड़ी संख्या माननीय मंत्री जी ने बता दी कि इतनी भूमि उनको आवंटित कर दी गयी है और कब्जे दिला दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आगरा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिसको आप सेलेक्ट करें और जहां पर आप देखें कहीं पर भी वास्तविक कब्जा हरिजनों को नहीं मिला है। आपने जितने भी नाम गिनाये हैं, उनमें से किसी एक में भी हरिजनों को कब्जा नहीं मिला है। तो आप एक समिति सदन के माननीय सदस्यों की बना दें और उसका सर्वेक्षण करा लें और जहां पर हरिजनों को कब्जा नहीं मिला है और आपके सामने रिपोर्ट आ गयी है, तो उन अधिकारियों को आप दंडित करें। आप स्थिति का निरीक्षण करें और जांच करायें जिससे हरिजनों को सही माने में कब्जा मिल सके और जिन अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट प्रेषित की है, उनको सजा दी जाये। इससे हरिजनों को जमीन मिलने में गड़बड़ी नहीं होगी। अभी चकबंदी का ढिंढोरा पीटा गया, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में करखौली अनंदीपुर को 1980-81 में चकबंदी के लिये सेलेक्ट किया गया उसका नोटीफिकेशन हो गया चकबंदी नहीं हुई। लेकिन धारा 52 का अभी तक नोटीफिकेशन नहीं हुआ है। लोगों ने आपत्तियां की और अब वहां पर आपत्तियां आ गयी हैं, उसके बाद चकबन्दी होनी चाहिए, गजट नहीं हुआ है और लोग पुराने चकों पर काबिज हैं, खेतों की पैमाइश नहीं हुई है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले की आप जांच करायें।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एतमादपुर तहसील में रसूलाबाद में और बलिया में मदनपुरा, अंडवा और गौरा में चकबंदी कराने की कृपा करें। मान्यवर, मैं तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जो व्यवस्था है कि ए0 सी0 ओ0 चकों पर मौके पर जायेगा और जमीन का सर्वे करेगा और खेतों की किस्म को देखेगा और उसका आकलन करेगा, लेकिन किसानों से राय नहीं ली जाती है, सिंचित और असिंचित तथा ऊसर और बंजर न देखकर कीमत के मामले में पक्षपात किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 5

आदमियों की एक कमेटी बना दें और उसमें गांव सभा के चुने हुये लोगों को भी शामिल किया जाये और जो आज तक मुकदमें लम्बित हैं हाई कोर्ट में, इन सभी को संकलित कराकर तैयार करें जिससे लोग हाई कोर्ट में न जायें और रिश्वत के दोष को निकालने के लिए प्रभावी कदम उठायें। इन शब्दों के साथ मैं भाई सत्य-पाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा 1986-87 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सत्य-पाल यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, कृषि भूमि व्यवस्था भारतीय अर्थ तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। भूमि सुधार के आन्दोलन के साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है, कांग्रेस ने जमींदारी का खात्मा किया। इसके बाद जो भी काम थे उनमें जितने हरिजनों के थे उनको भी किया। गांवसभा भूमि के वितरण का भी एक इतिहास है। धारा 198 जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि भूमि भूमिहीन कृषक मजदूरों को दी जाय, नतीजा यह हुआ कि सामन्तवादियों के परिवारों में जो भी भूमिहीन हो सकता था प्रधान से मिलकर इस कानूनी कमी से पट्टों पर उनको जमीन दे दिया और हरि-जन बेचारे रह गये। जब कांग्रेस सरकार ने यह देखा कि क्या कारण है कि यह जमीन गांवसभा की अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नहीं मिल पा रही है और गलत जगह चली जा रही है तो पट्टा कौन्सलेशन का कार्य कांग्रेस सरकार ने चलाया और पुनः धारा 198 की व्यवस्था में वरीयता सूची का प्राविधान किया जिससे कि हरिजनों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का पट्टा मिल सके। मैं भूमि सुधार आन्दोलन के अतीत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में न जाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, पात्र सूची बनाने में भूमि वितरण की 3 श्रेणियां रखी जाती हैं क, ख, ग। किसी हरिजन के ऊपर अगर 10 डि0 जमीन है तो हरिजन व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और दूसरी श्रेणी में भूमि पहुंच जाती है। होना यह चाहिए कि हरिजन भूमिहीनों को 3-1/8 एकड़ का रकबा जब तक पूरा न हो जाय तब तक पट्टा किसी दीकर श्रेणी के व्यक्ति को न दिया जाय।

मान्यवर, हरिजन आवास के वितरण के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। हरिजन आवास के वितरण में एक व्यव-हारिक कमी है। मान्यवर, जिस प्रकार कृषि योग्य भूमि के आवंटन में उस क्षेत्र का नक्शा खसरा रहता है पत्रावली के साथ उसी प्रकार आवास स्थल के आवंटन में उसका नक्शा खसरा पत्रावली के साथ रहे जिससे कि वह काबिले शिनाख्त हो सके और भविष्य के विवाद खत्म हो सके। अतः मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बिन्दु पर शासन गम्भीरता से विचार कर अधि-कारियों को निर्देशित करें कि आवास स्थल का आवंटन आवास स्थलों के प्रत्येक हिस्से का बाजाप्ता नक्शा सिजरा रहना चाहिए।

मैं सीलिंग के बारे में भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, सीलिंग की भूमि का नियत प्राधिकारी के निर्णय के बाद या जिला जज प्रथम अपीलेंट कोर्ट के निर्णय के बाद भूमि पट्टे दिये जाते हैं यह हरिजनों के नाम तो दर्ज हो जाते हैं, पट्टा हो जाता है लेकिन कब्जा नहीं हो पाता है और

ऊपर के सेकेण्ड अपीलेंट कोर्ट से या अंतिम कोर्ट से स्थगन आदेश आ जाता है, नतीजा यह होता है कि वह लगान देता है और जमीन नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यह होती है कि दीगर गांव सभा की जमीन का उस गांव में आवंटन हो जाता है तो इस कारण वह बेचारा सूची में नहीं आ पाता है क्योंकि उसका सीलिंग का पट्टा है और दूसरी श्रेणी का व्यक्ति उस जमीन की गांव सभा भूमि के पट्टे का हकदार हो जाता है। बाद में निर्णय यह होता है कि सीलिंग का मुकदमा वह जीत गया और अतिरिक्त घोषित भूमि समाप्त हो गयी और उसका पट्टा भी खत्म हो जाता है और जमीन चली जाती है।

मैं खलिहान के बारे में कहूंगा जैसे चकबन्दी के बाद आवास स्थल के लिए सवर्ण तथा हरिजनों के अलग-अलग भूमि सुरक्षित की जाती है ठीक उसी प्रकार खलिहान के लिए भी हरिजनों तथा स्वर्णों के खलिहान के लिए अलग-अलग भूमि सुरक्षित की जानी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता मात्र खलिहान के लिए जमीन सुरक्षित की गयी व्यवहारिक रूप में यह होता है कि शोरेपुस्त सामन्त वादी, प्रभावशाली व्यक्ति अपनी वृहद जोत की फसल को खलिहानों में रख लेते हैं और बेचारा गरीब निर्बल कृषक मजदूर अपनी फसल के मड़ाई के लिए जगह से वंचित हो जाता है। इस कानूनी कमी होने के कारण वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है और इस सम्बंध में कोई अलग से प्राविधान न होने के कारण अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा सुझाव है कि जो भूमि खलिहान के लिए भूमि चकबन्दी द्वारा दी गयी है उसको निर्बल वर्ग के लिए भूमि प्रबन्धक समिति आधी या $\frac{1}{3}$ बांटने का प्रस्ताव करती जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी के स्तर से कर दिया जावे। अभी मार्च में यह परिस्थिति आयेगी और आती रही है। यह व्यवस्था की जाय, जो बहुत आवश्यक है। एक व्यवस्था और रखी गई थी। अगर सन् 85 में किसी हरिजन का किसी भूमि पर कब्जा है तो उसकी भूमिधरी का अधिकार प्रदत्त कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि जो चीफ रेवेन्यू आफीसर्स हर जिले में रखे गये हैं वे डिक्लयर करें कि उनको भूमिधरी का अधिकार दिया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी पट्टे वाली जमीन का कब्जा नहीं ले पाता है वह गांव सभा की जमीन पर अतिक्रमण कैसे करेगा। वह अनधिकृत कब्जा नहीं कर सकता है। श्रीमन्, आप देखें कि आज हरिजनों के ऊपर 122 वी के 95 प्रतिशत मुकदमें हैं जिन पर पांच-पांच हजार रुपया जुर्माने के हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि उनका यह जुर्माना खतम किया जाय।

दूसरी बात है राजस्व की वसूली की। बैंक देयों की और आई0 आर0 डी0 की वसूली हेतु बैंक सीधे राजस्व विभाग को भेज देता है उस पर राजस्व विभाग का 10 प्रतिशत अधिभार लग जाता है जब कि बैंकों के पंपिग सेट आदि में और आई0 आर0 डी0 में उनके साथ ठगी होती है और यह सर्व विदित है कि ठगी हुई है तो कम से कम उन्हें यह राहत दी जाय कि राजस्व विभाग का 10 प्रतिशत अधिभार उन पर न लगे। इस तरह से निर्बल वर्ग के लोगों पर छूट होनी चाहिए। मान्यवर, भूमि के विक्रय की आज्ञा नहीं है लेकिन बैंक ऋण की अदायगी के लिये वह जमीन कुर्क होकर कम कीमत में बिक जाती है जिससे उस व्यक्ति को अपूर्णीय

क्षति होती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई हरिजन विक्रय की आज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के पास ले जाता है और यदि बैंक वसूली अथवा सरकारी देयों की वसूली का वारन्ट संलग्न करता है तो स्वतंत्र रूप से बेचने की आज्ञा बिना आख्या के प्रदान की जानी चाहिए। व्यावहारिक रूप में वही जमीन कुर्क होकर 15 हजार रुपये में बिक जाती है और स्वतंत्र रूप से वही जमीन 60 हजार रुपये में बिकती है। अतः निर्बल वर्ग के कल्याण हेतु इस विक्रय का सरलीकरण कर उन्हें आज्ञा पत्र अविलम्ब दिया जाय।

राजस्व प्रशासन में हर नियुक्ति के बारे में राजस्व विभाग की 1985 कार्य विवरण पत्रिका को मैंने देखा। उसमें नौकरियों में कहीं 7 प्रतिशत है और किसी समूह में 4 प्रतिशत है। यह इस पत्रिका के पृष्ठ 8 में अंकित है। चकबंदी विभाग की समूह "ख" में दिया है कि इस समूह के कर्मचारियों की प्रोन्नति करके उसकी पूर्ति की जायेगी। मुझे खेद है कि इसमें सीधी भरती का प्राविधान क्यों नहीं किया गया है। इसलिये आप ऐसे आदेश दें जिससे सीधी भरती द्वारा हरिजनों एवं शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिल सके इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, हमारे यहां एक डी0 डी0 सी0 थे आपने उनको एक महीना पहले हटा दिया है मि0 त्यागी उनका घर भी सहारनपुर में है उनके बाप भी सहारनपुर में ही रहते हैं (व्यवधान) ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती है तो ऐसा डी0 डी0 सी0 दुनिया के तख्ते पर कोई दूसरा नहीं मिलेगा जिसका बाप ही दलाली करता हो उसकी।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आपके नजदीक का आदमी है समझा-बुझा कर ठीक कर दीजिए।

श्री राम सरन—

वह आपके आदमी हैं, आपके अधिकारी हैं। आपके रैवेन्यू सेक्रेटरी से मैंने कहा और कलेक्टर से कहा कि इस जिले में या तो आपके डी0डी0सी0 रहेंगे या फिर मैं रहूंगा तो शायद उसका कुछ प्रभाव पड़ा उसे आपने हटा दिया और हटा कर बस्ती भेज दिया अब वहां के लोगों को पीड़ित करेगा।

मान्यवर, इससे पहले हमारे एक एस0 ओ0 सी0 थे उनका भी ट्रांसफर हो गया मि0 अग्रवाल उनका भी एक अजीब हिसाब है उनकी लड़की की शादी का इस्टीमेट 10 लाख रुपये था। राजस्व विभाग के आफिसर सुन लें आजकल वह शायद इटावा में है या कहां हैं अपर हाउस में भी मैंने यह बात कही थी उनके कारनामे बता रहा हूं। फिर भी उनको सर्विस में रखते हो। सहारनपुर के लोगों को बड़ा परेशान किया वहां के किसानों को दुबारा जमीन खरीदनी पड़ रही है (व्यवधान) गंगवार साहब हंसिए नहीं काश्तकार फंस गए हैं पीड़ा से कराह रहे हैं। मैं राजस्व विभाग के अधिकारियों को चैलेन्ज करता हूं आप ऐसे लोगों की जांच करा लीजिए अगर मेरे आरोप गलत पाए जायेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधान सभा से। उनके कारनामों से किसानों को दुबारा जमीन खरीदनी पड़ रही है। चेक काटने का एक तरीका होता है गांव में इसके लिए एक समिति होती है उसमें बैठकर तय होता है तो वहां ए0 सी0 ओ0 अपने कमरे में बैठकर चक काटते हैं आज एक से कहते हैं आपका चक यहां बनेगा और जब उसके साथ सौदा नहीं पटा तो अगले दिन कह दिया कि चक यहां बनेगा। पैसा खा कर चक काटते हैं तो यह रहा आपकी चकबन्दी का हाल।

अब मैं 122 बी के मुकदमों की बात बता रहा हूं इसमें भी बड़ी धांधली है मैं नकुड़ तहसील की बात बता रहा हूं यहां पर एक आफिसर बैठे हैं वह सब जानते हैं वे हमारे यहां रहे हैं । एक तहसीलदार थे उसे भी हटा दिया है तो हटाना कोई सजा नहीं है। उसकी लड़की की जब शादी हुई थी तो कन्यादान में 70 हजार रुपए दिए और 17 क्विंटल दूध आया था तो इतनी बड़ी शादी किसी बड़े जमीदार या राजा के यहां नहीं होती है जहां कि 17 क्विंटल दूध आता हो । तो उसे तरक्की करने के बाद ललितपुर भेज दिया गया है एस0 डी 0एम0 बना कर । तो ऐसे लोगों को जिन्होंने जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया हो उसको पनिश क्यों नहीं करते हैं ।

अब मैं ग्राम समाज की बंजर भूमि के बारे में बताता हूं । मैंने अपर हाउस में जब मैं था उस वक्त भी कहा था कुरील साहब उस वक्त मंत्री थे मर गए हैं मैंने तीन गांव के नाम दिए थे । एक मेरी कांस्टीटुवेंसी में फतेहपुर ठोला है वहां के पहले प्रधान जो अपर कास्ट के बड़े जमीदार हैं उन्होंने ऐसे लोगों के नाम जमीन कर दी जो दूसरे जिले में रहते हैं अपने साले के नाम, भांजे के नाम या दामाद के नाम पट्टे कर दिए हैं । यह गांव गंगोह ब्लाक, परगना गंगोह में है इनकी जांच दो-दो बार हुई और फिर जांच बदलाई गई चूंकि ए0 डी0 एस0 पर दबाव डाला गया और फिर ज्यों के त्यों पट्टे रह गए ।

माननीय, आज सुबह ही मैंने अरबन सीलिंग के बारे में कहा था कि आप अरबन सीलिंग में वही जमीन लेते हैं जो उपजाऊ होती है और छोटे-छोटे जैसे माली को होती है जो सब्जी उगाता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रदेश में जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वह ऊसर जमीन में लगायें तो अच्छा होगा और जो खेती के लायक जमीन है उसको आप बचायें ।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन, और विरोधी दल के विधायक द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश के एक सुदूर पिछड़े हुए जनपद गाजीपुर से चुनकर आया हूं । मैंने 1947 के पहले देखा है कि गांवों में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, घरों से निकल कर पशुओं को लेकर नदी, तालाब में पानी पिलाने के लिए, खलिहान आदि के लिए कोई रास्ता और जगह नहीं रहती थी, लेकिन हमारी सरकार ने 1955-56 में ही चकबन्दी का कार्य इस प्रदेश में शुरू किया और आज पूरे प्रदेश में चकबन्दी का कार्य जोरों से चल रहा है और अधिकांश जगहों पर चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया है । जहां-जहां चकबन्दी का कार्य पूरा हुआ है वहां देखें तो आज किसी भी गरीब और अमीर को आने और जाने में कोई कठिनाई नहीं है। गांव के लोगों को रास्ता और खलिहान के लिए जमीन मिल गई है । गरीबों को चकबन्दी के कारण खाद और घर रखने के लिए जगह मिल गई है । सरकार ने चकबन्दी में सराहनीय कार्य किया है । अब मैं आपका ध्यान विरोधी दल के नेता की ओर खींचना चाहता हूं । विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि जमींदारी समाप्ति का कार्य चौधरी चरण सिंह जी ने किया है, इसको सुनकर मुझे हंसी

आई । मुझे अच्छी तरह कांग्रेस के इतिहास का ज्ञान है । कांग्रेस ने माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में यह फैसला किया था कि जब देश में कांग्रेस का शासन होगा तो पहला काम यह होगा कि सरकार देश से राजाओं की सत्ता को समाप्त करेगी और सारे देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जायेगा । देश आजाद हुआ, कांग्रेस की जनप्रिय सरकार बनी, उस सरकार ने फैसला किया था कि देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए । तो यह कांग्रेस सरकार का साहसिक और सराहनीय कार्य है कि जमींदारी प्रथा समाप्त की गई ।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

अब मैं आपका ध्यान भूमि वितरण की ओर दिलाना चाहता हूं, अब तक आपने जो भूमि वितरण की व्यवस्था की है, वह हरिजनों और गिरिजनों के लिए की है । लेकिन आपका ध्यान नदियों की तलहटी में भूड़ की जमीनों की ओर नहीं गया है। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं । सदियों से नदियों की तलहटी की जमीन पर एक वर्ग विशेष के लोग, जिनको जल-श्रमिक अथवा मछुवारा कहते हैं, काबिज हैं । जिस बालू को सीमेन्ट में मिलाकर धनी लोग अपना महल बनवाते हैं, उस बालू में इस मछुवारा समुदाय के लोग रहते हैं और 40-40 किलो के तरबूज पैदा करते हैं, ककड़ी, सिंघाड़ा वगैरों धान आदि की खेती करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि यह बालू की जमीनें जिन पर नदियों के किनारे वे काबिज हैं, उनके पट्टे उनके नाम करके उनको दे दिए जायं ।

दूसरी बात प्रदेश में इस समय एक लाख हेक्टर भूमि पर पोखर, जलाशय और तालाब हैं, जनप्रिय सरकार ने मछुवारों के कल्याणार्थ तीन वर्ष की औसत आय पर 10 वर्ष के लिए पट्टे मछली पालन के लिए देने की सुन्दर व्यवस्था की है, जिससे इन गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन उनका रिकार्ड और प्रबन्ध राजस्व विभाग, वन विभाग के पास है और स्थानीय निकायों के पास है । आपने एक मत्स्य विकास विभाग खोल रखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारी जल प्रणालियां इस मत्स्य विकास विभाग के अन्तर्गत कर दी जायं, जिससे पट्टे मिलने में इन जल श्रमिकों को कोई कठिनाई न हो । अब मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में एक चोचड़पुर, सूआपुर गांव है, उस गांव में भूतपूर्व प्रधान ने 20-25 गरीबों के नाम पट्टे कर दिए थे मकान बनवाने के लिए, जिस पर उन्होंने मकान बनवा लिए हैं, लेकिन अब बहुत दिन बाद वर्तमान प्रधान ने उस पर दावा कर दिया है और उसके बाद उनके मकानों पर 20-20 हजार और 25-25 हजार का जुर्माना हो रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि उस जुर्माने को माफ करके उनके रहने की व्यवस्था कराई जाए । इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व बिभाग के बजट को प्रस्तुत करते हुए हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने ऐसा भाषण किया जिससे लगा कि प्रदेश में राजस्व विभाग की स्थिति बिल्कुल साफ है । श्रीमन्, आपके राजस्व विभाग की स्थिति बिल्कुल दयनीय है । मैं दो-तीन प्वाइंट्स पर अपनी बात कहना चाहूंगा । राहत के लिए धन जिलों को दिया जाता है उसकी जो सीमा है वह बहुत कम है। हमारे पड़ोस बिहार में हमसे तीन गुना

राहत दी जाती है । हमारे यहां सिताब दियरा लोक नायक जय प्रकाश जी की जन्म भूमि है और आधा बिहार में पड़ता है और आधा बलिया में पड़ता है वहां के लोग आकर बताते हैं । वहां पर बिहार क्षेत्र में हमारे यहां से 3 गुनी राहत मिलती है । इससे हम लज्जित हो जाते हैं । गृह अनुदान और अहेतुक सहायता की राशि बढ़ाने की कृपा करें । एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी इतने हृदयहीन हो गए हैं कि अगलगी जैसे मामले में 3-4-6 महीने बीत जाने पर सहायता पहुंचाते हैं । कई पत्र मैंने इस संबंध में लिखे हैं । पिछले साल भी मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया था। आपका राजस्व विभाग एक मस्त, पागल हाथी जैसा चल रहा है । अग्निपीड़ितों को तत्काल राहत नहीं दी जाती है । आपके विभाग के सचिव थे जी0 सी0 चतुर्वेदी जो बहराइच में कलेक्टर थे तो उन्होंने निर्देश दिया था कि अगलगी के मामले में 24 घंटे के अन्दर राहत पहुंचा दी जाय । वह खुद भी कलेक्टर की हैसियत से 24 घण्टे के अन्दर अग्निपीड़ितों के पास जाते थे । आज आपके अधिकारी और जिलाधिकारी मदमस्त हो गए हैं । ऐशो-आराम में दिन बिता रहे हैं । मैं चाहूंगा कि आप जैसे मंत्री के रहते हुए ऐसे लोगों जो अग्निपीड़ित होते हैं उनको तत्काल राहत पहुंचाई जाय ।

मैं 1981-82 के बारे में कहना चाहता हूं हमारे जनपद में हमारे क्षेत्र के एक हिस्से में 5 लाख का फर्जी भुगतान टेन्ट लगाने के नाम पर हुआ । जिस गांव में एक इंच जमीन पानी के बाहर नहीं थी और सारा गांव पानी से डूबा था उस गांव भोजापुर में यह कहा गया 60 टेंट लगे, 40 स्टोर टेन्ट लगाए गए । मैंने कलेक्टर से कहा कि देख लीजिए क्या हो रहा है लेकिन कलेक्टर जैन गए नहीं उसने भी रिश्वत लिया । उस जमाने में एन0 पी0 सिंह, तहसीलदार था उसको फिर हमारे यहां भेजा गया है । भीमन जैसे हमारे योग्य अधिकारी परिषद् के चेयरमैन हैं उस परिषद् की गिरी हुई दशा यह है कि जो भ्रष्ट तहसीलदार जिसके खिलाफ जांच चल रही है उसको वापस बलिया में भेज दिया गया है । क्या भीमन को लकवा मार गया है या राजस्व परिषद् को लकवा मार गया है । आप मंत्री हैं आप क्या करते हैं । एम0 पी0 सिंह फिर हमारे यहां पहुंच गया है और फिर गड़-बड़ी कर रहा है । तो मैं चाहूंगा कि इसकी तत्काल जांच करायें । एम0 पी0 सिंह, चक्रपाणी, एस0 डी0 ओ0 और शुक्ला इन्होंने मिलकर 5 लाख रुपए की गड़बड़ी की । मैं चाहूंगा कि इसकी तत्काल जांच करायें । शुक्ला मिर्जापुर की सदर तहसील का एस0 डी0 ओ0 है, तो ऐसे बेईमान लोगों के खिलाफ सक्रिय जांच करायें ।

दूसरा निवेदन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, बाढ़ में नावें लगाई जाती हैं । कई साल से मैं कह रहा हूं कि नावें स्थानीय न लगाई जायें उनको लेकर आप दूसरी जगह भेजें । क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग मिलकर फर्जी भुगतान कराते हैं और आधा-आधा बांटते हैं । स्थानीय नाव लगाना बहुत जरूरी हो तो दूसरे गांव में उनको लगा दिया जाय । लेकिन ऐसा नहीं होता है । मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में, बिहार में छपरा में है वहां पर कलेक्टर के डिस्पोजल पर 2 हजार नावें हैं । इसी तरह से बलिया के कलेक्टर के डिस्पोजल पर 1000 नावें रखें ताकि बाढ़ के समय जब नावों की आवश्यकता हो तो उनको लगाया जाय और लाखों

रुपयों की फिजूलखर्ची न हो । एक बात और कहना चाहता हूं कि आज राजस्व परिषद लेखपालों का ट्रांसफर कर रही है। हमारे यहां एक लेखपाल राम नाथ लाल जो नौरंगा गांव में 20-25 साल से है उसका स्थानान्तरण किया लेकिन रिश्वत लेकर या पता नहीं कैसे बेईमानी से उसको नौरंगा में भेज दिया गया ।

(4 बजकर 20 मिनट)

माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज आपकी क्या प्रतिक्रिया है या आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव पड़ रहा है कि आखिर क्यों राम नाथ के लिए आदेश किये गये । दूसरे मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि लेखपालों के स्थानान्तरण के बारे में कि इसमें राजस्व परिषद् का कोई दखल न हो । इस कार्य का दायित्व या तो कलेक्टर पर हो या आयुक्तों पर होना चाहिए । मान्यवर, एक हरिराम पाण्डेय, सर्वे लेखपाल है बलिया में । बलिया से 19 लेखपालों का जो सरप्लस थे, देहरादून स्थानान्तरण कर दिया गया, जिनमें से 16 ने तो वहां जाकर अपना कार्य-भार ग्रहण कर लिया और 3 लेखपालों ने वहां कार्य-भार न तो ग्रहण किया और न कोई दर्खवास्त दी छुट्टी स्थानान्तरण रोके जाने की, इन तीन में हरिराम पाण्डेय भी था। पता नहीं किन दबावों के कारण फिर राजस्व परिषद् बलिया सर्वे को लिखता है कि इन तीनों लेखपालों को समायोजित कर लिया जाय, इस पर बलिया, ए0आर0 ओ0 ने लिखा कि हमारे यहां स्थान नहीं है, हम कहां समायोजित करें। इसके ऊपर मान्यवर, उस ए0 आर0 ओ0 को कांग्रेस के लोगों द्वारा मारा पीटा जाता है। आखिरकार बोर्ड के आदेशों से उसे फिर बलिया सर्वे में कार्य-भार ग्रहण करवा दिया गया है और वह फिर 10 दिन से कार्यालय नहीं जा रहा है और वहीं पर अधिकारियों के सामने घूम रहा है । इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि और तहसीलें व तहसीलदारों को बढ़ाने के बजाए, इनको तोड़कर तहसीलों का कार्य विकेन्द्रित करके ब्लाक स्तर पर करवा दिया जाये और इसी प्रकार से इनके कार्य विकास खण्डों द्वारा भी कराया जाए ताकि इससे जनता को सहूलियत मिले ।

श्रीमती शशि शर्मा –

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने राजस्व के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मा0 राजस्व मंत्री जी ने जो एक सुसंगठित और प्लान्ड तरीके से बजट की रूपरेखा को रखा है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और उनके योग्य प्रयासों से व कुशल निर्देशों से, गरीबों और भूमिहीनों के हक को दिलाने के लिए, जो बड़ा ही मुश्किल काम है, कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं । साथ ही जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने मण्डलायुक्तों के अधिकारों में वृद्धि की है यह भी गरीबों के हितों को सामने रखकर किया गया है,

जिसके लिए वे भी बधाई के पात्र हैं और मान्यवर, राजस्व की जो आय है, उसमें भी वृद्धि हुयी है। साथ ही मैं केवल दो सुझाव आपके माध्यम से रखना चाहती हूं। मान्यवर, कई बार होता यह है कि जो वसियत होती है, जो लोग मरते वक्त वसियत करते हैं, उसमें बाद में बहुत सा फेर-बदल होता है और दूसरों का अंगूठा लगवाकर फरजी वसियत करवा लेते हैं जिनमें गरीबों विधवाओं के साथ अन्याय होता है, इस लिए मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जब वसियतनामा हो तो उस वक्त जो वसियत कर रहा है, उसके और गवाहों के फोटो ले लिये जाएं ताकि इससे बचाव हो सके दूसरे गरीबों के हितों की रक्षा भी हो सकेगी और मान्यवर, आज जो बैनामे होते हैं, वह भी बाद में बदल जाते हैं हालांकि इनकी अवधि 12 सालों की होती है, इसलिए इनसे 3-4 सालों में ही पत्र मांगा जाए। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो चीफ रेवेन्यू आफिसर 15 जनपदों में बढ़ाये गये हैं और 99 तहसीलदारों के एप्वाईंटमेंट हुए हैं, उससे जनता का कार्य भी काफी सुचारु रूप से होगा और उन्हें सहूलियत भी होगी। साथ ही मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो गरीबी और भूमिहीनों के उत्थान के लिए जो योजना बनाई है, इससे उनकी नियत साफतौर पर स्पष्ट होती है कि वह गरीबों की मदद करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को हल करना चाहते हैं और इसके लिए हम सब को भी मिलकर लड़ना चाहिए ताकि उनका हक उनको ही मिले, इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष –

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है कि जैसा भी आप चाहें, अपने विवेक से सदन का संचालन करें। लेकिन मान्यवर, जितने भी बोलने वाले लोग हैं, अगर सबको समान अवसर मिल जाय, तो उसमें सबके लिए सुविधा होगी।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा –

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं विरोधी पक्ष के द्वारा पेश की गई कटौती का समर्थन करता हूं। मान्यवर, राजस्व विभाग का जो यह बजट पेश हुआ है, तो इसमें मैं राजस्व विभाग के अधिकारियों के संबंध में एक बात कहूंगा कि आज राजस्व विभाग के अधिकारियों का काम यह रह गया है कि वे अधिकारियों का स्वागत करें और उनकी बिदाई करें। मान्यवर, महीने में 15

दिन तक मंत्री और अधिकारी आया करते हैं और ये राजस्व विभाग के अधिकारी उन लोगों की स्वागत और विदाई में लगे रहते हैं और जो समय बचता है, वह नसबंदी में जाता है, लिहाजा यह राजस्व का काम हो ही नहीं पाता । इसलिए राजस्व के खातों की दुरुस्ती में देरी होती है, दाखिल खारिज में देरी होती है, करेक्शन में देरी होती है और माल के मुकदमों का निस्तारण भी नहीं हो पाता। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो मंत्रियों और अधिकारियों की स्वागत के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को लगा दिया जाता है, उन अधिकारियों को इसमें न लगाया जाय, उन अधिकारियों से केवल राजस्व का ही काम लें । हम आगे यह कहना चाहेंगे कि जो आपने सीलिंग का कानून बनाया है, वह सिद्धान्त: फेल है। वह अमल में नहीं आ रहा है, इसलिए वह फेल है । अभी जनपद बांदा के नरैनी क्षेत्र में 21 फरवरी को अधिकाधिक ओला पड़ा । यह ओला नरैनी, बबेरू और बांदा क्षेत्र में पड़ा, इसमें सैकड़ों जानवर, पशु-पक्षी मर गये । क्षेत्र नरैनी, बांदा की फसल चौपट हो गयी ।

मान्यवर, जो मजदूर, महिलायें खेतों में काम कर रही थीं, वे ओला से घायल हो गयी हैं और अभी तक कोई राहत काम नहीं चला। मान्यवर, वे मजदूर औरतें जो खेतों में काम कर रही थीं, अब घायल अवस्था में अपने-अपने घरों में पड़ी हैं । मान्यवर, जानवर कुछ तो मर गये और जो बचे हैं, वे चारा के बगैर एक-दो महीने में मर जायेंगे । मान्यवर, ऐसी विषम परिस्थिति के लिए सोचें, बाकी लगान और जो यह आपके कर्जे हैं, ये स्थगित करने के बजाय माफ किये जायं । मान्यवर, ऐसे मौके पर जब आप लगान स्थगित कर देते हैं, तो वह किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जाता है और बढ़ते-बढ़ते दुगुना, तिगुना हो जाता है । तो मान्यवर, यह आप अन्दाजा लगावें कि जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान है और यह दैविक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है, वहां पर सींच, लगान, कर्जे, तकावी आदि माफ करें । यह जो रेवेन्यु मैनुअल है, यह ब्रिटिस के जमाने का बना हुआ है । इसमें मान्यवर, दैवी आपदाओं के बारे में कुछ संशोधन लायें । मान्यवर, एक बात मैं और कहूंगा कि बांदा जनपद में हरिजन और भूमिहीन लोगों के लिए पट्टे की बहुत प्राब्लम है ।

मान्यवर, नरैनी तहसील के बारे में कहना चाहूंगा यहां 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां हरिजनों और भूमिहीनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। दूसरी बात 50 प्रतिशत गांव में पट्टे की जमीन को नापकर कब्जा नहीं दिलाया गया है, तो मैं चाहूंगा कि पट्टे की व्यवस्था हरिजनों और भूमिहीनों के लिए जो व्यवस्था है, उनकी यहां से पट्टे की जमीन को नपवाया जाए ।

श्री अध्यक्ष –

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा –

मान्यवर, बैनामों के कागजों पर क्रय विक्रय वालों के फोटो लगवाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष –

अब आप बैठें आपका समय समाप्त हुआ । यह कोई तरीका नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, विगत वर्ष भी इन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और तमाम माननीय सदस्यों ने विचार विगत वर्षों में प्रकट किए, उनको संज्ञान में रखकर, उनके चिन्तन का लाभ उठाकर जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये, उनकी सराहना हमारे यादव जी ने नहीं की । इन्होंने जिस रंग का चश्मा लगा रखा है, वही इनको दिखाई भी देता है ।

राजस्व विभाग के क्रिया कलापों में संशोधन करके कुछ नये प्राविधान किए गये हैं जो इस प्रकार हैं:-

जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 154-क में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि विदेशी राष्ट्रिकों को छोड़कर प्रदेश में किसी व्यक्ति अथवा देशी कम्पनी द्वारा भूमि के अर्जन पर निषेध नहीं रहेगा ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर सीलिंग कानून में संशोधन करके अपील की सुनवाई का अधिकार जिला जज के बजाय मंडलायुक्तों को दे दिया गया है। इस संबंध में प्रख्यापित अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक इसी सत्र के दौरान अधिनियमित कराया जायेगा। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। सीलिंग भूमि के आवंटियों के नाम का इन्द्राज करने का अधिकार तहसीलदार से लेकर कानूनगो को दिया जा रहा है । इसकी सराहना की जानी चाहिए । गांव सभा भूमि पर 30 जून, 1975 के स्थान पर 30 जून, 1985 तक काबिज अनुसूचित जाति/जनजाति के खेतिहर मजदूरों के अध्यासन की भूमि का विनियमितीकरण उक्त व्यक्तियों के साथ किया जा रहा है । इसी तरह से मान्यवर, आवास स्थल के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा गांव सभा अथवा खातेदारों की भूमि पर 30 जून, 1985 तक निर्मित मकानों तथा उससे सम्बद्ध भूमि का उनके साथ बन्दोबस्त किया जा रहा है । अभी तक यह अवधि 24 मई, 1971 थी यह 15 मार्च, 1974 से 30 जून, 1985 तक बढ़ाई जा रही है ।

इसी तरह से मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि आवास स्थल के आवंटियों का कब्जा बदस्तूर सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जा रही है जैसी कि गांव सभा तथा सीलिंग भूमि के आवंटियों को पहले से ही प्राप्त है । इसके अतिरिक्त सीलिंग भूमि के आवंटियों को भी गांव सभा भूमि के आवंटियों के समान अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार प्रदत्त किये जा रहे हैं, ताकि 3.125 एकड़ तक की जोतों पर मालगुजारी के भुगतान में अनुमन्य छूट का लाभ उन्हें भी मिल सके ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी को अपने क्रियाकलाप उस समय बताना था जब यह बजट रख रहे थे, इस समय तो पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपना सुझाव रखते । इसमें इनको बताने की क्या आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी भाषण जारी रखें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री शारदा प्रताप–

मंत्री जी बार-बार क्यों पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह कहा गया कि चकबन्दी विभाग में कुण्ठा व्याप्त है। मान्यवर यह बात सही नहीं है मान्यवर, चकबन्दी विभाग में जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं, उनका उल्लेख मंत्री जी ने अपने भाषण में कर दिया है। मान्यवर, 1-1-86 तक 167 अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी विभाग में विभिन्न पदोन्नतियां दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप इतना तेज बोल रहे हैं कि लिखने वालों को दिक्कत हो रही है।

श्री गौरी शंकर–

ठीक है, मान्यवर। मैं निवेदन कर रहा था कि चकबन्दी विभाग में पदोन्नतियां की गई हैं। चकबन्दी अधिष्ठान के विभिन्न सम्वर्गों में प्रोन्नतियों के आयाम प्रदान किये गये हैं। विभागीय अधिकारियों में से दो उप संचालक को संयुक्त संचालक के पद पर, 12 सहायक संचालक को उप संचालक, 2 चकबन्दी अधिकारियों को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, 2 सहायक चकबन्दी अधिकारी को चकबन्दी अधिकारी, 93 चकबन्दी-कर्ता को सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा 129 चकबन्दी लेखपालों को चकबन्दी-कर्ता के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त 60 सहायक चकबन्दी अधिकारी को सलेक्शन ग्रेड दिया गया। पेंशन, दक्षता-रोक व स्थायीकरण के लम्बित मामलों को तेजी से निस्तारित किया गया। चकबन्दी अधिकारियों के नियमितीकरण करने का मामला जो सन् 1967 से लटका हुआ था को भी पूरा कराया गया है। मान्यवर, इस वर्ष चकबन्दी विभाग में क्रान्तिकारी कदम भी उठाये गये जिसके अन्तर्गत एक सेल गठित किया गया जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में लम्बित अपीलों तथा रिट याचिकाओं आदि के निस्तारण करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगा।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राज्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इससे पहले मंत्री जी बोले थे तो राज्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या एडीशनल बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इन्टरवीन कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सत्यपाल जी ने राहत के बारे में बात कही। मान्यवर, यह चिन्ता थी कि इस बार शासन ने राहत कार्य के लिये कुछ नहीं किया है। मैं मानता हूं कि धन थोड़ा है केवल 200–400 रुपया दिया जाता है, लेकिन हमने उसको बढ़ाकर 400 से 500 रुपया कर दिया है। जो लोग मर जाते हैं उनके लिये एक हजार से बढ़ाकर 2 हजार कर दिया है और पशुओं के लिये भी व्यवस्था कर दी है। इस पर तो आप लोग तालियां बजावें। मान्यवर, प्रदेश के जितने वित्तीय संसाधन हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने इसको बढ़ा दिया है, आपको इसकी सराहना करनी चाहिये। अभी माननीय

सदस्य वी0के0 त्यागी के बारे में कह रहे थे। तो वी0के0 त्यागी के विरुद्ध श्री मनमोहन सिंह, उप सचिव द्वारा जांच की गयी और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु नियुक्ति विभाग को लिखा गया है। कहीं भी कोई भी दोषी पाया जायगा तो उसको बख्शा नहीं जायगा।

मान्यवर, अभी यह कहा गया कि विभाग में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है, तो मान्यवर, मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि समूह (ख) में 1981 में जहां इनकी संख्या 33 थी, उसे अब 43 कर दिया है और 1985 में इसको बढ़ाकर 48 कर दिया है। इनका प्रतिशत भी 12.9 से बढ़ाकर 14.67 कर दिया है। समूह (ग) में प्रतिशत 11.25 था जिसे अब 14.81 कर दिया है। समूह (घ) में 18.41 से बढ़ाकर 19.66 प्रतिशत कर दिया है। लेकिन अब यह व्यवस्था की है कि आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिये लेखपालों की विशेष भर्ती की जा रही है और आरक्षण कोटा पूरा करने के लिये जरूरत होगी तो 100 प्रतिशत आरक्षित कोटे के लेखपालों की भर्ती करेंगे। इसी तरह से व्यवस्था मान्यवर, चकबन्दी लेखपालों के बारे में की गयी है। जितना आरक्षण का कोटा होना चाहिये, उसको पूरा करने के लिये जितने प्रतिशत चकबन्दी लेखपालों की आरक्षण कोटे में आवश्यकता होगी, उनकी भर्ती करेंगे। अभी तक किसी लेखपाल संवर्ग में दिसम्बर 1980 तक जो स्थायी नहीं हुये थे, उनके स्थायीकरण के आदेश दे दिये गये हैं, जिलाधिकारियों को आदेश हो चुके हैं। दिसम्बर, 1980 तक के नियुक्त जितने चपरासी थे, उनके स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। 4 सहायक चकबन्दी अधिकारी 85–86 में स्थायी किये गये तथा 236 सहायक चकबन्दी अधिकारियों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग से प्राप्त किया जा रहा है। इसके बाद उनको स्थायी कर दिया जायगा। इसी प्रकार चकबन्दी अधिकारियों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग से प्राप्त किया जा रहा है, इसके बाद उन्हें भी स्थायी कर दिया जायगा। सात सहायक बंदोबस्त अधिकारियों के स्तर के अधिकारियों को 1985–86 में स्थायी किया गया। इसी प्रकार तहसीलदारों के स्थायीकरण के बारे में लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन की कार्यवाही कराई जा रही है। यह प्रकरण आश्वासन समिति के समक्ष विचाराधीन हो गया है। श्री जय मंगल सिंह, एस0ओ0सी0 आजमगढ़ का स्थानान्तरण मध्य सत्र होने के कारण रोका गया है। चकबन्दी अधिकारी को उनके विरुद्ध आरोप बनाने एवं साक्षांकित करने के निर्देश भेजे जा चुके हैं। अगले सत्र में स्थानान्तरण कर दिया जायगा। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश पहले से ही निर्गत किए जा चुके हैं।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो भी अधिकारी या कर्मचारी शासन की नीतियों और कार्यक्रमों को गांव गली तक पहुंचाने में बाधा डालेगा, उन सभी के खिलाफ हम कार्यवाही करने में संकोच न करेंगे। मान्यवर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आंकड़े देते हुए कहा गया कि 20 परसेंट काश्तकारों के पास 80 परसेंट भूमि है। यह सही नहीं है। कृषि गणना 1980 के अनुसार 10 हैक्टेयर के ऊपर जोतदार केवल 0.4 प्रतिशत थे जो कुल भूमि का 6 प्रतिशत जोतते थे। संशोधित सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के 65.627 खातेदारों के विरुद्ध 18.02 सिंचित क्षेत्रफल (एकड़) से अधिक भूमि रखने के लिये मुकदमें चलाए गए। इसी प्रकार 2.50 लाख एकड़

भूमि सीलिंग से निकलने का अनुमान था जिसके विरुद्ध जनवरी, 1986 तक 3.04 लाख एकड़ भूमि सीलिंग में प्राप्त की गयी तथा 2.50 लाख भूमि अब तक बन्दोबस्त की जा चुकी है। 2,10,766 आवंटियों को 1,98,074 एकड़ सीलिंग भूमि आवंटित की गयी है। और अब भूमि के आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे यहां ऊसर भूमि 11.05 लाख हैक्टेयर है और कृषि बेकार भूमि 11.30 लाख हैक्टेयर है। चारागाह भूमि 2.98 लाख हेक्टेयर, परती जमीन 19.3 लाख हेक्टेयर है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अद्यतन स्थिति से अपने आपको अवगत करा लें और किसी तरह की भ्रान्ति का शिकार न हों और इस तरह की भ्रान्ति का प्रयास दूसरे दिन नहीं करेंगे। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमने कदम उठाये हैं उनको हम सही माने में यानी नीति और रीति को पूरा कर रहे हैं। हमने जिला प्रशासन को चुस्त किया है, मण्डलायुक्तों को चुस्त किया है और जहां भी कोई कमी पाई जायेगी उसको ठीक किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

"सफे हस्ती से मिटाये न गये,
चिराग दीयों के बुझाये न गये,
आपने तो चाहा था मिटाना हमको,
लोहे के चने थे हम जो चबाये न गये।"

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मंत्री जी ने हमें बहुत सी बातें बताईं परन्तु मान्यवर, जो माननीय सदस्यों का बोलने का क्रम होता है उसमें एक माननीय सदस्य इस तरफ से बोलते हैं और दूसरा उस तरफ से मंत्री जी कभी भी बोल सकते हैं। अभी इस तरफ के सदस्य बोलकर बैठे थे उसके बाद क्रम में इस तरफ के सदस्य का नम्बर आना चाहिए था उसमें चाहे आप किसी को भी बुलवायें। मंत्री जी तो शासन की तरफ से बोल रहे थे। अब आप कृपया इस पक्ष से किसी को मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सत्ता पक्ष के हैं।

*श्री मयंकर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रखा और उस पर सत्यपाल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा, अब मैं मा0 राज्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर जो उन्होंने दूसरा बजट प्रस्तुत किया है, कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। बहराइच जिले में तहसील केसरगंज के अन्तर्गत तीन गांव सभायें फखरपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत आती हैं, यह तीनों घाघरा से घिरी हुई हैं और पांच हजार आबादी के गांव इस स्थिति में हैं कि किसी भी समय बाढ़ से डूब सकते हैं और किसी भी समय उनका जीवन नष्ट हो सकता है। बहराइच जिले में मझरा फौरी और सिपहिया इन तीनों पुरवा के लोगों को जो ग्राम समाज की भूमि है वह उन्हें दे दी जाय जिससे घाघरा की भीषण विभीषिका से वहां के निवासियों को बचाया जा सके। बहराइच के जिलाधिकारी को और सभी परगना मैजिस्ट्रेट को इस प्रकार के आदेश दे दिये जायं कि गांव समाज की किसी जमीन पर जहां अनधिकृत रूप से कोई कब्जा करता है उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाय। मान्यवर, जिस देश में नैतिकता का पतन हो जाता है वहां कानून के द्वारा अपने ऊपर ही अत्याचार शुरू हो जाता है। ऐसा ही वहां पर भूमिहीन निर्बल वर्ग के लोगों के साथ, खेतिहर मजदूरों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ हो रहा है। वहां पर लेखपाल गरीब लोगों पर, किसानों पर 115-सी की कार्यवाही कर रहे हैं । कैसरगंज तहसील में गरीब किसानों पर पांच-पांच हजार, सात-सात हजार रु0 का जुर्माना किया जा रहा है।

मैं माननीय राज्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इस प्रकार का निर्देश दें, इस बात के लिये निर्देश दें कि वह तत्काल इस पर कार्यवाही करें और जो गलत मुकदमें हैं उनको रोका जाय। आज तहसीलों में परगनाधिकारी और तहसीलदार के ऊपर मंत्रियों के अन्य कार्य इस प्रकार पड़ गये हैं कि तीन-तीन चार-चार साल से मुकदमें लम्बित हैं, किसान को सुविधा नहीं मिलती है। मेरा सुझाव है कि प्रशासनिक एस0डी0एम0 अलग और न्यायिक एस0डी0एम0 अलग कर दिये जायं ताकि काम हो सके।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अलग नहीं लगाना चाहिये, परिवार कल्याण का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सब सहयोग और सहानुभूति तो रखें लेकिन राजस्व का काम इतना अधिक है कि परिवार कल्याण में लगाकर और एन0 एस0सी0 खरीदवाने के काम में लगाकर 85 प्रतिशत जनता की उपेक्षा हो रही है ।

एक अन्य सुझाव है, बहराइच जनपद बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हो रहा है। बाढ़ आती है, शासन से आदेश जाता है लगान की वसूली स्थगित कर दी गयी। जब हर साल बाढ़ आती है तो विचार का प्रश्न यह है कि अगर इस साल स्थगित कर दिया है तो क्या अगले साल फसल बढ़ने वाली है? बहराइच राप्ती, सरयू और घाघरा से त्रस्त है, वहां पर लगान माफ करने की घोषणा करनी चाहिये।

मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसरगंज तहसील में 115-सी के अन्तर्गत जितने भी मुकदमों में जुर्माना किया गया है, पुनः विचार करके राहत प्रदान करें और अन्याय से बचायें। बहराइच जनपद में जो बाढ़ आती है उस समय नावों की इतनी कम व्यवस्था होती है कि दस-दस गांव के बीच में एक-एक नाव उपलब्ध करायी है शासन ने। वहां के निवासियों की घोर उपेक्षा इससे होती है।

शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि 122-बी की भी प्रक्रिया समाप्त की जानी चाहिये। घाघरा के कछार में बसे हुए गांवों को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाय।

इन्हीं सुझावों के साथ विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी भगवती प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया। मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और उनको मिर्जापुर की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अहमदनगर प्रणाली में मिर्जापुर को भी चुना है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और उनका बजट समर्थन के लायक इसलिये भी है कि हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों को इनके द्वारा भूमि आवंटित की गयी है, जो कि निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम है। जितनी जमीन लोगों को बंटी है इतनी जमीन तो खूनी क्रान्ति के बाद भी नहीं बांटी जा सकती है । इसका पूरा श्रेय राजस्व विभाग को और प्रदेश की जनता को जाता है जिन्होंने सहयोग किया है । मा0 राजस्व मंत्री जी को इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने माध्यम से जो भूमि आवंटन का कार्यक्रम

है, को सफल बनाने के लिए वहां पर अतिरिक्त तहसीलदारों की नियुक्ति करके और अतिरिक्त एस0डी0एम0 की नियुक्ति करके इस विषय को और मजबूत किया है। बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो झगड़े हमेशा होते रहे हैं जमीन जायदाद के लिये चाहे खसरा खतौनी के लिये हों या अमल दरामद के लिये हों, जो मुख्य राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की है, वह प्रशंसनीय है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि चूंकि मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला है और वहां पर सीलिंग की जमीन को आवंटित करने का काम भी बड़ा है इसलिये वहां एक अतिरिक्त एस0डी0एम0 की नियुक्ति की जाय। सदर तहसील और चुनार तहसील की बराबर उपेक्षा हो रही है, बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के अन्तर्गत सदर तहसील और चुनार तहसील की समस्यायें वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर जनपद को दो हिस्सों में बांटने का आप यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लें।

मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि गरीब किसानों को इन्तखाब लेने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी लेखपालों को इन्तखाब बांटने के लिये समय निर्धारित कर दें कि वे इतने बजे से इतने बजे तक इन्तखाब को बांटेंगे। नहीं होता यह है कि जब बेचारा किसान इतनी दूर से इन्तखाब लेने के लिये आता है तो पता चलता है कि लेखपाल महोदय मौजूद नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि लेखपालों को इन्तखाब बांटने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाये।

मैं राजस्व मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और इसके कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री राम सागर—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान चकबन्दी के विसंगतियों की ओर ले जाना चाहता हूं।

हमारे क्षेत्र बाराबंकी में एक तहसील है रामसनेहीघाट जहां कि चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है। यह सही है कि चकबन्दी ठीक से की जाय तो किसानों को तमाम सुविधायें मिल सकती हैं लेकिन आपके चकबन्दी विभाग में मालियत को घटाने और बढ़ाने में और छोटे-छोटे किसानों के कोई-कोई चक काटने में काफी अधिकारियों की ओर से रिश्वत लेने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

हमारे जनपद में अहमदपुर दवेकली एक ग्राम सभा है जहां पूरी चकबन्दी की प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी है और वहां पर फिर से चकबन्दी करायी जा रही है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। राम सनेहीघाट तहसील में कुटवासिपहिया में 1972 से 40 लोगों को जमीन का पट्टा मिला हुआ था और वे लोग वहां पर जमीन को जोतते और बोते थे और जमीन के काबिज थे। आशा की जाती थी कि चकबन्दी में उनको वह जमीन मिल जायेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन 40 लोगों को जो जमीन देने में आपके अधिकारी लोग अड़गेंबाजी कर रहे हैं, चकबन्दी में इन विसंगतियों को ठीक किया जाये।

दूसरी बात यह है कि चकबन्दी में जो मार्ग के लिये जमीन सुरक्षित करनी है, नहर के लिये जो जमीन सुरक्षित करनी है, सड़क के लिये जो जमीन सुरक्षित करनी है, ड्रेन के लिए जो जमीन सुरक्षित

करनी है, इसे चकबन्दी की प्रक्रिया के चलते हुए ठीक कराया जाय क्योंकि बिना अनुमति के चकबन्दी में तमाम जमीन ड्रेनों के लिये और सड़कों के लिये ले ली गयी है जिससे तमाम विवाद उत्पन्न हो गये हैं।

हमारे क्षेत्र बाराबंकी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आयी तो बाढ़ के मामले में सबसे ज्यादा बाढ़ बाराबंकी में रही। नदियों से तो बाढ़ आयी नहीं बल्कि शारदा नहर के जो खादे खुले हुए थे तो उससे देवा और इन्दुरा ब्लाक में, जहां कभी भी बाढ़ नहीं आती थी, वहां बाढ़ का पानी देखते-देखते गांवों में घुस गया। मान्यवर, जो बाढ़ सहायता देने का कार्य किया गया, इस समय जो गृह अनुदान बांटा जाता है, वह चेक सिस्टम से बांटा जाता है। जिन लोगों के मकान बाढ़ से प्रभावित नहीं होते हैं, उनको गृह अनुदान दिया जाता है और जिनके मकान बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाता है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों की ओर से और हम लोगों की ओर से जिला स्तर पर लिख कर दिया गया, लेकिन कोई जांच नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से यह भी चाहता हूं कि यह जो दैवी आपत्तियां आती हैं, जिसका धन गरीबों को दिया जाना चाहिए वह उनको नहीं मिल पाता है। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मनोरंजन के लिये हरदेव को बुलवा दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया तो उस समय मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। राजस्व विभाग ने जो क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं और जो अब करेगा, उसको ध्यान से सुना। उसके बाद मैंने कटौती के प्रस्ताव को सुना, माननीय सत्यपाल जी को यह क्रान्तिकारी परिवर्तन बुरा लग गया और उन्होंने सत्य को एक ओर परे रखकर कटौती का प्रस्ताव रख दिया। मुझे आश्चर्य होता है कि अहमद नगर प्रणाली को आपने नहीं समझा, हो सकता है कि सत्यपाल जी डी0 एम0 के पास जाते हों वह बहुत प्रभावी विधायक हैं और उनका काम जल्दी हो जाता हो, लेकिन आम जनता के लिये यह एक ऐसी प्रणाली लागू की गयी है कि 8-10 दिन का काम 8-10 मिनट में हो जायेगा। क्या यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है? श्रीमन्, माइक्रोफिल्म द्वारा नक्शा आदि को रखा जायेगा, नक्शे चोरी हो जाते थे, रिकार्ड गायब हो जाते थे, डाक्यूमेंट चोरी हो जाते थे और आम जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती थी, परन्तु अब इसके कारण आम नागरिकों की हक तलफी नहीं होगी, क्या यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है? एक बात कही गयी कि क्रान्तिकारी कदम जो उठाया गया है वह जमींदारी विनाश का उठाया गया है और उन्होंने कहा कि इसको चौधरी चरण सिंह लाये थे।

मान्यवर, मुझे याद है कि कांग्रेस ने चाहे सन् 26 का अधिवेशन हो, या 1929 का अधिवेशन हो, या 33, 36 का अधिवेशन हो, हर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि जमींदारी को समाप्त किया जायेगा और वह प्रस्ताव तब पारित हुआ था, जब चौधरी चरण सिंह का नाम देश और प्रदेश में क्या मेरठ में भी नहीं था। अगर उन्होंने कोई बिल प्रस्तुत किया था, तो कांग्रेस के मंत्री की हैसियत से किया था न कि व्यक्तिगत हैसियत से किया था। मान्यवर, आबादी, स्थलों के आवंटन के मामलों में लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया गया है, सीलिंग की भूमि का सभी

स्थानों पर आवंटन हो गया है, सिवा उन मामलों के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिंग हैं, बाकी सभी को सेटिल कर दिया गया है। क्या यह सत्यपाल जी को बुरा लग रहा है ? भूमिहीन हरिजन जिस ग्राम सभा भूमि पर काबिज है, उसके नाम वह भूमि आवंटित की जा रही है, तो क्या यह चीज सत्यपाल सिंह जी को बुरी लग रही है और इसीलिये उन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया ? अगर उनको यह बुरा लग रहा है तो मुझे उनका कटौती का प्रस्ताव बुरा लग रहा है क्योंकि वह नेक काम में अड़चन डाल रहे हैं। मान्यवर, उन्होंने चक-बन्दी का उल्लेख किया और कहा कि चकबन्दी में गड़बड़ी है, जनता सर-कार के समय में चकबन्दी बहुत अच्छी हुई थी। मान्यवर, चकबन्दी की एक प्रक्रिया होती है, जो गड़बड़ी होती है वह नक्शा 5 के तैयार होते समय होती है, अपनी भूमि का अधिकाधिक मूल्य लगवा लेते हैं ताकि नक्शा 23 में उसे अधिक से अधिक भूमि प्राप्त हो सके। इन लोगों ने भी अपने नक्शा 5 में अधिक कीमत लगवा लिया था और चाहते थे कि नक्शा 23 में अधिक से अधिक भूमि राजनैतिक चक मिल जाये, लेकिन चकों के बटवारे में जब जनता सरकार बनी 1977 में तो उस सरकार में जितने खातेदार दल थे इन्होंने इस नीयत से कि राजनीति में अधिक से अधिक हिस्सा वही मार जायें। इन लोगों में झगड़ा हो गया, लाठियां चल गयीं और यह चकों को बांट नहीं पाये और जनता ने इनकी चकबन्दी उल्टी लौटा दी और फिर इधर के लोगों को चकबन्दी करने के लिए जनता ने भेजा है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चकबन्दी की प्रक्रिया में जो नक्शा 5 की स्टेज पर ज़मीन का मूल्यांकन होता है, आप उसमें एक ऐसी प्रक्रिया अपनायें, अगर मूल्यांकन पहली स्टेज पर सही नहीं रहेगा तो आप कितने ही योग्य ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0 भेज दें या इस सदन की कमेटी बनाकर भेज दें या किसी माननीय सदस्य को चकबन्दी अधिकारी बना दें। वह सही नहीं हो सकता है। आप अगर सही प्रक्रिया से चकबन्दी को करना चाहते हैं तो नक्शा 5 की जो स्टेज है उसमें आप ऐसा सुनिश्चित करें कि सब लोगों के सामने वह सुनायी जाय, जो नहीं सुनाई जाती। सभी किसानों को सभी की भूमि का सही मूल्य ज्ञात हो जाय। वैसे तो कमेटी आज भी गांव के लोगों की बनती है परन्तु वह लोग बिना पढ़े समझे मूल्यांकन पर अंगूठा दस्तखत लगा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं जिससे कि हमारे राजस्व विभाग और तेजी से जनता को सुविधा पहुंचा सके।

मान्यवर, दूसरी बात ग्रामों की आबादी की है, ग्रामों की आबादी का नक्शा नहीं होता। अगर प्रभावी प्रधान आ गया और उसने सोचा कि किसी को तंग करना है तो 70 साल पुराना जो मकान है तो उसमें 122-बी के अन्तर्गत नोटिस लेखपाल से दिला देगा और अगर कोई लेखपाल ऐसा आ गया जिसकी इच्छाओं की पूर्ति ग्रामीण नहीं करते तो वह कहता है कि 122-बी के अन्तर्गत नोटिस दे रहा हूं। अगर मान्यवर, पूरे ग्रामों की आबादी का नक्शा नहीं बन सकता तो कम से कम जिन गांवों की चकबन्दी हो रही है

उनका नक्शा बनवा दें और जिनकी चकबन्दी नहीं हो रही है जो ग्राम की आबादी नक्शे में दर्शायी गयी है, और जिनमें कुछ नहीं बना हुआ है उसमें यह कर दें कि खाली भूमि अलहदी से दर्शा दी जाए । जिससे उसमें कोई 122-बी का शिकार न हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

श्री बरार जी आप समाप्त करें और अब श्री सत्यपाल जी बोलें।

श्री श्रीप्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव में राजस्व मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपको मैंने नहीं बुलाया है, आप कैसे बोल रहे हैं? सत्यपाल जी को बुलाया है।

*श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुने। मैंने यह देखा कि माननीय राजस्व मंत्री, राज्य मंत्री और बरार जी जैसे कुछ माननीय सदस्यों को छोड़कर लगभग सभी ने हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। हरेक ने अपने जिले की कुछ न कुछ कठिनाइयां रखीं। बरार साहब को ऐसा लगता है कि जब मैं चौधरी साहब का नाम यहां पर लेता हूं तो कोई पाप कर रहा हूं । आपने कांग्रेस अधिवेशन की बात कही थी...

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि सन् 29 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रस्ताव आया था कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय। महात्मा गांधी का प्रस्ताव क्या था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाय अगर आप इतना ही करना चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? अगर चौधरी चरण सिंह एबोलिशन एक्ट ले आये तो मैं कहता हूं कि चौधरी चरण सिंह ने किया तो बड़ी नाराजगी लग जाती है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जिन्होंने कि अपनी बुजुर्गी के अनुसार अपनी बातें रखीं लेकिन राज्य मंत्री ने बड़े जोर-शोर के साथ उन्हीं की बातों की पुनरावृत्ति कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोई बात नहीं होने दी जायेगी, जुर्माना किया जायेगा और कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जायेगा। हम इग्जाम्पिल दे सकते हैं । मैं बीसियों एग्जाम्पिल देने के लिए तैयार हूं । हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा और मैंने भी कहा कि चकबन्दी में प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है आपके रेवेन्यू विभाग में। हम भरोसा करते थे कि हमारे राज्य मंत्री हैं, एक सदस्य की हैसियत से बोलेंगे लेकिन कम से कम जो बातें हमने उठायी थीं दूसरे माननीय सदस्यों ने उठायी थीं उनके बारे में, उनके निराकरण के बारे में प्रकाश डालते। राजस्व परिषद् को समाप्त करने के लिये, रेवेन्यू कोड के विषय में, जमींदारी के विचार में उनके क्या विचार हैं, जितनी समस्यायें उठायी गयी थीं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया और आक्षेप हमारे ऊपर लगाया गया। राजस्व के बजट पर बोलते समय हमारा उन पर भरोसा था कि इसके बारे में वे कुछ बातें बतायेंगे, कुछ नहीं बताया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के समक्ष, जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, विरोध पक्ष के लोगों ने कई बातें उठायी हैं, जब वे बोलें तो हमारी हर बात का वे जवाब दें। हम आपका जवाब हर प्रश्न पर चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि राजस्व परिषद् की समाप्ति के विषय में हमारे कई सदस्यों ने कहा कि चूंकि यह एक सफेद हाथी के रूप में इस समय प्रदेश में है, बहुत बड़ा खर्चा इस पर हो रहा है, उसके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है। दूसरी बात यह है कि हम जानना चाहते हैं कि आपका जो रेवेन्यू कोड है जैसा कि आपने पिछली बार घोषणा की थी और जब यहां पर बजट रखा गया था 13 जुलाई, 1985 को एक तारांकित प्रश्न के माध्यम से आपने कहा था कि इसी सत्र के अन्दर रेवेन्यू कोड का विधेयक आप यहां पर ले आयेंगे। हम चाहते हैं कि आप यह बतायें कि आप इसको सदन में इस समय लाने में सक्षम हैं या नहीं...

(व्यवधान)

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं। आप बीच में खड़े नहीं होंगे।

श्री अमर चन्द्र–

मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य जरा अहिस्ता-अहिस्ता बोलें। हम लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि वे क्या बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

आपका यह खड़ा होना मुनासिब नहीं है। आप सत्ता पक्ष के हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा था कि जो ऊसर भूमि है, सीपेज की भूमि है, गवर्नमेंट इस्टेट की भूमि है, नजूल की भूमि है उसको अधिग्रहीत करने के लिए आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं ताकि वह भूमि गरीब लोगों को बांटी जा सके और आपको रेवेन्यू मिल सके और उस पर कोई टैक्स न लगाया जा सके। इस विषय में सरकार का क्या विचार है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेड़-बन्दी और चक-रोड की समस्या सारे प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। वर्षों से ऐसे मुकदमें पड़े हुए हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिये जिस तरह से आपने चीफ रेवेन्यू अफसर 15 जिलों में नियुक्त किये हैं उसी तरह से क्या आप पूरे प्रदेश के हर जिले में चीफ रेवेन्यू अफसर नियुक्त करेंगे या नहीं।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप मजिस्ट्रेट की व्यवस्था करेंगे जो मेड़-बन्दी के मुकदमों और चेक-रोड के मुकदमों को देख सके और ऐसी जमीन को खाली करायेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे।

सीलिंग की भूमि के विषय में आपने कहा था कि आप एक अध्यादेश लाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत 90 प्रतिशत मामले तय हो गये हैं तो 10 प्रतिशत मंडलायुक्तों के लिये क्यों छोड़ दिये गये हैं। क्या ये 10 प्रतिशत मामले सरकार को और कमिश्नर को रिश्वत खाने के लिये छोड़े गये हैं। यदि पूरे मामले उस एक्ट के अन्तर्गत

ले लिये जाते तब तो एक बात थी। लेकिन एसा नहीं किया गया, इसके बारे में भी आप बतायें।

इस समय प्रदेश में 357 तहसीलदार, 1257 नायब तहसीलदार तथा लगभग 2 हजार लेखपाल हैं। उनका अभी तक कन्फरमेशन नहीं हुआ है। उनके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? अपने जवाब में इस बारे में भी बता दें। मान्यवर, बाढ़ से बहुत से गांव कट गये मैं अपने यहां के चार पांच गांव बता रहा हूं जिनमें बुरी तरह से जमीन कट कर मकान गिर गये वहां पर आज तक कोई अहेतुक सहायता नहीं दी गयी न गृह अनुदान दिया गया और न कोई दूसरी सहायता दी गयी। तो जिन जिलों में इस तरह से मकान प्रभावित हुए हैं उनको कोई सहायता देने वाले हैं या नहीं यह बता दें। हमारे जिले में डमौरा, मरेना, जेतीपुर बाढ़ से कट गये हैं वहां कोई सहायता नहीं दी गयी है। पिछली बार आपने पुस्तक में उल्लेख किया था कि जहां 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां लगान मुलतबी कर देंगे तीन महीने के लिए। तो जुलाई में जब बाढ़ आती है तो उसके बाद तीन महीने तक कोई फसल नहीं होती है तो कहां से किसान लगान दे पायेगा। एसा तो अंग्रेजों के जमाने में होता था हर हालत में उनको पैसा वसूल करना होता था। लेकिन आप का तो जनता का शासन है उनकी भलाई आपको करनी है। इसलिए 50 फीसदी से अधिक जहां क्षति हुई है उनकी पूरी लगान माफ कर दें तथा जहां पर 50 फीसदी से कम नुकसान हुआ है उनकी लगान तीन महीने के लिए नहीं बल्कि अगली फसल होने तक मुलतबी कर दें।

दूसरी बात हरिजन आवास के विषय में कही गयी। तो उनके रहने के लिए जो जगह दी जा रही है वह अधिकांश जिलों में बहुत दूर दी जा रही है जो उपयुक्त जगह पर नहीं है। इसलिए गांव के निकट उपयुक्त जगह पर आवास स्थल उनको दिये जायं।

वसूलयावी में बड़ा उत्पीड़न होता है। हरिजनों के विषय में सुझाव देना चाहता हूं कि उनकी वसूलयावी में जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिए। रैवेन्यू कोड बिल के विषय में जो सुझाव दिये गये थे जो कमजोर वर्ग के लोगों को तीन वर्ष के लिए पट्टे दिये जायेंगे उनको पक्का करने की कृपा करें और उनकी जमीन की नीलामी नहीं होनी चाहिये ताकि उनके परिवार बरबाद न हों।

वसूलयाबी का जो कार्यक्रम चलाते हैं उसके विषय में बताना चाहता हूं कि आपका यह कार्यक्रम नवम्बर से अक्टूबर तक चलता है। मेरा सुझाव है कि यह क्रम नवम्बर से जून तक चलना चाहिए। जुलाई से अक्तूबर तक कोई फसल नहीं होती है जिससे कि काश्तकार पैसा दे सके।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि आपके यहां डिप्टी कलेक्टर्स की भरमार है लेकिन तहसीलदारों की कमी है और उनके प्रोन्नति के अवसर कम हैं अतः उनकी प्रोन्नति के अवसर बढ़ायें और तहसीलदारों के पद ज्यादा रखें।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनता पार्टी के जमाने में 18 किलो गल्ला प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता था जब तक कि अगली फसल न हो जाय तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 18 किलो गल्ला गरीब परिवारों को जिनकी सवा तीन एकड़ तक की जोत है देना चाहिये इसकी आप घोषणा करें।

अब मैं जिला तहसील, परगना और गांवों के पुनर्गठन की बात कहता हूं। यह जरूरी है। हमारे यहां जलालाबाद पूरी तहसील है उसमें 6 सौ गांव हैं। जिलों का तो आप पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं लेकिन तहसीलों और परगना का पुनर्गठन कर सकते हैं। पिछले साल आपने घोषणा की थी कि कुछ नयी तहसीलें खोलेंगे मैं समझता हूं कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए इनका पुनर्गठन करना आवश्यक है। आपने इसके लिए इस साल कोई व्यवस्था नहीं की है जब कि पिछले साल से दुगना बजट आप मांग रहे हैं। इसमें एक भी तहसील खोलने की बात नहीं कही गयी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि तहसील, जिला गांव का बंदोबस्त होना आवश्यक है।

हमारे जिले में पुवायां एक तहसील है जो एशिया में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करती है। उसमें सरदार बहुत ज्यादा बसे हुए हैं। उन्होंने जमीन को अपने कुत्ते बिल्ली के नाम और पंजाब में रहने वाले रिश्तेदारों के नाम जमीन करवा रखी है। (5 बजकर 20 मिनट) वहां पर हमारे संसद सदस्य के नाम भी बहुत बड़ा फार्म है। मैं चाहता हूं कि जो संस्तुतियां दी गयी थीं उनके मुताबिक बड़े-बड़े फार्मों की आप जांच करायें और जहां-जहां गरीबों की जमीन ली गयी है उसको आप उनको दिलायें। मान्यवर, पुवायां तहसील में मदारपुर, बेलाग्राम, सुजानपुर में चकबन्दी के दौरान ऐसे-ऐसे लोगों ने अपने नाम पट्टे कराये हैं जिनकी जमीन अब वह बेच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े स्तर पर जांच करायी जाये ताकि संसद भी इस कानून के अन्तर्गत आ सकें। इसी प्रकार बदायूं की तहसील गुन्नौर में रजपुरा गांव में भूतपूर्व एस0 ओ0 श्री हरिमाया प्रसाद शर्मा हैं उन्होंने 60 एकड़ जमीन हरिजनों की लेकर फार्म बना लिया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहां नदियों के कटाव की बहुत बड़ी समस्या है जिसका शीघ्र सर्वे कराया जाना चाहिए। शाहजहांपुर-बरेली के विवाद के संबंध में आपने घोषणा भी किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ है और 1970 से अभी तक मुकदमा चल रहा है। इस विवाद को आप शीघ्रता से हल करें।

मान्यवर, लगान की जो आपकी वसूलयाबी होती है और जो लगान नहीं दे पाते हैं उनके बंदूकों के लाइसेंस सस्पेंड करते हैं और दफा 151 में बंद करते हैं, उनको पकड़ते और मारते हैं एवं तहसीलों की कोठरियों में जो बहुत पुरानी बनी हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है; बंद करते हैं और उनके साथ अपराधियों से बदतर व्यवहार किया जाता है तो यह नहीं होना चाहिए और उनके लाइसेंस जब्त नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, नियम 122-बी का प्राविधान जो है उसके तहत अधिकारी पैसा पैदा करते हैं, इसलिये इसके सही उपयोग के संबंध में आप पुनः विचार करें। वसीयतनामे जो होते हैं उसमें कुछ जगह फोटो की व्यवस्था हो गयी है लेकिन गरीबों के संबंध में फर्जी बयनामे काफी जगहों पर फोटो व्यवस्था के अभाव में अब भी हो रहे हैं, इसलिए सारे प्रदेश में फोटो के बिना बयनामा न किया जाये, ऐसा प्राविधान किया जाना चाहिए। मान्यवर, चकबन्दी के संबंध में कहा गया है कि

अब कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि गड़बड़ियां अब भी हो रही हैं। मान्यवर, जौनपुर में श्री राजबहादुर यादव, इस सदन के सदस्य थे उनका मकान किराये पर चकबन्दी आफिस मडियाहूं प्रथम के लिये लिया गया परन्तु नियमानुसार उक्त मकान का किराया 50 पैसे वर्ग फीट के हिसाब से भी नहीं दिया जाता है। दूसरे श्री राज बहादुर की जमीन सीलिंग में गई लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसों को उक्त जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है।

मान्यवर, कई चकबन्दी अधिकारी एवं कर्मचारी कई वर्षों से एक जगह पड़े हुये हैं जैसे श्री दुखहरन सिंह, कानूनगो बीसों वर्षों से जनपद जौनपुर में सदर तहसील में पड़े हुए हैं और कई बार इनके स्थानान्तरण के आदेश किये गये लेकिन वह रोक दिये जाते हैं, इसलिये जो चकबन्दी अधिकारी, कर्मचारी कई वर्षों से एक जगह हैं उनका स्थानान्तरण होना चाहिए। और अगर सी0 ओ0, एस0 ओ0 हैं तो उसको जिले में नहीं होना चाहिए।

आपने अभी चकबन्दी में बड़ी जल्दी करने की बात कही है, किन्तु स्थिति इसके विपरीत है। सन् 74 में जोन शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्राम हड़ई, घोरइल व कयार में चकबन्दी हुई, किन्तु उन गांवों की बन्दोबस्त खतौनी अभी तक नहीं बन पायी है, जिसके कारण से वहां के काश्तकार काफी परेशान हैं। इसी तरह से 16 मई, 1981 को धारा 4(1) के अन्तर्गत वहां पर पुनः चकबन्दी करने की बात गजट की गई। कहा गया कि तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में पुनः चकबन्दी होगी, जिससे सही तरीके से और अच्छी तुकबन्दी कराई जा सके। किन्तु दुबारा भी सही और ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। आपके एस0 ओ0 और सी0 ओ0 छोटे-छोटे चक काट रहे हैं। गरीबों और हरिजनों को उनके घर से कई कई किलोमीटर दूर के चक एलाट कर रहे हैं और उनको उड़ान के चक दे रहे हैं। पारसाल आपने उड़ान-चकों के आंकड़े भी दिये थे, लेकिन इस साल आपने उसे नहीं दिया है। वहां पर हरिजनों की आबादी उनके घरों के पास न छोड़कर दो-दो किलोमीटर दूर और पानी की तलहटी में दी जा रही है। जबकि आप हरिजनों के बड़े हमदर्द बनते हैं, सी0 ओ0 और एस0 ओ0 तरह-तरह से गरीबों, गरीब किसानों और हरिजनों का शोषण कर रहे हैं। आबादी की जमीन और चरागाह की जमीन भी चकबन्दी में एलाट हो गई है, जबकि आपने नई अवस्था की बात कही है। सार्वजनिक उपयोग के लिए पहले भी जमीन छोड़ी जाती थी, अब भी छोड़ी जाती है, लेकिन अब हरिजनों के लिए छोड़ी नहीं जाती है। हरिजनों के लिए छोड़ी जाय तो यह एक अच्छी बात है, आप कहते ही हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं।

आप कहते हैं कि बाहर का यदि कोई आदमी आकर जमीन खरीदना चाहता है तो उस पर हमने पाबन्दी लगा दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था से या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्थाओं से हमारा क्या फायदा है, उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो उन बातों के लिए कह रहे हैं, जिसका फायदा आम आदमी, गरीब और हरिजनों को मिलने वाला है। हमारे देश और प्रदेश की आबादी बढ़

रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है तो जमीन भी बट रही है और आमदनी भी कम हो रही है। इसका अधिक असर छोटे और गरीब किसानों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 108 बड़े-बड़े राजे महाराजे हैं, वह सब कांग्रेस में होंगे। इसकी मार उन पर नहीं पड़ रही है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप कोई भी कानून गरीबों के हित के लिए बना दें, लेकिन यदि उसका सही रूप में पालन नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि वह अन्धा कानून है, बेकार कानून है, उसका कोई प्रतिफल नहीं हो सकता है। जनता पार्टी के शासन काल में यह किया गया था कि हरिजनों के लिए जितनी जमीन एलाट की गई थी, उसमें से 90 प्रतिशत पट्टों पर उनको कब्जा दिला दिया गया था। हमारा और आपका उद्देश्य एक है, काम करने के ढंग में अवश्य फर्क हो सकता है। आप हरिजनों को सही जगह पर जमीन दिलवाइये और उस पर उनको कब्जा भी दिलवाइये।

जब आपने देहातों की जमींदारी खत्म कर दी है तो अर्बन एरिया की भी जमींदारी खत्म कराने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अर्बन एरिया की जमींदारी भी सही रूप से और पूर्ण रूप से समाप्त कराइये। किन्तु जो नान-एग्रीकल्चरल होल्डिंग है उसको आप एग्रीकल्चरल होल्डिंग से अलग नहीं कर पाये हैं, तो आपको यह पता नहीं चल सकता है कि कौन सा इसकी परिधि में आता है और कौन सा नहीं आता है। आज अर्बन सीलिंग कानून का कहीं भी सही पालन नहीं हो रहा है। अगर इस कानून का पालन हुआ होता तो जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में सीलिंग वगैरह से जमीन निकली है और गांव के गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों को मिली है उसी तरह से शहरों में भी जमीन मिलती और कस्बे के लोगों को और शहरों के गरीब लोगों को वह जमीन मिलती।

आज मैं महसूस कर रहा हूं कि अरबन जमींदारी एबोलीशन एक्ट शहरों में ठीक से नहीं लागू किया गया और आप उससे जमीनें नहीं निकाल पा रहे हैं अगर आपने इसको प्रभावी ढंग से लागू किया होता तो आपको काफी सहायता मिलती। इसमें आप पूरी तरह से असफल रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आपने डेटा गलत दिये हैं तो हो सकता है कि मेरा डेटा सही न हों, आपके पास सरकार है आपके डेटा सही हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो भावना है, जिस भावना को मैंने व्यक्त किया है कि आज जो नजूल की आराजी है वह 30 साल के पट्टे पर दी जाती है। अगर एक हजार रुपये पर दी गयी है और उसकी अवधि खत्म हो गयी है तो उसको फिर उसी किराये पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों, और होटल मालिकों को दे दिया जाता है और वह-बड़ी बड़ी जगहें घेर लेते हैं जिसका अंजाम यह होता है कि वह जमीन उनके कब्जे में रहती है और सरकार को उस जमीन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह जो नजूल की भूमि है और गवर्नमेंट स्टेट प्रापर्टी है, ऐसी जमीनों को आप अपने कब्जे में लें और उनको पट्टे पर दें तो इससे रेवेन्यू आपको मिलेगा और अधिक रेवेन्यू मिलेगा जिससे आपको टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सत्यपाल जी आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो मान्यवर, मैंने जो सुझाव रखे हैं वह इस उद्देश्य से रखे हैं कि आप उन पर कार्यवाही करेंगे। मैंने जो सुझाव रखे हैं, बजाय इसके कि माननीय मंत्री जी आप पहले जो भाषण दे चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करें उनमें जितनी बातें मैंने रखी हैं, जिन बातों को उपयोगी समझें उनको मानें और जिनको उपयोगी न समझें और आप यह समझें कि हम इसमें कुछ कर पाने में मजबूर हैं तो उसके बारे में जवाब दे दें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(राजस्व मंत्री को पुकारे जाने पर।)

श्री लाल चन्द्र निषाद–

मान्यवर, दफा 52 चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन हो जाने के बाद जो आदमी चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। माननीय मंत्री जी आप शुरू कीजिये।

श्री लाल चन्द्र निषाद–

[x x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह बिल्कुल नहीं लिखा जायगा। ऐसी अनुशासन हीनता नहीं करनी चाहिये।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को, चाहे इधर के बैठने वाले हों या चाहे उधर के बैठने वाले हों, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं। इन सुझावों पर विचार किया जायगा और हम कोशिश करेंगे कि जो शिकायतें आज की गयी हैं उनका निराकरण हो सके। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए माननीय श्री सत्यपाल जी ने कहा, जनता पार्टी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ है तो यह तो प्रदेश की जनता जानती है कि क्या-क्या काम हुये हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जिनका सम्मान मैं भी करता हूं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब यहां पर वह कांग्रेस के मिनिस्टर थे, तो मैं भी उनका सहयोगी था। उस समय मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। मैं नहीं चाहता था कि खां-मं-खां उनका नाम उछालें। उस समय कांग्रेस हाई कमान में, कांग्रेस की पालिसियों के मुताबिक जो कुछ काम उन्होंने यहां किया वह जरूर प्रशंसनीय है। लेकिन यह कहना कि उन्होंने अपनी तरफ से यह काम किया वह बात भ्रम फैलाने वाली बात है। उन्होंने कोई काम अपनी तरफ से नहीं किया।

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा–

क्या यह सही नहीं है कि मुख्य मंत्री ने उनका उस समय विरोध किया था?

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी बैठिये।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

कृपया दिल पकड़ कर बैठिये, मुझे बोलने दीजिये। तो मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की बात वह करें। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और हमें भी कुछ कहने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी काफी उमर के हैं। उनको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है। वह कहते हैं कि मंगलदेव विशारद कमेटी में आप भी एक मेम्बर थे। उनको मालूम होना चाहिये कि मैं 6वीं बार इस सदन में आया हूं। मैं पार्लियामेंट का मेम्बर रहा हूं, मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेम्बर रहा हूं। इसलिये उस कमेटी को बनाने में मेरा बहुत हाथ था। उस समय पंडित कमला पति त्रिपाठी मुख्य मंत्री थे जो आज कांग्रेस के वर्किंग प्रेसीडेंट हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया था उन्होंने वह कमेटी बनायी थी। स्वर्गीय श्री विशारद जी ने जो कुछ काम किया सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। आज कहा गया कि उनकी जो संस्तुतियां थीं उन पर विचार नहीं किया गया है।

मेरा कहना है कि उन पर विचार हुआ है। आप देखिये परिशिष्ठ 18 और 20 को जिसमें बड़े बड़े भूपतियों और बड़े बड़े फारमर्स का जिक्र है। आप देखेंगे कि वह सब के सब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं। गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी। वह मामले न्यायालय में हैं। न्यायालय के निर्णय का जितना आप आदर करते हैं उतना हम भी करते हैं। सब पर वह एक समान लागू होता है। तो जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ करना सम्भव नहीं है। उनसे भूमि निकाल कर गरीबों में बांटी जायगी। जो-जो भूमि हमको मिल रही है उसका हम सही तरह से बन्दोबस्त कर रहे हैं और भूमिहीनों और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको उसका आवंटन कर रहे हैं। परिशिष्ट 7–8 में देखें, उसमें भी बड़े बड़े फारमर्स का जिक्र है। वह सारे के सारे मामले न्यायालय में हैं और उनमें से जितने मामले हमारे पक्ष में तय हो गये हैं उस भूमि का बन्दोबस्त हमने कर लिया है। बाकी मामले जो कोर्ट में हैं उनका निर्णय होने पर उसमें कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, यह कहा गया है, राजस्व संहिता विधेयक के बारे में मैंने कहा था सदन में कि दूसरे सत्र में इसे लाने का प्रयास करूंगा तो यह बात सही है।

मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन अभी इसका अध्ययन हो रहा है। एक कैबिनेट की सब कमेटी इस पर विचार कर रही है ऐसा नहीं है कि हमने इसको छोड़ दिया है। इस पर विचार हो रहा है। इस पर गवर्नमेंट का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए इसके लिए एक कैबिनेट की सब कमेटी, इसका अध्ययन कर रही है। यहां पर एक प्रश्न के उत्तर में भी गवर्नमेंट ने साफ कर दिया था कि अभी इसमें समय लगेगा, जल्दी होने वाला नहीं है। तो मैं यह बात दुहरा रहा हूं, मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूं। लेकिन जो कानून में खामियां हैं और इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने की बहुत आवश्यकता है इसीलिए इसका अध्ययन हो रहा है।

श्री विजय सिंह राणा–

तब तक तो हरदेव मंत्री बन जायेंगे।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, सत्यपाल जी कह रहे थे

कि चकरोडों पर नाजायज कब्जे हैं। तो जो मजबूत किस्म के लोग आपके यहां हैं और दूसरी जगहों पर भी हैं उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। आप उनसे कह नहीं सकते हैं कि कब्जा मत करो लेकिन हम पर जोर देते हो तो सरकार उनको बेदखल करने की कोशिश कर रही है। हमारा अभियान है, हम अभियान के जरिये उन अनधिकृत कब्जों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी बताया भी था कि हमने कितने कब्जों को हटा दिया है और वह भूमि गरीबों को आवंटित कर दी गयी है। यह जो चकरोड और नाली की जमीन है यह सार्वजनिक चीज है। इसको साफ रखना चाहिये लेकिन उन पर लोग कब्जा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि ग्राम समाज की भूमि पर और हरिजनों की भूमि पर जो अनधिकृत कब्जे करते हैं तो पहले उनसे कहा जाता है, उनको हटाने की कोशिश की जाती है और यदि वह फिर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो क्रिमिनल आफेन्स होने के कारण उनके ऊपर मुकदमा चलता है, सजा और जुर्माना होता है। तो इसमें हमारे पास सभी हथियार हैं जिससे हम अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों को हटाकर रहेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। एक पालिसी का सवाल है, नीति का सवाल है, जिस पर हमें काम करना है।

माननीय सत्यपाल जी ने कहा कि कमिश्नरों को अधिकार दे दिया गया उनके पास बहुत काम हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि एडीशनल कमिश्नर्स कायम किये जायेंगे जो उनके काम में मदद करेंगे यह बात स्पष्ट समझ लें। ऐसा न समझें कि सरकार बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर बोझ डाल रही है। जैसा मैंने कहा था कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें सब काम करने हैं जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं उनको ऊपर ला सकें और वह लोग भी समाज में एक सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकें। **हमारे माननीय सदस्य मैनेजर सिंह ने किसी एक तहसीलदार की शिकायत कर दिया। ये तो बहुत भले आदमी हैं, किसी की** शिकायत वगैरा तो करते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं कैसे शिकायत कर दिया। उसका नाम है श्री एम0पी0सिंह, आपने तहसीलदार का नाम महेन्द्र सिंह बताया। उसको वहां से हटा दिया गया है। लेखपालों का जो अधिष्ठान है, वह तो जिले में ही होता है। उसका ट्रान्सफर हो, उसका प्रोमोशन हो, वह जिले में ही होता है। राजस्व परिषद् उस काम को नहीं करता है। यह गलतफहमी है हमारे साथियों को।

श्री मैनेजर सिंह–

राम लाल पाण्डेय का ट्रान्सफर राजस्व परिषद् ने रोका है।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

किसी की अपील आई हो या यहां के किसी माननीय सदस्य ने हमसे कहा होगा और हमने लिखकर भेज दिया होगा। लेकिन राजस्व परिषद् इस काम को नहीं करता है। इस चीज को छुपाया नहीं जा सकता है। यह जो भूमि का आपने कहा कि हरिजनों के लिए अलग होनी चाहिए थी। तो भूमि का तो मैंने बताया कि हरिजनों के लिए अलग छोड़ी गयी है, सार्वजनिक कार्यों के लिए भी अलग छोड़ी गयी है और खलिहान वगैरह के लिए अलग छोड़ी गयी है। हमारे मित्र ने यह आग्रह किया है कि खलिहान के लिए अलग

जमीन होनी चाहिए। मैं पृथकवादी या अलग-अलग बटवारे के पक्ष में नहीं हूं। हरिजनों के साथ जो व्यवहार होता है, उसी से पृथकता की भावना उनमें पैदा होती है और इसी से वह कहते हैं कि हमको यह चीज अलग दे दी। अगर समान रूप से मिल कर चलें, तो उनमें अलगाव की भावना नहीं पैदा होगी। उनके लिए थोड़ी सी जमीन आवास के लिए छोड़ी गयी है और जो खलिहान के लिए जमीन है, उसमें उनका भी अधिकार है। मान्यवर, कई बातें यहां पर कही गयी हैं, सभी का उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं है कि सभी का उत्तर दिया जा सके।

श्री सत्यपाल सिंह–

ऐसा उत्तर आप एक भी न दें, तो सबसे अच्छा है।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, तहसील के पुनर्गठन का जिक्र किया गया है। मान्यवर, तहसील के पुनर्गठन की एक समिति बनी थी राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में। उसने पूरे प्रदेश का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन मान्यवर, अभी अपने पास संसाधन की कमी है, इसलिए हम उन तहसीलों को एक साथ शुरू नहीं करा सकते। इसी के साथ मान्यवर, जिले के बारे में भी संस्तुति मिली है, लेकिन अभी यह संभव नहीं है कि उनको भी हम स्थापित कर सकें, कठिनाई आर्थिक है, हमारे संसाधन वगैरह जुट जायेंगे, तो वह भी कार्य कर दिया जायगा। सरकार का ध्येय है, वह चाहती है कि जो जनता की भावना है, उसके मुताबिक काम हो, लेकिन जगह-जगह आप हड़ताल करा देते हैं और रुपया आना बंद हो जाता है, तो काम कैसे चलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से कि वह सहयोग करें, क्योंकि जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि इसका सम्बन्ध घर-घर से है। जितने लोग देहात में रहते हैं और देहात से शहर में रहते हैं, उनका भी सम्बन्ध भूमि से है। जहां पर अच्छे-अच्छे सुझाव आपने दिये हैं, उन सुझावों के मुताबिक आप अमल करने में सहयोग दें, तो काम अच्छा चल सकता है। लेकिन आप यह समझते हैं कि विरोध करने से नाम होगा, अखबार में छपेगा, तो इससे काम नहीं चल सकता है। यह रचनात्मक काम है, इस रचनात्मक कार्य में जब तक परस्पर सहयोग नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी।

मान्यवर, सरकार तो हर सभव प्रयास करेगी कि राजस्व का कार्य ठीक तरह से चले। मान्यवर, मैं पुनः उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है और अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस बजट को स्वीकार करेंगे, ताकि हमें आगे काम करने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,26,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग-(प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,91,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 93,06,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 73,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल, तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986

[5 बजकर 52 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, इस अध्यादेश का अननुमोदन करने हेतु संकल्प मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है और इस के पहले भी यह बात इस आदरणीय सदन में आ चुकी है कि जब कोई एसी आपरिहार्य स्थिति हो, उसमें अध्यादेश को लाना चाहिए, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस सरकार की एक आदत सी बन गयी है, अध्यादेशों को लाने की । चाहे तो विधेयकों से काम चलाया जा सकता है और मान्यवर, यह अल्कोहल आदि पर जो कराधान लगाने की बात है, इन चीजों पर तो वैसे भी अध्यादेश नहीं आने चाहिए। अभी आज ही कल के समाचार-पत्रों में आपने देखा होगा कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री जो इसी से संबंधित एक गोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अल्कोहल की आजकल बड़ी कमी है, इसलिए इन उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि इनके शुल्क को माफ किया जाए। (इस समय 5 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए) तो मान्यवर, एक ओर तो उनके वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर मान्यवर, यहां क्या होने जा रहा है ? अध्यादेश के जरिए से इस पर और टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। पहले मान्यवर, इस पर 8 प्रतिशत टैक्स था और अब इस पर आप 10 प्रतिशत करने जा रहे हैं। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्वयं यह कहा कि हम वर्ष 1986-87 के बजट में जो कि घाटे का बजट था, कोई नये करों का प्रस्ताव नहीं करने जा रहे हैं और अपने घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने मितव्यता से पूरा करने और अपने श्रोतों से बचाकर करने को कहा लेकिन यह टैक्स फिर जो लगाया जा रहा है, यह कैसा है ?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आय के साधन तो कई हैं और मैं समझता हूं कि जिन चीजों पर टैक्स लगना चाहिए उन्हें तीन चीजों में बांटा जा सकता । एक तो बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित चीजों पर दूसरे रोज मर्रा के इस्तेमाल की चीजों से ऊपर की चीजों पर और तीसरे लग्जरी गुड्स पर, लग्जरी गुड्स तो लग्जरी है ही दूसरे यह पेट्रोल व डीजल आदि चीजें है, यह भी हमारी आवश्यक इस्तेमाल की चीजों में ही आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे तो हमारा रेवेन्यू और कम ही होगा, क्योंकि इन पर जब टैक्स अधिक होगा या दिन पर दिन बढ़ता जायेगा तो इनकी बिक्री कम होगी और जैसा कि अभी केन्द्र के माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन्कम टैक्स के रेट्स कम करने से रेवेन्यू बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों से भी अधिक टैक्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों का रेवेन्यू बढ़ रहा है और यहां का रेवेन्यू घट रहा है। अगर आपका मुख्य उद्देश्य रेवेन्यू बढ़ाने का है तो दूसरे राज्यों की तरह जैसे पंजाब हरियाणा, दिल्ली वगैरह हैं, इनकी तरह हमें भी अपने बिक्रीकर को घटाना चाहिए तो इससे कई फायदे होंगे एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही दूसरे जब वोट मांगने के लिए हम जाते है तो यह एक विकल्प भी साधारण जनता में बनेगा। उत्पादन कर लगाया गया टर्न ओवर कर लगाया गया, एक उद्देश्य इनके सामने है किसी तरह से कर लिया जाये। मैं इस बात को बताना चाहूंगा, मैं इस अध्यादेश के बारे में कह रहा हूं, आवश्यकता आज इस बात की है कि इस पर विचार किया जाए। हमने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है। उनको विश्वास में नहीं लिया है, इसी कारण घाटा हो रहा है, स्थिति आज हमारे सामने है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आर0 ई0 एस0 और पी0 डब्लू0 डी0 जो है यहां टैक्स की चोरी हो रही है । ठेके उनको दिए जाते हैं जिनका पंजीकरण बिक्रीकर में नहीं है जब उन पर टैक्स ज्यादा हो जाता है तो वह टैक्स लेकर

भाग जाते हैं, जिन ठेकेदारों का पंजीकरण होता है उनको हेरेस किं जाता है, जो बिक्रीकर उनसे लेना होता है, वह पंजीकृत ठेकेदारों से लिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ठेका उन्हीं ठेकेदारों को देना चाहिए जिनका पंजीकरण हो। ऐसे बहुत से मामले हैं मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। यह सरकार एक तरफ तो जो आवश्यक आवश्यकता की वस्तुयें हैं छोटी चीजें हैं उन पर टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ मंहगाई बढ़ती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं।

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी विद्वान सदस्य हैं। उन्होंने इस पर इतनी चर्चा कर दी। मान्यवर, इसमें छोटी सी बात है आठ परसेंट के बजाए 10 परसेन्ट किया है। यह ऐसे नहीं किया है इसमें समिति बैठी थी उसके निर्णयानुसार किया गया है। जो गरीब लोग हैं हरिजन और दबे हुए लोग हैं उनके लिए संसाधन जुटाने के लिए ऐसा किया गया है। मान्यवर, आन्ध्र में और गुजरात में 12 परसेन्ट है, कर्नाटक में 13 परसेंट है और केरल में यह 15 परसेन्ट है। मुझे यह किसी प्रदेश का नाम बता दें जहां 10 परसेन्ट से कम हो। मैं समझता हूं कि 3 करोड़ से अधिक की आय इससे होगी। आपने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं निवेदन करूंगा कि उसको वापस ले लें, यह विधेयक जनहित में लाया गया है अतः इसको पास कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

अभी अपने अननुमोदन संकल्प पर भाषण करते हुये मैंने कुछ बिन्दुओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था। लेकिन इस विभाग के भारसाधक मंत्री जी के भाषण को मैंने सुना, उन्होंने बड़े जोर से अपील की कि हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिये। इस बात को कहते हुये उन्होंने कुछ प्रदेशों के नाम भी लिये। लेकिन मंत्री जी ने जिन प्रदेशों का नाम लिया वह प्रदेश सब दृष्टि से हमारे मुकाबले में विकास में आगे है। मैंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण न होने के कारण टैक्स अधिक होने के कारण सारे उद्योग दिल्ली और हरियाणा जा रहे हैं। दिल्ली के रेट्स हमसे कम हैं या ज्यादा मंत्री जी बताने की कृपा करें। हमारा प्रदेश उन प्रदेशों से सब दृष्टियों से पिछड़ा है। मैं टैक्स लगाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात इसलिए कह रहा हूं, जहां तक विकास के लिए संसाधन जुटाने की बात है उसमें हमारा मतभेद नहीं है अगर हमारा मतभेद होता तो इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बजाय मैं जनमत जागरण की बात करता। प्रश्न यह है कि संसाधन किससे मुहैया किया जायेगा। यदि यह टैक्स बड़े लोगों पर होता तो निश्चित ही

मैं इसका समर्थन करता । लेकिन इसका असर माननीय मंत्री जी खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन्हीं के नाम का शोषण करने को तैयार हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी। गेहूं का दाम आपने तय किया, गेहूं का दाम तय करने के बाद बिजली, पानी सब की कीमत बढ़ गई। इसका गरीब लोगों पर असर पड़ रहा है। प्रवर समिति में इस पर विचार हो जाय कि टैक्स जमा करने का फार्म क्या होगा, अदायगी की तिथियां क्या होंगी ? इन सब बातों पर वहां विचार हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय। उसमें विचार करके एक अच्छी शक्ल में यह विधेयक आये जिससे प्रदेश का विकास हो।

*श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी कर बढ़ाने की बात इस बहादुरी से कर रहे थे जैसे प्रदेश की जनता को राहत देने जा रहे हैं। यह सरकार कर बढ़ाने के काम में तो महारत हासिल कर चुकी है । मान्यवर, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उस पर प्रवर समिति में विचार हो सकता है, इसलिये इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मान्यवर, कर लगाने के बाद राहत की अपेक्षा करना निराधार बात होगी। मान्यवर, मंत्री जी आज तमाम क्षेत्रों में दूसरे प्रान्त उत्तर प्रदेश से आगे है, प्रगति में आगे हैं। अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कर कम हैं इसलिये मंत्री जी विधेयक पास करने जा रहे हैं। मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की भावना को देखते हुये, जनता के हित को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें। समिति सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार कर सकेगी और इसके बाद जनहित में आवश्यक हो तो इसकी अनुमति दे दी जायगी, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसका विरोध नहीं करता। संसाधन बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जो सभ्य सरकारें हैं, वह टैक्स देने लायक लोगों पर लगाती है । जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, टैक्स का भार उन पर पड़ता है तो यह बात सोचने की होती है। आप यह कहते हैं कि विकास के लिए इसको बर्दाश्त कीजिए, त्याग कीजिए । भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये टैक्स को बर्दाश्त कीजिये, लेकिन जिसका वर्तमान ही अंधकार में हैं, वह आपके भविष्य के बारे में क्या सोचेगा ? इस टैक्स से गरीब जनता पर भार बढ़ रहा है, लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको मान्यवर, फाइनेंशियल रेंरिटक्शन्स रिलेक्स करने के नाम पर टैक्स कम करते जा रहे हैं। यह डीजल, तेल और स्प्रिट आम आदमी के काम में आने वाली चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ रहा है। बजट के समय मुख्य मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने महाराष्ट्र की तुलना उत्तर प्रदेश से की कि उनका बजट ज्यादा है। लेकिन उनसे जब सवाल किया गया कि महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उत्तर प्रदेश की कितनी है तो वह उसका जवाब गोल कर गये। वास्तव में टैक्स लगाना चाहिये संसाधन बढ़ाने के लिये, लेकिन टैक्स का भार किस पर पड़े। जो लोग टैक्स का भार बर्दाश्त नहीं कर सकते उन पर नहीं पड़ना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो सब चीजों की रिस्पांसिबिलिटी के साथ अध्ययन करेगा और जो अभी गुप्त जी ने कहा उसे माना जाय।

श्री राम सिंह एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे साथी बाजपेयी जी ने कहा कि इस सरकार को क्या हुआ है जो तमाम करो का बोझ हम पर लाद देती है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि जब सामान्य बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया था और उसमें नये करों की व्यवस्था नहीं की गयी तो उसे घाटे का बजट कहकर विरोध किया गया और आपको यह तकलीफ हुई कि कर क्यों नहीं लगाये गये और घाटे का बजट क्यों बनाया गया। यह मामूली बढ़ोत्तरी केवल आठ से दस परसेंट की है। अन्य प्रदेशों में भी कर लगभग इससे अधिक है। इससे जो रेवेन्यू मिलेगा उससे विकास कार्यों में सहयोग मिलेगा। हम चाहेंगे कि माननीय विपक्षी सदस्यों की यह मांग कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसे वह वापस ले लें।

*श्री मूलचन्द -

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं तो हम तो यह आशा करेंगे कि इनको यह टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर गरीब के हिमायती हैं तो यह टैक्स इनको नहीं बढ़ाना चाहिए। टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता थी तो अंग्रेजी शराब पर बढ़ाना चाहिए था। उस पर बढ़ाते, टी0 वी0 पर ज्यादा टैक्स बढ़ा देना चाहिए था, रेडियो पर ज्यादा टैक्स बढ़ा देना चाहिए था, इलेक्ट्रानिक्स मशीन पर ज्यादा टैक्स बढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि यह पूंजीपति लोग अंग्रेजी शराब आप पीते हैं, गरीब नहीं पीते हैं। पूंजीपति लोग पीते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा देना चाहिए। वह अंग्रेजी शराब खरीद सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं। लगता है यह अंग्रेजी शराब पीकर, नशे में होकर टी0वी0 में नग्न चित्र देखते हैं इसीलिए उस पर टैक्स नहीं बढ़ाते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप को टैक्स बढ़ाना है तो इलेक्ट्रानिक्स पर, टी0वी0 पर अंग्रेजी शराब पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ा दीजिए। अंग्रेजी शराब गरीब नहीं पीते, किसान नहीं पीते, आप जैसे बड़े-बड़े लोग पीते हैं, उस पर आप टैक्स बढ़ा दीजिए। टी0वी0 गरीब किसान नहीं देखते और खरीदते, जब आप टी0वी0 पर नशे में नग्न चित्र देखते हैं उस समय किसान खेत में जाकर बिजली की लाइन जब मिलती है तब खेत में पानी देते हैं। आपने मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ा दिया। मिट्टी के तेल से आपको मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए न टाट-पट्टी है और न बिजली है और न साया है, बरसात में बच्चों की छुट्टी हो जाती है, गर्मी में, धूप में बच्चों की छुट्टी हो जाती है, रात में मिट्टी के तेल का दीपक जलाकर किसी तरह से वह बच्चे पढ़ते हैं, उस पर आपने इतना टैक्स बढ़ा दिया। इस तरह से इन गरीब काश्तकारों के बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह जायेंगे इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि गरीबों पर टैक्स का असर न डालें, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, राजा महाराजा हैं, उनके इस्तेमाल की जो चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ायें क्योंकि वह खरीद लेंगे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री हरदेव –

मान्यवर, मैं माननीय गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं । आप सब टैक्स-टैक्स चिल्लाते हैं और टैक्स की चोरी भी करते हैं और टैक्स देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, हम देश का विकास करने जा रहे हैं । हमारे पास कोई धन का जरिया नहीं है इसलिए टैक्स जरूरी है । न आप टैक्स देंगे, न टैक्स बढ़ाने देंगे । न आप बकाया लगान देंगे, न लगाने देंगे । न बिजली का टैक्स देंगे और न बिजली पर टैक्स लगाने देंगे तो आखिर कैसे प्रदेश की व्यवस्था चलेगी? मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल दिखावा मात्र हैं, आप प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं इसलिए आपको न वोट मिलेगा, न नोट मिलेगा । आप आये दिन हड़ताल करवाकर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ डालते हैं, आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वह करोड़ों रु0 की क्षति कहां से पूरी होगी। मान्यवर, मंत्री जी ने जो बात रखी है उसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह बहुत सोच समझकर और कानून के ज्ञाता तथा वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण करवाकर किया गया है । सब लोगों ने इस पर जो अपने विचार रखे हैं, तो इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है । इसलिए मैं कहूंगा राजेन्द्र भैय्या से कि अपने विचार को वापस लें और देशी शराब का इस्तेमाल करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था, उसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है और जिन्होंने उसका विरोध भी किया है, उन्होंने भी तर्क ऐसे किये हैं जिनसे समर्थन ही होता है। उधर के एक मा0 सदस्य ने कहा कि जिस समय मा0 मुख्य मंत्री जी ने घाटे का बजट प्रस्तुत किया था तब तो नहीं कहा, मैं बताना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नये टैक्स नहीं लगायेंगे, लेकिन यह क्या है, नये नये टैक्स ही तो हैं ? पिछली बार भी ऐसा ही किया था, बजट में घाटा दर्शाया था साल के अन्त में ये बढ़ा देते हैं । एल्कोहल और मोटर स्प्रिट पर जो टैक्सेशन है, उससे औद्योगीकरण में बाधा होगी । अपने नेताओं के तर्कों की विसंगतियां भी सामने रखी हैं । केन्द्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सुविधा देनी है, शुल्क कम करना है और उत्तर प्रदेश की सरकार टैक्स बढ़ा रही है । माननीय मंत्री जी ने जो केरल और कर्नाटक के उदाहरण दिये हैं, अगर हरियाणा या किसी पड़ोसी राज्य की बात की होती तो मैं मान लेता । इस टैक्सेशन से उत्तर प्रदेश की गिरावट होगी, इसलिए प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री चेतराम गंगवार –

मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस विधेयक का असर हो गया हो । इन्होंने इसका नाम पढ़ा तो मैं समझा कि ये केवल दो चीजों पर चर्चा सीमित रखेंगे । वह धारा जिसमें एमेण्ड करना है, वह धारा जो जोड़ी है । मोटर स्प्रिट यानी पेट्रोल और एविएशन टर्बाइन फ्यूएल । माननीय बाजपेयी जी ने कह दिया कि जैसे कोई राहत देने जा रहे हैं, तो 99 प्रतिशत आदमी जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे-पिसे हैं, उनको राहत देने जा रहे हैं । आपने कहा कि ''लग्जरियस'' चीज पर लगता, तो हवाई जहाज गरीबों के पास

कहां है, गरीबों के पास बड़ी-बड़ी मोटरें टोयटा वगैरह कहां है ? हम तो इन पर लगाने जा रहे हैं । सभी विद्वान सदस्य हैं, उन्होंने मिट्टी के तेल को भी शामिल कर दिया, डीजल भी शामिल कर दिया। इन चीजों पर कतई नहीं लगेगा । मैं स्वयं चिन्तित हुआ, जब आपने कहा कि गांव के रहने वाले हैं । यह मेरे पास इनसाइक्लोपीडिया है, श्री ज्ञान प्रकाश जी द्वारा लिखा हुआ । इसमें आप देखें, हमने केवल धारा 3 (क) एमेण्ड की है । इसमें है-''देअर शैल बी लेबीड आंन दि फर्स्ट सेल आफ मोटर स्प्रिट इन दि स्टेट, टैक्स एट दि रेट आफ 8 परसेंट....''

श्री अधिष्ठाता–

इसको आप हिन्दी में बतायें ।

श्री चेतराम गंगवार –

इसमें यह साफ लिखा है कि केवल मोटर स्प्रिट पर जो 8 प्रतिशत टैक्स है, उसको हम 10 परसेंट करेंगे, यह अमेन्ड किया गया है । इसका क्लाज (2) है, इसमें डीजल आयल की बात अलग से कही गयी है । हम ''क'' को अमेन्ड कर रहे हैं, ''ख'' को नहीं । मान्यवर, यह 90 फी सदी टैक्स अमीरों पर ही लगा गरीबों पर नहीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी जो मंत्री जी ने अंग्रेजी में कुछ पढ़ा है, उसे कृपया उनसे हिन्दी में अनुवाद करा दीजिए ।

श्री चेतराम गंगवार –

मान्यवर, उसे मैंने कर दिया है, अब इनको समझ नहीं है तो मैं इनके लिए समझ कहां से लाऊं ? तो मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और इस संकल्प को पास होने दें ।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय गुप्ता जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ? (बैठे ही बैठे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने नकारात्मक रूप से सर हिला दिया)

श्री अधिष्ठाता –

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मैनेजर सिंह –

मान्यवर, प्रस्ताव यह है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द न करके हरदेव समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 1 दिसम्बर, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1985

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन।

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में ; शब्द "आठ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपराध

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल, आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं। माननीय अध्यक्ष जी ने नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना जो कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री अशोक बाजपेयी द्वारा मेडिकल कालेज, लखनऊ में कैटस्केन मशीन उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में दी गयी है, को स्वीकार किया है और शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में [illegible]

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

[मेडिकल कालेज के जूनियर डाक्टर्स द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण कालेज तथा अस्पताल दोनों का पूरी तरह बन्द रहने और अराजकता की स्थिति से खिन्न होकर प्रधानाचार्य द्वारा त्याग-पत्र दे दिए जाने विषयक, माननीय सदस्य की सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दिनांक 1 फरवरी, 1986 को दोपहर लगभग 2 बजे तीस पैंतीस जूनियर डाक्टर्स प्रधानाचार्य कार्यालय में जबरन घुस गये और उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य डा0 सी0 डी0 गुप्ता से जूनियर डाक्टर्स के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए महंगी दवाओं का स्थानीय क्रय करने की अनुमति न दिये जाने के विरोध में अत्यन्त अभद्र व्यवहार किया। जूनियर डाक्टर्स के उपाध्यक्ष द्वारा प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को त्याग पत्र देने की मांग की गयी। उत्तेजित वातावरण को देखते हुए और उक्त परिस्थितियों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा द्वारा मजबूरी में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एक पत्र लिखना पड़ा कि वे प्रधानाचार्य का कार्य करने में असमर्थ हैं और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाय। वस्तुतः यह त्याग-पत्र नहीं था। जूनियर डाक्टर्स की उक्त कार्यवाही मेडिकल कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बल्कि उनके अपने निजी समस्याओं को लेकर थी और उनके द्वारा प्रधानाचार्य तथा अन्य अधिकारियों से अशोभनीय एवं अभद्र व्यवहार करके स्वयं अनुशासन-हीनता प्रदर्शित की गयी और वातावरण को उत्तेजित बनाया गया। डा0 सी0 डी0 गुप्ता अभी भी प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं और कालेज और उससे सम्बद्ध अस्पताल का सभी कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। जूनियर डाक्टर्स द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1986 से प्रदर्शन और घेराव करने तथा दिनांक 21 फरवरी, 1986 से क्रमिक अनशन करने के सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं दी गयी और प्रश्नगत अवधि में कोई भी आन्दोलन नहीं हुआ। जूनियर डाक्टर्स द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 15 जनवरी, 1986 के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता। अतः उसके सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।]

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर मिला है, इससे ज्यादा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें स्पेसिफिक बात यह कही गई थी कि मेडिकल कालेज में स्ट्राइक हुई और समाचार पत्रों में इस का समाचार छपा कि वहां के प्रधानाचार्य श्री गुप्ता जी ने त्याग पत्र दे दिया है और आपने भी इसको माना है और फिर कहा कुछ और था। मान्यवर, मैंने कहा कि एक पत्र मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिया था, जिसकी प्रति मेरे पास मौजूद है। मैं उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं उसको आपके पास भेज दूंगा। उसकी कुछ मुख्य-मुख्य बातें हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पत्र 3 फरवरी, 1986 का है और इसका नम्बर है 147 इसमें लिखा है, सेवा में, माननीय राजीव गांधी जी, प्रधान मंत्री भारत सरकार, माननीय वीर बहादुर सिंह जी, मुख्य मंत्री और इसकी एक प्रति स्वास्थ्य मंत्री जी को भी भेजी है, उसको आप सुनें, अ0 भा0 भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण परिषद् आगरा शहर आप सबकी सेवा में एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के कार्यवाहक प्राचार्य डा0 सी0 डी0 गुप्ता, श्री तारा चन्द उपाध्याय एकाउन्ट क्लर्क, श्री एस0 के0 लाम्बा, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री रिसाल उद्दीन कुरेशी वरिष्ठ स्टोर कीपर द्वारा फैलाये गये घोर भ्रष्टाचार के प्रमाणित तथ्यों के दस्तावेज इस आशय से प्रस्तुत कर चुकी है कि आप उनकी गुप्तचर जांच करवा कर दोषियों को दण्ड प्रदान करायें, जिससे मेडिकल कालेज के व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हों एवं जिन सुविधाओं से जनता वंचित है, वह उसे मिल सके। यही सूचना अन्य सम्बन्धित मंत्रियों एवं स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 श्री श्याम सूरी को भी दी किन्तु परिषद् द्वारा भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में शासन द्वारा कोई सहयोग अभी तक नहीं मिला है। इसी पत्र में आगे लिखा है कि इस सन्दर्भ में पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुए जिलाधिकारी, आगरा के माध्यम से दिनांक 15-1-1986 को मुख्य मंत्री महोदय को सम्बोधित ज्ञापन दिया गया, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि भ्रष्टाचार को दूर करने का आह्वान करने वाले उपरोक्त तमाम

अधिकारी एवं मंत्री इस अत्याचार एवं भ्रष्टाचार की ओर से आंख मूंदें पड़े हैं। इसमें और आगे है कि परिषद् के समस्त कार्यकर्ता एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा पर दिनांक 18-2-86 से प्रदर्शन एवं घेराव करेंगे यदि फिर भी परिषद् की जनहित एवं राष्ट्रहित से सम्बन्धित बातें नहीं मानी गयीं तो दिनांक 21-2-1986 से परिषद् के कार्यकर्ता क्रमिक अनशन करेंगे जो कि आमरण अनशन के रूप में बदल जायेगा। तो मान्यवर, यह पत्र लिखा गया है, यह पत्र है जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है और इसमें 15–20 आरोप लगाये गये हैं, जिनका डाकुमेंटरी प्रूफ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि या तो आप यह कह दें कि मेडिकल कालेज, आगरा के सम्बन्ध में जांच नहीं करानी है, और अगर आपको इस तरह का उत्तर देना है, तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं इसे वापस ले लूं। और अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जांच कराना चाहते हों में जांच नहीं करानी है और अगर आप आश्वासन दे सकें तो दें, नहीं तो क्या फायदा।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसमें कुछ भ्रम है। इसमें 3 फरवरी के बाद की चर्चा है और माननीय सदस्य जिस पत्र की बात कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री को भेजा गया है वह 15 फरवरी का है। जिलाधिकारी से जानकारी की गयी कि क्या उनके माध्यम से कोई पत्र मुख्य मंत्री जी को सन्दर्भित हुआ है और क्या 15 फरवरी को मुख्य मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? तो पता चला कि ऐसा कोई पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से न मुख्य मंत्र जी को प्राप्त हुआ है जहां तक 1 (एक) फरवरी के काण्ड की बात है, जूनियर डाक्टर प्रधानाचार्य के कमरे में गये और उन्होंने दवा की मांग की। और उनका कथन था कि वह उस दवाई का प्रयोग अपने ऊपर नहीं करेंगे। उस दवाई का नाम "ह्यूमन डिप्लायड बैकसीन" है। यह एक दवा है और 2000 रुपये की आती है, यह फ्रांस से इम्पोर्ट होती है और कुत्ता काटने पर लगायी जाती है जो एन्टी रैबिस है उसको लेने से उन्होंने इंकार कर दिया। इस पर उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार प्रधानाचार्य के साथ किया, एक फरवरी को। मगर इसकी शिकायत प्रधानाचार्य ने हमसे नहीं की और न कोई सिफारिश हमारे पास आयी है। श्रीमन्, लोक सेवा आयोग ने 3 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की है। श्री गुप्ता कार्यवाहक प्राचार्य हैं। जिनकी नियुक्ति संस्तुति लोक सेवा आयोग ने दिया है, उनकी नियुक्तियां उन मेडिकल कालेजों में हो जायेंगी, तो जो परेशानी है वह भी दूर हो जायेगी, स्थायी प्राचार्य पहुंच जायेंगे तो वह स्थिति कंट्रोल कर लेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है कि प्रधानाचार्य इस्तीफा दें या न दें मुझे इसमें भी रुचि नहीं है कि जूनियर डाक्टर गये थे उन्हें दवा मिली या नहीं मिली। मान्यवर, मेरी सीधी सी बात यह है कि जो आरोप उस पत्र में लगाये गये हैं जिनमें पूरे तथ्य दिये गये हैं उनकी जांच न होने का और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? अभी मैंने पत्र

आपके पास भेज दिया है, उसमें आरोप लगाये गये हैं निश्चित आरोप है, तथ्यात्मक आरोप हं तो मेरा विचार है कि इसमें पूरी जांच कराकर यहां पर सदन में उसकी रिपोर्ट दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपका कहना है कि उस पर कोई जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, जो आज्ञा आपकी होगी वह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता–

वह पत्र वे देख लेंगे और उस पर विचार करेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, परिस्थितियां पैदा हो गयी और इसलिए प्रधानाचार्य ने शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अमुक-अमुक लिखकर भेजा। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा और खुद आपका मानना है कि इंजेक्शन के बारे में झगड़ा था, अगर इतनी ही परिस्थितियां थी तो मान्यवर, वह कौन-कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिन पर प्रधानाचार्य को शान्ति व्यवस्था को देखते हुए, अपना इस्तीफा आपको लिखकर भेजना पड़ा? यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी परिस्थितियां थीं और उन परिस्थितियों की क्या विवेचना आपके सामने आयी है? दूसरा कुत्ता काटने का इंजेक्शन आपके किसी अस्पताल में नहीं है, लोग परेशान हैं क्या। उनकी व्यवस्था आप करायेंगे और तीसरा सवाल है कि माननीय मिश्रा जी के खिलाफ उस पत्र में जो राणा साहब पेश कर रहे हैं, उसके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं। वह प्रधानाचार्य रहे हैं आज निदेशक है। तो इस पत्र की जांच ऐसे किसी आदमी से करायेंगे जो उनके स्तर से ऊंचा हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे?

श्री अधिष्ठाता–

जहां तक परिस्थितियों का सवाल है वह स्पष्ट रूप से इस जवाब में आया है, क्या परिस्थितियां थीं?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें लिखा है कि अभद्र व्यवहार किया गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप तो मान्यवर, वहां बैठे हुए हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अभद्र व्यवहार पर कोई इस्तीफा देने के लिये तैयार नहीं होगा, कौन-कौन आरोप लगाये गये थे जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी जवाब दें, तो अलग बात है लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि कोई इस्तीफा दिया ही नहीं दरअसल वह तो कोअर्सन में हुआ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

उसे लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह नीचे की लाइन में लिखा हुआ है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, उत्तर एकदम स्पष्ट है। माननीय वर्मा जी क्या चाहते हैं। जब 25 लड़के प्रिंसिपल के कमरे में घुस जायं तो वह क्या करेगा। मैं मंत्री हूं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उन लड़कों के खिलाफ कार्यवाही करूं? यह उचित नहीं होगा। इसीलिये इसका उत्तर बड़ी

संजीदगी से मैंने दिया था । जब किसी मांग को लेकर 25 लड़के उनके पास जायेंगे और कहेंगे कि इस्तीफा लिखो, तो लिख दिया। उसके बाद वह मामला शान्त हो गया । माननीय राणा जी ने एक पत्रक हमको दिया है। आपके माध्यम से दिया है, वह सदन की चीज है उसको गायब तो करेंगे नहीं। उस पर कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक कुत्ते के काटने की वैकसीन का प्रश्न है, वह वैकसीन नहीं बनती है । वह केवल पटवा डांगर कारखाने में बनती है। उसकी क्षमता इतनी नहीं है। यह फ्रीज वैक्सीन है और अगर पूरा प्रयोग उस दवा का नहीं किया गया तो वह खराब हो जाती है। ठंडक में यह रखकर सौ-डेढ़ सौ सुइयां इसमें रखी जा सकती हैं। हर जिला चिकित्सालयों में इस वैकसीन को रखने की व्यवस्था की जा रही है । यह ऐसी वैकसीन है जिसको किसी खास तापमान में रखना पड़ता है। 72 घंटे बिजली न मिले तो वह खराब हो सकती है। तो श्रीमन्, जब तक यह व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पटवा डांगर इन्स्टीट्यूट से वह वैक्सीन आ जायेगी ।

बंगाल आदि प्रान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश और देश की ज्वलन्त समस्या की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये इस चर्चा को स्वीकार किया है । लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके लिए समय पूर्व में ही निर्धारित हो जाता और पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर के माननीय सदस्य इसमें विचार करते . . .

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)– इसके लिए समय आधा घण्टा है, जो निर्धारित है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

तो सरकार को और भी सहूलियत हो जाती और इस समस्या का कुछ निराकरण हो जाता। मान्यवर, आज बेरोजगारी की समस्या सुरसा की तरह से बढ़ रही है। यह आने वाले दिनों के लिये टाइम बम है। जिस दिन प्रदेश में इसका विस्फोट हो जायेगा, मैं समझता हूं कि शान्ति न इधर के लोगों को होगी और न उधर के बैठने वाले लोगों को होगी। देश के आंकड़े छोड़ दिये जायं और प्रदेश के आंकड़ों की तरफ ही ध्यान दिया जाय तो इनके ही रिकार्ड्स यह बताते हैं कि 1980 में 16 लाख 20 हजार लोगों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में हुआ । 49 हजार स्थानों पर रिक्तियां थीं और इन रिक्तियों के मुकाबले 42 हजार लोगों को रोजगार मिला। 1981 में यही स्थिति रही। जहां 17 लाख 84 हजार लोगों का पंजीकरण हुआ, 1982 में 19 लाख 75 हजार तक लोगों की तादाद पहुंची जिसके मुकाबले में 36,900 लोगों को ही रोजगार मिल सका। 1982 में 21 लाख 95 हजार लोग पंजीकरण की संख्या में बढ़े उसके अगेन्स्ट 36,500 लोगों को रोजगार मुहैया कर सके, 1984 में 23 लाख 55 हजार और 85 में यह संख्या बढ़ कर 25 लाख 70 हजार हो गयी और माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि अभी तक 31 हजार 6 सौ लोगों को रोजगार दिया गया है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखें कि किस तरह से बेरोजगार नौजवानों की तादात बढ़ रही है और रोजगार कार्यालयों में किस कदर पंजीकरण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सरकारी संस्थाओं अर्ध सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्रों में काम के अवसर घटते जा रहे हैं। 1961 से 1981 के बीच बेरोजगारों की तादाद में 18 गुना वृद्धि हुई है और जो रफ्तार है वह प्रतिवर्ष 12 से लेकर 14 प्रतिशत तक बढ़ रही है। पढ़े लिखे नौजवान 3 लाख से ज्यादा इनके कार्यालयों रोजगार में प्रति वर्ष दर्ज करा रहे हैं जिनको रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में ऐसा लगता है कि 1990 आते-आते लगभग 55 लाख नौजवान इन कार्यालयों में नाम दर्ज करा लेगें और जो इनके रोजगार देने की स्थिति है उसमें इनकी प्रतिशत 1.2 और 1.3 है। सौ में डेढ़ लोगों को काम देने का काम यह कर रहे हैं। और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। स्वयं इनके मंत्री टी0 अंजैया ने स्वीकार किया है कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता प्रशस्त हो सके और बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो रही है, पढ़े लिखे नौजवान जो सड़कों पर दर-दर भटक रहे हैं जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं, अनैतिक गतिविधियों में लग रहे हैं जिससे सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सके। देहातों में अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज लगभग साढ़े चार करोड़ नौजवान हैं जिनको काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है आपने एन0आर0इ0पी0 और आर0एल0 जी0इ0पी0 में कितने मानव दिवस सृजित करने की बात की है लेकिन उसके अन्तर्गत गरीब मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। मेरा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में ठेकेदारों के माध्यम से काम हो रहा है। वह पैसा अधिकारियों की थैलियों में जा रहा है और अधिकांशतः ग्रामीण मजदूर और भूमिहीन मजदूरों को कार्य नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि इसकी सरकार की तरफ से समीक्षा होनी चाहिये। क्योंकि इन दोनों योजनाओं को चालू करने का मन्तव्य ही था कि ग्रमीण बेरोजगार मजदूरों को कार्य मिल सके किन्तु ऐसा न करके ठेकेदारों को काम मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर केवल आधे घण्टे की चर्चा है औरों को भी बोलना है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

शिक्षित बेरोजगार अर्ध बेरोजगार तथा ग्रामीण बेरोजगारों की भारी संख्या तथा उससे उत्पन्न सामाजिक समस्या को देखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने नौजवान बेरोजगारों को बेकारी भत्ता देने का निर्णय लिया और जब तक उनको नौकरी नहीं दे सकेंगे यह भत्ता मिलेगा।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में जहां आपकी सरकार है बिहार राज्य में भी यह योजना लागू है वहां पर जो नौजवान रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत हैं उनको जब तक रोजगार के अवसर नहीं मिल जाते हैं बेरोजगारी भत्ता मिलता है। महाराष्ट्र में भी यह योजना लागू है इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकारों ने भी कल्याणकारी राज्य को

सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगारी भत्ता देने की नीति को स्वीकार करते हुए बेरोजगारी भत्ता देना प्रारम्भ कर दिया है, को ध्यान में रखकर मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को लागू करें और बेरोजगारों को जब तक रोजगार देने का काम नहीं करते हैं तो उनको जीवन निर्वाह भत्ता दें। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन है कि जिन नवयुवकों को रोजगार कार्यालयों में प्रतीक्षा करते-करते नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा बीत जाती है और उन्हें सरकारी या अन्य निजी क्षेत्र में नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारित आयु सीमा के प्रतिबन्ध को हटायें चूंकि समय बीत जाने के बाद रोजगार नहीं मिल पाती है । मान्यवर, इस भीषण महंगाई की और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए यह बहुत बड़ी संघातिक समस्या है, इसलिये चाहूंगा कि जनहित के इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार स्वीकार करे और हमारे विचारों पर अमल करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने अभी जो अपने सुझाव रखे हैं और अभी शासन की तरफ से मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं चाहता हूं कि सरकार को जिस गंभीरता से इसे लेना चाहिए उस गम्भीरता से इसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2150 करोड़ रुपये का बजट कुल है और बेरोजगारों को काम सरकार नहीं दे सकती है तो यदि बेरोजगारी भत्ते के रूप में 150 या 200 रुपये प्रति व्यक्ति बांध दें तो यह कुल 12 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा। तो 2150 करोड़ रुपये में 12 करोड़ रुपये कौन ज्यादा है। मान्यवर, किसी ने एम0ए0 किया, किसी ने बी0 ए0 या इण्टरमीडिएट या हाई स्कूल पास किया तो उसने क्या गुनाह किया है या आप यह कह दें कि उन्होंने गुनाह किया है। इसलिये मान्यवर, आप देखें कि विदेशों में जहां बेरोजगारी बढ़ती है वहां सरकार चिंतित रहती है और इसी देश में ही जैसा कि अभी श्री शाही जी ने बताया कि बिहार सरकार बेरोजगारी भत्ता जब दे सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती है? मान्यवर, आपकी 4500 करोड़ रुपये की निगमों में पूंजी लगी है और हर साल 300 करोड़ रुपये का घाटा आप बरदाश्त करने के लिये तैयार हैं और 12 करोड़ रुपये यहां के बेरोजगारों को देने के लिये तैयार नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप पुनः विचार करें और गंभीरता से विचार करें और इसी सदन में सदन उठने से पहले तमाम नवजवानों के लिये जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, जिनके दिल टूटे हैं, उनको फिर एक नया जीवन प्रदान करने के लिये 12 करोड़ रुपये अपने बजट में या सप्लीमेन्टरी बजट लाकर इसका एलान करें।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं कोई भाषण न करके मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जिस तरह से बंगाल में, कर्नाटक में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वित्तीय संसाधनों को किस तरह उन्होंने इस कार्य के लिए जुटाये, क्या हमारी सरकार भी उसी पैटर्न पर कोई कार्य करने के लिये कोई समिति बनाकर या कोई समिति भेजकर वहां की कार्यशैली का अध्ययन करके आये जिसको यहां लागू करने का प्रयास करें, ऐसी कोई चिन्ता क्या सरकार के मन में है कि नहीं ? यह बता दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे नहीं लगता है कि सरकार की नवयुवकों के प्रति कोई हमदर्दी है क्योंकि इनको जो योजना है कम्प्यूटरीकरण की, वह बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाने जा रही है।

[6 बजकर 52 मिनट]

मान्यवर, जो गांधी जी ने कहा था कि इतनी घनी आबादी के इतने बड़े देश में जब तक छोटे-छोटे उद्योग नहीं लगेंगे, छोटे-छोटे कारखाने नहीं लगेंगे तब तक यहां की बेरोजगारी की समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है, उस ओर भी इस सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। न इस सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि कैसे आगामी 10 वर्षों में बेरोजगारी समाप्त होगी। जब जनता पार्टी शासन में आई थी, तो उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि हमारी सरकार 10 वर्षों में, समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बेरोजगारी को दूर करने का कार्य करेगी। बड़ी अपेक्षा के बाद यह लोग गद्दी पर बैठे हैं, नवयुवकों को आशा थी कि उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था वह कर सकेंगे। लेकिन वह उनको जीविका तो नहीं दे सके, उल्टे उनको बेरोजगारी देने जा रहे हैं। शासन पर बहुत बड़ा व्यय भार उनको बेरोजगारी भत्ता देने से नहीं पड़ने वाला है। जहां इतनी विलासिता मंत्रियों और उच्च अधिकारियों में है, उस विलासिता में बेरोजगारी के प्रति थोड़ी सद्भावना हो तो उसमें ही 12 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। आपके सार्वजनिक उद्यमों में जहां अरबों रुपये का घाटा है, यदि आप में बेरोजगारों के प्रति थोड़ी सद्भावना हो तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता आसानी से दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यय भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा तो उसे वह सहर्ष वहन कर लेगी, उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसमें कितना समय है?

श्री अधिष्ठाता–

अब केवल 17 मिनट शेष हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं समझता हूं कि इस पर शासन की तरफ से कोई बात आ जाए, तो उसके बाद हम अपनी-अपनी बात कहें तो अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस सम्बन्ध में तो उन्होंने कह दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

आप अपने ही मुखारबिन्दु से कुछ कह दें। मंत्री जी कुछ कह दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

(आप भी कुछ कहना चाहें तो कह दें।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, यों तो अन्त में ही बोलने की बात है। माननीय सदस्य शाही जी ने बड़ी ही गम्भीरता के साथ इस प्रकरण को प्रारम्भ किया है और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा परन्तु शासन इस समस्या के बारे में बहुत चिंतित है। इसके बावजूद जो स्थिति है, उसको आपके समक्ष रखना भी मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूं और वह यह है। यह सच है कि देश के आठ प्रदेशों पश्चिमी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान व केरल में यह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन यहां की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम है। यहां की स्थिति दयनीय इसलिए है कि वित्तीय संसाधनों की स्थिति दयनीय है। मैं उनको आपके संज्ञान में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाना चाहता हूं। हाईस्कूल से कम शिक्षा तक ही शिक्षित बेरोजगारों को देखा जाय, तो इस समय उनकी संख्या 43,395 है। उसी तरह से हाईस्कूल पास शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 22,555 इण्टरमीडिएट पास शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 26,300 ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या 14,465 और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या 2603, आई0टी0आई0 पास बेरोजगारों की संख्या 3945 और डिप्लोमा होल्डर्स बेरोजगारों की संख्या 1315 है। यानी इस प्रकार से कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अपने प्रदेश में इस समय 1,31,536 है। अब यदि यह आंकड़े देखते हुए जो विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में हाई स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त लोग पंजीकृत हैं, उन्हीं को 600 रुपया वार्षिक यानी 50 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, तो उसमें ही 6 करोड़ 95 लाख रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। हाई स्कूल तथा अन्य इसके समकक्ष योग्यता रखने वालों के लिए 75 रु0 प्रतिमाह के हिसाब से वार्षिक दर 900 रु0 4 करोड़ 78 लाख, 03 हजार 500 रु0 है। ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट के 100 रु0 प्रति मास, जिसका 1200 रु0 वार्षिक होता है की दर से 2 करोड़ 05 लाख, 14 हजार रु0 है।

इस प्रकार जो अभ्यर्थी 5 वर्षों से पंजीकृत हैं उनका कुल योग खर्च का रु0 10,47,13,100 प्रति वर्ष आयेगा। इसी प्रकार से जो अभ्यर्थी 3 वर्ष से पंजीकृत हैं। हाईस्कूल से कम योग्यता वाले अभ्यर्थियों की संख्या 83,094 है, हाईस्कूल वालों की 42,806 इण्टरमीडिएट वालों की 50,360 है इसी प्रकार और अन्य अभ्यर्थियों का योग जो है वह 2,51,823 है। इन पर खर्च का ब्योरा भी इस प्रकार है। हाईस्कूल से कम योग्यता वालों के लिए 50 रु0 प्रति मास के हिसाब से जो 600/- वर्ष में होता है, उन पर रु0 6,95,10,600 होगा, इसी प्रकार हाईस्कूल तथा अन्य के लिए 75 रु0 प्रति मास (900 रु0 प्रति वर्ष की दर से) आयेगा रु0 9,29,14,200/- और ग्रेजुएट तथा पोस्ट तेजुएट 100 रु0 प्रति मास, वार्षिक 1200/- के हिसाब से 3,92,80,800 रु0 आएगा और इस प्रकार से इनका योग जो होगा वह रु0 20,17,05,600 होगा। इस प्रकार से मान्यवर लगभग 21 करोड़ का प्राविधान इन लोगों के लिए करें और फिर 10 परसेंट और आगे बढ़ता चला जायेगा और 3 वर्ष वालों को चूंकि नहीं मिलेगा तो वह 5 वर्षों में आ जायेंगे। इसलिए बस मैं चाहता तो हूं कि इनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन हमारे वित्तीय संसाधन इतने नहीं जुटा पाये जा रहे हैं। और मान्यवर, जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है कि प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों द्वारा मिली रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष में 25 लाख 70 हजार 370 अभ्यर्थी प्रदेश के सेवा योजना कार्यालयों की सजीव पंजिका पर उपलब्ध थे, हालांकि इनमें से 31,610 अभ्यर्थियों को सेवायोजित भी कराया गया विगत वर्ष। और मान्यवर, यदि इनमें शेष बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो लगभग 2,51,923 हैं और 5 वर्ष वाले 1,31,536 अभ्यर्थियों को यदि कुछ दिया भी जाता है तो शेष व्यक्ति जो बेरोजगार वाले रह जायेंगे, उनमें एक कुण्ठा और असंतोष उत्पन्न हो जायेगा। जबकि मान्यवर, शासन की नीति है कि हर व्यक्तियों के स्किल को डेवलप किया जाए और उन्हें स्वतः रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही मान्यवर, टेक्निकल एजुकेशन व अन्य योजनाओं द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। व बैंकों से ऋण आदि की व्यवस्था भी

की जा रही है । वर्ष 1984–85 और 85–86 में जो हमारा लक्ष्य था वह क्रमश: 37,600 और 31,300 अभ्यर्थियों का था। इसी प्रकार से बैंकों को टास्क-द्वारा स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्रमश: 56,137 और 61,341 थे, बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों संख्या क्रमश: 32,733 व 2,730 है तथा अन्त में यह बताना चाहूंगा कि बैंकों द्वारा वितरित ऋण लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 16,987 वर्ष 1984–85 में थी और इसी प्रकार से वर्ष 1985 में लगभग 9,030 थी।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सरकार की जो नीति इस सम्बन्ध में सुनने को मुझे मिली, उससे बड़ी निराशा हुयी। इससे मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी बेरोजगारों को भत्ता कुछ देने जा रहे हैं या नहीं, इससे कुछ स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि बेरोजगारी भत्ता दिया जाना या न दिया जाना एक सैद्धान्तिक प्रश्न है, हो सकता है इससे सरकार सहमत होती भी है या नहीं और न ही यह बताया गया है सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से । (व्यवधान) मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रोजगार दफ्तर से जो आंकड़े अनुमानित दिये गये हैं, वही सही नहीं हैं क्योंकि अधिकांश लोग, वहां अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं। दूसरी बात मैं यह कहने जा रहा हूं कि जो लोग बहुत ही मजबूर हैं, यदि उन्हें सरकार भत्ता देगी तो वह नवयुवकों को सबको कामचोर बनायेगी । और यह सरकार कामचोरों को खूब बढ़ा भी रही है । और यह सरकार की कमजोरी है, इससे बड़ी कमजोरी और नहीं हो सकती है । लाखों की संख्या में नौजवान प्रदेश के अन्दर बेरोजगार हैं और शासन के पास कोई योजना नहीं है जब यह सरकार रोजगार की योजना नहीं दे सकती है, तो उसका नैतिक दायित्व होता है, नौजवान चोरी डकैती और जरायम पेशा न करें, इसलिए इस सरकार का नैतिक दायित्व हो जाता है कि उनके पेट में दाना डालने की व्यवस्था करे । यह सरकार बेरोजगार नौजवानों को पेट भर रोटी नहीं दे सकती है क्योंकि इनकी कोई नीति नहीं है । जब यह अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती है तो इसको बेरोजगार नौजवानों के पेट में दाना डालने की कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, एक बात मैं जानना चाहूंगा जब यह सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती है, तो अपरलिमिट सर्विस को दिलाने में इनको क्या दिक्कत है । उसमें तो इनका कोई पैसा नहीं लग रहा है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं भाषण देना नहीं चाहता। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बेरोजगारी भत्ता देने को तैयार नहीं है । मान्यवर, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । अगर यह भत्ता देना नहीं चाहते हैं और बेरोजगारों के प्रति इनको हमदर्दी है तो यह ऐसा कर दें कि जिस किसी नवयुवक ने सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा दिया और उसको नौकरी नहीं मिल पाई, वह ओवर-एज हो गया तो वह बेकार हो जाता है, मान्यवर, इसमें ऐसा कर दें कि जिसका पंजीकरण हो गया है और सरकार उसे नौकरी नहीं दिला पाई, तो वह ओवर-एज न माना जाए ।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सर्विस के लिए आवेदन पत्र दिए जाते हैं उसमें जो शुल्क देना पड़ता है उस पर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुल्क माफ किया जाए । अगर कोई निकाय वगैरह है और पोस्टल आर्डर लगाना पड़ता है तो सरकार उनको पैसा दे । अगर दस रुपये का पोस्टल आर्डर है तो बेरोजगार लोग जब आवेदन पत्र भेजें तो उन्हें दस रुपए का यह सरकार सर्विस टिकट दे । मेरे यह दो सुझाव हैं ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि बेरोजगारी भत्ता यह नहीं दे सकेंगे, देना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे देश के नवयुवक निकम्मे हो जायेंगे लेकिन कितने ही नवयुवक आज बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं, रेल से कट कर आत्महत्या कर लेते हैं। मजबूर बेरोजगार नवयुवक रायफल लेकर चम्बल की घाटी में उतर जाते हैं तो क्या मंत्री जी ओवर-एज की लिमिट में छूट देने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे । इसमें तो वित्तीय संसाधनों का प्रश्न भी नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं एक सवाल माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह बेरोजगारों को भत्ता तो देंगे नहीं, देने की इनकी नीयत ही नहीं है मगर एक काम आप कर दें उत्तर प्रदेश के करीब-करीब 75 प्रतिशत लोगों को काम मिल जायेगा, यह जितनी बसें चलती हैं रोडवेज की उनमें एक व्यवस्था कर दें कि रोडवेज में हर ग्रेजुएट लड़के की एक बस चलेगी, परमिट उसको दिया जायेगा । आप अपनी बसें बन्द कर दें । लड़कों की बसें लगा दें । लड़के के पास बस खरीदने का पैसा नहीं होगा क्योंकि उसमें 60-70 हजार रुपया लगाना होगा। तो सरकार 60-70 हजार रुपया लड़के को कर्ज दे । रोडवेज की किस्तों का समायोजन करने के बाद बैंक के कर्ज की किश्त दी जाय । इससे काफी लड़के खप जायेंगे । इसको करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कई प्रदेशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और सिद्धान्त रूप से सरकार इसको स्वीकार करती है, तो जहां टैक्स बढ़ाकर सरकार गरीबों की कमर तोड़ रही है, वहीं युवकों के हित में बजट बढ़ाकर बेरोजगारी भत्ता देंगे ?

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं सिद्धान्त रूप में बेरोजगारी भत्ते के खिलाफ हूं । मैं तो यह चाहता हूं कि हर नौजवान जब रोटी खाये तो यह सोचे कि हमने उसके लिए कुछ किया है या नहीं । लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो नियोजन शुरू हुआ, देश प्रदेश में गांधी के रास्ते से हटकर रूस इत्यादि दूसरे देशों की नकल पर हम चल पड़े । हमारे देश प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार गांधी जी ने जो रास्ता सुझाया था उसको जवाहर लाल छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल दिए । कोई ऐसा रास्ता सरकार के पास नहीं है कि हमारे नवजवानों को रोजगार दे दें । दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की यह संख्या बढ़ती जा रही है । परिस्थितियों वश हमको बेरोजगारों के लिए भत्ते की मांग करनी पड़ रही है । मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि 5 वर्ष जिसके रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं और उनको आप नौकरी नहीं दे पाये, कम से कम उनको कुछ न कुछ उनके निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत भत्ता दिया जाना चाहिए । गुप्ता जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं । एक तो जो नौकरी के लिए पत्र व्यवहार करें आवेदन करने का खर्चा जिसका रजिस्ट्रेशन हो वह उस खर्च से मुक्त हो और दूसरा उम्र सीमा को बढ़ाया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं सरकार से दो प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा । नम्बर एक बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सरकार की नीति क्या है? नीतिगत रूप से सरकार बेरोजगारी भत्ता की समर्थक है या इसका विरोध कर रही है । हमारे तो इलैक्शन घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि बेरोजगार–भत्ता देने के हम कायल हैं और जहां-जहां हमारी सरकार है वहां हम दे रहे हैं । तो इस सरकार की नीति क्या है मैं यह जानना चाहूंगा? नम्बर दो, यदि सरकार सिद्धान्त रूप में इससे सहमत हो तो क्या एक समिति उन प्रदेशों में भेज कर इसका जायजा लेगी कि किस तरह से संसाधन जुटाए जायं यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरदेव–

बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए सरकार की तरफ से प्रशिक्षण के और अन्य कई कार्यक्रम चलाये गये हैं । मैं चाहूंगा मंत्री जी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं...

(इस समय 7 बजकर 10 मिनट पर श्री (उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इण्टर में, हाई स्कूल में, बी0 ए0 में हमारी स्वरोजगार योजना का दुरुपयोग हो रहा है । लोग पैसा लेकर स्कूटर, मोटर साइकिल खरीद रहे हैं और कुछ काम नहीं करते । यह सुनिश्चित किया जाय कि जो बेरोजगार हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी उम्र 30 से 35 साल की जाय और जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, उनको दिया जाय । दूसरी बात प्रशिक्षण बढ़ाया जाय । तहसील स्तर पर और ब्लाक स्तर पर जैसे सिलाई है, टाइप है, कोचिंग कम गाइड है, आई0 टी0 आई0 है, इनके काम करने व्व प्रशिक्षण दिलाया जाय । इससे बेरोजगारी की समस्या हल होगी । सरकार की ओर से जो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है उसमें सहयोग देना चाहिए । काम नहीं तो दाम नहीं । श्रम उसको कहते हैं जिसमें पसीना आये । लोग काम करके खाएं । मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर सोचें और इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, हमारे बहुत से मा0 सदस्यगण स्वयं सहमत हुए हैं और उन्होंने स्वयं कहा है कि सिद्धांततः बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए । आपकी भावनाओं का आदर करना शासन का दायित्व है । उनको सम्मान देते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शासन ने पहले ही स्वतः रोजगार देने की नीति अपनाई हुई है । उसमें आप देखेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जो योजना चलाई गई उसके तहत स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा में मा0 सदस्यों ने कुछ सवाल पूछे थे, हम उनका उत्तर चाहते हैं । लंतरानी से कोई फायदा नहीं है । जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर शासन का जवाब आए । उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो वैसे कह दें ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, बहुत संक्षेप में उत्तर दे रहा था । ये शासन की नीति के बारे में जानना चाहते थे । शासन इसको देने में समर्थ होता तो नीति बना लेता और घोषणा कर देता । संसाधन नहीं है। इसलिए नीति नहीं है संसाधन होंगे तो नीति पर विचार किया जायेगा । फिलहाल इस पर कोई कमेटी गठित करना विचाराधीन नहीं है । वैसे तो मान्यवर, परिवार कल्याण में स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं

प्राविधान किया है कि दो केस कराने के बाद कोई भी नौजवान 100 रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकता है . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह बेरोजगारी भत्ता नहीं है, आपकी बुद्धि का दीवालियापन है

श्री गौरी शंकर–

उनसे कोई भी काम ले करके दिया जायगा तो उनको काम्प्लैक्स नहीं होगा । कुछ न कुछ करके यह लाभ तो उनको मिलेगा ही ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमने कुछ प्रश्न किए थे, जो स्पेसिफिक प्रश्न थे उनका जवाब दिलवा दें । यह नसबन्दी में पैसा दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, उसको सुनना पड़ेगा । नीति की बात है, मा0 मंत्री जी नीति बता रहे हैं, उसमें संबंधित प्रश्न भी हो जाएंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो सवाल मैंने किया था, उनका जवाब तो आना चाहिए । मेरा सवाल था कि एज लिमिट का बंधन समाप्त किया जाय और नौकरियों में जाने के लिए पैसे की सुविधा दी जाय । इस पर शासन की क्या नीति है ?

श्री गौरी शंकर–

अभी वर्तमान में शासन की यह नीति नहीं है । न ही एज लिमिट बढ़ाने पर विचार हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह कोई सुविधा नहीं देना चाहते हैं । न बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, न नौकरियों में भत्ते की सुविधा देना चाहते हैं, इसलिए मैं एक मिनट के लिए अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार कर रहा हूं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए, तत्पश्चात् श्री विजय सिंह राणा और कुंवर रेवती रमण सिंह भी अपने दल के सभी सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी की प्रार्थना पर स्थगित दिनांक 20-2-86 के प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी के लक्ष्य पूरा न कर पाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के शासनादेश

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय अभियान होने की घोषणा शासन द्वारा किए जाने के बावजूद नसबन्दी के लक्ष्य पूरा न कर पाने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही करने के शासनादेश 6552/16-11-84 चिकित्सा अनुभाग-11, दिनांक 27 अक्तूबर, 1984 जारी करने का उद्देश्य क्या है ? क्या सरकार शासनादेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि दण्ड देने की प्रक्रिया तथा आधार क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों की उप-

लब्धियां शून्य रहती थी । अतः जो कर्मचारी नसबन्दी के अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करें उनके विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 27-10-84 जारी किया गया था जिसमें निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :–

1. निर्धारित लक्ष्यों का 10 % तक उपलब्धियों पर दीर्घ दंड की कार्यवाही किया जाना ।

2. निर्धारित लक्ष्यों का 10 से 25% तक की उपलब्धियों पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोका जाना तथा लगातार दो वर्षों तक इतना ही प्रतिशत रहे तो दीर्घ दंड की कार्यवाही किया जाना ।

3. निर्धारित लक्ष्यों का 25 % से 50 % तक की उपलब्धियों पर दक्षता रोक रोका जाना तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाना ।

उक्त आधार पर दंड देने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स में निहित प्राविधानों के अनुसार की जा रही है ।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न है । इसके पश्चात इस शासनादेश का कलांतर में संशोधन किया जा चुका है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 176-177 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दण्ड कार्यवाही करने सम्बन्धी प्राविधान है, इसका कालान्तर में जो संशोधन किया गया है, वह संशोधन क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दूसरा शासनादेश दिनांक 30-4-85 को निकला है, उसमें एक चीज और बढ़ा दी गई थी कि पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एक प्रति माह महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक दो प्रति माह। पुरुष बहुधंधी कार्यकर्ता 2 प्रति माह । महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0 एन0 एम0) दो प्रति माह । हेल्थ विजिटर दो प्रति माह । नगरीय लेडी सोशल वर्कर तीन प्रति माह । जिला प्रचार शिक्षक एक प्रति माह तथा जिला प्रचार शिक्षिका एक प्रतिमाह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लक्ष्य उनका लक्ष्य है । इसका लक्ष्य है 'एक' प्रति माह ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि परिवार कल्याण के लिए कराना पड़ेगा, मैंने अपने सवाल में स्वयं लिखा था कि परिवार कल्याण एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है लेकिन जोर जुल्म के आधार पर इसको कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक कार्यवाही उनके खिलाफ तो समझ में आ सकती है जो मात्र परिवार कल्याण में लगाये गये हैं लेकिन इससे भिन्न कर्मचारियों पर यह जोर जुल्म करना कहां तक उचित है ? मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जो कार्यवाही हुई है वह सिर्फ परिवार कल्याण से सम्बन्धित जो कर्मचारी हैं उन पर ही हुई है, अन्य कर्मचारियों पर नहीं हुई है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सहयोग दें और वे सहयोग दे रहे हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

परिवार कल्याण के कर्मचारियों की सेवा में नियुक्ति के समय क्या यह प्रावि-

धान था कि नसबन्दी नहीं करवायेंगे तो दण्ड दिया जायेगा या केस न लाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

परिवार कल्याण से सम्बन्धित कर्मचारियों के नियुक्ति अधिकारी 1956 से विभिन्न रहे हैं । जिलाधिकारी रहे हैं, अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे हैं, जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे हैं, सिविल सर्जन होते थे, वे रहे हैं और जिला स्वास्थ्य अधिकारी उस समय होते थे, वे रहे हैं। वर्ष 1971 में जन सेवा का संगठन-एक बना तो उस समय सी0 एम0 ओ0 का कैडर आया । वह जो नियुक्तियां हुई हैं इन नियुक्ति अधिकारियों के माध्यम से उसमें यह है कि इनकी हर माह अमुक लक्ष्य देना पड़ेगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

क्या मा0 मंत्री जी कोई और बेहतर तरीका इस नसबन्दी कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिये अपनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

हमारे सामने एक बिन्दु है। उत्तर प्रदेश को आने वाले 14 वर्षों में 10 वर्ष तक लगातार अगर 10 लाख नसबन्दी प्रति वर्ष नहीं की गयीं तो हमारे प्रदेश की जनसंख्या का बढ़ना नहीं रूक सकता । अगर कोइ दूसरा सुझाव है तो बतायें, मैं मानने के लिये तैयार हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मा0 मन्त्री जी को यह जानकारी है कि प्रदेश में बहुत सी विधवायें बांझ औरतों और विधुर लोगों की भी नसबन्दी की जा रही है ? क्या इसी के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति हो जायगी ? यदि ऐसा है तो क्या जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मेरे पास प्राप्त सूचना दो महिलाओं की है जो विधवा थी, उन्होंने फिर शादी कर ली, पहले पति से एक को 2 और एक को 4 बच्चे थे । उन्होंने बाद में स्वैक्षिक नसबन्दी करायी।

जिला चमोली के जोशीमठ ब्लाक के ग्राम किमाणा में बच्चों की मृत्यु

*2–डा0 शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के जोशीमठ ब्लाक के ग्राम किमाणा में 19 दिसम्बर, 85 से 6 जनवरी, 86 तक 25 बच्चे बिना इलाज के मरे हैं ? यदि हां, तो इनका इलाज क्यों नहीं किया गया और इन परिवारों को कोई सहायता प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि 1982 से उक्त अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो डाक्टर की नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ग्राम किमाणा में दिनांक 19-12-85 से 6 जनवरी, 1986 तक मियिल्स, ब्रोंकोनिमोनियां, डिसेन्ट्री तथा भारी हिमपात एवं शीत लहर से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ से एक चिकित्सा सहायता दल तथा जिला अस्पताल चमोली के विशेषज्ञ/फिजीशियन भेजकर आवश्यक औषधियों सहित चिकित्सा सुविधा अविलम्ब ही उपलब्ध करायी । रेड-क्रास फन्ड से 100 कम्बल भी पीड़ितों को वितरित किये गये। ग्राम किमाणा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ के अन्तर्गत आता है जिसमें दो चिकित्सा अधिकारी 1982 से कार्यरत हैं। अतः डाक्टर की नियुक्ति न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ के स्टेनो की नियुक्ति में धांधली एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रार्थना पत्र की जांच

*1–श्री विष्णु देव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमा शंकर उपाध्याय, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, जनपद आजमगढ़ के जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ व डा0 चतुर्वेदी, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ व जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ के स्टेनो को धांधली एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 25-6-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक का 25 जून, 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर को जांच करने के आदेश 19 सितम्बर, 1985 को दिये गये। जांच के उक्त आदेश तथा उसके साथ जांच हेतु भेजा गया माननीय विधायक का पत्र एवं उससे संलग्न शिकायत मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में नहीं पहुंची । मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित करने पर यह स्पष्ट हुआ कि श्री उमाशंकर उपाध्याय नाम के कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनपद आजमगढ़ में नहीं है । श्री रमाशंकर उपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजमगढ़ ने प्रश्नगत अधिकारियों व कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की थी जो स्वाधीनता गजट नामक समाचार पत्र के दिनांक 23 अप्रैल, 1985 के संस्करण में छपी थी। इन आरोपों की जांच की गई और आरोप निराधार पाये गये ।

श्री मलखान सिंह अस्पताल, अलीगढ़ में कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

*3–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलखान सिंह अस्पताल, जनपद अलीगढ़ में कितने डाक्टर ऐसे हैं जिनको 9 वर्ष की लगातार सेवा के बाद भी स्थानान्तरित नहीं किया गया है जबकि ऐसे डाक्टर जिनको 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं उनका स्थानान्तरण कर दिया है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है? क्या सरकार 9 वर्ष से कार्यरत चिकित्सकों का स्थानान्तरण तुरन्त करने तथा 3 वर्ष से कार्यरत चिकित्सकों का स्थानान्तरण निरस्त करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मलखान सिंह अस्पताल, अलीगढ़ में कोई भी डाक्टर 9 वर्ष से लगातार कार्यरत नहीं है।

एक डाक्टर, जिसे तीन वर्ष पूरे नहीं हुए थे, का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया था। उनका यह स्थानान्तरण मानवीय आधार पर अप्रैल, 86 तक स्थगित कर दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव

*8-कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0 प्र0 की कार्यकारिणी का चुनाव सन् 1965 से नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त परिषद् में जन प्रतिनिधियों के अभाव को समाप्त करने हेतु शासन शीघ्र चुनाव करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव वर्ष 1972 में सम्पन्न हुआ था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा चुनाव के परिणामों को घोषित करने पर रोक लगा दी गई थी। अब भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दायर प्रश्नगत याचिका पर निर्णय हो चुका है और नये सदस्यों का चुनाव कराने का मामला शासन के विचाराधीन है।

कसया, जनपद देवरिया के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सर्जन महिला विशेषज्ञ तथा बाल रोग विशेषज्ञ के सृजित पद

*11-श्री सूर्य प्रताप शाही-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत चिकित्सालय में सर्जन, महिला विशेषज्ञ तथा बाल विशेषज्ञ के लिए पद सृजित हैं? यदि हां, तो उनमें से कितने वहां कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

कसया, जनपद देवरिया के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सर्जन, महिला विशेषज्ञ तथा बाल रोग विशेषज्ञ के पद सृजित हैं। सर्जन का पद वर्ष 1982 से 1985 तक भरा रहा, जून, 85 से रिक्त है महिला विशेषज्ञ तथा बाल रोग विशेषज्ञ के पद आरम्भ से ही रिक्त हैं। पूरे प्रदेश में विशेषज्ञों की कमी है जिनके उपलब्ध होने पर ही रिक्त स्थानों को भरा जाएगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आज के पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जो सर्जन जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है कि उसकी नसबन्दी योजना के अन्तर्गत लक्ष्य पूरा न करने के कारण उसे अन्यत्र भेज दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों से वह सर्जन नहीं था? मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कसया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी क्या आप वहां पर एक सर्जन, एक महिला विशेषज्ञ तथा एक बाल विशेषज्ञ को नियुक्त करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

सर्जन की नियुक्ति मैं अप्रैल तक कर दूंगा लेकिन महिला चिकित्सक के लिए मैं गारन्टी नहीं ले सकता, मैं थक गया हूं। वह पब्लिक सर्विस कमीशन से आती हैं लेकिन गांव में जाते समय वह अपना त्यागपत्र दे देती हैं। कार्मिक विभाग में यह मामला विचाराधीन है कि यदि यूनानी आयुर्वेदिक महिला चिकित्सक हमको उपलब्ध हो जायं, तो उनको वहां भेजने के आदेश दिये जायं, सम्भवतः वह वहां जाने के लिये तैयार हो जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसमें सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके रहने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये उनको विशेष वेतन या भत्ता दिया जाना चाहिये, इसके बाद शायद वे वहां जाने के लिए विचार करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने यह योजना चलायी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं अथवा जो महिला निजी प्रैक्टिस कर रही है, वे ग्रामीण क्षेत्र में पार्ट टाइम के लिये, केवल चार घण्टे के लिए चली जाया करें जिसके लिये उनको 1500 रु0 माहवारी वेतन और आने-जाने का भत्ता हम देंगे और जो शाम को जाना पसन्द करेंगी उनको 25 रु0 अतिरिक्त भत्ता दिया जाया करेगा। इसे केवल 15 महिला चिकित्सकों ने स्वीकार किया है और अन्य ने नहीं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

क्या महिला चिकित्सक की नियुक्ति के लिये शासन ने कोई ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है कि जहां पर हसबैन्ड की पोस्टिंग हो वहीं पर महिला चिकित्सक को भी नियुक्त किया जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह नियम बना दिया गया है कि कपुल की पोस्टिंग एक साथ ही की जाय।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में चल रही वेतन की विषमताओं को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय

*12–श्री विष्णु देव (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय होमाोपैथिक मेडिकल कालेजों में चल रही वेतन की विषमताओं को समाप्त करने के संबंध में शासन ने निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा तथा बाकी वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

जी नहीं ।

इस मामले पर प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के शिक्षण/शिक्षणेतर स्टाफ के विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त विचार किया जायेगा ।

जिला बस्ती के स्टोर कीपर व मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के प्रधान लिपिक के विरुद्ध शिकायत की जांच

*14–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में उन्हें इस आशय की शिकायत मिली कि जिला बस्ती के स्टोर कीपर व मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के प्रधान लिपिक क्रमश: 15 साल व 9 साल से एक स्थान और एक ही जिला में तैनात हैं वे और मुख्य चिकित्साधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बस्ती से हटाकर भ्रष्टाचार निवारण संगठन से शिकायत की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

केवल श्री जटाशंकर त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय बस्ती में 30/6/71 से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हैं के विरुद्ध

शिकायत की गई थी जिसके सम्बन्ध में गोपनीय जांच करायी गयी । जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये ।

जहां तक मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय के प्रधान लिपिक का प्रश्न है, इस कार्यालय में 2 प्रधान लिपिक क्रमश: 14.6.1978 व 28.12.1982 से कार्यरत हैं । इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जुलाई, 1985 में जो शिकायती पत्र दिया गया था वह क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

श्रीमन्, 1981 में मुझे कोई पत्र नहीं मिला है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं 1981 नहीं बल्कि जुलाई, 1985 की बात पूछ रहा हूं।

श्री लोकपति त्रिपाठी –

जुलाई, 1985 में जो पत्र मुझे मिला था वह मुझसे खो गया है । मुझे मालूम था कि शिकायत करायी गयी थी । मैंने अधिकारियों को बुला कर इसकी गोपनीय जांच कराई है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सिद्धान्त रूप से आप सहमत होंगे कि एक ही स्थान पर कोई किसी कारण से काफी दिनों से कार्यरत हो तो उसका वेस्टेड इन्टरेस्ट डेवलप हो जाता है । तो क्या इस अधिकारी को आप स्थानान्तरण करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

यह आदेश मैंने दे दिये हैं कि जो नियमावली कार्मिक विभाग की है, उसके अन्तर्गत इसका पालन कराया जायेगा और इनको ग्रीष्मावकाश में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में औषधि उपयोग के विकास हेतु सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं

*16–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 में प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये की औषधियों की खपत है किन्तु इसके अनुपात में प्रदेश में औषधियां बनाने की फैक्ट्री बहुत कम हैं? यदि हां, तो उ0 प्र0 में औषधि उपयोग के विकास के लिए सरकार क्या-क्या सुविधाएं दे रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980 में 365 निर्माण इकाइयां थीं जिनकी संख्या बढ़कर दिसम्बर, 1985 तक 563 हो गई है। औषधि उद्योग के विकास के लिए औषधि निर्माण व्यवसाइयों को विभाग द्वारा यथोचित प्रोत्साहन तथा समुचित मार्गदर्शन दिया जाता है। अन्य उद्योग इकाइयों की भांति औषधि निर्माण इकाइयों को भी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी आर्थिक सहायता इन इकाइयों को उपलब्ध कराते हैं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मेरा यह प्रश्न पूछने का आशय था कि प्रान्त में 250 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष दवाओं का कन्जम्पशन होता है और उसमें प्रान्त में बनी हुई दवायें कम होती हैं, दिल्ली और फिरोजाबाद की बनी हुई अधिक होती है। 1980 में 365 करोड़ रुपये की दवायें और 1985 में 563 करोड़ रुपये की दवायें बाहर से मंगायी गयीं, हमारे प्रदेश में लोगों का अट्रैक्शन इस उद्योग की ओर कम है। दवायें अगर प्रान्त में बनने लगे तो प्रान्त की दवाओं का कन्जम्पशन पूरा हो जाये और लोगों को रोजगार मिले तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई इस तरह का अट्रैक्शन देंगे जिससे लोग ड्रग इन्डस्ट्री की ओर ध्यान दें और अपनी फैक्टरियां लगायें?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की दवायें बनती हैं। जो दवायें उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की यूनिट बनाती हैं, उनके अलावा अगर आवश्यकता होती है तो उत्तर प्रदेश के कारखानों को वरीयता दी जाती है।

श्री अशोक बाजपेयी–

औषधि की कमी को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी पिछड़े जिलों में एक-एक औषधि का कारखाना स्थापित करने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैं आपके विचार को अवश्य आगे अग्रसारित कर दूंगा।

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा कम्पाउण्डरों का चयन

*19–श्री राज किशोर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ के समक्ष 1981 में कम्पाउण्डरों में उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी में न रखकर सन् 1982 से 1984 ई0 में कम अंकों से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को घोर अनियमितता बरतते हुए नौकरी में रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार सन् 1982 से पूर्व कम्पाउण्डरों में साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नौकरी प्रदान करेगी और भ्रष्ट एवं गलत कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। रिक्तियां होने पर चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ और उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थियों को चाहे वे वर्ष 1981 में कम्पाउण्डरों में उत्तीर्ण थे अथवा वर्ष 1982 से 1984 तक में उत्तीर्ण थे साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार अर्जित अंकों की वरिष्ठता क्रमानुसार ही नौकरी में रखा गया है। कम्पाउण्डरों की सेवा नियमावली में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि पहले वर्ष 1981 के छात्रों को नौकरी में रखा जाय तथा बाद में वर्ष 82 से 84 तक के उत्तीर्ण छात्रों को रखा जाय। उक्त स्थिति में अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरतने का और उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्राचार्यों के पद पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का निर्धारित कोटा

*20–श्री काजी कलीमुर्रहमान (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी दस होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्राचार्यों के पद पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का कितना कोटा निर्धारित है? क्या यह सही है कि अभी तक उक्त कालेजों में कोई भी अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का प्राचार्य नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी भविष्य में प्राचार्य के पद की रिक्तियों में या इसके समकक्ष पद की रिक्तियों में होम्योपैथिक कालेजों में सेवारत वरिष्ठ व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भरने हेतु आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दस होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण किये जाने के फलस्वरूप उनमें प्राचार्यों के पद पर जो भी व्यक्ति कार्यरत थे उन्हें ही राजकीय सेवा में लिया गया था तद्नुसार यह तथ्य ही है कि उपलब्ध प्राचार्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का प्राचार्य नहीं है। प्रदेश में जो दस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं, वह सभी प्रान्तीयकरण के पूर्व निजी संस्थाओं द्वारा संचालित थे।

भविष्य में ऐसे रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद के परिसर से गायब प्राचीन विक्टोरिया की कांस्य प्रतिमा

4–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय महिला चिकित्सालय, मुरादाबाद के परिसर में लगी प्राचीन विक्टोरिया की कांस्य प्रतिमा अपने स्थान से गायब हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका पता लगाने का कोई प्रयास किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह प्रतिमा चिकित्सालय के जिस कक्ष में रखी थी, उसकी छत टूट गई थी जिसके कारण प्रतिमा को वहां से हटाकर स्टोर में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हल्द्वानी क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम हेतु उपाय

10–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि हल्द्वानी के सम्पूर्ण भावर क्षेत्र में गत माह भयंकर रूप से मलेरिया फैला हुआ है जिससे अनेक लोग बीमार पड़े हैं एवं प्रत्येक परिवार प्रभावित है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई उचित प्रबन्ध किए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नैनीताल जनपद के हल्द्वानी क्षेत्र में वर्ष 1985 में वर्ष 1984 की तुलना में मलेरिया के प्रकोप में 22 प्रतिशत की

वृद्धि हुयी है। रोग को रोकने हेतु इस क्षेत्र में सभी उपचारात्मक तथा निरोधात्मक उपाय किये गये। मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में किसी प्रकार से नियमित रोग नियंत्रण उपायों का प्राविधान नहीं है, यद्यपि जब इन क्षेत्रों में मलेरिया का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है तो विशेष उपाय किये जाते है । जनपद के सम्पूर्ण भावर क्षेत्र में जिसमें हल्द्वानी भी सम्मिलित है, 87,211 ज्वर पीड़ित रोगियों का उपचार किया गया तथा उनके रक्त की जांच भी की गयी जिसमें 17,482 रोगी मलेरिया से ग्रसित पाये गये । इनको प्राइमाक्वीन द्वारा आमूल उपचार दिया गया।

रोग की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये भावर के ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक औषधि के छिड़काव के तीन चक्र मई से अक्टूबर तक की अवधि में चलाए गए । इसके अतिरिक्त हल्द्वानी नगर में फोकल स्प्रे किया गया । नगर में अगस्त से अक्टूबर 1985 तक की अवधि में फागिंग अभियान भी चलाया गया।

मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु हल्द्वानी नगर में तीन मलेरिया क्लीनिक्स; तीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पांच पैसिव एजेंसीज, सात ज्वर उपचार केन्द्र तथा 51 औषधि वितरण केन्द्र कार्यरत हैं। इन समस्त इकाइयों द्वारा 1985 में कुल 44,134 ज्वर पीड़ित रोगियों का उपचार किया गया।

इसके अतिरिक्त विशेष टीमें बनाकर 1959 रोगियों की जांच (रक्त की) व उपचार किया गया और धनात्मक पाये गये 397 केसों का मूल उपचार भी किया गया।

प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप को कम करने हेतु भारत सरकार के सौजन्य से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा एक योजना तैयार की गई है इस सम्बन्ध में हल्द्वानी (नैनीताल) में एक प्रोजेक्ट शीघ्र ही चलाया जायेगा इस प्रकार मलेरिया की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध किये गये थे।

जिला चिकित्सालय बरेली में उपलब्ध शैय्याओं, डायलेसिस यूनिट स्थापित करने की योजना एवं आई0 सी0 सी0 यूनिट की स्थापना हेतु स्वीकृत नान रिकोरिंग तथा रिकोरिंग ग्रान्ट

11–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला अस्पताल में कितनी शैय्यायें उपलब्ध हैं और क्या जनसंख्या के आधार पर जिला अस्पताल में शैय्यायें और बढ़वाने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला चिकित्सालय बरेली में वर्तमान में 245 शैय्याएं उपलब्ध हैं। 30 शैय्याओंयुक्त एक वार्ड का निर्माण कार्य चल रहा है। शैय्याएं में और वृद्धि जिला प्लान में परिव्यय उपलब्ध होने पर किया जाना सम्भव होगा।

12–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की कोई योजना जिला अस्पताल बरेली में गुर्दे की डायलेसिस यूनिट खोलने की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सातवीं पंच वर्षीय योजना काल में जिला चिकित्सालय बरेली में डायलेसिस यूनिट स्थापित करने की योजना है परन्तु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही विचार करना सम्भव हो सकेगा। प्रश्न नहीं उठता।

13–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला अस्पताल में दिनांक 12-2-84 को आई0सी0सी0यू0 को स्थापना की गयी थी? यदि हां, तो उसके लिए कितनी नान रिकेरिंग ग्रान्ट एवं रिकेरिंग ग्रान्ट स्वीकृत की गयी थी तथा कितना स्टाक स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह अब आवश्यकता के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्रस्टाप्व एवं धनराशि का प्रबन्ध करायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला चिकित्सालय, बरेली में आई0 सी0 सी0 यूनिट की स्थापना शासनादेश दिनांक 13-2-84 के अन्तर्गत दिनांक 1-5-84 को की गई न कि 12-2-84 को। इस यूनिट हेतु रु0 1,50,000/- नान रिकेरिंग तथा रु0 3,000-00 की रिकेरिंग ग्रान्ट स्वीकृत की गयी थी। इस यूनिट हेतु निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत किया गया था:–

1–चिकित्सा अधिकारी–
(कार्डियोलाजिस्ट)– एक पद

2–स्टाफ नर्स दो पद

3–ई0सी0जी0 टेक्नीशियन एक पद

4–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दो पद
(एक वार्ड ब्वाय तथा
एक स्वीपर)

जी हां।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील आंवला में पचास शैय्याओं का चिकित्सालय के निर्माण की योजना

14–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की जनपद बरेली की तहसील आंवला में पचास शैय्याओं का चिकित्सालय के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या अस्पताल शीघ्र बना दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली स्थित मानसिक चिकित्सालय में मानसिक रोगों के विशेषज्ञ एवं स्थानान्तरण

16–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित मानसिक चिकित्सालय के दो वरिष्ठतम चिकित्सक मानसिक रोगों के विशेषज्ञ नहीं हैं और इसी अस्पताल के एक मानसिक रोग विशेषज्ञ जो केवल पिछले एक वर्ष से सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर कार्यरत थे उन्हें यहां से हटाकर जिला अस्पताल मैनपुरी में चिकित्सक के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बरेली स्थित मानसिक चिकित्सालय के वरिष्ठ अधीक्षक व अधीक्षक मानसिक रोग विशेषज्ञ नहीं है परन्तु इस अस्पताल में दो चिकित्सक मानसिक विशेषज्ञ हैं ।

जिस मानसिक रोग विशेषज्ञ का सीनियर फिजीशियन के पद पर मैनपुरी स्थानान्तरण किया गया वे अगस्त, 82 से बरेली मानसिक चिकित्सालय में अधीक्षक पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक आधार पर उनका यह स्थानान्तरण किया गया।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक फूलपुर व ब्लाक माटींनगंज में कार्यरत सी0 एच0 जी0 की संख्या तथा उनका वेतन

17–श्री भीखा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक फूलपुर व ब्लाक माटींनगंज जनपद आजमगढ़ में प्रत्येक ब्लाक में कितने सी0एच0जी0 की नियुक्ति हुई है? क्या उपरोक्त ब्लाक के हर ग्राम सभा में सी0 एच0 जी0 की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद आजमगढ़ के निम्नलिखित ब्लाकों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में कार्यरत सी0एच0जी0 की संख्या निम्न प्रकार है:–

ब्लाक का नाम	सी0एच0जी0की संख्या
1–फूलपुर	110
2–माटींनगंज	71

ब्लाक फूलपुर की समस्त ग्राम सभाओं में सी0एच0जी0 तैनात है। सी0 एच0 जी0 का चयन एवं विधिवत् प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है जिसे पूरा करने में कभी-कभी अधिक समय लग जाता है। यही कारण है कि माटींनगंज की 15 ग्राम सभाओं में सी0एच0जी0 की तैनाती अभी नहीं हो पाई है। माटींनगंज ब्लाक की कथित 15 ग्राम सभाओं में सी0एम0जी0 की प्रशिक्षण के उपरान्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित नीति के आधार पर तैनाती वित्तीय वर्ष 86-87 में की जायेगी।

18–श्री भीखा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0एच0जी0 की नियुक्ति क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर है? यदि हां, तो उनका वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के डाक्टरों के स्थानान्तरण की नीति

19–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा बतायेंगे कि प्रदेश के डाक्टरों के स्थानान्तरण की जो नीति बनायी गयी है उस नीति के अन्तर्गत डा0 ओ0 पी0 श्रीवास्तव जो जनपद गोरखपुर के चौरीचौरा अस्पताल में लगभग 6 वर्षों से कार्यरत हैं, आते हैं ? यदि हां, तो नीति निर्धारण के अनुसार इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

डा0 ओ0 पी0 श्रीवास्तव का स्थानान्तरण अपर निदेशक गोरखपुर ने दिनांक 3-10-85 को आजमगढ़ जनपद के लिये किया था। डा0 श्रीवास्तव ने इस स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । फलतः इनका उक्त स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है । आगामी गर्मियों में स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनके मामले में भी विचार किया जावेगा।

स्व0 श्री रामार्थ दुबे, हेल्थ इंसपेक्टर, गोरखपुर की बीमा एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

20–श्री राम जनम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री रामार्थ दुबे हेल्थ इंस्पेक्टर

जो गोरखपुर में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर पर कार्यरत थे, को मरे हुए लगभग 9 वर्ष बीत चुके परन्तु अब तक उनकी बीमा एवं ग्रेच्युटी संबंधित धनराशि उनकी पत्नी या परिवार वालों को नहीं दी गयी? यदि हां, तो दोषी पाये जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? तथा उक्त धनराशि को कब तक भुगतान किया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर की प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामार्थ दुबे, स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे और इनकी मृत्यु 2-6-76 को जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में हो गई थी। उनके उत्तराधिकारी का मामला विवादाग्रस्त है, जिसके कारण प्रश्नगत बीमा एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। किसी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है। उक्त विवादग्रस्त मामला उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में निर्णीत होते ही सही उत्तराधिकारी को भुगतान अविलम्ब कर दिया जायेगा।

च्यवनप्राश के निर्माण पर श्रमिकों को ओवर टाइम का भुगतान

24–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के 1 ले गरु दि0 13-9-84 को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 100 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि च्यवनप्राश के निर्माण पर दि0 3-2-65 को किये गये ओवरटाइम के भुगतान पर आडिट आपत्तियां नहीं की गईं । वर्ष 83-84 की आडिट आपत्ति व-या है ? जब फार्मेसी फैक्टरी एक्ट से अवमुक्त नहीं है तो तीन श्रमिकों से आठ घंटे से अधिक कार्य किस आधार पर कराया गया? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र द्वारा प्रश्नगत अनियमितता के लिए फार्मेसी के अधीक्षक के विरुद्ध कोई वाद दायर किया गया है? यदि हां, तो उसमें श्रमायुक्त द्वारा क्या निर्णय लिया गया? क्या इस प्रसंग में श्री यमुना प्रसाद, एम0एल0ए0 का कोई पत्र अधीक्षक, स्टेट फार्मेसी, निदेशक आयुर्वेद स्वास्थ्य सचिव एवं स्वास्थ्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार को दिनांक 23-8-84 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो माननीय विधायक के उपर्युक्त पत्रों के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

फरवरी, 1965 में श्रमिकों को ओवर टाइम के भुगतान पर आडिट आपत्ति की गयी थी। वर्ष 1983-84 में कोई आडिट आपत्ति नहीं की गयी । वर्ष 1965 में ओवर टाइम के भुगतान पर हुई आडिट आपत्ति को ध्यान में रखते हुए कालान्तर में श्रमिकों से निर्धारित आठ घंटों पश्चात् ओवर टाइम कार्य लिए जाने हेतु उन्हें प्रतिकर अवकाश दिये जाने की प्रक्रिया अपनाई गयी तथा ओवर-टाइम कार्य लिये जाने से पूर्व उन्हें प्रतिकर अवकाश दिये जाने के संबंध में सूचना दे दी गयी थीं।

जी हां।

श्रमायुक्त द्वारा बाद में दिनांक 9-10-85 को अपने निर्णय में ओवर-

टाइम के भुगतान के आदेश दिये गये थे। तद्नुसार संबंधित कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है।

जी हां।

माननीय विधायक ने अपने पत्र में श्रमिकों का ओवर टाइम का भुगतान किये जाने हेतु लिखा था। चूंकि इस संबंध में न्यायालय में मामला विचाराधीन था इसलिए ओवर टाईम का भुगतान नहीं किया जा सका था किन्तु अब न्यायालय के निर्णयानुसार भुगतान कर दिया गया है।

तराई क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से उत्पन्न बीमारियों के निवान हेतु समयबद्ध योजना

25–कर्नल केशरी सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तराई क्षेत्र (बस्ती, गोण्डा, बहराइच, पीलीभीत) के अधिक मात्रा में युवक आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों से पीड़ित होने के कारण सुरक्षा सेनाओं में एवं सुरक्षा बलों में जाने से वंचित रह जाते हैं और इस कारण प्रदेश के इस भाग से सुरक्षा सेनाओं में भर्ती के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो पाता है? यदि हां, तो इसके निदान के लिए कोई समयबद्ध योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत चार जनपदों में आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग का प्रकोप है। घेंघा रोग के कारण मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बस्ती, गोण्डा, बहराइच, और पीलीभीत जनपदों में दिनांक 1 मई, 1986 से साधारण नमक की बिक्री, आदेश संख्या 28 फा/675 दिनांक 18-1-1986 के द्वारा बन्द की जा रही है।

देश में आयोडीन युक्त नमक की कमी के कारण अब तक साधारण नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका था। आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के बाद यह प्रतिबन्ध लगाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति तथा आरक्षण कोटा

26–श्री भोपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्साधिकारियों की पदोन्नतियां क्लास 2 से क्लास 1 में तथा क्लास 1 से वरिष्ठ पदों पर करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के अधिकारियों की पदोन्नतियां किस अनुपात से की जा रही है? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पिछड़ी जाति हेतु प्रोन्नति में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

सभी प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 18% व अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षित पदों के विपरीत पात्र अधिकारियों में से चयन समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारियों की प्रोन्नति की जाती है। इस समय अनुसूचित जाति व जनजाति के दो अपर निदेशक, दो संयुक्त निदे-

शक, स्पेशल ग्रेड में 13 व सीनियर स्केल में 54 अधिकारी कार्यरत हैं।

यश पेपर मिल के प्रदूषित जल की निकासी की व्यवस्था हेतु कार्यवाही

30–श्री मित्रसेन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले गुरु के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 83 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यश पेपर मिल के प्रदूषित जल की निकासी को क्या सुनिश्चित व्यवस्था है तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन-कौन से यथोचित निर्देश कब और किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

यश पेपर मिल का प्रदूषित उत्प्रवाह वहां के कच्चे गढ्ढों से होकर पीछे की ओर बहने वाले नाले में निरस्त किया जाता है। उक्त मिल के पास उत्प्रवाह शुद्धीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 10-7-1985 तथा 4-1-1986 द्वारा उक्त उद्योग को निर्देश दिए गये कि शुद्धीकरण हेतु योजना व समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें। तथा सरजू नदी के जल को प्रदूषित न करें। चूंकि इस उद्योग ने शुद्धीकरण संयंत्र लगाने का कार्य आरम्भ नहीं किया है अतः उत्प्रवाह के निस्तारण की सहमति हेतु उक्त उद्योग का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है। तथापि उक्त उद्योग ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार आवश्यक निर्माण कार्य जून, 1985 से सितम्बर, 1986 तक पूर्ण कर लिया जाना है और तदुपरान्त उसे प्रश्नगत उत्प्रवाह के निस्तारण की अनुमति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

पीलीभीत जनपद के ग्राम सैजना एवं ग्राम शिवपुरिया में सरकारी कर्मचारियों द्वारा नसबन्दी किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

31–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष सितम्बर माह में पीलीभीत जनपद के ललौरी खेड़ा वि0 खं0 के ग्राम सैजना के 60 वर्षीय मैकू नाम के इसी ग्राम के वृद्ध भूपराम व उसकी पत्नी एवं ग्राम शिवपुरिया के एक बुजुर्ग बाबूराम की नसबंदी सरकारी कर्मचारियों ने लालच देकर करा दी? यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

32–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 84 में छः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? क्या वह नियुक्ति नियमानुसार निर्मित चयन समिति द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, कथित नियुक्तियां वर्ष 1984 में नियमानुसार निर्मित चयन समिति द्वारा की गयी थी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में क्रय अधिकारी का पद

37–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में क्रय अधिकारी (परचेज आफिसर) के पद पर कोई व्यक्ति कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद शासन द्वारा सृजित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसे निकट भविष्य में समाप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । न तो ऐसा कोई पद सृजित है और न ही ऐसा कोई पदधारी है।

श्रीदेवी सम्पदा सत्संग मण्डल धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय, कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा आयोजित नेत्रोपचार शिविर के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वैच्छिक संस्था श्री देवी सम्पदा सत्संग मण्डल धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय, कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा आयोजित नेत्रोपचार शिविर के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उप निदेशक नेत्रोपचार को सितम्बर, 1985 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संस्था का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । प्रश्नगत भुगतान हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा 10,000/- रु0 की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रुखाबाद को आवंटित कर दी गई है जिससे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संस्था को अनुमन्य अनुदान का भुगतान कर दें ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैदाबाद के अंतर्गत ग्राम गनेशीपुर में उपकेन्द्र की स्थापना

41–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गनेशीपुर स्वीकृत है ? यदि हां, तो ग्राम सभा गनेशीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि पर उक्त उप केन्द्र भवन का निर्माण कराकर कब तक वांछित कर्मचारी आदि उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1985-86 में जनपद इलाहाबाद में 50 उपकेन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदाबाद के अंतर्गत ग्राम गनेशीपुर में भी उपकेन्द्र की स्थापना की जानी है ।

ग्राम गनेशीपुर में उपकेन्द्र स्थापित करके उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष में कर दी जायेगी ।

उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की योजना जिला स्तरीय योजना है । उक्त योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा समय इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ की स्थापना एवं नियमावली

46—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा
श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास केन्द्र एवं कृत्रिम अंग लखनऊ की स्थापना कब हुई और संस्था की नियमावली में कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी हैं ? उक्त संस्था की नियमावली सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ की स्थापना 19 नवम्बर, 1972 में हुई थी । संस्था की नियमावली (बाई-लाज) उप विधि परामर्शी द्वारा तैयार कराई गयी थी परन्तु केन्द्र के स्वरूप का परिवर्तन विचाराधीन होने के कारण नियमावली को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इस कारण नियमावली सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला चिकित्सालय, हरदोई में मरीजों से एक्सरे प्लेटों के चार्जेज के रूप में ली गई धनराशि तथा सरकार द्वारा आवंटित धनराशि

49—श्री बलराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई के एक्सरे विभाग में वर्ष वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84, 84-85 एवं 85-86 में क्रमशः कुल कितना धन मरीजों से एक्सरे प्लेटों का वसूल किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में कितनी एक्स रे प्लेट एक्स रे विभाग को सरकारी प्रदान की गयी ? उनका उपयोग किस प्रकार किया गया ? क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय, हरदोई में मरीजों से एक्सरे प्लेटों के चार्जेज के रूप में वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84, 84-85 एवं 85-86 में वसूल की गई धनराशि के विवरण निम्न प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	रोगियों से प्राप्त धन
1982—83	रु0 12,684
1983—84	रु0 13,352
1984—85	रु0 14,296
1985—86	(14-2-86 तक) रु0 13,976/-

उक्त अवधि में एक्सरे विभाग को प्रदान की गई सरकारी एक्सरे प्लेटों का विवरण निम्नलिखित है :—

1982—83	9,200
1983—84	9,150
1984—85	6,400
1985—86	6,050
	कुल 30,800

चिकित्सालय के चिकित्सक के पर्चे के अनुसार साधन सम्पन्न रोगियों से निर्धारित फीस जमा करने पर तथा राज्य कर्मचारियों, विधायकों, सांसदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पत्रकारों तथा गरीब व असहाय रोगियों के निःशुल्क एक्सरे लेने में उक्त एक्सरे प्लेटों का उपयोग किया गया चूंकि इस संबंध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

50—श्री बलराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय हरदोई में वित्तीय वर्ष 83-84, 84-85, 85-86 में कितना धन सरकार द्वारा दिया गया ? तथा उसका खर्च किस प्रकार किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला चिकित्सालय हरदोई में वित्तीय वर्ष 1983-84, 84-85 तथा 85-86 में सरकार द्वारा क्रमश: रु0 6,06,000 रु0 4,93,500 तथा 9,53,000/- आवंटित किया गया जिसका उपयोग औषधियों के क्रय, एक्सरे फिल्म क्रय, सर्जिकल डे्सिंग्स, साज सज्जा क्रय, मरीजों हेतु भोजन, यात्रा भत्ता आदि पर किया गया।

डा0 एन0 ए0 खान, रेडियोलाजिस्ट, जिला चिकित्सालय हरदोई का मुख्यालय

51–श्री बलराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन0 ए0 खान, रेडियोलाजिस्ट, जिला चिकित्सालय, हरदोई में अपना मुख्यालय न रखना कर लखनऊ से रेज चिकित्सालय 12 बजे के उपरान्त आते हैं और तीन बजे पुन: लखनऊ वापस चले जाते हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनके विरुद्ध तथा सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 एन0 ए0 खान, सीनियर रेडियोलाजिस्ट, जिला अस्पताल, हरदोई ने हरदोई नगर में अपना मुख्यालय बनाया है। वे वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, हरदोई की अनुमति से ही अपना मुख्यालय छोड़ते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोकल पर्चेज के माध्यम से आवश्यक औषधियों का वितरण

52–श्री बलराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री मंत्री यह भी बतायेंगे कि दिनांक 1-1-85 से 30-11-85 तक लोकल पर्चेज की सुविधा किन-किन व्यक्तियों को दी गयी उसका पूर्ण विवरण क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाटी–

दिनांक 1-1-85 से 30-11-85 तक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निम्नलिखित वर्गों के रोगियों को लोकल पर्चेज के माध्यम से आवश्यक औषधियों का वितरण किया गया :–

क–समस्त सांसद एवं विधायक।

ख–राज्य कर्मचारी एवं अधिकारी।

ग–सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी एवं अधिकारी।

घ–मान्यता प्राप्त पत्रकार।

ङ–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी।

च–निर्धन एव असहाय रोगी।

हरदोई जनपद के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण

53–श्री बलराम यादव–

विधान सभा द्वितीय सत्र 85 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 9 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में क्षेत्रीय एवं यूनानी अधिकारी ने किस-किस अधिकारी के स्थानान्तरण करने हेतु निदेशक को पत्र लिखे और किस-किस तिथि को उनके स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1985 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–9 के उत्तर में उल्लिखित 4

चिकित्साधिकारियों में से निम्नलिखित दो चिकित्साधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करने हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ ने निदेशक को पत्र लिखे थे:—

1—श्री सुल्तान अली खां, तत्कालीन चिकित्साधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भैंसरी, जिला हरदोई।

2—श्री विलास अवस्थी, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय हरदोई नगर।

उक्त दोनों चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश निदेशक आयुर्वेद द्वारा दिनांक 25-6-84 को जारी किये गये थे।

शेष दो चिकित्साधिकारी सर्वश्री ओम प्रकाश शुक्ला एवं चन्द्र भान बाजपेयी को उनकी प्रार्थना पर स्थानान्तरित किया गया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र, खानपुर में संवारत स्वर्गीय श्रीमती रामश्री देवी गुप्ता के उत्तराधिकारी श्री हरीश चन्द्र गुप्ता द्वारा नौकरी के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र

56—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डिवियापुर के उप केन्द्र खानपुर में संवारत श्रीमती राम श्री देवी गुप्ता, परिवार कल्याण कार्यकर्ता की कार्यरत दशा में दिनांक 23-7-84 को मृत्यु हो गई? यदि हां, तो क्या उनके उत्तराधिकारी श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता निवासी गोविन्द गंज, फफूंद इटावा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नौकरी के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

स्वर्गीया श्रीमती रामश्री देवी गुप्ता के उत्तराधिकारी श्री हरीशचन्द्र गुप्ता ने अपनी अस्वस्थता एवं दमा के रोग से पीड़ित होने के फलस्वरूप सेवा में आने में अपने को असमर्थ पाये जाने के कारण अपनी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के प्राविधानों के अनुसार श्रीमती मुन्नी देवी का मृत कर्मचारी के आश्रितों की श्रेणी में न होने के कारण सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अस्थायी प्रसार शिक्षकों एवं पुरुष सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्थायी किये जाने के आदेश

57—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत मेल सोशल वर्कर एवं खण्ड प्रसार शिक्षकों को स्थायी (कन्फर्म) करने का आदेश निर्गत हुआ है? यदि हां, तो कब और किस तिथि को? यदि नहीं, तो क्यों और इस सम्बन्ध में बरती गयी शिथिलता व अनियमितता के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

87 अस्थायी प्रसार शिक्षकों को दिनांक 1 जनवरी, 1980 से स्थायी किये जाने के आदेश अतिरिक्त निदे-

शक एवं राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा क्रमशः उनके आदेश संख्या प0 क0/3/प्र0 शि0 /स्थायीकरण /81/6075, दिनांक 20 अगस्त, 1981 तथा संख्या-प0 क0/3/प्र0शि0 स्था0/81/9669, दिनांक 4 अक्तूबर, 1981 द्वारा जारी किये जा चुके हैं किन्तु पुरुष सामाजिक कार्यकर्ताओं के 47 अस्थाई पदों के स्थायीकरण के आदेश शासनादेश सं0-4557/16-11-235/1977, दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 द्वारा जारी किये गये हैं। इनके पदधारकों के स्थायीकरण की औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण इन्हें स्थायी किये जाने के आदेश जारी करना अभी सम्भव नहीं हो सका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दवाई एवं रख रखाव हेतु स्वीकृत धनराशि

58—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 85-86 में प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाई एवं रख-रखाव हेतु कितना धन निश्चित किया गया है? क्या यह सही है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा यह धन काफी कम है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1985-86 में प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दवाई एवं रख-रखाव हेतु निम्नलिखित धनराशि स्वीकृति की गई :-

	आयोजनागत पक्ष में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को	आयोजनेत्तर पक्ष में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को
	रु0	रु0
दवाई हेतु	12,000	20,000
रख-रखाव हेतु	1,700	3,000
योग रु0	13,700	23,000

पिछले वर्ष भी उपर्युक्त दरों के अनुसार ही धन स्वीकृत किया गया था।

श्री मंशाराम वर्मा, लैब टैक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर, गोण्डा के स्थानान्तरण के आदेश

59—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री फसीउर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंशा राम वर्मा, लैब टैक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर, गोण्डा विगत 13 वर्षों से वहीं पर कार्यरत हैं और इनके संबंध क्षेत्र के असामाजिक तत्वों से हैं ? क्या इस आशय की सूचना विभागीय अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गयी थी ? क्या इन्हीं कारणों से विभागीय कार्यहित में श्री वर्मा को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित भी कर दिया गया था? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण किसके आदेश से तथा क्यों निरस्त किया गया? क्या सरकार श्री वर्मा को पुनः विभाग के हित में अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश देगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा को जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं तथा संयुक्त निदेशक

(मलेरिया) इलाहाबाद श्री भंशाराम वर्मा, लैब टैक्नीशियन का जनपद गोण्डा से इलाहाबाद के लिए स्थानान्तरण के आदेश दिनांक 1-2-86 को पारित कर दिये गये हैं।

टाउन एरिया गढ़ी पोख्ता, जिला मुजफ्फर-नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर एवं भवन का निर्माण

60—श्री अमीर आलम खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि टाउन एरिया गढ़ी चांखलता, जिला मुजफ्फरनगर की पी0 एच0 सी0 बगैर डाक्टर और बगैर सरकारी भवन के चल रही है, जिसमें डाक्टर और भवन का निर्माण अति आवश्यक है? यदि हां, तो उपरोक्त पी0 एच0 सी0 के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

गढ़ी धोखलता में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। हां, टाउन एरिया गढ़ी पोख्ता जिला मुजफ्फर नगर में पी0 एच0 सी0 है जहां डाक्टर कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन बनाने की योजना जिला योजना के अधीन आती है। इस विषय में जिला नियोजन व अनुश्रवण समिति मुजफ्फरनगर ही आवश्यक निर्णय ले सकती है।

जिला मलेरिया अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद तथा आरक्षण कोटा

64—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में जिला मलेरिया अधिकारियों के कितने पद हैं और इनमें हरिजन अधिकारियों का कितना कोटा है? क्या हरिजनों का कोटा पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या शासन कोटा पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश में जिला मलेरिया अधिकारियों के कुल 56 पद स्वीकृत हैं। इसमें हरिजन अभ्यर्थियों के आरक्षण का कोटा 10 पद होते हैं। वर्ष 1981 तक जिला मलेरिया अधिकारियों के 28 पद भरते समय हरिजनों के लिए 5 पद आरक्षण कोटे के थे किन्तु पात्रता क्षेत्र में केवल एक हरिजन अभ्यर्थी ही उपलब्ध होने के कारण शेष 4 पदों को आरक्षित कोटे से मुक्त कराना पड़ा था।

अब शेष 28 रिक्त पदों के विरुद्ध 5 पद हरिजन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित हैं, किन्तु जिला मलेरिया अधिकारी के प्रश्नगत पदों को प्रोन्नति से भरे जाने हेतु पात्रता-क्षेत्र में इस समय कोई भी हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। हरिजनों का कोटा पूरा करने के लिए शासन सदैव प्रयत्नशील है। जैसे-जैसे नीचे सम्वर्ग से प्रोन्नत होकर पात्रता क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध होते जायेंगे उनके लिए निर्धारित कोटा की पूर्ति भी होती जायेगी।

जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व जच्चा बच्चा अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय

67—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में ग्रामीण

क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व जच्चा-बच्चा अस्पताल खोले जाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद गाजियाबाद में चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में निम्नांकित 6 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने के आदेश निर्गत हो चुके हैं :–

1–वरौला।
2–मंडोला।
3–गोविन्दपुरी।
4–पिलखुआ।
5–फरीद नगर।
6–झड़ौना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद गाजियाबाद में चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में निम्नांकित स्थानों पर जच्चा-बच्चा केन्द्र भी स्थापित कर दिये गये हैं :–

1–हरिसिंहपुर।
2–भगैड़ा।
3–गिरधरपुर।
4–असौड़ा।
5–हाफिजपुर।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंसूरपुर, ब्लाक सांडी के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

71–श्री हरीशंकर तिवारी विलग्रामी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि रा0 आयु0 चिकित्सालय मंसूरपुर, ब्लाक सांडी, जि0 हरदोई जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है में चिकित्सा अधिकारी 4 माह से नहीं जा रहे हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

संबंधित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति

73–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय हैं जिनमें चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं है? क्या जनहित में अविलम्ब चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

तहसील नरैनी, जनपद बांदा में एलोपैथिक अस्पतालों में 4 पुरुष व 2 महिला चिकित्सक नियुक्त नहीं हैं। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सभव होगी।

दो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं थे किन्तु उन स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

अंशकालिक डिमांस्ट्रेटरों/प्रवक्ताओं के पदों की निरन्तरता के आदेश

74–श्री धनराज यादव–

द्वितीय सत्र 85 के 1ले गुरु के लिए निर्धारित अता0 प्र0 स0 30 के उत्तर

के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत आदेश कब तक पारित हो जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित उत्तर में सन्दर्भित अंशकालिक डिमांस्ट्रेटरों/प्रवक्ताओं के पदों की निरन्तरता दिनांक 31-10-85 तक के आदेश जारी हो चुके हैं। अग्रेतर दिनांक 28-2-86 तक स्वीकृत की कार्यवाही की जा रही है।

जिला अस्पताल, बरेली में आई0सी0सी0 यूनिट की स्थापना में व्यय

75–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला अस्पताल में स्थित आई0 सी0सी0 यू0 की स्थापना में सरकार का कितना धन खर्च हुआ और प्रतिवर्ष उसके चलन पर कितना धन खर्च करने की योजना है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला अस्पताल बरेली में आई0सी0 सी0 यूनिट की स्थापना में सरकार का भवन, साज-सज्जा एवं उपकरण, स्टाफ तथा औषधियों आदि पर रु0 3.99 लाख व्यय हुआ। उक्त यूनिट को चलाने के लिए औषधियों व कर्मचारियों के वेतन आदि पर लगभग रुपये एक लाख प्रति वर्ष व्यय होने का अनुमान है।

श्रीमती सम्पदा देवी पत्नी स्व0 श्री विरजू राम द्वारा दिया गया फैमिली पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

77–श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी:–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सम्पदा देवी पत्नी स्व0 श्री बिरजू राम (हरिजन) जो कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र खलीलाबाद, जिला बस्ती में सेनेट्री सुपरवाइजर थे का 20-8-85 का प्रार्थना पत्र जिसमें कि उन्होंने फेमिली पेंशन शीघ्र दिलाने की प्रार्थना की है, मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । श्रीमती सम्पदा देवी का दिनांक 20-8-85 का प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अपनी सेवा निवृत्ति के संबंध में स्वर्गीय विरजू राम ने दिनांक 16-7-81 को लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में याचिका दायर की थी जो अभी तक अनिर्णीत है। यही कारण है कि इनकी फैमली पेंशन, प्राविडेन्ट फन्ड तथा अन्य देय धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया के अंतर्गत ए0एन0एम0 की प्रोन्नति के आदेशों की प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कथित अवहेलना

79–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र सीयर बलिया के प्रभारी चिकित्सक ने निदेशक चिकित्सा और सहायक निदेशक चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण के दो हरिजन महिला कर्मियों के स्थानान्तरण निरस्त करने संबंधी कितने आदेशों को हीला हवाली करके नहीं माना है तथा उन कर्मियों के संदर्भ में उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद उनके विरुद्ध कितने अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर आदेशों को लम्बित कर रोका है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किन परिस्थितियों में नहीं की जा रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, बलिया के अंतर्गत तैनात दो ए0एन0एम0 की प्रोन्नति, पर दूसरे जनपदों में तैनाती और उनके प्रतिस्थानी की नियुक्ति के आदेश, संयुक्त निदेशक मातृ व शिशु कल्याण लखनऊ ने किये थे। इन दो ए0एन0एम0 की प्रोन्नति के फलस्वरूप दो रिक्त स्थानों में प्रशिक्षित ए0एन0एम0 की नियुक्ति कर ली गयी। बाद में दोनों ए0एन0एम0 द्वारा प्रोन्नति छोड़ देने पर उक्त केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा उनको संयुक्त निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश प्राप्त करके, बलिया जनपद में ही समायोजित किया गया। इस समायोजन में कुछ समय अवश्य लगा, परन्तु इसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी ने कोई हीला हवाली अथवा आदेशों की अवहेलना नहीं की । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता?

डा0 आर0एन0 ठाकुर, भू0पू0 प्राचार्य, रा0 के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद द्वारा शासनादेश की अवहेलना के विरुद्ध कार्यवाही

80–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि डा0 आर0एन0 ठाकुर भू0पू0 प्राचार्य रा0 के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद को अनावश्यक रूप से शासनादेश की अवहेलना करते हुए निदेशक द्वारा 6 माह तक सेवा में रखे जाने के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करने की संस्तुति की गयी थी? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्रामों में चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव

82–श्री राम नाथ मुंशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में ग्राम सिरगीथा, ब्लाक देवकली, ग्राम मौंधियां, ब्लाक मनिहारी, ग्राम कनेरी ब्लाक सादात तथा ग्राम चाड़ीपुर ब्लाक देवकली में चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय कब तक स्थापित किए जाएंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम नाथ शर्मा, फारमेसिस्ट की पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

87–श्री अचल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामनाथ शर्मा, फारमेसिस्ट अगस्त 1973 में हेल्थ सेन्टर गोपालगंज फतेहपुर से रिटायर हुये थे? यदि हां, तो क्या उन्हें अभी तक फाइनल पेंशन तथा बकाया वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, श्री राम नाथ शर्मा फार्मेसिस्ट के पद से सेवा निवृत्त हो चुके है। उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि खाते में जमा धन के भुगतान किये जा चुके है। पुनरीक्षित वेतनमान के बकाये भुगतान के लिये बिल महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सहमति हेतु भेज दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, बरेली में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा

88—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय, बरेली के परिसर में 27 चिकित्सा अधिकारियों में से 7 को, 84 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में से 25 को तथा 95 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से 50 को आवासीय सुविधा उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय के परिसर में भूमि उपलब्ध न होने के कारण शेष कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर के प्रांगण में महिला वार्ड में के उपयोगार्थ महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

89—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिल्थरा रोड नगर स्थित प्रा0स्वा0 केन्द्र सीयर के प्रांगण में जनता द्वारा बनवाए गए महिला वार्ड के उपयोगार्थ एवं लोकहित में महिला चिकित्सक की मांग के लिए प्रश्नकर्ता ने शासन को कितने पत्र दिए हैं तथा उन मांग संबंधी लोकहित के पत्रों पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उक्त केन्द्र पर कब तक महिला चिकित्सक की व्यवस्था सरकार कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर के प्रांगण में बने महिला वार्ड में महिला चिकित्सक की नियुक्ति हेतु प्रश्नकर्ता विधायक जी के दो पत्र शासन में प्राप्त हुए थे।

जिला महिला अस्पताल, तहसील स्तरीय महिला अस्पताल, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, महिला स्टेट डिस्पेन्सरी, अरबन फैमली, प्लानिंग सेन्टर, व पोस्ट मार्टम सेन्टर पर ही महिला चिकित्सक की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। अतः उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं की जा सकती है।

महिला चिकित्सालय छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत महिला चिकित्सक

101—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करागे कि महिला चिकित्सालय छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में विगत 4 वर्षों से महिला चिकित्सक नहीं है? यदि हां, तो कब तक इस चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की व्यवस्था कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। महिला अस्पताल छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में दिनांक 17-1-79 से 26-4-83 तथा दिनांक 12-1-84 से 11-3-84 तक महिला चिकित्सक कार्यरत थीं। अब एक अंशकालिक महिला चिकित्सक दिनांक 1-1-86 से वहां कार्यरत है।

श्री आर0 एस0 सक्सेना, आशुलिपिक, कार्यालय संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, आगरा की मूल पद पर तैनाती

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आर0 एस0 सक्सेना

आशुलिपिक, कार्यालय संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक आगरा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट सं0 2495/85 दायर की और न्यायालय ने दिनांक 1-5-85 को स्टे आर्डर निर्गत किया परन्तु फिर भी संयुक्त निदेशक ने श्री सक्सेना को उनके मूल पद पर तैनात नहीं किया और माह जनवरी, 85 में उन्हें उनके वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

श्री आर0 एस0 सक्सेना को उनके मूल पद पर तैनात किया जा चुका है और इन्हें जनवरी, 85 का वेतन दिया जा चुका है।

आशुलिपिक (लिपिक) की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता, श्री पाठक की नियुक्ति का औचित्य एवं वसूली

103–श्री जगदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नियुक्ति विभाग के शासनादेश सं0 31/6/66 नियुक्ति-ख दि0 26-6-67 के अनुसार आशुलिपिक (लिपिक) की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता इण्टर पास है ? फिर क्या कारण है कि वर्ष 1984 में संयुक्त निदेशक, आगरा के कार्यालय में श्री पाठक को अनियमित रूप से नियुक्त किया गया ? क्या इस अवैध नियुक्ति के लिए दोषी अधिकारी को दण्ड दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

श्री पाठक वर्ष 1984 में संयुक्त निदेशक आगरा मण्डल, आगरा, के कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर स्थानान्तरित हो कर आए । वह इससे पूर्व नियुक्त हो चुके थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

104–श्री जगदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री एच0 एन0 पाठक जिन्हें डा0 एस0 डी0 तायल ने वर्ष 1984 में संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, आगरा में नियमों के विपरीत आशुलिपिक नियुक्त किया था, के मामले में जांच अधिकारी ने उन्हें प्रत्यावर्तित करने और रु0 13,787 की भारी मात्रा में कीमती दवाओं का लोकल परचेज अपने व अपने परिवार के नाम पर करने के लिए धनराशि की वसूली की संस्तुति की लेकिन स्वास्थ्य सेवा निदेशक डा0 पी0 सी0 व्यास ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1984 में डा0 एस0 डी0 तायल, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डल, आगरा के आदेशों द्वारा श्री एच0 एन0 पाठक, लिपिक, संयुक्त निदेशक, आगरा के कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर स्थानान्तरित हो कर आये थे । जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर श्री पाठक से रु0 13,787 की वसूली की जा रही है ।

105–श्री जगदीप सिंह बरार–

क्या यह सही है कि निदेशक ने शासन को गलत संस्तुति की कि श्री पाठक को इण्टर पास करने की अनुमति दी जाय और जांच रिपोर्ट की संस्तुति से शासन को अनभिज्ञ रखा? यदि हां, तो शासन ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक डा0 व्यास के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग में उच्च पदों में प्रोन्नति का आधार, देवरिया जनपद में फार्मेसिस्ट की दंत चिकित्सक के पद पर नियुक्ति

110–श्री रणजीत सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय कर्मचारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उच्च पदों में प्रोन्नति दिये जाने की नीति का पालन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो जनपद देवरिया में तैनात एक फारमेसिस्ट ने अवकाश लेकर बी0डी0एस0 (दंत चिकित्सक पाठ्यक्रम) पास करने के उपरान्त शासन को दंत चिकित्सक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उचित माध्यम से दिनांक 28-4-84 को प्रार्थना पत्र भेजा है? यदि हां, तो शासन द्वारा रिक्त पद पर उसकी दंत चिकित्सक के पद पर नियुक्ति के आदेश कब तक प्रसारित कर दिये जायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति का आधार नहीं है।

देवरिया जनपद के उक्त दन्त चिकित्सक को जनवरी, 86 के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति दी जा चुकी है।

राजकीय चिकित्सालय बरही, जनपद गोरखपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0 डी0 तिवारी का स्थानान्तरण

116–श्रीमती शारदा देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राजकीय चिकित्सालय, बरही के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 एस0 डी0 तिवारी का स्थानान्तरण वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनके गलत हरकतों की वजह से व चार साल से अधिक एक स्थान पर रहने के कारण कर दिया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसके तुरन्त बाद नये नियुक्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनका स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय चिकित्सालय, बरही, जनपद गोरखपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0 डी0 तिवारी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जंगल कौड़िया को किया था। वर्तमान मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा डा0 तिवारी का स्थानान्तरण कुछ समय के लिए मानवीय आधार पर रोक दिया था। अब डा0 एस0 डी0 तिवारी दिनांक 1-11-85 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जंगल कौड़िया में कार्यरत हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर के उपकेन्द्र चौरी चौरा के राजकीय भवन में श्रीमती श्यामा देवी का कब्जा

119–श्रीमती शारदा देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में प्रा0 स्वा0 केन्द्र सरदार नगर के उपकेन्द्र चौरी चौरा को वहां की ए0 एन0 एम0 श्रीमती श्यामा देवी ने क्यों पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है तथा उसी में उसका पूरा निवास भी है जिसमें वह अपने बड़े बच्चों को लेकर रहती है और महिलाओं का प्रसव भी वहीं कराती है? यदि हां, तो उसे खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर के उपकेन्द्र चौरी चौरा के राजकीय भवन में कुल चार कमरे तथा एक बरामदा है। इनमें से बीच का एक कमरा तथा बरामदा श्रीमती श्यामा देवी के पास है। बरामदे में कैन पास का पर्दा लगा है जिसमें श्रीमती श्यामा देवी अपने बच्चों के साथ रहती हैं तथा कमरे में प्रसव इत्यादि तथा अन्य सरकारी दायित्वों का निर्वाह करती है।

शासनादेश संख्या 11828/बारह-231/1955, दिनांक 28-1-1957 के अन्तर्गत श्रीमती श्यामा देवी को निशुल्क आवास की सुविधा दी गई है एवं यह भी प्राविधान किया गया है कि यदि उपकेन्द्र में स्थान उपलब्ध है तो वहां प्रसाविका को रहने की सुविधा दे दी जाय। अतः भवन खाली कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र लक्ष्मनपुर (गोरखपुर) में तैनात श्री पी0 एन0 तिवारी का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

120—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश के अनुसार कोई कर्मचारी एक ही स्थान पर 5 साल से अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकते हैं?यदि हां, तो प्रा0 स्वा0 केन्द्र के उपकेन्द्र लक्ष्मनपुर (गोरखपुर) में नियुक्त स्वास्थ्य सहायक श्री पी0 एन0 तिवारी के लगभग 20 वर्षों से कार्यरत रहने का क्या कारण है? क्या शासन उक्त व्यक्ति को तुरन्त स्थानान्तरित करने हेतु विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र लक्ष्मनपुर/गोरखपुर पर तैनात श्री पी0 एन0 तिवारी, स्वास्थ्य सहायक, को तत्कालीन संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मन्डल के आदेशानुसार वर्ष 1980 में बस्ती स्थानान्तरित कर दिया गया था परन्तु कार्यरत में उन्हें जनपद गोरखपुर से.ही सम्बद्ध रखे जाने के कारण श्री तिवारी जनपद गोरखपुर में ही कार्य करते रहे।

जनपद गोरखपुर से श्री तिवारी की सम्बद्धता को समाप्त करते हुये उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल; को जारी कर दिए गए हैं

बलिया जनपद में नसबन्दी आपरेशन की असंतोषजनक उपलब्धियों से कर्मचारी व डाक्टरों को चेतावनी

126—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85 में नसबंदी का कोटा पूरा करने के कारण बलिया जनपद में कितने कर्मचारियों व डाक्टरों के ऊपर किस-किस स्तर की कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1985 के दौरान बलिया जनपद में नसबन्दी आपरेशन की असंतोषजनक उपलब्धियों के कारण 685 कर्मचारियों एवं 30 डाक्टरों को चेतावनी दी गई, 347 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोके जाने तथा 200 कर्मचारियों की दक्षतारोक रोके जाने के आदेश दिए गए ।

ललितपुर जनपद में जिला अस्पताल का निर्माण

128—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के

विकास की ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है तथा सुदूर अंचलों में प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने का विचार है तथा जनपद के मुख्यालय पर शासन द्वारा स्वीकृत 4 करोड़ से ऊपर का धन जिला अस्पताल के निर्माण का पड़ा है और इसके कब तक बनकर तैयार होने का विचार है तथा इसमें विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ललितपुर जनपद में वर्तमान में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त 8 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन तथा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महरौनी के भवन निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृत किया जा चुका है । 200 शैय्याओं वाले जिला संयुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण कार्य नवम्बर, 1985 में प्रारम्भ कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य अगले तीन वर्षों में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

श्री केदारनाथ पाण्डेय, प्रसार शिक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर, गोण्डा का गर्हित स्थानान्तरण

133–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदारनाथ पाण्डेय प्रसार शिक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर, गोण्डा का स्थानान्तरण गंभीर अनियमितताओं के कारण वर्ष 1981 में बदायूं कर दिया गया था ? यदि हां, तो 1984 में पुनः श्री पाण्डेय को परसपुर में ही क्यों स्थानान्तरित किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

लोक सेवा अधिकरण के निर्णयानुसार श्री एम0 ए0 खान, प्रसार शिक्षक की सेवा में पुनः स्थापित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसपुर जनपद गोण्डा में समायोजित किये जाने के कारण श्री केदारनाथ पान्डे, प्रसार शिक्षक को वर्ष 1981 में जनपद बदायूं स्थानान्तरित किया गया था ।

वर्ष 1984 में श्री केदारनाथ पान्डे को उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर ही राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद गोण्डा स्थानान्तरित किया गया था। चूंकि उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसपुर में ही स्थान रिक्त था अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा उन्हें वहीं पर समायोजित कर दिया गया ।

134–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या यह सही है कि श्री पाण्डेय को पुनः परसपुर से बहराइच स्थानान्तरित कर दिया गया था ? यदि हां, तो श्री पाण्डेय का बहराइच स्थानान्तरण का आदेश किन परिस्थितियों में स्थगित करके उन्हें परसपुर रोका गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । किन्तु वर्तमान अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल ने एक ही वर्ष में पुनः स्थानान्तरण किये जाने पर आपत्ति करते हुए श्री पाण्डे के स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त करते हुए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसपुर में ही तैनात रहने दिया है।

135–श्री सुखपाल पाण्डे–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

बस्ती जिले में फार्मेसिस्टों का नये वेतनमान में बकाया भुगतान

140–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितने फार्मेसिस्ट हैं

जिनका नये वेतनमान का धन बकाया है और 31 जुलाई, 85 तक भुगतान नहीं किया गया है इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी और बकाया वेतन का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बस्ती के किसी भी फार्मेसिस्ट का नये वेतनमान में धन का भुगतान बकाया नहीं है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्रीमती सहलतिया देवी, दाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया का वेतन का भुगतान

141–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहलतिया दाई जो बायना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलिया पर कार्यरत थी के सेवा-मुक्ति के आदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 9-4-82 को रद्द कर दिया गया और उसे लगातार सेवा में मानकर सभी सुविधाएं देने का निर्देश ट्रिब्यूनल ने दिया है ? यदि हां, तो फिर उसके पिछले वेतन का भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

श्रीमती सहलतिया देवी, दाई के पिछले वेतन के भुगतान के लिए निर्धारित वित्तीय औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है । वित्तीय औपचारिकताएं पूरी होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद बहराइच में बेसिक हेल्थ वर्करों का स्थायीकरण

143–श्री मयंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में अब तक कितने बी0 एच0 डब्ल्यू0 का स्थायीकरण हो चुका है और कितने अभी शेष हैं ? यदि हां, तो उनका स्थायीकरण कब तक किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद में नियुक्त 55 बेसिक हेल्थ वर्करों में से 45 का स्थायीकरण किया जा चुका है । शेष 10 में 3 के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है । अन्य 7 कर्मचारी की नियुक्ति अवधि कम होने के कारण स्थायीकरण की परिधि में नहीं आते हैं ।

बलिया जनपद के कतिपय क्षेत्रों में खाद्य निरीक्षकों द्वारा दुकानों में मारे गए छापे

145–श्री विष्णु देव–

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 जून, 85 को बलिया जनपद के बिल्थरा रोड, सिकन्दरपुर व खेजुरी चट्टी पर मुख्य खाद्य निरीक्षक, बलिया की देख-रेख में खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों की जांच हेतु सैम्पुलों में कितनी दुकानों पर छापा मारा गया तथा किन-किन बाजारों से कितने नमूने लिए गए ? इस छापे में कितने और कहां-कहां के खाद्य निरीक्षक बुलाए गए थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत क्षेत्रों में जिन दुकानों में छापे मारे गए थे उनके बारे में वांछित सूचना निम्नवत है :–

क्षेत्र का नाम	दुकानों की संख्या	लिए गए नमूनों की संख्या
बिल्थरा रोड	5	7
सिकन्दरपुर	7	9
खेजुरी	4	4
योग ..	16	20

उक्त छापों में चार खाद्य निरीक्षकों की ड्यूटी निम्नलिखित क्षेत्रों से बुलाकर लगाई गई थी :–

1–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर

2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटवा

3–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतसड

4–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनियर

(इसके बाद सदन 7 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
27 फरवरी, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 13 का उत्तर नीचे पृष्ठ 28 पर)

वर्ष 1982 में किये गये चयन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विवरण

	उच्चतम अंक	न्यूनतम अंक	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
(1) सामान्य	55·10	45·05	62
(2) पिछड़ा वर्ग	58·60	44·00	15
(3) अनुसूचित जाति	44·05	33·45	5
(4) विकलांग	45·20	39·15	2
(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	49·55	48·50	2

वर्ष 1983 में किये गये चयन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विवरण

	उच्चतम अंक	न्यूनतम अंक	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
(1) सामान्य	55·10	46·40	122
(2) पिछड़ा वर्ग	58·91	49·29	33
(3) अनुसूचित जाति	48·41	36·22	19
(4) विकलांग	कोई नहीं था	कोई नहीं था	--
(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	44·50	46·16	2

वर्ष 1985 में किये गये चयन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विवरण

	उच्चतम अंक	न्यूनतम अंक	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
(1) सामान्य	63·53	49·98	128
(2) पिछड़ा वर्ग	58·76	50·01	33
(3) अनुसूचित जाति	49·63	49·46	27
(4) विकलांग	56·79	42·88	3
(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	55·89	--	1

नत्थी 'ख'

(देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित दूसरे गुरुवार दिनांक 20-2-86 के प्रश्नों में नियम 29(4) के अन्तर्गत ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 145 पर)

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 6552/16-11-84

प्रेषक,

श्री श्याम सूरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ ।

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 1984

विषय :—परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्षम एवं शिथिल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग—11

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या—2702(7)/16-11-81-9/21/81, दिनांक 18 जून, 1981 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगभग 35 कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। वर्ष 1977 के पश्चात् परिवार कल्याण कार्यक्रम में हतोत्साहन समाप्त किये जाने के बाद यह देखा गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकांश कार्यकर्ताओं की उपलब्धियां शून्य रहती हैं। फिर भी उनके विरुद्ध कोई प्रशासकीय कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं लक्ष्यों की पूर्ति की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक हो गयी है। इससे यह आवश्यक है कि जहां इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं/पर्यवेक्षकों को सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान किये जायें वहां निर्धारित लक्ष्यों से कम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दण्ड भी दिया जाये। कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों की उपलब्धियों की नियमित समीक्षा की जाये और जो कर्मचारी नसाम्दी के अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न कर सकें उनके विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाये :—

(1) अपेक्षित लक्ष्य के 10% तक उपलब्धि पर दीर्घ दंण्ड की कार्यवाही किया जाना ।

(2) अपेक्षित लक्ष्य के 10 से 25% तक उपलब्धियों पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना और लगातार दो वर्ष तक ऐसा हो तो दीर्घ दण्ड दिया जाना।

(3) अपेक्षित लक्ष्य के 25 से 50% तक की उपलब्धियों पर दक्षता रोक रोका जाना तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किया जाना। इस प्रकार की कार्यवाही अभी नसबन्दी के लक्ष्यों के विषय में की जानी आरम्भ की जाय। अन्य कार्यक्रमों में भी लक्ष्य पूर्ण किये ही जाने हैं एवं उनमें शिथिलता न आने दी जाय।

दण्ड दिए जाने वाले मामलों में यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त कार्यवाही सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स में निहित नियमों के अन्तर्गत की जाय और ऐसा अवसर न उत्पन्न हो कि उच्च स्तर पर अथवा न्यायाधिकरण आदि में तकनीकी कमियों के कारण कोई कार्यवाही निरस्त की जाय।

2—कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें। उपरोक्त के अनुरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्रति माह विवरण पत्र मंगाकर उनकी समीक्षा भी करें व शासन को भी प्रति माह स्थिति से सूचित करें।

3—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
(ह0/-) श्याम सूरी,
सचिव।

संख्या : 6552(1)/16-11-84—तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है :—

1—राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ।
2—समस्त संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0।
3—समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0 प्र0।

आज्ञा से,
(ह0/-) राजीव शर्मा,
संयुक्त सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 40 विधान सभा—(61)—1986—813।